राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 03] **पन्द्रहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का पहला दिवस** **[संख्या: 01**

गुरुवार,

28 नवम्बर 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यामिनीम्।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: शपथ/प्रतिज्ञान

शपथ/प्रतिज्ञान

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

(माननीय सदस्यों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की/प्रतिज्ञान किया)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1	2	3	4
1.	सुश्री रीटा चौधरी	शपथ	हिन्दी
2.	श्री नारायण बैनिवाल	शपथ	हिन्दी

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 10)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 10वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को सायंकाल 5.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने वर्तमान सत्र में लिए जाने वाले कार्य के संबंध में विचार-विमर्श करते हुए यह निर्णय लिया कि दिनांक 28 एवं 29 नवम्बर, 2019 को निम्नानुसार सदन में विचार किया जाए:-

'भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्य पर ही विचार-विमर्श किया जाए तथा शासकीय संव्यवहार के अतिरिक्त कोई भी अन्य कार्य किसी भी प्रकार का, किसी प्राइवेट सदस्य द्वारा स्वप्रेरित प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, विशेष उल्लेख की सूचना, पर्ची (शून्यकाल), ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं अन्य कोई कार्य सम्मिलित करते हुए, इस सत्र के दौरान सदन के समक्ष न लाया जाए अथवा न संव्यवहारित किया जाए तथा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में उक्त विषय संबंधी समस्त सुसंगत नियम, एतद्द्वारा उस विस्तार तक निलंबित किये जाएं।'

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

सचिव, राजस्थान विधान सभा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा के विगत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:-

(सचिव)

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019

2- राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019

3- राजस्थान वित्त विधेयक, 2019

4- राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2019

5- राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

6- विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

7- राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019

8- राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019

9- राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019

10- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

11- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019

12- राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बाबूलाल गौर एवं श्री कैलाश जोशी, सांसद श्री राम जेठमलानी, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री दिग्विजय सिंह, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री

(श्री अध्यक्ष)

बृजेन्द्र सिंह सूपा, गोवर्धन कल्ला, फूलचन्द मीणा, जीथिंग एवं झावरमल सूण्डा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सुषमा स्वराज, श्रीमती, पूर्व मुख्य मंत्री, दिल्ली

दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी, 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ। आपने बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्रीमती सुषमा स्वराज ग्यारहवीं, बारहवीं, पंद्रहवीं एवं सोलहवीं लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रहीं। आप भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दूर संचार मंत्रालय, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय की मंत्री रहीं। अपने विदेश मंत्री कार्यकाल के दौरान आप विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद को सदैव तत्पर रहती थीं। श्रीमती सुषमा स्वराज तीन बार राज्य सभा की सदस्य रहीं। लोक सभा तथा राज्य सभा में आप अनेक संसदीय समितियों की सदस्य तथा सभापति रहीं। ओजस्वी वक्ता रहीं श्रीमती सुषमा स्वराज लोक सभा में प्रतिपक्ष की नेता भी रहीं। आप दो बार हरियाणा विधान सभा की सदस्य निर्वाचित हुईं तथा कई विभागों की केबिनेट मंत्री भी रहीं। श्रीमती सुषमा स्वराज 13 अक्टूबर से 3 दिसम्बर, 1998 तक दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री बनीं। आपने विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती सुषमा स्वराज अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के विभिन्न पदों पर रहीं।

श्रीमती सुषमा स्वराज का दिनांक 6 अगस्त, 2019 को निधन हो गया।

जगन्नाथ मिश्र, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, बिहार

बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र का जन्म 3 जनवरी, 1937 को बिहार के सहरसा में हुआ। आपने एम.ए. तथा पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जगन्नाथ मिश्र पांचवीं लोक सभा में बिहार के मधुबनी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1988 से 1994 तथा 1994 से 2000 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। श्री मिश्र केन्द्रीय सरकार में कृषि, ग्रामीण विकास

(श्री अध्यक्ष)

एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री रहे। संसद में आप विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री मिश्र तीन बार बिहार के मुख्य मंत्री रहे। अपने मुख्य मंत्री के कार्यकाल में आपने बिहार के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कीं।

श्री जगन्नाथ मिश्र का दिनांक 19 अगस्त, 2019 को निधन हो गया।

बाबूलाल गौर, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बाबूलाल गौर का जन्म 2 जून, 1929 को उत्तर प्रदेश के नौगीर ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री बाबूलाल गौर दस बार मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप अगस्त, 2000 से नवम्बर, 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। आप मध्य प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य तथा सभापति रहे। श्री गौर मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता तथा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के मुख्य सचेतक भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव वाले श्री गौर को वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा 'उत्कृष्ट सेवा सम्मान' से सम्मानित किया गया।

श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे श्री गौर विभिन्न श्रम संगठनों से सम्बद्ध रहे तथा भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य भी रहे। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी में अनेक पदों पर अपनी सेवाएं दीं।

श्री बाबूलाल गौर का दिनांक 21 अगस्त, 2019 को निधन हो गया।

कैलाश जोशी, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री कैलाश जोशी का जन्म 14 जुलाई, 1929 को मध्य प्रदेश के हाटपीपल्या में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री कैलाश जोशी आठ बार मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। आप जून, 1977 से जनवरी, 1978 तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। श्री जोशी चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं लोक सभा तथा वर्ष 2000 से 2004 तक राज्य

(श्री अध्यक्ष)

सभा के सदस्य भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव वाले श्री जोशी मध्य प्रदेश विधान सभा तथा संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा सभापति रहे। आप मध्य प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री तथा विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे।

आप वर्ष 1955 में हाटपीपल्या के नगरपालिका अध्यक्ष बने। पिछड़ों के उत्थान के लिए समर्पित रहे श्री जोशी ने उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए शैक्षणिक संस्थान तथा अस्पताल की स्थापना की। आप जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे।

श्री कैलाश जोशी का दिनांक 24 नवम्बर, 2019 को निधन हो गया।

राम जेठमलानी, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री राम जेठमलानी का जन्म 14 सितम्बर, 1923 को पाकिस्तान के सिंध में हुआ। आपने कराची विधि महाविद्यालय से एलएल.एम. की उपाधि प्राप्त की।

श्री राम जेठमलानी छठी तथा सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। श्री जेठमलानी छह बार राज्य सभा के सदस्य रहे। आप जुलाई, 2010 से जुलाई, 2016 तक राजस्थान से राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप वर्तमान में बिहार से राज्य सभा के सदस्य थे। श्री जेठमलानी केन्द्रीय सरकार में विधि, न्याय तथा कम्पनी मामलों तथा शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालयों के मंत्री रहे। आप संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे।

प्रख्यात अधिवक्ता रहे श्री जेठमलानी बार काउंसिल आफ इंडिया तथा इंटरनेशनल बार एसोसिएशन सहित अनेक विधि संगठनों से सम्बद्ध रहे। विधि पर आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं तथा विभिन्न समाचार पत्रों में आपके अनेक आलेख भी प्रकाशित हुए।

श्री राम जेठमलानी का दिनांक 8 सितम्बर, 2019 को निधन हो गया।

दिग्विजय सिंह, श्री, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री श्री दिग्विजय सिंह का जन्म 23 अप्रैल, 1933 को उनियारा में हुआ। आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

श्री दिग्विजय सिंह तीसरी, चौथी, छठी, आठवीं, नौवीं तथा ग्यारहवीं

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान विधान सभा में उनियारा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप तीसरी एवं चौथी विधान सभा में स्वतंत्र पार्टी, छठी एवं आठवीं विधान सभा में जनता पार्टी, नौवीं विधान सभा में जनता दल तथा ग्यारहवीं विधान सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री सिंह वर्ष 1978 से 1980 तथा वर्ष 1990 से 1992 तक राजस्थान सरकार में कृषि, गृह, पंचायती राज, संसदीय कार्य विभागों सहित कई विभागों के मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति तथा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे तथा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति रहे। श्री सिंह वर्ष 1977 में प्रतिपक्ष दल के मुख्य सचेतक भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री सिंह ग्राम पंचायत बनेठा के सरपंच तथा पंचायत समिति उनियारा के प्रधान रहे। आप जन सम्पर्क सलाहकार समिति तथा टोंक सहकारी समिति के सदस्य रहे। शैक्षिक कार्यों में रूचि रखने वाले श्री सिंह विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे। आपने वर्ष 1966 में ओटावा (कनाडा) में आयोजित राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन में भी भाग लिया।

श्री दिग्विजय सिंह का दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 को निधन हो गया।

बृजेन्द्र सिंह सूपा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा का जन्म 1 मई, 1953 को बयाना के सूपा ग्राम में हुआ। आपने राजकीय महाविद्यालय धौलपुर से स्नातक प्रथम वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा आठवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में बयाना निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप आठवीं विधान सभा में कांग्रेस (आई) तथा दसवीं एवं ग्यारहवीं विधान सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे।

श्री सिंह ग्राम पंचायत सूपा के सरपंच तथा भरतपुर के उप जिला प्रमुख एवं जिला प्रमुख भी रहे। किसानों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहने

(श्री अध्यक्ष)

वाले श्री सिंह अखिल भारतीय किसान कमेटी के संयुक्त सचिव एवं सचिव रहे। आप राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष तथा तेंदूपत्ता समिति के सदस्य भी रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री सिंह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त मंत्री एवं संगठन मंत्री रहे।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा का दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को निधन हो गया।

गोवर्धन कल्ला, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री गोवर्धन कल्ला का जन्म 26 दिसम्बर, 1932 को महाराष्ट्र के कांटोस ग्राम में हुआ। आपने पूना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।

श्री गोवर्धन कल्ला ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री कल्ला ने वर्ष 1962 में लाणेसा किसान आंदोलन तथा वर्ष 1967 में अकाल राहत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आप अनेक जन आंदोलनों में सहभागी रहे तथा जेल यात्रा भी की। श्री कल्ला बाल विकास मंडल एवं पश्चिमी सीमा विकास समिति, जैसलमेर के अध्यक्ष रहे। आप खादी संस्थाओं में भी विभिन्न पदों पर रहे। चिकित्सा विभाग में सेवारत रहे श्री कल्ला ने भारतीय वायुसेना की तकनीकी शाखा तथा जैसलमेर जिले की विभिन्न शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाओं में भी अपनी सेवाएं दीं। आप वर्ष 1946 में प्रजामंडल के छात्र संगठन में भी रहे।

श्री गोवर्धन कल्ला का दिनांक 9 सितम्बर, 2019 को निधन हो गया।

फूलचन्द मीणा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री फूलचन्द मीणा का जन्म 13 मई, 1955 को धरियावद के सुराजी खेड़ा में हुआ। आपने बी.एन. कालेज, उदयपुर से प्रवेशिका, द्वितीय वर्ष (टीडीसी) तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री फूलचन्द मीणा नौवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा में सलूम्बर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा

(श्री अध्यक्ष)

के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे।

भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे श्री मीणा भारतीय जनता युवा मोर्चा, राजस्थान के सदस्य रहे। आप इस मोर्चे के पंचायत प्रकोष्ठ तथा जनजाति प्रकोष्ठ के सदस्य भी रहे। समाज कल्याण के कार्यों में रुचि रखने वाले श्री मीणा ने पिछड़े क्षेत्रों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रयास किया।

श्री फूलचन्द मीणा का दिनांक 6 अगस्त, 2019 को निधन हो गया।

जीथिंग, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री जीथिंग का जन्म वर्ष 1933 में बांसवाड़ा में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की।

श्री जीथिंग पांचवीं तथा छठी राजस्थान विधान सभा में कुशलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप पांचवीं विधान सभा में जनता मोर्चा तथा छठी विधान सभा में जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री जीथिंग ग्राम पंचायत रामगढ़ के सरपंच, तहसील पंचायत के सरपंच तथा पंचायत समिति कुशलगढ़ के प्रधान रहे। आप संयुक्त समाजवादी पार्टी के जिला मंत्री भी रहे।

श्री जीथिंग का दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 को निधन हो गया।

झावरमल सूण्डा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री झावरमल सूण्डा का जन्म 19 अक्टूबर, 1934 को सीकर जिले के कूदन ग्राम में हुआ। आपने बीएससी. की उपाधि प्राप्त की।

श्री झावरमल सूण्डा पांचवीं राजस्थान विधान सभा में फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री सूण्डा अपने सार्वजनिक जीवन में पंचायत समिति धोद के सहवृत्त सदस्य तथा जिला परिषद्, सीकर के सदस्य रहे। श्री सूण्डा वर्ष 1959 में अखिल भारतीय सहकारी बैंक का गांधी ग्राम मदुरई में सहकारिता का प्रशिक्षण लेने के पश्चात् सहकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे। आप सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा मार्केटिंग सोसाइटी एवं सहकारी संघ के अध्यक्ष भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री झावरमल सूण्डा का दिनांक 3 जून, 2016 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

घोषणा

भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर विचार हेतु समय का आबंटन

भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर विचार-विमर्श हेतु समय का आबंटन।

मुझे सदन को सूचित करना है कि भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर विचार-विमर्श हेतु लगभग छह घंटे उपलब्ध हैं। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

इंडियन नेशनल कांग्रेस	3 घंटे 10 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	2 घंटे 10 मिनट
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	6 मिनट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	4 मिनट
भारतीय ट्राइबल पार्टी	4 मिनट
राष्ट्रीय लोकदल पार्टी	2 मिनट
निर्दलीय	24 मिनट
कुल आबंटित समय	6 घंटे

माननीय सदस्यगण, आप सब इस बात से सहमत होंगे कि विधान सभा का यह विशेष सत्र किसी एक उद्देश्य के लिए बुलाया गया है और खास

(श्री अध्यक्ष)

तौर से भारत के संविधान और संविधान में जो मेन्शंड हैं, कर्तव्यों के बारे में चर्चा करने के लिए। आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आजादी के बाद, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी, जिसमें संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से संविधान के प्रति समर्पित होकर हम देश का निर्माण करें। आज कहते हुए हमें प्रसन्नता है कि 70 साल का जब हम अवलोकन करें तो निश्चित तौर पर संविधान के प्रति समर्पित होकर हमारे देश में हमने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के माध्यम से वे सब ऊंचाइयां छुई हैं, जो विश्व में हमें उस स्थान पर रखती हैं, जहां दुनिया के दूसरे देश आगे बढ़ सके हैं।

कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में हम जो ऊंचाइयां प्राप्त कर पाये, उनके पीछे संसदीय लोकतंत्र में इस देश के लोगों की गहरी आस्था थी। आज यह अवसर आ गया है कि हम सब उस बारे में सिंहावलोकन करें कि 70 साल में संविधान में निहित जो हमारे कर्तव्य थे, संविधान के अन्दर जो हमारी मूल भावना थी, उनके अनुसार हम कहां बढ़े और कैसे आगे बढ़कर हम इस देश का निर्माण करने का काम करें। समय-समय पर चुनौतियां आईं। उन चुनौतियों का मुकाबला संविधान के अंतर्गत रहते हुए हमने किया और देश आगे बढ़ा।

आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि जब देश आजाद हो रहा था, तब देश की परिस्थितियां क्या थीं, देश में किस तरह से बंटवारा हुआ था, किस पृष्ठभूमि में संविधान को अंगीकार किया गया, उसको आज याद करने की जरूरत है। उन सब परिस्थितियों के बाद आज यदि हम 70 साल में कल्पना करें तो संविधान में हमने संशोधन भी किये। वे संशोधन इसलिए किये कि जो भी तात्कालिक समस्याएं हैं, उनका निराकरण संविधान के अंतर्गत करके हम उन सब चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करें।

मैं आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह अवसर हमें मिला है, जहां हम संसदीय गरिमा को बनाये रखने के लिए एक इस तरह की डिबेट करें, जिससे राजस्थान की जनता को यह लगे कि राजस्थान की विधान सभा के जो माननीय सदस्य हैं, वे संविधान के प्रति, आने वाली चुनौतियों के प्रति अपने आपको सजग मानते हैं और कर्तव्यों के प्रति भी देश की जनता को आगाह करना चाहते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय, संविधान में लिखे हुए कानूनों से देश आगे बढ़ता है लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें। यदि कर्तव्यों का पालन और संविधान में उल्लेखनीय चीजों की हम ठीक ढंग से कल्पना करें तो देश तेज गति से आगे बढ़ सकता है। यदि हम सिंहावलोकन करें, जो प्रिएम्बल लिखा हुआ है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।" यह प्रिएम्बल लिखा हुआ है, जिस प्रिएम्बल के आधार पर हमने 70 साल में संविधान को मानते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया।

अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसी संविधान में कर्तव्य लिखे हुए हैं। उन कर्तव्यों के बारे में चर्चा करना आज ज्यादा आवश्यक है। यदि कर्तव्यों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, केवल मात्र संविधान में अधिकारों की बात भी करेंगे तो संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हम देश को तेज गति से आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए यह अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाकर हम जनता को जागरूक करें कि किस तरह से कर्तव्यों का हम पालन करें। कानून से कर्तव्यों का पालन नहीं हो सकता है। कर्तव्यों का पालन तो स्वयं विवेक से करना पड़ता है। मैं उन सब चीजों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता लेकिन कर्तव्यों के सम्बन्ध में जो एक बात लिखी है, जिसमें मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे मैं आशा करता हूं कि जब डिबेट हो, तब हम समालोचना करें। समालोचना में, हम जो चीज प्राप्त कर सकें, प्राप्त करने में क्या कठिनाई आई है, किस-किस तरह से संविधान में जो अलग-अलग अंग हैं, चाहे वह जुडीशियरी है, चाहे वह हमारा

(श्री अध्यक्ष)

इंडिपेंडेंट इलैक्शन कमीशन है, चाहे सी.ए.जी. है, किस तरह का बैलेंस बनाकर हमने संविधान को आगे बढ़ाकर देश को बनाने का काम किया, उसकी चर्चा तो करें ही करें, लेकिन कर्तव्य का जो एक पार्ट है, जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस पर निश्चित तौर पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। बाकी बिंदुओं पर चर्चा नहीं करूंगा, एक ही बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।

मैं बाकी कर्तव्यों के बारे में चर्चा नहीं करता, जिन कर्तव्यों के सम्बन्ध में हमें, राष्ट्र के जो हमारे झण्डे हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में हम अपने आपको समर्पित करें। वन्य जीवों के प्रति, फोरेस्ट के प्रति, इन चीजों पर मैं ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, क्योंकि आप स्वयं बोलेंगे। मैं निश्चित तौर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि देश के नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग हों और संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं जिन बातों का पालन करके संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ाना चाहें तो यह इतिहास इस बात का गवाह है कि 70 साल में हम सब कठिन परिस्थितियों के बाद लिट्रेसी में आगे बढ़े हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के माध्यम से विज्ञान में आगे बढ़े हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां दुनिया में हमने इस लोकतांत्रिक पद्धति से वह स्थान प्राप्त नहीं किया, जो दुनिया के लोग अलग-अलग पद्धतियों के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए आइये, आप और हम सब एक स्वस्थ चर्चा करें, एक ऐसी चर्चा करें, जिस पर हम गर्व कर सकें कि 70 साल बाद जब राजस्थान विधान सभा में हमने चर्चा की, संविधान के बारे में भी चर्चा की, कर्तव्यों के बारे में भी चर्चा की और हमने अपने आपको आत्म समर्पित किया है कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हम प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सारगर्भित चर्चा करके इस सदन की गरिमा को बढ़ाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस गरिमा को बनाये रखेंगे। मैं अनुरोध करता हूं संसदीय मंत्रीजी से कि वे डिबेट को प्रारम्भ करें।

विभिन्न विषयों पर विचार

भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर विचार

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, संविधान के बाबत जो कुछ आपने बताया और जिस तरीके की आशा आपने सदन के सदस्यों के सामने रखी, निश्चित तौर पर यह सारी डिबेट उसी लाइन पर चले तो मैं समझता हूं कि जो आपने कर्तव्य बताये हैं, उन कर्तव्यों पर भी विस्तार से चर्चा हो सकेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान का मसौदा, डाक्टर अम्बेडकर की समिति के द्वारा बनाया गया था। उस सभा में सभी गणमान्य नागरिक, सभी गणमान्य सदस्य, दूरदृष्टि, लोकतांत्रिक सोच, बुद्धिमता और सुदृढ़ लोकतंत्र की नींव रखने के विचारार्थ उन्होंने संविधान के प्रकरणों को लिया था। 7441 संशोधन इसमें आये थे, जिसमें से 5100 संशोधनों को अलग करके, करीब 2431 संशोधन इसमें स्वीकार किये गये। संविधान सभा, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री, जो इस मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, उस मसौदा समिति में के.एम. मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, माधव राज, मोहम्मद सादुल्लाह, डी.पी. खेतान, टी.सी. कृष्णामाचारी जैसे दिग्गज लोग शामिल थे, जिन्होंने यह मसौदा तैयार किया था।

अध्यक्ष महोदय, संविधान के सबसे महत्वपूर्ण जो तीन अंग हैं, चाहे वह कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे विधायिका हो, कोई भी निरंकुश न हो पाये, इस प्रकार की संविधान में प्रस्तावना रखी गयी थी। इस प्रकार के प्रावधान रखे गये कि कोई भी एक अंग किसी दूसरे अंग को डिस्टर्ब न कर पाये और न उसकी पावर को छीन पाये। संविधान में बदलाव की गुंजाइश इसीलिए की गयी और उसी के कारण जो गरीब तबका था, जो उपेक्षित वर्ग था, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग, जो गरीब थे, उनके लिए यह कानून बनाना पड़ा।

नि:शुल्क कानूनी सहायता और इसी के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा का मूल अधिकार भी उसी में मिलता था। अम्बेडकर द्वारा संविधान के विषय में यह कहा था कि- “I feel that the constitution is workable, it is flexible and it is strong enough to hold the country together both in peacetime and in wartime” समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया, फ्रीडम आफ रिलीजन का

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट्स दिये हैं। ये मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान के लंग्स हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की जो आत्मा है, जैसा कि प्रिएम्बल के बारे में अभी आपने बताया, पहला शब्द उसका यह है- सावरीन, सावरीन का मतलब, संप्रभु, उसका अर्थ होता है कि स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखने में जो सक्षम हो, वह संप्रभु है। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अज्ञात-काल से आज तक झंझावातों, जलजलों, आक्रमणों के बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाये रखा है।

अम्बेडकर ने सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण की बात कही, महिलाओं को समानता देने की बात कही और उनको अधिकार भी दिया, कानूनी अधिकार दिया। प्रोपर्टी का अधिकार दिया, राइट आफ अडाप्शन दिया और सम्पत्ति का अधिकार देकर महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा भी दी। डा. अम्बेडकर ने चेतावनी दी थी, चेतावनी को बाद में लूंगा।

कांग्रेस का संविधान और कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का संविधान इस तरीके का बनाया गया कि जो इतिहास में आंतरिक रूप से जो जुड़ा हुआ था, वह भारत के संविधान के साथ जुड़ा हुआ था। संविधान सभा को समय-समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डा. राजेन्द्र प्रसाद, मतलब उनका पूरा समर्थन मिला, उस संविधान सभा में पूरा समर्थन मिला। मार्च 1931 में कराची के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही यह प्रस्ताव रखा था कि मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव तैयार करके उसको पारित भी करवाया था।

वैसे तो संविधान एक कानूनी दस्तावेज है लेकिन गार्विन आस्टीन ने यह कहा था कि यह कानूनी दस्तावेज ही नहीं यह सामाजिक दस्तावेज भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान में पहली बार धर्म-निरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया लेकिन आज उसका महत्व पता चलता है कि कितना बड़ा महत्व है उसका। डा. अम्बेडकर ने यह चेतावनी दी थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो नतीजा बुरा होगा और संविधान चाहे कितना भी बुरा हो लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर वह अच्छा ही साबित होगा। आज संविधान के आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों पर खतरा नजर आता है। खतरा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मंडरा रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण संस्था मीडिया को, लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था मीडिया को बारीकी के साथ अपने अनुकूल कर लिया गया है। चुपचाप इस तरीके से अनुकूल कर लिया गया है जनता को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इस मीडिया की स्वतंत्रता को क्या हो गया? खतम हो गयी है। आज मीडिया के लिए कोई नहीं कह सकता कि साहब, वह इंडिपेंडेंट है, उसकी स्वतंत्रता खतम कर दी गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सुन लो, साहब। हम भी सुनेंगे आपको।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी ऐसी संस्था नहीं बची जिसके बारे में यह कहा जाए कि उसकी आजादी या उसी साख में वृद्धि हुई हो, कोई भी नहीं बची। हर दिन किसी न किसी सार्वजनिक संस्थाओं का, हर दिन सार्वजनिक संस्थाओं की जो लोकतंत्र से संबंधित है उनकी कोई न कोई ईंट गिरती नजर आती है। सूचना का अधिकार बदल दिया गया। संवैधानिक संस्थाओं को हलका कर दिया गया, रिजर्व बैंक और सी.ए.जी. की स्वायत्तता खतम कर दी गयी, जिससे हमारी संघीय व्यवस्था एक मजाक-सी बनकर रह गयी।

देश के बड़े-बड़े लेखक जिन्होंने कई प्रकार के पुरस्कार प्राप्त किये हैं, एक ही बार नहीं, एक ही लेखक ने दस-दस बार पुरस्कार प्राप्त किये हैं, यह उनका कथन है कि हम विध्वंस का महोत्सव मना रहे हैं। दरअसल संस्थानों का विनाश तो शुरुआत है, असल मकसद तो संविधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने कहा था आज इस बात पर विचार होना चाहिए कि आया, हमने संविधान को खतम किया, या संविधान ने हमको खतम किया? हमने असफल किया संविधान को या संविधान ने हमें असफल किया? उन्होंने यह कहा था कि संविधान की समीक्षा और आरक्षण की समस्या के बाबत बात करने के लिए वह कौन लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं कि संविधान की समीक्षा की जानी चाहिए, क्यों की जानी चाहिए? उसका कारण कोई नहीं बताता लेकिन आवाज उठती है

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कि संविधान की समीक्षा की जानी चाहिए और आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। संविधान को बदलने का एजेंडा लिए घूमते हैं। उन्होंने यह पूछा था कि वह कौन लोग हैं जो संविधान को यह कहते हैं कि साहब, यह धर्म विरोधी है और संविधान पुन: लिखा जाना चाहिए, धर्म ग्रंथों के आधार पर लिखा जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परम श्रद्धेय रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस अपने बालपन में एक मुसलमान के घर में रहे। मुसलमान बनकर रहे लेकिन वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म अपने मूल स्वभाव में एक समान हैं। इन्हीं रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं जब हिन्दू और मुसलमान भाईचारे से काम करते हुए भारत को गरीबी से मुक्त कराएंगे, उस रोज का मुझे इंतजार रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई, 1944 को सिंगापुर को यह नारा दिया था कि भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है और उसी नारे को सन 1947 में सरोजिनी नायडू ने दोहराया था। सरोजिनी नायडू के साथ-साथ इस देश के लाखों नागरिकों ने इस बात को दोहराया था कि महात्मा गांधी इस राष्ट्र के पिता हैं। कुछ दिन पूर्व अमरीका में वहां के राष्ट्रपति हमारे प्रधान मंत्रीजी के लिए कहते हैं कि यह भारत के पिता हैं और प्रधान मंत्रीजी मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुरा देते हैं। इस बात को नहीं कहते कि हमारे यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। यह अफसोस की बात है।

स्वतंत्र संस्थाओं की सफलता और विभिन्न धड़ों में बंटे हुए समाज के बाबत यह तय करना पड़ेगा कि इनकी मध्यस्थता कौन करेगा। स्वतंत्रता की इस अभिव्यक्ति का, इस सेफ्टी के वाल्व का काम कौन करेगा? आखिर वे कौन लोग हैं जो आज भी यह कहते हैं कि यह राष्ट्रगान देश भक्ति की भावना जाग्रत नहीं करता? वह कौन लोग हैं? आज पूछने का दिन है। आज अगर हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि हम उन लोगों का तिरस्कार करें जो लोग आज भी यह कहते हैं कि राष्ट्रगान देशभक्ति की भावना उत्पन्न नहीं करता और सिर्फ राष्ट्रगीत करता है। वह कौन लोग हैं जो आज भी तिरंगे का अपमान करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब पूरा देश बंद था तो आखिर वह कौन लोग थे, जिन्होंने इस बात की आलोचना की थी कि बंद नहीं होना चाहिए।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इतना-सा ही निवेदन करना चाहता हूं। एक लेखक ने यह किताब लिखी Bunch of Thoughts, जिसमें देश के तीन आंतरिक शत्रु बताये गये। पहला मुसलमान, दूसरा ईसाई और तीसरा वामपंथी। आखिर इन लोगों को, यह लोग और इनके शिष्य, यह किताब लिखी गयी थी गुरू गोलवलकर जी की, मैं उन गुरू गोलवलकर जी के शिष्यों को कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप नहीं। प्लीज, आप नहीं। नहीं, नहीं यह तरीका नहीं है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने पढ़ी है क्या? इन्होंने पढ़ी है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज, यह तरीका नहीं है, यह तरीका नहीं है। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठो। आप नीचे बैठें। माननीय सदस्य, प्लीज बैठें, आप नीचे बैठें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। मुझे इंगित करना पड़ेगा, प्लीज बैठें। आप डिबेट की गरिमा रखें। आप बोलना, आपको कोई तकलीफ है क्या? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठिये। आप क्या बोल रहे हैं? उन्होंने क्या गलत बोला है?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: क्या बोला उन्होंने? (व्यवधान) आप नीचे बैठें। आप सीनियर लीडर हैं। किसी किताब का नाम लिया, कोई आथर का नाम लिया तो क्या तकलीफ है आपको? आपको इसमें तकलीफ है क्या? क्या तकलीफ है आपको?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: क्या तकलीफ है आपको? आथर का नाम और किताब का नाम नहीं लेगे? आपने ठेका ले रखा है किसी नाम का, कोई आथर का? कोई नाम और आथर का नाम ले ही नहीं सकता कोई भी? कोई आप ही के गुरू गोलवलकर हैं? किताब आप ही की है क्या? किताब का नाम, गुरू जी का नाम लिया, आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान) फिर आप बोल रहे हो, प्लीज आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: बाहर निकालना पड़ेगा मुझे। मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, I have to name you, please. कटारिया जी, I have to name him, कटारिया जी, I will not allow it. आपने कोई अपनी विचारधारा का ठेका ले रखा है, कोई भी बोल नहीं सकता? आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं। कोई किसी किताब का नाम ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, अब मैं नाम लेकर बुलाऊंगा, मार्शल से। आप संविधान की गरिमा को नहीं समझते हैं। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछना चाहता हूं आखिर वे कौन लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के काल पर, 1929 में जब महात्मा गांधी ने काल किया था कि 30 जनवरी को सब अपने घरों पर झंडे फहराएं, हर जगह झंडे फहराएं, अपने व्यावसायिक संस्थानों पर झंडे फहराएं लेकिन फिर भी, फिर भी गुरू गोलवलकर की शाखाओं में झंडा नहीं फहराया गया और वही भगवा झंडा फहराया गया? आखिर वे कौन लोग हैं, क्या हम इनसे यह आशा करें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, Chair on legs, माननीय सदस्य, Chair on legs, please understand it. आप गरिमा तो रखें ।

माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं माननीय सत्ता पक्ष और विपक्ष, सबको, सदन की गरिमा को, संविधान की डिबेट कर रहे हैं, कोशिश यह करें कि हम समालोचना करें। जो चीज हो गयी है, जिस चीज के बारे में चर्चा करें, हम यह कोशिश करें कि भविष्य में जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला हम कैसे कर सकें। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, यदि हम उन सब बातों की चर्चा करेंगे जो 50-60 साल में हुआ, वह सबको मालूम है।

मेरी आप सबसे सानुरोध प्रार्थना है कि जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम कैसे जनता को अपने संविधान की मर्यादाओं के अन्तर्गत जानकारी दे सकते हैं, वह हमारा पर्सपैक्टिव ज्यादा अच्छा रहेगा बनिस्पत कि हम पुरानी सब बातों की चर्चा करेंगे, उनसे कोई डिबेट सार्थक नहीं होगी। इसलिए मेरी सानुरोध प्रार्थना है, मेहरबानी करके इस दिवस का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है 70 साल बाद, इसलिए रखा गया है कि कर्तव्यों के बारे में ज्यादा चर्चा करें। (व्यवधान) प्लीज, माननीय सदस्य, आप सीनियर आदमी हो, बैठे-बैठे बोलते हैं।

मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कर्तव्यों के बारे में चर्चा करें और कर्तव्यों के सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा है कि कर्तव्यों का पालन व्यक्ति को करना पड़ता है, कानून नहीं करा सकता। कानून के लिए पनिशमेंट की व्यवस्था है, जुडीशियरी की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, लेकिन यदि नागरिक स्वयं कर्तव्यों के प्रति सजग होगा तो यह सैल्फ डिसिप्लिन होता है जिसके आधार पर उन चीजों के बारे में, जो प्रिएम्बल में बातें लिखी हैं, अपने आपको उसके लिए समर्पित करें।

मैं आशा करता हूं कि मेहरबानी करके हम डिबेट में आगे आने वाले समय इन चुनौतियों का, जैसा मैंने आपको ध्यान आकर्षित किया है कि समरसता के सम्बन्ध में, धर्म के बारे में, उपासना के सम्बन्ध में हम व्यक्तियों को किस तरह से तैयार करें कि हम इन चीजों को अपने आप इन्कल्केट करें बनिस्पत कि इम्पोज करके उसके लागू करें। डैमोक्रेसी इवोल्व होती है, डिक्टेटरशिप इम्पोज होती है। इस देश में डैमोक्रेसी इवोल्व हो रही है। 50-60 साल में हम चीजों को, कानून को बदल रहे हैं, बदलने के साथ जो चुनौती आ रही है उनका मुकाबला कर रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष)

मैं आशा करता हूं कि डिबेट की सार्थकता ज्यादा अच्छी रहेगी जब हम पुरानी बातों के बनिस्पत आने वाली चुनौतियों के मुकाबले के बारे में ज्यादा चर्चा करें। जैसे आज साइबर क्राइम आ गया। जिन लोगों ने आजादी की कल्पना की थी उन्होंने कल्पना की होगी इस देश में सामाजिक समता बनाने के लिए हमें डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यह कहा गया है कि हम ओ.बी.सी. के सम्बन्ध में क्या करेंगे। उन्होंने ओ.बी.सी. की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उनको करने के लिए हमें क्या काम करना है। 1952 में यह नहीं हुआ है, बहुत बाद में जाकर यह व्यवस्था बनी है। जैसे-जैसे चुनौती आती है वैसे-वैसे संविधान के नियम और कानून का इन्टरप्रिटेशन होता है, चाहे जुडीशियरी हो, चाहे पार्लियामेंट, दोनों मिलकर निर्णय करती हैं।

संविधान का जो मूल आधार है जिस पर केशवानंद भारती का केस हुआ, उस केशवानंद भारती पर यह फैसला किया गया कि मूल स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, लम्बी डिबेट के बाद जुडीशियरी ने फैसला किया है।

आज धर्म के बारे में कोई फैसला हुआ है या आज कोई किसी पार्लियामेंट और असेम्बली के स्पीकर के निर्णय के बारे में फैसला हो रहा है तो ये धीरे-धीरे चीजें इमर्ज हो रही हैं। 356 आर्टिकल को ले लें। बोम्मई का जजमेंट कब आया, अब आज चीजें क्या हो रही हैं, यह डैमोक्रेसी में चीजें इवोल्व हो रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि डैमोक्रेसी में काम्पीटीटिव पालिटिक्स है, अलग-अलग विचारधारा के लोग अलग-अलग ढंग से अपनी बातें करेंगे, उन विचारधारा के आधार पर जनता से जाकर मेन्डेट लेते हैं। उन चीजों पर चर्चा करने के बनिस्पत कैसे कोई भी पार्टी सत्ता में आये, संविधान के प्रति समर्पित होकर जो प्रिएम्बल में बातें रखी हैं, उनको कैसे पूरा करें, इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूं सार्थक चर्चा होगी।

मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, don’t loose your temper; have patience. आपको भी मौका मिलेगा पर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके हम प्रोवोकेटिव कोई भी चीज, हमारे यहां कहा है ‘सत्यम ब्रूयात, प्रियं ब्रूयात’, सत्य को भी बोलें तो सत्य को कड़वा नहीं बोलें। सत्य को कैसे बोलें, यह एक आर्ट है और डिबेट तो यह आर्ट है how you score the points. डिबेट में प्रोवोक करके भी कोई चीजें कर सकते हैं, प्रोवोक नहीं करके भी चीजों को ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हम चर्चा

(श्री अध्यक्ष)

को सार्थक करने के लिए उन चीजों को छोड़ेंगे तो कंटेंशस इश्यू हैं क्योंकि मौलिक पालिटिकल पार्टी की फिलोसोफी में अन्तर है इसलिए मौलिक बातों पर हम चर्चा करेंगे तो डिबेट का कोई अंत नहीं होगा। हम भी चर्चा करें कि इस संविधान के अन्तर्गत अलग-अलग विचार को रखने के बाद भी संविधान के अन्तर्गत हम कैसे उन चीजों को प्राप्त कर सकें, उस पर चर्चा करें, मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा रहेगा।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा और यह सत्र जो आपने बुलाया है मैं सोचता हूं यह इस देश के लिए एक अच्छा उदाहरण है, केन्द्र में भी और यहां भी। मैं सोचता हूं कि हम सब लोग केवल एक-दूसरे पर हमले करने का उपयोग करने के बनिस्पत इसमें कहां-कहां कमियां हैं, उसको ठीक किया जा सकता है, भविष्य में हमको किस दिशा में आना चाहिए। कहीं किसी की दिशा गलत है तो उसको इंगित करना, वहां तक तो ठीक है लेकिन इसको आधार बना करके पत्थर फेंकने का काम करें तो सामने वाला कोई ऐसे नहीं बैठा है कि हम ऐसे ही कोई सुनने के लिए बैठे हैं या ऐसे ही कोई मजबूर हैं।

आपकी भावना के साथ मैं अपनी भावना मिलाता हूं और हम सब लोग इस देश को इस संविधान के आधार पर और ऊंचाई देने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी कमियां राजनीतिक वातावरण और देश में आ गयी हैं उनको सुधारते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं तब तो उसका उपयोगी अर्थ निकलेगा। बाकी अगर आप हमको इंगित करोगे तो हम भी इतने कमजोर नहीं हैं कि हमने आपके चिट्ठे नहीं पढ़े हुए हैं। अगर आप यह करना चाहोगे तो इसका परिणाम नहीं निकलेगा।

मैं आपसे फिर रिक्वैस्ट करता हूं इस सदन की भावना के अनुरूप अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो यह देश के लिए, प्रदेश के लिए हितकर होगा और मैं सोचता हूं कि एक-दूसरे को नीचा दिखाने का इस सदन का, इस संविधान की चर्चा के अवसर पर उपयोग करना, यह देश के हित में नहीं होगा। बहुत शांति से और समझ करके अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो आगे का भविष्य, आप और हम सब लोग मिलकर अच्छी दिशा में जा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके विचारों से पूर्णतया सहमत हूं कि हमें अपने कर्तव्यों की बाबत विचार करना चाहिए। जैसा कि अभी प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, इस बात का कोई इरादा नहीं है कि हम किसी की आलोचना करें, लेकिन जो वस्तुस्थिति रही है और जिस तरीके के विचार आप रखते हैं, अगर उनका हम खुलासा अपने विचारों में नहीं करेंगे तो किस प्रकार से सुधार हो पाएगा? आखिर कोई न कोई कमियां तो रही हैं। कहीं न कहीं से कमियां रही हैं। उन कमियों को किस प्रकार से दूर किया जाए, अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो फिर विचार किस पर होगा?

संविधान को किस बेहतरीन तरीके से हम लागू कर सकें और संविधान का अक्षरश: पालन कर सकें, आखिर इस पर विचार नहीं करेंगे तो किस बात पर विचार करेंगे? उन लोगों को भी तलाश करना पड़ेगा जो इस काम में बाधा पहुंचाते हैं और पहुंचाते आये हैं। विचारधारा अलग हो सकती है। आपकी निश्चित तौर पर विचारधारा अलग है। हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी विचारधारा अलग है, हम रखेंगे। इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन संविधान के बाबत तो आपको भी एकमत होना पड़ेगा और हमें भी एकमत होना पड़ेगा कि इस संविधान की अक्षरशः पालना हो। इसकी अक्षरश: पालना तभी हो सकती है कि जो उसमें रुकावटें आ रही हैं, जिन लोगों के द्वारा रुकावटें पहुंचाई जा रही हैं हम उनको आइडेंटिफाई करें। उनको आइडेंटिफाई करके इंगित करें, बाकायदा इंगित करें कि इनमें सुधार होना चाहिए। ये जो विचार हैं, उनमें सुधार होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज संविधान पर चर्चा इसलिए हो रही है, सिर्फ संविधान के बाबत हम यह कहें कि बी.आर. अम्बेडकर ने यह किया था, वह किया था और संविधान लिखा था, उससे ही सार्थक नहीं हो पाएगी आज की यह चर्चा। इसकी सार्थकता तभी मिलेगी जब हम यह देखें, इस पर विचार करें कि संविधान को किस प्रकार से हम असफल करने पर तुले हुए हैं। वे कौन लोग हैं, जो संविधान को असफल करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? अगर हमने उस पर विचार नहीं किया तो आज की यह जो डिबेट है, इसकी कोई सार्थकता नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात का अक्षरश: पालन करता हुआ कहना

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

चाहता हूं कि हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पुरानी बातों को छोड़ें, निश्चित तौर पर छोड़ें, अगर छोड़ दें तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पाते, उन्हीं लाइनों पर चलते रहो, चोरी-छुपे चलते रहो तो निश्चित रूप से जनता आपको माफ नहीं करेगी। कभी माफ नहीं करेगी। यह संविधान हमें दिया गया है। यह इसलिए दिया गया है कि देश बनाना है और देश को एक रखना है। रखते आए हैं, अज्ञात समय से यह देश एक होता आ रहा है। आज भी इस बात की आवश्यकता है कि हम और मजबूत बनें। लेकिन मजबूत कहां से बनेंगे? कहां बनेंगे? ट्रंप कहता है कि, 'भारत के पिता', और वह चुपचाप बैठे हुए हैं। इससे मजबूत बनेंगे?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपातकाल से बनेंगे। बात करते हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बंद करें डिबेट को? आप खुद सीनियर लीडर हैं, आप खुद खड़े हो रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उनको तो कुछ कह नहीं रहे हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बैठ जाऊं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आपके पीछे। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। हां, बोलें माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, मैं तो खतम कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना-सा निवेदन कर रहा हूं कि हमें ...

श्री अध्यक्ष: जितना निवेदन कर दिया, उसको अब वाइंड अप करें। जितना निवेदन कर दिया, उतना वाइंड अप करें। आप समाप्त करें ताकि आगे डिबेट चले। आगे और स्टार्ट करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वाइंड अप ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप पहले स्टार्ट करें, फिर आगे, इसलिए कह रहा हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक लाइन में ही वाइंड अप कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं, मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं यह आइडेंटिफाई करें कि हमारे में गलतियां कहां रही हैं, कैसे रही हैं, उनमें सुधार किस प्रकार से हो सकता है और इस संविधान को ताकत हम किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं। इस संविधान के मार्फत उन गरीबों को, उन दलित वर्गों को किस प्रकार से फायदा पहुंचाकर उनका जीवन स्तर ऊंचा ला सकते हैं, इस बात पर चर्चा की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि संविधान की 70वीं वर्षगांठ पर आपने इस गरिमापूर्ण सदन का विशेष सत्र आहूत किया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान और राजस्थान की विधान सभा, इस देश में पहली विधान सभा है 26 नवम्बर को, यानी 2 दिन पहले ही लोक सभा और राज्य सभा के संयुक्त सदन के अंदर एक विस्तृत चर्चा हुई थी, बहुत गरिमापूर्ण चर्चा हुई थी। 70 वर्ष की इस आजादी में हमने जिस संविधान को अंगीकार किया, हमें जो संवैधानिक अधिकार मिले, जिन अधिकारों के लिए हमारे पूर्व नेताओं ने कुर्बानी दी, शहीदों की शहादत हुई, उस संविधान पर आज के समय में हमारे क्या कर्तव्य निहित हैं।

अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर देश के प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने परामर्श दिया, सारे देश की विधान सभाओं को एक एडवाइजरी जारी की और आपने इसको माना। 2015 से पहले इस संविधान दिवस को कानून दिवस मानकर इस काम को पूरा कर लिया जाता था। 2015 में जब देश बाबा साहेब अम्बेडकर, मुझे अफसोस है संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने अभी टिप्पणी की कि आज की चर्चा में यह बात नहीं होनी चाहिए कि बाबा साहेब ने यह किया, बाबा साहेब ने वह किया। बाबा साहेब ने इस देश के अंदर, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। बाबा साहेब के बारे में आपकी यह टिप्पणी जो आज रिकार्ड पर जाएगी, मैं समझता हूं कि आज इस गरिमापूर्ण समय को, इस बहस को कलंकित करने का काम किया है।

एक माननीय सदस्य: गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: डिबेट करना है तो ठीक, वर्ना बंद करें ...(व्यवधान) बैठे-बैठे बोल रहे हैं। यह परम्परा ठीक नहीं है। अपना पाइंट रखें। अच्छा रखें।

(श्री अध्यक्ष)

लेकिन आप बैठे-बैठे कमेंट नहीं करें। मेरा यह माननीय सदस्यों से निवेदन है। प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि 2015 से पहले जब कभी भी 26 नवम्बर आया तो कानून दिवस के रूप में एक औपचारिकता हुई। देश जब उस संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहा था, तो इस देश के प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश को कहा कि इस शिल्पकार को ट्रिब्यूट करने के लिए, शिल्पकार से देश के आम-अवाम को परिचित कराने के लिए हमें संविधान दिवस को मनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि 26 नवंबर का दिन, इस देश की हजारों वर्ष की संस्कृति रही है, हमारी परम्पराएं रही हैं, हमारी आस्थाएं रही हैं, उन आस्थाओं में लोकतंत्र के प्रति जो हमारा मान और सम्मान है, उसको आज के दिन प्रकट करने का दिन है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी मान्यता है कि संविधान के प्रति आज भी आम आदमी का विश्वास अडिग है, अटल है। हमारा लोकतंत्र जवान होता चला गया। संविधान के मान और सम्मान में परचम यहीं नहीं, देश और विदेश में भी फहराता रहा। अध्यक्ष महोदय, शायद आपको स्मरण होगा कि जब देश संविधान की 60वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस समय जब 2009 के अंदर, गुजरात के अंदर एक संविधान यात्रा निकली, गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने संविधान की पुस्तक को एक बड़े हाथी पर रखकर, उसके आगे पैदल चलकर, इस यात्रा को करके संसदीय इतिहास में अनुकरणीय काम किया। संविधान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, आपने इस सत्र को आहूत किया। 3 दिन के नोटिस में आपने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके सत्र को आहूत किया। वह भी आपको संविधान प्रदत्त अधिकार है। आर्टिकल 208 के अंदर आपको अधिकार है। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं आपके चेहरे पर पीड़ा की लकीरों को देख रहा था, इस बहस को जिस प्रकार संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रारम्भ किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज राजस्थान के साढ़े 7 करोड़ लोगों को इस बहस को प्रारम्भ करके, उन महापुरुषों को, संविधान निर्माण से पहले कितने लोगों ने त्याग किया था, कितने लोगों की शहादतें रहीं, कितना बलिदान छुपा है, आज एक तरह से इस सदन के माध्यम से उन सभी चीजों से साक्षात्कार करने का आपने मौका दिया है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, बहुत कम समय आता है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने सही कहा कि हम दलों से बंधे हैं। हमारे अलग-अलग विचार हो सकते हैं। मैं और मेरा दल, आप और आपका दल, यह भाव इस सदन में हमेशा प्रकट होते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन बहुत विरले अवसर आते हैं, जब मैं और आप नहीं, हम की बात होती है। आज का यह अवसर हम का अवसर है। आज संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। जिस संविधान की प्रतिबद्धता के साथ आम-अवाम बंधा हुआ है। मैं समझता हूं ऐसे समय में इस बहस को प्रारम्भ करते हुए, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आपने कैसी-कैसी बातें कह डालीं, आपने कहा कि राष्ट्रगान पर चर्चा हो रही है। आपने कहा कि संविधान का पुनर्लेखन धर्म के आधार पर हो रहा है। आपने उस आरक्षण की बात को उठा दिया जो कि संविधान प्रदत्त है। जिस आरक्षण को अक्षुण्ण रखने के लिए आप और हम कटिबद्ध हैं। आपने बंच आफ थोट के नाम पर ऐसी बात रख दी, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें यहां पर नहीं हों तो अच्छा होगा।

(12.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की यह बहस सार्थक बहस हो, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपकी आदत के अनुसार मैंने कल भी आपको कहा था कि आप रुकोगे नहीं। आज कार्य सलाहकार समिति में जो प्रतिवेदन रखा है उसमें लिखा है, भारतीय संविधान को अंगीकार करने के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर विचार-विमर्श। यह मूल कर्तव्य पर आपने विचार-विमर्श किया? मैं समझता हूं कि रिकार्ड पर यह सारी बात जाएगी तो लोग देखेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विशेष सत्र है, इस सत्र के पीछे जो भाव है, निश्चित तौर पर उनको नमन करने का भाव है। इस लोकतंत्र में संविधान निर्माण की कार्यवाही जब प्रारम्भ हुई, मैं समझता हूं कि बाबू राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो संविधान समिति बनी और उसके बाद जो ड्राफ्ट समिति बनी अम्बेडकरजी की अध्यक्षता में, उससे पहले अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी की अगुवाई में जंग-ए-आजादी की लड़ाई लड़ी गयी। जंग-ए-आजादी के अंदर इस देश में मां भारती के पैरों से गुलामी की जंजीर काटने के लिए कितने नौजवानों ने फांसी का फंदा चूमा, कितने लोगों की, ज्ञात और अज्ञात शहीदों की शहादत इस संविधान के अंदर एक तरह से श्रद्धांजलि के रूप में छिपी है। अगर आज के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिन हम गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, गरिमा नहीं रखेंगे, 'तू' और 'मेरे' के अंदर इस बहस को समेट देंगे, मैं समझता हूं, उन शहीदों की शहादत का अपमान करने का काम होगा और जमाना इसको माफ नहीं करेगा। इसीलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि यह संविधान कानून-नियम की लिखित पुस्तक नहीं है, यह लोकतंत्र की हमारी आस्थाओं का प्रतिबिम्ब है। अगर कहें, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार ग्रंथ कोई है, यह मैं नहीं कह रहा, इस विश्व के कई विद्वानों ने कहा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यदि कहीं है तो हिन्दुस्तान के अंदर है और हिन्दुस्तान के अंदर यदि लोकतंत्र का कोई आधार ग्रंथ है तो हमारा संविधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर बड़ी कठिन डगर से संविधान निर्माताओं ने गुजरकर हमारे इस संविधान को बनाया है। राजेन्द्र प्रसादजी की अध्यक्षता में बनी उस समिति की 141 बैठकें हुईं। 2 वर्ष, 11 माह, 17 दिन इसमें लगे और आज विस्तृत, इस दुनिया का सबसे बड़े लिखित संविधान को हम शिरोधार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 465 अनुच्छेद हैं इसमें, 11 अनुसूची हैं और 22 भागों में विभक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कमाल इस बात का है कि जिन अम्बेडकरजी को इन्होंने यूं किया, यह बात कर रहे थे, कमाल उस शिल्पीकार का है, यह 130 करोड़ का देश है, इस देश के अंदर 12 अलग-अलग धर्म हैं, जिनको श्रद्धापूर्वक लोग मानते हैं। 12 धर्म हैं, इसके मूल से निकली हुई अलग-अलग 122 भाषाएं हैं, उन भाषाओं के निकलने में भी बड़ा इतिहास छिपा हुआ है, बड़ी संस्कृति छिपी हुई है और उसके साथ 1600 बोलियां हैं। यहां ईश्वर को मानने वाले लोग भी हैं, यहां अल्लाह को मानने वाले लोग भी हैं, यहां ईश्वर और अल्लाह, दोनों को मानने वाले लोग भी इधर कुछ बैठे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वह देश है जिस देश के अंदर पेड़ों में देव को माना है, जिस देश में पत्थरों में परमात्मा को माना जाता है। पूरा देश विविधता से भरा हुआ है, संसदीय कार्य मंत्रीजी, इस देश को एकता के सूत्र में बांधने की यदि किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की है तो हमारे संविधान निर्माताओं ने की है, जिनके बारे में विचार भी मैंने आपके सुने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, आज आवश्यकता इस बात की है कि जो संवैधानिक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शक्तियां हमें मिली हैं, जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, आपने अपने श्रीमुख से फर्माया, संवैधानिक मौलिक अधिकारों के साथ हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है, जिनका उल्लेख आर्टिकल 51-ए में किया गया है। हम उन कर्तव्यों के अनुसार देश के नवनिर्माण में कितना योगदान करें, यह बहस होनी चाहिए। यही नहीं, मेरी मान्यता है, यह बहस यहां से निकले, राजस्थान की विधान सभा से निकले और राजस्थान की ग्राम सभा तक जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जब ग्राम सभा में बहस जाए और उसमें संसदीय कार्य मंत्रीजी आपका भाषण किसी ने सुन लिया न तो गांव-गांव में क्या होगा, इसकी बात मैं नहीं कह सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर 29 अगस्त, 1947 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। यह मैं नहीं कहता, मैं इनकी उस बात से सहमत हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने ग्रीनविल आइंस्टीन की बात की। निश्चित तौर पर ग्रीनविल आइंस्टीन ने भारतीय संविधान का वर्णन करते हुए कहा कि यह एक सामाजिक दस्तावेज है। यह संविधान एक कानूनी दस्तावेज नहीं, हमें अभिमान है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस संविधान पर, यह समाज और उसके ताने-बाने के साथ समाज की समरसता की बात भी करता है, सामाजिक उत्थान की बात करता है। यह मैंने नहीं कहा, उसी विश्व के महान चिंतक, जिसका जिक्र अभी संसदीय कार्य मंत्रीजी ने किया। उन्होंने कहा, यह एक सामाजिक दस्तावेज है। मैं समझता हूं कि हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी अभी दो दिन पहले, जब संयुक्त अधिवेशन को एड्रैस कर रहे थे, उन्होंने संविधान की परिभाषा दो शब्दों में करने की बात कही। मैं उद्धृत करना चाहता हूं, उन्होंने संविधान की परिभाषा को सरल भाषा में कहा, संविधान की मूल धारणा है, Dignity for Indian, हिन्दुस्तान का सम्मान/मान जो हमारे मन में है देश के प्रति, आपके मन में नहीं है। Unity for India, इन दो बातों के आधार पर उन्होंने कहा कि संविधान की मूल आत्मा के अन्दर, अगर कोई भाव छिपा है तो हमारे देश का मान सम्मान Dignity और हमारे देश की Unity.

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रिएम्बल की बात की, निश्चित तौर पर हमारा संविधान जहां से प्रारम्भ होता है, उसे उद्देशिका कहें या प्रिएम्बल कहें, उसके अंदर भी अगर संसदीय कार्य मंत्रीजी, इसको पढ़ लेते तो आज 'तू' और 'मैं' पर बात नहीं आती। आज बात यह नहीं आती कि किस ग्रंथ में क्या लिखा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, आज यह बात नहीं आती कि ऐसे रिजर्व का ह्रास हो रहा है, अनर्गल बात आज उठती ही नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह जो प्रिएम्बल है हमारे संविधान का ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम 23 बार तो इन्होंने 'संसदीय कार्य मंत्री' को सम्बोधित किया है। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं इनको कि कुछ तो बोलो। कोई तथ्य बोलो, नीति पर बोलो। (व्यवधान) मुझे इंगित करके बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इन्होंने जगह नहीं दी, प्लीज। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये 23 बार बोल चुके।

श्री अध्यक्ष: 50 बार बोलेंगे, अभी जगह नहीं रही। प्लीज बैठें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 23 बार, ट्वेंटी थ्री टाइम्स।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बैठिए प्लीज। He has not yield it. अपनी जगह बैठिए प्लीज। (व्यवधान) माननीय मदनजी, आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे क्या कम्पीटिशन कर रहे हैं? आप उनसे कम्पीटिशन में रुकते नहीं हैं क्या? प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर मैंने माननीय मंत्रीजी का नाम उद्धृत किया है। यह मैं नहीं कह रहा, हिन्दुस्तान के अंदर नहीं, राजस्थान का जर्रा-जर्रा बोलेगा जब आपने उस शिल्पीकार को यह कहा, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): और आपने इस बहस के माध्यम से जो बातें उठाईं, ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ऐसी जगह पर पत्थर फेंका है, राजस्थान का जर्रा-जर्रा इनसे हिसाब मांगेगा इसलिए मैं पहले इनको चेता रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था प्रिएम्बल की बात कही, जो संविधान का प्रथम वाक्य है, 'हम भारत के लोग', 'मैं' नहीं, 'हम भारत के लोग', WE, THE PEOPLE OF INDIA, उसके अंदर जिस तरह से आपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहा कि 'सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न', यानी हमारे देश की प्रभुता पर कोई आंच नहीं आए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय की अवधारणा जो अभी कुछ दिन पहले देश के गरीबों को आरक्षण के माध्यम से दी, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 'लोकतांत्रिक गणराज्य', ये दो शब्द हमें सारी बातें कह देते हैं। इसीलिए तो यह बात चली कि संविधान की मूल धारणा में सबका साथ भी हो, सबका विकास भी हो और सबका विश्वास भी हो, यह संविधान तभी आगे चलेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करना। यानी 70 वर्ष की इस आजादी की यात्रा के पश्चात् संविधान की 70वीं वर्षगांठ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी दल की सरकार रही हो इस देश के अंदर, किसी भी दल की सरकार रही हो इस राजस्थान के अंदर, पर हमारे संवैधानिक मूल्य अक्षुण्ण रहे। हम सब लोगों ने मिलकर जिस प्रकार की संरचना, जिस प्रकार के मूल उद्देश्य प्रिएम्बल के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं ने दिये, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा, हमने चार कदम आगे बढ़ने की बात कही। गिलास आधा खाली है, गिलास आधा भरा हुआ है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि इन वर्षों के अंदर हमारा संविधान आगे बढ़ा, हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा और संविधान के प्रति लोगों की मान्यता आगे बढ़ी। इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये दोनों शब्द हमें गौरवता प्रदान करते हैं और इस सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए, इस प्रिएम्बल को आत्मसात करने के लिए इससे पहले भी कुर्बानी का दौर चला, इसके बाद भी कुर्बानी का दौर चला, इसीलिए हमारे इस लोकतंत्र को, हमारी इस डैमोक्रेसी को लिबरल डैमोक्रेसी कह दिया।

उदारवादी लोकतंत्र हमारा आधार है। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो सकती है, दिल्ली में भाजपा की सरकार हो सकती है, पर हमारे संवैधानिक मूल्यों के साथ-साथ जो उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसके अनुसार इस फैडरल सिस्टम को मजबूत करने के लिए चाहे दिल्ली की सरकार हो, अलग विचारों की सरकार हो, चाहे अलग दलों की सरकार हो, हमारी जो बुनियाद है, अलग-अलग दल हो सकते हैं, अलग-अलग सिद्धांत हो सकते हैं, पर संविधान की लक्ष्मण रेखा हमें बांधने का काम करती है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, देश आजाद हो गया। आजादी के बाद हमने इस अखण्ड भारत को टूटते हुए भी देखा, 1965 का युद्ध भी देखा, 1971 का युद्ध भी देखा, कारगिल का युद्ध भी देखा, सीमा पार आतंकवाद को भी देखा। मैं समझता हूं कि आज इन सबकी व्याख्या करें, इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए आजादी से पहले और आजादी के बाद जिन्होंने बलिदान दिया, आज का दिन उनका स्मरण और नमन करने का दिन है। मैं इस मौके पर डा. सच्चिदानन्द सिन्हा, जो संविधान सभा के प्रोविजनल चेयरमैन थे, उनकी एक बात का उल्लेख करना उचित समझता हूं। उन्होंने अपने भाषण में अमरीकी संविधान के बारे में प्रसिद्ध चिंतक जोसेफ रोथेरी की बात का उल्लेख किया। जोसेफ रोथेरी ने कहा- संविधान अमर रहने के लिए बनाया जाता है। अमर रहे संविधान, हमेशा अक्षुण्ण रहे। इसके अलावा मनुष्य द्वारा बनायी गयी कोई चीज अमर हो ही नहीं सकती, लेकिन संविधान अमर हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है सदन यह चर्चा करे कि हमारा संविधान अमरत्व को प्राप्त करे, हमारा देश अक्षुण्ण रहे। अध्यक्ष महोदय, आपने निश्चित तौर पर सही फर्माया कि कितनी बड़ी दूर-दृष्टि थी उन लोगों की। अलग-अलग समय पर संविधान में संशोधन भी हुए। निश्चित तौर पर हुए, पर संविधान के मूल ढांचे में सौ साल पश्चात् यह देश किन परिस्थितियों से गुजरेगा, देश में किस प्रकार के विकार आएंगे और किस प्रकार व्यवस्थाओं में परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, आज मूल ढांचे में उन सब चीजों को लेने का काम हमारे संविधान निर्माताओं ने किया।

अध्यक्ष महोदय, 25 नवम्बर, 1949 को बाबा साहब ने अपने भाषण में जो बात कही, उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा- 'लोकतंत्र को मजबूत करना है तो भविष्य में अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का दृढ़ता से पालन करें'। यह बात उन्होंने उस वक्त कही। 'जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहां असंवैधानिक तरीकों का औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके और कुछ नहीं, बल्कि अराजकता हैं और उन्हें शीघ्र छोड़ देना ही बेहतर है'। यह उस वक्त उस दूर-दृष्टा ने कहा।

अध्यक्ष महोदय, इन महान शिल्पकार को मैं महामानव कहूं तो गलत बात नहीं होगी। अम्बेडकर जी ने आजीवन कई यातनाएं झेलीं। अपमानित-उपेक्षित होते रहे। डगर-डगर पर इन्हें अपमान सहन करना पड़ा, परंतु संविधान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के निर्माण पर इस अपमान की छाया उन्होंने नहीं आने दी। मंत्री जी, आपको 1952 का चुनाव याद होगा। उसमें अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी और उन्हें एक दूध बेचने वाले व्यक्ति नारायण कजरोलकर से हारना पड़ा। 1954 में जब वे बंडारा से अनुसूचित जाति संघ से चुनाव लड़े तो तीसरे नम्बर पर रहे। उस समय उन्होंने जो बात कही, मैं वह बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा- 'अनुसूचित जाति के मेरे भाइयों, कांग्रेस को वोट देने से पहले आत्महत्या कर लो'। ये विचार अम्बेडकर जी के हैं, मेरे नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, समय चलता गया, इस संविधान निर्माता की 1989-90 तक संसद में तस्वीर नहीं लगी। जिस व्यक्ति ने वैधानिक-सामाजिक दस्तावेज बनाया और जिस पर आज देश को गर्व है, उनके नाम से कोई योजना-परियोजना नहीं बनी। अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सी बातें हुईं। निश्चित तौर पर हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में हर नागरिक को कानून-व्यवस्था की छांव में मनमर्जी से जीने का अधिकार मिला। आज जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 14, 15 व 16, वे हमें समानता का अधिकार देते हैं। कानून की नजर में राजा हो, रंक हो, सब समान हैं। आर्टिकल 15 में धर्म-जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 19 ने हमें छह प्रकार की स्वतंत्रता दी है। बोलने की स्वतंत्रता है, इकट्ठे होने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। संविधान सभा की प्रोसीडिंग में यह लिखा है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय अगर किसी एक अनुच्छेद का विरोध किया तो वह आर्टिकल 370 था। फिर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आर्टिकल 370 आया। यह जो हमारा अधिकार है कि हम सब आर्टिकल 19 के तहत किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, जम्मू और कश्मीर से देशवासी वंचित रह गये। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गृह मंत्री जी अमित शाह को कि इस 70 वर्ष के अभिशाप से मुक्ति का काम उन्होंने दृढ़ता से किया। धारा 370 की विदाई हुई, धारा 35 ए की विदाई हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान के निर्माण में इसके निर्माताओं ने जब किसी प्रकार के साधन नहीं थे, कितने देशों के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संविधानों का अध्ययन किया। आज हमारे संविधान में जो आजादी की बात की गयी है, समानता की बात की गयी है, बंधुत्व की बात की गयी है, वह फ्रांस के संविधान से ली गयी है। आज हमारे संविधान में जिस पंचवर्षीय योजना की बात की गयी है, वह सोवियत संघ से ली गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने अभी आसन से संविधान में जो कर्तव्य हैं, उनकी ओर इंगित किया था। आर्टिकल 51 ए में निश्चित तौर पर हमारे कुछ कर्तव्य हैं। एक बात की शपथ हम सभी लेते हैं। आर्टिकल 51 ए के 'क' में लिखा है कि देश की सम्प्रभुता, एकता, अखण्डता अक्षुण्ण रखने के लिए मेरा कर्तव्य है। यानी किसी एक का नहीं। हम सरकारों की बात करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं, वे हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं, परंतु एक नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य है कि यह देश सम्प्रभुता से, एकता से, अखण्डता से अक्षुण्ण रहे। मैं समझता हूं कि आज इन बातों को जन-जन तक पहुंचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी कर्तव्य में आर्टिकल 51 ए 'घ' के अंदर जहां देश की रक्षा और राष्ट्र भाव की बात कही गयी है, वहां 70 वर्ष पहले मूल कर्तव्यों में प्रकृति, पर्यावरण, वन, नदी, झील की रक्षा करने की बात कही गयी है। यानी आज 70 वर्ष बाद विश्व मंच पर हमारे बिगड़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण की चर्चा हो रही है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह दूर-दृष्टि थी। उन्होंने उस वक्त यह बात कही एक आम आदमी का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन, नदी, झील की रक्षा करे। मैं समझता हूं कि आज का दिन हम सबके लिए संकल्प लेने का दिन है। हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है। संविधान ने लिखित रूप से हमें कर्तव्य बोध भी करवाया है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं।

अध्यक्ष महोदय, आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात भी कही। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गयी है, यानी हमारी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकारें किन नीतिनिर्देशों के अनुसार चलें, उसकी विस्तृत व्याख्या की गयी है। मैं उस पर कोई लम्बी बात नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 40 में ग्राम स्वराज्य की बात कही गयी है, ग्राम पंचायत की बात कही गयी है, गांव के लोग स्वयं शासित हों, इसकी बात कही गयी है। मैं समझता हूं कि जो 73वां संशोधन आया, सत्ता के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विकेन्द्रीकरण का संशोधन आया, वह बहुत बड़ा संशोधन था। आज उस आर्टिकल 40 की आड़ में पंचायती राज संस्थाओं के साथ क्या हुआ, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। मंच भी नहीं है, पर दूसरों की तरफ पत्थर फेंकने से पहले देख तो लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यह बहस इसी प्रकार प्रारम्भ हो जाएगी तो हम मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे। मैं समझता हूं कि आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसका पक्षधर नहीं हो। मैं अपनी बात को समाप्त करूं, इससे पहले भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई की एक टिप्पणी जो आज समसामयिक है, उसे उद्धृत करना चाहूंगा। रंजन गोगोई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने एक प्रकरण में टिप्पणी की- 'पहले संविधान की आलोचना हुई। इसे बहुत लम्बा और कठिन बताया गया, परंतु हमारे लिए गर्व का विषय है कि सात दशक से हमारा संविधान लगातार मजबूत हुआ है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में कहा- 'न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हमारे संविधान के आदर्श हैं'। उन्होंने कहा आज हम गर्व से कह सकते हैं कि संविधान से निकली राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद में देशप्रेम, देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण छिपा है इसलिए राष्ट्रवाद जितना मजबूत होगा, देश की ताकत उतनी बढ़ेगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन सारी चीजों पर चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा, जिस-जिस मुल्क के अन्दर राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्रभक्ति के प्रति लोगों में चेतना आई है वह मुल्क आगे बढ़ा है। चीन का उदाहरण हमारे सामने है, जापान का उदाहरण हमारे सामने है, आज यूरोपीय संघ के कई देशों के उदाहरण हमारे सामने है तो क्या आज के दिन आप और मैं, मेरा दल, हम अहंकार में डूबे हुए कि हम सरकार में, आप सरकार के बाहर, उस पर चर्चा करने के बजाय हम इस प्रकार की बहस को चालू करें कि हमारी राष्ट्रीय भावना इस सदन से निकलकर ग्राम सभा तक जाए और जब चीन आगे बढ़ सकता है, जापान आगे बढ़ सकता है तो हिन्दुस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, राजस्थान आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, इस पर निश्चित तौर पर बात होनी चाहिए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत लम्बी चर्चा हुई और मैं कहना चाहता हूं कि हमने जब देश को टूटते हुए देखा, हमने कश्मीर को अपने से अलग होते हुए देखा तो आज हमारे लिए यह गर्व की बात है और यह सदन क्यों नहीं इस बात के लिए देश की सरकार को धन्यवाद दे कि 7 दशक पुरानी जो कश्मीर की समस्या नासूर बन गयी थी, उस 7 दशक के पाप का अन्त इसी 5 अगस्त, 2019 को हुआ। हम सारे क्यों नहीं इस बात के लिए हमारी सरकार को धन्यवाद दें। अध्यक्ष महोदय, एक बात रह गयी। लद्दाख का वह हिस्सा, लद्दाख का वह भू-भाग, जो तत्कालीन नेताओं के कारण से, जिस पर चीन का कब्जा चला आ रहा है, आज हम संकल्प करें, मुल्क इस बात के लिए आगे बढ़े कि लद्दाख का वह हमारा हिस्सा जिस पर चीन काबिज है, उसमें भी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर हमारा देश एकमत होकर आगे बढ़ेगा, उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आर्टिकल 368 के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिसकी चर्चा संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी की, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अम्बेडकर जी ने उस वक्त कहा कि संविधान आधारभूत दस्तावेज है। यह दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति और शक्तियों को परिभाषित करता है, यह कार्यपालिका की शक्तियों और विधायिका की शक्तियों को नागरिक के प्रति भी परिभाषित करता है जैसा कि हमने मौलिक अधिकारों के अध्याय में कहा है।

अध्यक्ष महोदय, विधि आयोग बना, न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर इसके चेयरमैन बने और उन्होंने जब अपनी 46वीं रिपोर्ट दी तो उसमें कहा, आयोग विश्वास करता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो लिखित संविधान द्वारा शासित है वहां सर्वोच्चता का दावा केवल संविधान द्वारा ही कानूनी रूप से किया जा सकता है। यह संविधान ही है जो सर्वोच्च है, जो कानूनों का कानून है और यह संविधान ही राज्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को उनकी शक्तियां प्रदान करता है, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्य देने के लिए उन सीमाओं को विहित करता है जिसमें उक्त शक्तियां कानूनी रूप से अपना कार्य निष्पादित करती हैं यानी हमारा संविधान इतना स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं कहना चाहता हूं और मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमें इस मौके पर भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अम्बेडकर जी को जो सम्मान दिया वह 1990 में एन.डी.ए. की सरकार ने मरणोपरान्त उनको भारत रत्न दिया जो इस शिल्पकार को 1952 में ही मिल जाना चाहिए था। इन पंच तीर्थों का निर्माण किया, जन्म स्थली से लेकर जहां इन्होंने शिक्षा ली, दीक्षा ली, महाप्रयाण किया, उन सबका किया।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात जो महात्मा गांधी जी ने कही कि अपने जीवन में अधिकार तभी अर्जित होंगे जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे तो कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करें, यह संकल्प हमारा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह सार्थक बहस, जिसमें राष्ट्रवाद की धारा निकले, हमारे संवैधानिक कर्तव्यों के लिए राजस्थान के आम-अवाम को प्रेरित करें और आज की इस बहस का मुख्य बिन्दु यह रहे कि इस प्रकार हम सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस देश के अन्दर एक नागरिक के रूप में जो हमारे संविधान प्रदत्त कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों पर आगे बढ़ते हुए देश को मजबूत करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सचिन पायलट।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का यह विशेष सत्र आपने बुलाया है और संविधान के जिस महत्वपूर्ण बिन्दु को लेकर अभी दो भाषण हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज अपनी बात रखना चाहता हूं।

भारत का संविधान 70 साल पुराना है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान के निर्माताओं के बारे में धारीवाल साहब ने, राठौड़ साहब ने कुछ बातें रखीं। हमें सोचना चाहिए कि जब यह संविधान लिखा जा रहा था तब देश में क्या परिस्थितियां थीं। मुल्क का विभाजन हुआ, दो देश बने, अनेक चुनौतियां थीं, गरीबी थी, उस समय भुखमरी थी और सिर्फ 15 प्रतिशत भारतवासी शिक्षित थे। उस समय जिन लोगों ने यह संकल्प लिया और चुनौतीपूर्ण माहौल में संविधान, कांस्टीट्यूट असेम्बली का चुनाव हुआ। उन सदस्यों ने चर्चा की और 2 साल 11 महीने के अन्दर एक सर्वश्रेष्ठ संविधान इस भारतवर्ष के लोगों को दिया। जब संविधान लिखा जा रहा था, जैसा राठौड़ साहब ने अभी कहा कि उस समय उनको कितना दूरगामी होना पड़ा होगा, इसकी कल्पना हमको करनी चाहिए। जिन लोगों ने अलग-अलग

(श्री सचिन पायलट)

विचारधाराओं से आगे बढ़कर एक कक्ष में बैठकर इस देश को कैसे संविधान के दायरे में सीमित रखते हुए आगे प्रगतिशील बनाना है, इस काम को पूरा किया तो, अध्यक्ष महोदय, पूरा देश आज उस पीढ़ी का कायल है जिसने संविधान का निर्माण किया। कायल हैं उस पीढ़ी के जज्बे के जिसने देश को आजाद करने के बाद एक ऐसा लिखित संविधान हमको दिया जिसके रास्ते पर चलते हुए आज यह देश यहां तक पहुंचा है।

अध्यक्ष महोदय, संविधान के इतिहास के बारे में कुछ बोला गया, आपने भी अपने शब्दों में उसका उल्लेख किया लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग संविधान को केन्द्र बिन्दु बनाते हुए भविष्य की तरफ देखें। संविधान के निर्माताओं ने हमको एक ऐसा दस्तावेज दिया, आज उस संविधान की गरिमा की रक्षा, संविधान के सिद्धान्तों की रक्षा, यह काम करने के लिए कौन आगे आएगा? यह काम किसी एक सरकार का नहीं है, यह काम किसी एक नेता का नहीं है, यह काम किसी एक पार्टी का नहीं है और मैं तो कहता हूं कि यह काम किसी न्यायालय का भी नहीं है, किसी जज का भी नहीं है। संविधान की मूल भावनाओं को सुरक्षित रखना, इस देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, 130 करोड़ लोग इस संविधान के रक्षक बनकर काम करेंगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं।

(12.27 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

अभी धारीवाल जी ने भाषण दिया और मैं समझता हूं कि बहुत अति कामयाब भाषण था क्योंकि विपक्ष ने सिर्फ एक बार खड़े होकर ही उनका विरोध किया। धारीवाल जी में वह क्षमता है कि वे चाहें तो हर पांच मिनट में विपक्ष को खड़ा कर सकते हैं और यह उनकी कार्य-कुशलता का एक छोटा-सा उदाहरण है कि उन्होंने कैसे सारी बात को आज यहां पर रखा। इस संविधान ने जो हमारी बुनियाद रखी है उसमें हर नागरिक को बोलने की, विचार रखने की, धर्म की, खाने की, रहन-सहन की छूट दी है। जब इस देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको यह छूट अपना अधिकार मानकर समझते हैं क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर हर छोटी कामयाबी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। मत का अधिकार हमको है, बोलने का अधिकार हमको है, विरोध करने का अधिकार हमको है। हम किसी की पूजा करें, किसी की आलोचना करें, कानून के दायरे में हम कुछ भी कर सकते हैं, इतना अधिकार

(श्री सचिन पायलट)

हमको इस संविधान ने दिया है। आज हम इस संविधान को याद इसलिए कर रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो इस देश का नौजवान तबका है, वह शायद इस बात को जानता नहीं है कि कितनी कुर्बानियां उन लोगों ने दीं जिन्होंने संविधान को लिखा है। नाना प्रकार की विचारधारा, पृष्ठभूमि से निकलकर लोग आगे आए और अपने आपसी मतभेद साइड में रखकर ऐसा संविधान बनाया। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, आयरलैण्ड, इन सब देशों के संविधानों के जो सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ अनुच्छेद थे, जो सबसे बढ़िया उनमें लिखा हुआ था, उनका समावेश करके यह संविधान बना है। साथ ही यह बात भी सच है कि संविधान में लगातार तब्दीली हुई है, लगभग 100 बार इस संविधान में संशोधन हुआ है और यही संविधान की बहुत बड़ी गुणवत्ता है कि उसकी मूल भावना वैसी ही स्थापित है। समय के साथ-साथ समाज में जब बदलाव आ रहा है तो पार्लियामेंट के माध्यम से कई बार इसमें संशोधन किया गया। संशोधन के बारे में, 73वां अमेंडमेंट हुआ जिसमें पंचायती राज को मजबूत किया गया, इस देश में पहली बार हर परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। संविधान में लगातार जो संशोधन हुए हैं। उससे मैं समझता हूं कि हमारा गणतंत्र और हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। यह बात भी सच है कि आज माननीय विपक्ष के उप नेता महोदय ने बहुत सुनहरे शब्दों में इस देश के राष्ट्रपिता जी के बारे में बातें बोलीं और बोलनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि रोज बोलनी चाहिए, लेकिन देश की लोक सभा में कल जो प्रकरण सामने आया, उस पर भी आत्मचिंतन करना चाहिए। जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता का दर्जा देश-दुनिया ने दिया। उस स्व. महात्मा गांधी को जिस व्यक्ति ने मारा, उस व्यक्ति को राष्ट्र भक्त अगर कोई बोलता है, देश की संसद में, उसकी निंदा सिर्फ इस पक्ष को नहीं करनी चाहिए, जो-जो राष्ट्रवादी हैं, जो-जो संविधान में विश्वास रखता है, जो महात्मा गांधी के कामों को याद करना चाहता है, उस हर व्यक्ति को खड़े होकर बोलना चाहिए कि महात्मा गांधी के हत्यारे को अगर कोई राष्ट्र भक्त बोलता है तो गलत बोलता है। इसमें संकोच की बात नहीं है, हर व्यक्ति की जुबान को नहीं पकड़ सकते हैं, सदन के अन्दर, सदन के बाहर कौन व्यक्ति क्या बोलता है, किस दल का है, विधायक है, सांसद है, ये हमारे वश में नहीं है लेकिन आज जब 70 साल हो रहे हैं, पार्लियामेंट का सैशन चल रहा है,

(श्री सचिन पायलट)

विधान सभा का यह विशेष सत्र बुलाया गया है, मैं समझता हूं यह हम सबकी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी है, कमियां अगर हैं तो हम सुधार सकते हैं और ठीक कहा अभी भाषण में कि पहले जो हुआ, उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि टाइम वापस आता नहीं है, पहले गलतियां हुईं, किसी ने गलत लोगों का समर्थन किया, गलत बातें बोलीं, गलत भाषण दिये, उसको भूलकर आगे आने वाले समय में हमें सुधार करना पड़ेगा।

अम्बेडकर साहब, जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस संविधान के निर्माण में हम लोग कहते हैं। अम्बेडकर साहब की राजनीति क्या थी, उनके विचार क्या थे, हम सब लोग जानते हैं लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं। सभापति महोदय, आज हर नेता चाहे उसने जीवन में, उसकी राजनीतिक पार्टी में, कभी अम्बेडकर साहब को मान-सम्मान दिया हो या नहीं दिया हो, आज उनको मजबूरन अम्बेडकर साहब को याद करना पड़ रहा है। अम्बेडकर साहब किसी भी दल में रहे हों, लेकिन मैं मानता हूं कि संविधान को यदि एक महत्वपूर्ण किताब आप मानते हो, संविधान में लिखे गये कानून को आप अगर अपने दिल में मानते हो, तो संविधान की किताब को हाथ पर ही रखकर घूमने से काम नहीं बनेगा, संविधान को अपनी आत्मा में उतारना पड़ेगा, संविधान के मूल्यों को अपनी आत्मा में उतारना पड़ेगा, संविधान को नमन करके, माथा रगड़कर हम सम्मान दें, वह नाकाफी है। अपने कामों से, अपने भाषणों से, अपनी कार्य प्रणाली से अगर हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण अगर हमको देना है कि संविधान हम सबकी सामूहिक सम्पत्ति है, हम संविधान से छेड़छाड़ करने वालों को कभी आगे नहीं आने देंगे, ये संकल्प सदन को लेना चाहिए और यही संकल्प दिल्ली में लेना चाहिए इस देश की राजधानी के अंदर।

महात्मा गांधी जी के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में सब लोग अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन क्या महात्मा गांधी जी के चश्मे को चुराकर, एक नारा देने से हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चल सकते हैं? सिर्फ महात्मा गांधी जी के चश्मे को नहीं, महात्मा गांधी जी के नजरिये को अपनाना पड़ेगा, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी देश को देखते थे। अहिंसा की कोई जगह नहीं है देश के अंदर, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना।

अभी विपक्ष के उप नेता महोदय ने कहा, राम की बात की, अल्लाह

(श्री सचिन पायलट)

की बात की, धर्म की बात की, जाति की बात की, इस देश में पैदा होने का सबसे बड़ा वरदान, आशीर्वाद अगर कुछ है तो यह है कि हम किसी की पूजा कर सकते हैं, किसी में विश्वास रख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी धर्म की पालना कर सकते हैं और संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, इसकी हम आखिरी दम तक रक्षा करते रहेंगे। चाहे कोई चुनाव हारे या जीते, कोई भी भाषण दे दे। देश को सम्पन्न बनाने के लिए, देश को समर्थ बनाने के लिए, जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उसको आगे बढ़ाने का काम क्या हमने सही मायने में किया? आज यह सही मौका है कि हम लोग आत्म चिंतन करें। जिस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, नियमों का उल्लेख हुआ, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब डा. अम्बेडकर साहब ने संविधान पारित होने के बाद उसकी प्रथम कापी प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति को दी। उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को यह कहा कि संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे प्रथम, सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा यह है कि इस देश में लगातार जो बढ़ती हुई खाई है अमीर और गरीब की, गांव और शहर की, अगर हम उसको पाट नहीं पाएंगे, उसको खतम नहीं कर पाएंगे तो हम कितना भी अच्छा संविधान बना लें, हम लोग देश के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यह सोच उस समय की थी, जब देश विकसित नहीं हुआ था। आज अधिकांश लोग शिक्षित हैं, जागरूक हैं और बहुत सी चुनौतियों का सामना हमने किया है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि ये तेरा-मेरा की राजनीति खतम करके, हम और हमारी राजनीति करनी चाहिए। आज के दिवस जब हम सब लोग, संविधान के प्रति अपने समर्पण को पुन: याद करते हैं, आज जब देश की आने वाली पीढ़ी को हम संविधान के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी बन जाता है इस बात को याद रखें कि देश की राजनीति में बहुत से चुनाव हुए बहुत हार हुईं बहुत जीत हुईं लेकिन आज हम जहां तक पहुंचे हैं, इसमें सबका योगदान रहा है। देश की राजनीति में घृणा की, नफरत की, हिंसा की, क्रोध की, बदले की भावना की, इन भावनाओं की कोई जगह नहीं है। संविधान की बड़ाई करने में, भाषण देने में कोई कमी रखे या नहीं रखे, लेकिन अनेक ऐसे प्रकरण सामने आए हैं और हाल ही में दो दिन पहले आया, जब महामहिम गवर्नर के दफ्तर का दुरुपयोग करके संविधान की भावना को तार-तार किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, इस देश के न्यायालय का, जिन्होंने वापस स्थापित किया कि देश में कानून की पालना

(श्री सचिन पायलट)

होगी, मनमानी से काम नहीं होगा, सिर्फ संविधान के प्रति हाथ जोड़कर नमन करने से काम नहीं चलेगा, संविधान की पालना करनी पड़ेगी। आपने जो शपथ ली है, सर्वोच्च पदों पर आज हम बैठे हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए बैठे हैं और अगर कभी दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, विशेष रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में, मैं सदन से धन्यवाद करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि अब आने वाले समय में बहुत लोगों को सोचना पड़ेगा दुबारा, यह दुस्साहस किया जाए या नहीं किया जाए।

अभी देशों से तुलना हो रही थी, देश आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी राष्ट्रवाद की भावना लाकर आगे बढ़ना चाहिए। जापान का नाम लिया, चीन का नाम लिया, बात सही है। चीन ने बहुत तरक्की की है, आर्थिक वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है, जी.डी.पी. ग्रोथ बहुत हुई है बड़ी-बड़ी इमारतें बन गयी हैं, शहर चकाचौंध हो गये हैं, लेकिन कृपा करके भारत और चीन की तुलना न करें। चीन में आप यह भाषण नहीं दे पाते, जो आज आपने भाषण दिया है। चीन में खड़े होते तो धारीवालजी को आप बार-बार अंगुली उठाकर नहीं बोल सकते थे। यह विनम्रता का, लोकतंत्र का जो वातावरण निर्मित हुआ है इस देश में, वह चीन में नहीं है। आर्थिक समृद्धि पाने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर इसमें काम करेंगे, लेकिन जो आजादी इस देश ने दी है, जो व्यवस्था हम लोगों ने कायम की है, उस पर भी कुछ लोग अंगुली उठाना चाहते हैं। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दबा है, जो कुचला है, उसको संविधान ने आरक्षण दिया है। इस देश के अन्दर जो लोग इस आरक्षण को खतम करने की बात करना चाहते हैं, आज ये दिन है, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जो दबा-कुचला, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी है, उसको संविधान ने प्रावधान दिया है। आप चाहकर भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, चाहे कोई पार्टी का हो, कोई दल का हो, चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो, ये भावना, यह संकल्प हमको दोहराना होगा।

अम्बेडकर साहब के भाषण को अभी कोट किया गया, मैं भी अम्बेडकर साहब के एक वाक्य को कोट करना चाहता हूं। अम्बेडकर साहब ने कहा और ध्यान से सुनें, 'महान लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया उनके प्रति कृतज्ञ रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृतज्ञता

(श्री सचिन पायलट)

की भी एक सीमा है। भारत की राजनीति में भक्ति, आत्मसमर्पण या नायक पूजा दूसरे देशों की राजनीति की तुलना में बहुत बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभाती है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन का निश्चित रास्ता हो सकता है जो आखिरकार तानाशाही पर खतम होता है।' यह मैंने नहीं कहा, अम्बेडकर साहब ने कहा है और पहले मैं यह कोट पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन अभी एक कोट किया गया कि अम्बेडकर साहब ने कहा, उसको वोट डालो, उसको वोट मत डालो इसलिए मैंने कहा, यह आईना दिखाना जरूरी है। क्या भावना थी संविधान के निर्माता अम्बेडकर साहब की, यह आपके सामने आज मैंने रखा है। संविधान के एक-एक पृष्ठ पर यह लिखा है कि विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव तीनों जो हमारे स्तम्भ हैं उनमें एक काउंटर चैक होना चाहिए। किसी भी एक क्षेत्र में अगर अतिक्रमण होता है तो उसके चैक्स एंड बैलेंसेज संविधान में लिखे हुए हैं।

संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है और इस संविधान की पालना करने में हम सबको दलगत और क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। अलग-अलग सोच और अलग-अलग विचाराधारा होनी चाहिए और हम स्वीकार करते हैं कि जब देश आजाद हुआ था उस समय की राजनीति में एक अपनापन था। विचार विरोध होता था लेकिन मन विरोध नहीं होता था। मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ सालों में एक ऐसा राजनीतिक वातावरण निर्मित हुआ है जिसमें कहीं न कहीं टकराव की बू आती है। अगर हम असहमत हैं, बोलना चाहिए। डिबेट हो, डेलिबरेशंस हों, डिस्कशन्स हों और फिर हम आम सहमति बना सकते हैं लेकिन बहुमत के आधार पर थोप देना, विचारों को थोप देना, लोगों की आवाज को दबाना, कुचलना, इस प्रकार की राजनीति का सपना संविधान के निर्माताओं ने नहीं देखा था। इसलिए मैं तो आज इस अवसर पर जो परम्परा शुरू हुई थी, अंतिम ड्राफ्ट की बहस में 170 संशोधन आए, 88 स्वीकार हुए और 52 को अस्वीकार किया गया तथा 30 संशोधन वापस लिए गये। यह पार्लियामेंट्री प्रोसेस का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उस समय भी डिबेट हुई, डिस्कशन हुआ और कुछ प्रस्तावों को पारित किया, कुछ को अस्वीकार किया गया। आज के माहौल में यह पक्ष-विपक्ष की लाइन इतनी

(श्री सचिन पायलट)

गहरी हो गयी है कि अच्छा संवाद लगभग खतम हो चुका है। मैं आग्रह करूंगा न सिर्फ इस सदन को बल्कि राजस्थान के सभी लोगों को और देशवासियों को भी कि संविधान की एक अच्छी परम्परा जो हमारे यहां स्थापित है उसको हम और मजबूत करें। हमारी जो जड़ें थीं, मजबूत हैं। आज तमाम चुनौतियां आती हैं, अभी कहा गया आतंकवाद भी है, अलगाववाद भी है, क्षेत्रवाद भी होता है, हमें लोगों के बीच में आपस में टकराव कराने का जो काम है उसको समाप्त करना पड़ेगा।

आजकल राष्ट्रवाद पर बहुत चर्चा होती है। सिर्फ नारा देना राष्ट्रवाद है? सिर्फ भाषण देना राष्ट्रवाद नहीं है और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट किसी एक पार्टी के दफ्तर में नहीं बिकता है। इस देश में गरीबों और किसानों के साथ अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रवाद है। समाज में पिछड़े, दबे, कुचलों को न्याय दिलाना राष्ट्रवाद है। महिलाओं और कमजोरों के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रवाद है। इस देश में जो जहर घोलने का काम करते हैं उन लोगों की आवाज को खतम करना राष्ट्रवाद है। इस देश में विभाजन करने वाली ताकतों को बंद करना, उनको अपनी जगह दिखा देना, यह राष्ट्रवाद है। इस देश की अखंडता को बनाये रखना, यह राष्ट्रवाद है। धर्म, जाति पर भाषण देकर अगर राष्ट्रवाद की परिकल्पना कोई करता है तो राष्ट्रवाद की परिभाषा को आप गलत इन्टरप्रैट कर रहे हैं। राष्ट्रवाद यह है मनमुटाव मिटाया जाए, भाई को भाई से मिलाया जाए। हम सबका खून लाल है। आपस में दरार बनाने वाले लोगों को चुप करना, यह राष्ट्रवाद है और मैं सदन से कहना चाहता हूं कि चुनाव आएंगे, चले जाएंगे, सरकारें बनेंगी, बिगड़ जाएंगी, लेकिन राष्ट्रवाद, भारत की एकता, प्रभुता, अखण्डता और सुरक्षा के लिए हम सब लोग समर्पित रहें। यह संविधान जो आज हमको मिला है इसकी पूजा करना नाकाफी है। इस संविधान की मूल भावना को अपनी कलम से, अपनी स्याही से अगर हम रोज लिखेंगे, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तभी हम इस संविधान की सही से रक्षा कर पाएंगे। साथियों, आज हम संकल्प लें कि छोटी-मोटी टोकाटाकी चलती रहती है। राठौड़ साहब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संकल्प सदन को लेना चाहिए कि हम सब लोग अपने मतभेद को भुलाकर इस राजस्थान की प्रगति के लिए, देश को विकसित करने के लिए और 130 करोड़ लोगों ने जो

(श्री सचिन पायलट)

जिम्मा हम लोगों को दिया है क्योंकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम सब संकल्प लें कि संविधान को आने वाले समय में और मजबूत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन से एकजुटता से यह आवाज निकलकर बाहर पूरे देश में जाएगी कि संविधान की सुरक्षा के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सतीश जी पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): धन्यवाद, सभापति महोदय। उपस्थित सभी सभासद, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब का जब राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन तय हुआ और उस समय जब उनसे पूछा गया कि नामांकन के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौनसा रहेगा तो बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर पैदा होना यह सबसे सुन्दर मुहूर्त है। ऐसे सनातन देश में पैदा होकर, मैं एक मछुआरे के घर में पैदा होकर इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बनूंगा, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं जैसा समझ पाया आज चर्चा होनी थी भारत के संविधान में अधिकारों और कर्तव्यों के बीच किस तरीके से संतुलन बनाकर इस प्रदेश के और देश के नागरिकों को जागरूक करके भारत के उस लोकतंत्र को और मजबूती कैसे दें। मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि दूंगा उन तमाम नाम और अनाम शहीदों को जिन्होंने कभी मुगलों से संघर्ष किया, कभी अंग्रेजों से संघर्ष किया और इस देश को विरासत में आजादी मिली। यह आजादी का संघर्ष न एक दल का था, न एक व्यक्ति का था, न एक विचार का था। सम्पूर्ण भारत के लोगों ने, ऐसे-ऐसे लोगों ने, हर बिरादरी के, मजहब के, पंथ के लोगों ने इसलिए इस बात का भेद तो कर नहीं सकता। न शहादत में भेद होगा, न नायकत्व में भेद होगा, न महापुरुषों में भेद होगा। मैं इस मुबारक मौके पर श्रद्धा से याद करूंगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जिनकी 150वीं जयंती है जिन्होंने इस देश में एक बड़ा संदेश दिया और उन्हीं के आधार पर इस देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ। यह देश भगवान राम की, भगवान कृष्ण की परम्परा का देश है। बहुत आदि और अनादि काल से इतिहास, संस्कृति, धर्म, विचार इसके आधार पर यह देश बढ़ता रहा। मेरे ख्याल से दुनिया में प्राकृतिक रूप से भी इतनी विभिन्नताएं किसी देश में नहीं होंगी जो भारत में

(श्री सतीश पूनियां)

हैं। इतनी बहुविध संस्कृति किसी देश में नहीं होगी जो भारत में है। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक शब्द इस्तेमाल किया सिंहावलोकन का। यकीनन शेर जब जंगल में शिकार की तलाश में बहुत योजन दूर तक जाता है तो जंगल का राजा शेर भी ठिठककर पीछे मुड़कर देखता है कि शिकार की तलाश में कितने योजन आ गया। आज भारत भी उस सिंहावलोकन की आवश्यकता महसूस करता है।

आदरणीय सभापति महोदय, लोग भारत की कमियों का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं आशावादी हूं। बहुत सारे लोग इस देश में आशावाद से आगे बढ़ते हैं। कमजोरियों का जिक्र भी चौपालों पर होता है, अनेक मंचों पर होता है, लेकिन संविधान के 70वें वर्ष में लोकतंत्र के 67वें वर्ष में और आजादी के 72वें वर्ष में मैं यह आशा कर सकता हूं कि भारत में वह ताकत है, वह दम है और इसका उदाहरण साफ तौर पर देख सकते हैं। इस देश के लोकतंत्र पर अनेकों बार संकट आए। ऐसा नहीं हुआ कि लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ होगा, लेकिन इस देश की जागरूक जनता ने, इस देश के राजनीतिक दलों ने भी, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं, भारत की सबसे बड़ी ताकत मुझसे कोई पूछे तो आज दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन, अंतरिक्ष की सौ यात्राएं, लेकिन मुझसे कोई एक लफ्ज में पूछे आधुनिक भारत की उपलब्धियां बताइये तो मैं यकीनन कहूंगा, गर्व के साथ कहूंगा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में भारत की सबसे बड़ी ताकत है। निश्चित रूप से इसी लोकतंत्र से और इसी लोकतंत्र की भावना से भारत का संविधान उपजा है। मैं श्रद्धा से याद करूंगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी को, पंडित नेहरू जी को, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मैं निश्चित रूप से उन लोगों को भी याद करूंगा, हम राजस्थान की धरती के लोग उन 12 लोगों को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना बेहतरीन योगदान दिया। श्री मुकुट बिहारी भार्गव साहब, वीटी कृष्णामाचारी, हीरालाल शास्त्री जी, सरदार सिंह खेतड़ी, ठाकुर जसवंत सिंह जी बीकानेर, राजबहादुर जी, माणिक्य लाल वर्मा जी, रामचन्द्र उपाध्याय जी, बलवंत सिंह मेहता जी, दलेल सिंह जी, जयनारायण व्यास जी और इसके साथ संविधान की जो मूल प्रति है, उसमें 12 विशेष चित्र हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा, उसमें नन्दलाल बसु जी और कृपाल सिंह शेखावत जी को खास

(श्री सतीश पूनियां)

तौर पर मैं श्रद्धा से याद करूंगा जिनकी कूची से वह 12 चित्र उसमें महिमा मंडित हुए।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर अधिकारों और कर्तव्यों की चर्चा होनी थी। भारत के संविधान में मैंने जिस बात का जिक्र किया, जिस तरीके से महाभारत और रामायण, यह उस पारम्परिक और भारत की विरासत परम्परा के महाकाव्य हैं। इस लोकतंत्र की व्यवस्था में, लोकतंत्र के मंदिर में भारत का संविधान भी उतना ही बड़ा महाकाव्य है, जिसकी पूजा निश्चित रूप से की जानी चाहिये। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने 26 नवम्बर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 125वें जन्म जयंती को यह तय किया, क्योंकि इससे पहले यह केवल विधि दिवस के रूप में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनाते थे। आज हम गर्व से भर जाते हैं कि भारत का संविधान भारत के लोकतंत्र की ताकत है और इसलिए इस संविधान ने सब दलों को, सब व्यक्तियों को, सब पंथ बिरादरी को यह अधिकार दिये हैं जिसके आधार पर वह गर्व के साथ आजादी से लेकर, अभिव्यक्ति से लेकर, शोषण से मुक्ति से लेकर, शिक्षा से लेकर तमाम अधिकारों का उपभोग वह करते हैं, यह संविधान की ही ताकत है लेकिन आज चर्चा इस बात की थी, महात्मा गांधी जी का उल्लेख हुआ। आज हमारे समाज में चर्चा होती है, अधिकार की चर्चा तो सब करते हैं लेकिन कर्तव्यों की चर्चा कोई नहीं करता या करता है तो कोई खानापूर्ति करके इतिश्री करता होगा। महात्मा गांधी जी कहते थे मौलिक अधिकारों में और कर्तव्यों में अटूट संबंध हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का लाभ कोई उठा सकता है हिंसा करके लेकिन हिंसा करके उन कर्तव्यों से सविमुख होता है यदि वह किसी सरकारी सम्पत्ति का नुकसान करता है। भारत के खूबसूरत संविधान की लेखनी में यह दम था जिसने पशु पक्षियों से लेकर प्रकृति तक के इस भारत के तमाम संरक्षण की बात उन्होंने कही। जीवित वस्तुओं से लेकर तमाम वस्तुओं की, हिन्दुस्तान की उन सब बातों के संरक्षण, संवर्धन और पोषण की बात कही है।

सभापति महोदय, प्रश्न बहुत हैं, बातें भी बहुत हैं जिनका उल्लेख माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के भाषण में हुआ, माननीय उप मुख्य मंत्री जी के भाषण में हुआ। कुछ बातों का जिक्र उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा। मैं दोहराऊंगा नहीं लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आज सदन में यह डिबेट

(श्री सतीश पूनियां)

नहीं थी, इस तरीके के सार्थक सुझाव आते जिनके आधार पर राजस्थान की जनता, जिनका प्रतिनिधित्व हम सब मिलकर करते हैं, इन 200 लोगों को राजस्थान की जनता देखती है, हिन्दुस्तान की जनता भी देखती है। यह 200 लोग जो 7 करोड़ में से चुनकर आते हैं, इनसे यह अपेक्षा की जाती है कि यह जाति, पंथ, मजहब, राजनीति और दल से ऊपर उठकर इस राजस्थान की खुशहाली के लिए कोई बात करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि अधिकारों का वर्णन हुआ, अधिकारों के आधार पर उसका उपभोग बेशक करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान के इस सदन में इस प्रदेश के नागरिकों को खास तौर पर उन कर्तव्यों के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। आप चाहे प्रदर्शनी के जरिए करें, चाहे संवाद के जरिए करें, चाहे पाठ्यक्रमों में शामिल करके करें, चाहे युवाओं में जागरूकता पैदा करके करें, क्योंकि इस देश में भी नौजवान सबसे बड़ा संसाधन है और राजस्थान में भी एक बड़ी आबादी नौजवानों की है जो राजनीति से ऊपर उठकर इस देश के संविधान का आदर करना जानती है। इस देश में राजनीति के अलावा समाज को बदलने का काम करती है।

सभापति महोदय, मैं यह समझ पाया कि यह मंच, यह सदन और आज का दिन न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर छींटाकशी का था, न माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी पर छींटाकशी का था। वह संगठन जिस पर आपने प्रतिबंध लगाया लेकिन अदालत ने पाक साफ किया। 1925 का वह संगठन जो भारत की संस्कृति के लिए, भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, समरसता के लिए काम करता है। आज जिक्र कर रहे थे लोकतंत्र का, लेकिन आपने क्यों जिक्र नहीं किया 25 जून, 1975 को जब हिन्दुस्तान के लोकतंत्र पर पहरा बैठा दिया गया था और चौथे स्तम्भ के मुख पर ताला लगा दिया था। आपने क्यों नहीं जिक्र किया शाहबानो का। यह तो शुक्र है प्रधान मंत्री मोदी जी का जिन्होंने ट्रिपल तलाक के जरिए उन मुस्लिम बहनों को आजादी दी, इस लोकतंत्र के जरिए दी। आर्टिकल 370 का जिक्र किया, 55 सालों तक इस लोकतंत्र ने आपको यह अधिकार दिया, शासन का अधिकार दिया। किसने मना किया था, ज्योतिष ने मना किया या डाक्टर ने मना किया? इस देश के बहुत सारे मुद्दे और मसले थे जिनका समाधान आप लोकतंत्र की ताकत से कर सकते थे लेकिन इस देश को जातियों के आधार पर, पंथ के आधार, मजहब

(श्री सतीश पूनियां)

के आधार पर पाटने की साजिश किसने की, कोशिश किसने की, इस बात को भी राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता अच्छी तरह से जानती है। मैं एक जिम्मेदार विधायक के नाते, इस सदन के सदस्य के नाते और एक दल के जिम्मेदार व्यक्ति के नाते आपको कह सकता हूं जो फिरकापरस्ती की बात, जो भ्रम की बात आप कहते हैं, न तो इस देश का संविधान बदला जाएगा, न इस देश के आरक्षण के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ की जाएगी, इस भ्रम को फैलाने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, यह आज की मांग नहीं थी, वर्षों की मांग थी। उन आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को यदि ताकत देने का काम किया तो इस लोकतंत्र की ताकत के जरिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया। मैं चाहूंगा इस सदन को धन्यवाद देना चाहिये था कि एक इतना बड़ा फैसला हुआ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज का दिन, दिन तो 26 नवम्बर का था लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूं .....

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): हमारे मुख्य मंत्री माननीय गहलोत साहब ने केन्द्र में भी उसको लागू करने के लिए जो कहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): ...(व्यवधान) राजस्थान में आपने सम्पत्ति के रूप में जो ब्रेकर लगा दिये थे, उसको आप केन्द्र से दूर कराओ। ...(व्यवधान) देश के दूसरे प्रदेश भी उनको लागू ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): जिस तरीके से उसमें आर्थिक आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता है ...(व्यवधान) उसके आधार पर कुछ हो ही नहीं सकता था ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): ...(व्यवधान) मैं माननीय गहलोत साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, कोई व्यवस्था दीजिए।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। व्यवस्था हो गयी है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): यह भी लोकतंत्र की ताकत है कि जनता के मतों के बूते पर कोई भी सदन में आ सकता है लेकिन संविधान दिवस के ऊपर मैं समझता हूं लोकतंत्र का आदर करना, संविधान का आदर करना यह सदन हमें सिखाता है। यहां महात्मा गांधी जी के बिलकुल बगल में जो सामने लिखा गया है कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए क्योंकि वहां न बोलने से या गलत बोलने से, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। मुझे लगता है कि इस सदन में स्पष्टता की बात और इसी तरीके की बातें कही जाएं तो संविधान का आदर होगा, सदन का भी आदर होगा।

मैं अपनी बात खतम करूंगा, अंग्रेजों ने विरासत में हमें बात कही, उन्होंने कहा इंडिया दैट इज भारत। मैं कहूंगा भारत दैट इज इंडिया और जिसकी संविधान ताकत है। आज सामने के लोगों ने मुझे जो बात कही, मुझे लगता है कि एक शब्द बूमरैंग, जो आप कहेंगे वह लौटकर वापस आपके पास आएगा और ऐसी चोट देगा कि जिस तरीके से पूरे हिन्दुस्तान से वैचारिक रूप से आपकी विदाई हो गयी, आपने कहा कि यह आजादी हमारी मिल्कियत है, यह लोकतंत्र हमारी मिल्कियत है लेकिन मित्रों, यह लोकतंत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, रामप्रसाद बिस्मिल, इस तरीके के तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी शहादत दी और वह शहादत आज भी जारी है।

(13.00 बजे)

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के निर्माण में, इस देश की आजादी में उन सब लोगों को श्रद्धा से याद करें। इस संविधान के प्रति जिस निष्ठा की शपथ आपने ली है, मुझे लगता है देश और प्रदेश के कल्याण के लिए उस निष्ठा का पालन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बी.डी. कल्ला जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं संविधान दिवस मनाने के अवसर पर चेयर को, माननीय मुख्य मंत्री जी को और पूरे सदन को इस संविधान दिवस की बधाई देता हूं।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

संविधान आने से पहले की पृष्ठभूमि पर मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था। उसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी वर्गों के लोग तिहरी गुलामी का मुकाबला कर रहे थे। एक तरफ अंग्रेज शासक थे, दूसरी तरफ राजा-महाराजा और तीसरी तरफ जागीरदार और जमींदार थे। इन तीनों से मुकाबला करते हुए, एक तरफ अलग-अलग प्रांत, अलग-अलग बोलियों व भाषाओं को बोलने वाले लोग, अलग-अलग पंथ व धर्मों को मानने वाले लोग, उन सबमें हमारे देश के नेताओं ने खास तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने अनेकता में एकता का जो नारा दिया और अनेकता में एकता का नारा ही नहीं दिया, पूरे देश में घूमकर देश के लोगों को एक करके यह बताया कि:-

"देश की खातिर लहू अपना बहाना फर्ज है
गोलियां सीने पर खाकर मुस्कुराना फर्ज है
आखिरी दम तक कदम आगे बढ़ाना फर्ज है
गौर कर इस पर वतन का तू अगर जांबाज है
ये मेरी आवाज हो या मुल्क की आवाज है।"

पूरे मुल्क में घूम-घूमकर उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, देश को एक किया और अनेकता में एकता का दिग्दर्शन कराकर देश को आजाद कराया।

मैं इस अवसर पर देश के उन तमाम शहीदों को, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि-कोटि वंदन करता हूं, नमन करता हूं जिन्होंने अपनी शहादत दी। तीन-तीन पीढ़ियां जेल में रहीं, पंडित मोतीलाल जी नेहरू, जवाहर लाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी। ऐसे हमारे बीकानेर के वैद्य मग्गाराम जी, वैद्य मग्गाराम जी की मदर और उनके लड़के राम नारायण जी। ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जिनकी तीन-तीन पीढ़ियां देश की आजादी के लिए संघर्षरत रहीं, जेलो में रहीं, उन्होंने यातनाएं सहीं। मैं शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उन लोगों को भी याद करता हूं, जिन्होंने अपनी शहादत दी। कुल-मिलाकर देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान रहा, उसको यह देश कभी नहीं भुला सकता।

उसके बाद, सबसे पहले पंडित जवाहर लाल जी ने 1915 में संविधान बनाने की बात कही। उसके बाद फैज में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

एम.एम. राय जो कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, विशेष अतिथि के रूप में वहां आये थे। उन्होंने भी संविधान सभा की बात वहां पर कही और संविधान बनाने की बात कही। यह 1936 की बात है, लेकिन 9 दिसम्बर, 1946 को इस संबंध में पहली बैठक हुई और डा. सच्चिदानंद सिन्हा को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया। उसके बाद 11 दिसम्बर,1946 को स्थायी अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद जी को बनाया गया। उस समय 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, इसमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे, 43 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यह कुल 383 की सभा थी। जब देश का विभाजन हुआ तो इसकी संख्या मात्र 299 रह गयी।

जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसकी मसविदा समिति का अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। इसमें 8 मुख्य समितियां, 15 अन्य समितियां थीं और संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन, कुल 114 दिन की बैठकों के बाद जो संविधान बनाया गया उसे 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत किया गया। इसकी एक हजार प्रतियां छपीं। मेरे से पूर्व सदस्य ठीक कह रहे थे कि राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत जी और नंदलाल जी बोस जैसे अनेक कलाकारों ने इसमें कलाकृतियां बनायीं। देहरादून की प्रेस में, सर्वे आफ इंडिया में यह छपा, इसकी 43.7 सेमी. X 58.4 सेमी. की प्रतियां, जिसमें 234 पृष्ठ 13 किलो वज़न के थे। पहली बार में एक हजार प्रतियां छपीं। इसमें 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां थीं, यह 22 भागों में विभाजित था। इसको 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत किया गया। मैं इसका प्रिएम्बल आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा, इसलिए कि इसके बारे में हमको वास्तव में सिंहावलोकन की आवश्यकता है, जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा था।

'हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं'

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

सभापति महोदय, सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न यानी हमारा जो संविधान है, वह पूरा का पूरा प्रभुत्व रखने वाला संविधान है, इसमें सारी शक्तियां हैं। इसलिए यह हमारी गीता है, लोकतांत्रिक गीता है, लोकतांत्रिक कुरआन है, लोकतांत्रिक गुरू ग्रंथ साहिब है, लोकतांत्रिक बाइबल है। संविधान के अलावा कोई बड़ा नहीं है, इसलिए संविधान की पूजा मन से करनी चाहिए, आत्मा से करनी चाहिए और ह्रदयंगम करने की आवश्यकता है। संविधान सभा के द्वारा जो संविधान दिया गया है, उसमें समाजवादी यानी कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करने वाला, सबको मौलिक अधिकार देने वाला और सबको पंथ निरपेक्ष रहकर काम करने का गुण सिखाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि कोई संध्या वंदन करे, उसे छूट। कोई कुरआन पढ़े, उसे छूट। कोई व्यक्ति गुरू ग्रंथ साहिब को पढ़े, उसको छूट। कोई बाइबल का पाठ करे तो छूट। सभी अपने-अपने धर्म को मानें, लेकिन सब धर्मों का आदर करें। सब धर्मों का आदर करना सीखो और सब धर्मों को संरक्षण प्रदान करो। यदि कोई किसी की पूजा इबादत या किसी प्रकार की उपासना में दखल करता है तो संविधान के अनुसार उसकी रक्षा करनी है।

लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब यह है कि For the people, by the people and for the welfare of the people. यह जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए बनाया गया हमारा संविधान है और इस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी आज हमको लेनी है। आज यह संकल्प लेना है कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के विपरीत कोई चलेगा, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ संविधान कार्यवाही करेगा और यहां के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये प्रिएम्बल के प्रमुख तत्व थे। क्या हम इन प्रिएम्बल के सिद्धांतों को या प्रिएम्बल में जो बातें कहीं गयी हैं उनको मन से स्वीकार करते हुए संविधान की रक्षा करते हुए, जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं, सौगंध खाते हैं, उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं या नहीं? इसका विचार करने की आज आवश्यकता है। इस पर आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं या नहीं चलते हैं और नहीं चलते हैं तो निश्चित रूप से आज हमको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रिएम्बल में, जो हमारे

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था और संविधान समिति के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद जी ने और जिसके मौलिक अधिकारों को स्वयं पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने लिखा था, उसको हम मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? कहां तक मान रहे हैं? कहां इसको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है? मैं इस अवसर पर खास तौर से संविधान सभा के मसौदे की ड्राफ्टिंग में सम्पूर्ण रूप से जो कार्य किया गया था, उसमें नाम नहीं लेना चाहूंगा। हमारे राजस्थान के लोग हीरालाल जी शास्त्री थे, जयनारायण जी व्यास थे, इनके नाम आगे रिपीट नहीं करना चाहूंगा लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें पूरे देश के लोगों का रिप्रजेंटेशन था।

सभापति महोदय, 383 सभा के पहले सदस्य थे जो विभाजन के बाद कम रह गये। इन सब लोगों ने मंथन करके जो संविधान दिया, वह हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए, पंथ निरपेक्षता को बनाए रखने के लिए, समानता का व्यवहार रखने के लिए और इस संविधान को मैं यदि कम शब्दों में परिभाषित करूं तो कह सकता हूं कि यह संविधान हमें सिखाता है लोकतंत्र कैसे रहना चाहिए। समता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता, यह चार इस संविधान के प्रमुख तत्व हैं, जिन पर हमको आज विचार करना चाहिए। लोकतंत्र निश्चित रूप से 70 साल से हमारे देश में कायम है। हमारे पड़ौस में पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ लेकिन वहां पर लोकतंत्र कई बार खतम हुआ, कई बार स्थापित हो गया। कई बार वहां पर सेना का शासन रहा। हमारे यहां आज भी हम देख रहे हैं कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से निरंतर हमारा संविधान कायम है और संविधान के अनुसार देश चल रहा है। जिन-जिन लोगों ने संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में संविधान में दिए गये उपबंधों के अनुसार उनको रोकने की कार्यवाही भी हुई है।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर खास तौर से बताना चाहूंगा कि संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिए हैं। मौलिक अधिकार में सात मूल अधिकार शुरू में दिये गये थे, अनुच्छेद 12 से 35 में। इसमें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अन्तर्गत दिया गया। यह इंग्लैंड में जो मौलिक अधिकार दिये गये उसके अनुसार है। दुनियाभर के सारे संविधान को पढ़कर, अमेरिका में, इंग्लैंड में अथवा अन्य देशों में संविधान की जो अच्छी विशेषताएं थीं, उनको सबको पढ़ने के बाद हमारा संविधान बनाया गया। यह

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हालांकि इंग्लैंड का संविधान परम्पराओं से चलता है और परम्पराओं से ही वह आज अपनी डैमोक्रेसी को कायम रखे हुए हैं। हमारा संविधान लिखित है, स्पष्ट है और उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गयी है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत दिया गया है। जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। इसमें यदि कोई भी व्यक्ति व्यवधान पैदा करता है तो कानून विधि सम्मत कार्यवाही उसके विरुद्ध करता है, जो उनको रोकता है।

सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, हालांकि जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है लेकिन नियोजन में सबको समानता का अवसर प्रदान किया गया है। अस्पृश्यता का अंत, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जा रही उपाधियों का अंत किया गया। हालांकि रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधियां हमारे देश में नये तरीके से दी जा रही हैं, वह दी जा रही हैं लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से जो उपाधियां दी जा रही थीं, उसका उन्होंने अंत कर दिया। स्वतंत्रता का अधिकार- हमको बोलने की स्वतंत्रता है, आजादी है। हम किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। मैं वर्ष 2000 में लंदन की यात्रा पर गया था। वहां पर एक जगह है, उस स्थान पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, हर जगह पर नहीं बोल सकता। हमारे देश में हम बोलने का अधिकार रखते हैं, बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। सार्वजनिक स्थानों के उपयोग की आजादी है।

इसी प्रकार प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण-कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव दुर्व्यवहार और बालश्रम का प्रतिषेध, कारखानों में 14 वर्ष तक के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार-आप किसी भी मजहब को, धर्म को मान सकते हैं। पूरी आपको आजादी है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 32 और 35, इनको बाबा साहेब ने हमारे संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा इसलिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उसको यदि विधि सम्मत गिरफ्तार नहीं किया गया है तो उसकी जमानत हो जाती है। ऐसे मेंडामस और अन्य प्रकार के चार-पांच अधिकार इसमें दिये गये हैं।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

हमारे अध्यक्ष महोदय ने मूल कर्तव्यों के बारे में खास बात बताई है। मैं मूल कर्तव्य सदन को पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो 42वें संशोधन के द्वारा कुल 11 हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। हम आज के दिन इसका भी आत्मावलोकन करें। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के बारे में कई बार कंट्रोवर्सी फैलाते हैं। उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि वे कर्तव्य का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता व अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हो। उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक, संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य प्राणी आदि आते हैं, उसकी रक्षा व संवर्द्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। मैं इस संबंध में खास तौर से कहना चाहूंगा जब लोग विपक्ष में होते हैं, उस समय यह नहीं देखते हैं कि जो भी सार्वजनिक सम्पत्ति है, वह हमारे देश की सम्पत्ति है, हमारी अपनी सम्पत्ति है। महात्मा गांधी जी ने आजादी के वक्त में जो अहिंसा का नारा दिया था, वह हमारा अमोघ अस्त्र है। ‘‘दे दी हमें आजादी बिना खड्ग-बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।’’ बिना सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाए अपनी बात कही जा सकती है और अपने कर्तव्य का पालन किया जा सकता है।

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयत्न, उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले प्रतिपाल्य बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इन्हें 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। जैसे इस संविधान ने नागरिकों को मूल अधिकार दिये, वैसे की वैसे कर्तव्य जोड़ने से यह संविधान और मजबूत बन गया है। मुझे याद आता है एक बार राष्ट्रपति जान एफ. कैनेडी ने यह

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

बात कही थी कि "ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country and ask what together we can do for the freedom of man." यह मत पूछो कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, यह अपने आपसे पूछो कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं और हम सब मिलकर मानव कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन हम यह देखें कि संविधान के संरक्षण के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के अधिकारों और कर्तव्यों का पालन कराने के लिए हम अपना क्या कर्तव्य निभा सकते हैं? इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

मैं इस अवसर पर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। नीति निर्देशक तत्व नहीं होते तो 'FOR THE PEOPLE, BY THE PEOPLE AND FOR THE WELFARE OF THE PEOPLE' वाली धारणा थी, वह पूरी नहीं होती। वैलफेयर हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। खास तौर से जन-प्रतिनिधियों का यह उद्देश्य रहना चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का कल्याण, अपने लोगों का कल्याण कैसे कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित, इसी प्रकार सामाजिक अधिकार, सामाजिक न्याय और पंचायतों के बारे में बहुत बातें की गयीं। मैं इस अवसर पर राजीव गांधी जी को श्रद्धा से याद करना चाहूंगा। उन्होंने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं को, पिछड़ी जातियों को, ओबीसी को अधिकार दिए। उनका आरक्षण किया। 17-17 साल तक चुनाव नहीं होते थे, उन्होंने आवश्यक रूप से 5 साल में चुनाव कराने के लिए संविधान में प्रावधान किया। इसी प्रकार उन्होंने जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों को मजबूत किया। जिस पंचायती राज की स्थापना भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लालजी नेहरू ने नागौर में दीप प्रज्वलित करके की थी, उस मशाल को आगे बढ़ाने में राजीव गांधीजी ने जो काम किया, उसको हम और हमारे देश के लोग कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने पंचायती राज को स्वायत्तता प्रदान की। उनको अनेक अधिकार दिये। उन अधिकारों के माध्यम से आज हमारे पंचायती राज का सशक्तीकरण हुआ है। पंचायती राज आगे बढ़ा है तथा और आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मैं इस अवसर पर हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी पालना में हमने कहीं-कहीं कोताही बरती है, उसको सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर, सभापति महोदय, आपका ध्यान एक तरफ और आकर्षित करना चाहूंगा। आज हमारे देश के न्यायालयों में तीन करोड़ से अधिक मुकदमे पेंडिंग हैं। पंचायतों के द्वारा जो न्याय की व्यवस्था होती थी, उस न्याय व्यवस्था को पंचायतों तक हमें ले जाना चाहिए और जो छोटे-छोटे मुकदमे हैं, उनको दूर करने के लिए पंचायत न्याय व्यवस्था का निर्माण करने की हमें आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर यदि इसके बारे में विचार करेंगे तो निश्चित रूप से 'Justice delayed, Justice denied', जो न्याय में देरी हो रही है, उसको दूर करने के लिए हमको अधिक से अधिक पंचायत न्यायालयों के माध्यम से मुकदमों को दूर करना चाहिए और न्याय व्यवस्था तीव्र गति से हों, इसके लिए उपाय करने चाहिए।

मैं इस अवसर पर अंत में सब लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि:-

'मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना,
हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा,
यूनान, मिस्र, रोमां, सब मिट गये जहां से
अब तक मगर है बाकी, नाम-ओ-निशां हमारा,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-जहां हमारा
सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा......'

और हिन्दुस्तान में रहना होगा तो संविधान के अंतर्गत रहना होगा। यह नहीं कि हिन्दुस्तान में रहना होगा तो हिन्दू बनकर रहना होगा। यह बात जो करते हैं, वे गलत हैं। हिन्दू की परिभाषा नहीं आती। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि हिन्दू कौन हैं, हिन्दू की परिभाषा सुननी है तो कभी आप खुले मंच पर आ जाना, हम बताएंगे कि हिन्दू कौन हैं। हिन्दू तो सबसे ज्यादा समतावादी हैं। इसलिए हिन्दुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए पंथ से ऊपर उठकर, धर्म से उठकर चार लाइनों में इल्तिजा चाहूंगा कि,

इल्तिजा यह है वतन की, जां निसारों से उठो,
ख्वाबगाहों की जगह परवर बहारों से उठो,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

एक-दो से ही नहीं, कहता हूं सारों से उठो,
मंदिरों से, मस्जिदों से और गुरुद्वारों से उठो
और उठकर संविधान की रक्षा करो। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सर्वप्रथम तो इस विशेष सत्र, जो भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर विचार हेतु बुलाया गया, और आज जो सुबह से ही चर्चा चल रही है, भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के 70 वर्ष पूरे होने पर भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर 'डिबेट' जो शब्द यूज किया गया है, उसमें थोड़ा मैं चाहूंगी कि इसमें संशोधन होना चाहिए कि यह शब्द 'विचार और संकल्प' का होना चाहिए। जहां संविधान को अंगीकृत करने में 70 वर्ष हमारे पूर्ण हुए हैं, इसमें आज हम सब संकल्प लें कि हम अपने संविधान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार कैसे करें और इस संविधान को कहना चाहिए जब हम कहते हैं कि 'मेरा भारत महान' तो उसी के साथ कहते हैं 'मेरा संविधान भी महान', और बनाया इसको भारत की महान संस्कृति के लोगों ने। इसका हम सबको गर्व होना चाहिए।

मैं आज आजादी की लड़ाई में, ऐसे सारे ही महापुरुष, महानायक, जो शहीद हुए उन सबकी शहादत को नमन करते हुए अपनी बात को यहां से प्रारम्भ करूंगी कि जब 1947 में हमें आजादी मिली तो उस समय देश भर में शासन चलाने के लिए एक सुदृढ़ संविधान की जरूरत महसूस हुई। उस समय डा. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी के नेतृत्व में एक संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान में सारी चीजों का ध्यान रखा गया। हम सब इस बात से गौरवान्वित होते हैं कि वह संविधान आज तक, चाहे वह कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, इसका बराबर से पालन करते हुए हम लोगों ने इन सारे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का एक सामंजस्य के रूप में इस संविधान का पूरी तरह से पालन किया है।

आज मैं यह कहते हुए बड़ा गर्व महसूस करती हूं कि 26 नवम्बर, 1949, जिस दिन इस संविधान को अंगीकृत किया गया था, उस दिन को मनाना है पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में और देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदीजी ने 2015 में जब यह घोषणा की कि हमें पूरे देश

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

में संविधान दिवस मनाना चाहिए, वह 125वीं जयन्ती थी डाक्टर बाबा साहब अम्बेडकरजी की, इसलिए तब से लेकर बराबर यह संविधान दिवस हम मना रहे हैं। संसद में और विभिन्न विधान सभाओं के अन्दर इस पर चर्चा होती है, इस पर विचार रखे जाते हैं, इस पर संकल्प लिया जाता है। यह वास्तव में हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है।

मैं आज यह कहना चाहूंगी जो भारत का संविधान डाक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी ने दुनिया का यह सबसे बड़ा संविधान तैयार किया, इस संविधान में 465 अनुच्छेद, जो 22 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। जो 22 भाग हैं, उसमें विश्लेषण अगर करूं तो इन 22 भागों में जो पहला भाग है, उस पहले भाग-एक में 'मोहन जोदड़ो' की मोहर मिलती है; भाग-2 में वैदिक काल के गुरुकुल का परचम दिखाया, जिसमें भारत के विश्व गुरू बनने का बीज छिपा है; भाग-3 में मिलता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मणजी, जो दशानन रावण से जीतकर अयोध्या लौटते हुए का चित्र; भाग-4 में मिलता संदेश गीता का, श्रीकृष्ण देते उपदेश अर्जुन को धर्मयुद्ध का; भाग-5 में बुद्ध की करुणा का; भाग-6 में महावीर की अहिंसा का; भाग-7 में अशोक का विस्तार; भाग-8 में यक्ष का चित्र मिलता; भाग-9 में विक्रमादित्य देते संदेश अपनी 32 कहानियों से युवा के चरित्र निर्माण व देश निर्माण के लिए; भाग-10 में नालन्दा विश्वविद्यालय देता संदेश ज्ञान यज्ञ में भारत की ओर देखता संसार सारा; भाग-11 में उड़ीसा की कला दृष्टि बढ़ाती संविधान में शान; भाग-12 में नटराज है हमारी कला का आधार; भाग-13 में दर्शाया लोक कल्याण के लिए करते तप भागीरथ और लक्ष्य था गंगा माता अवतरण; भाग-14 में मिलता मध्यकालीन राजा अकबर के दरबार का चित्रण; भाग-15 में शिवाजी महाराज और गुरू गोविन्दसिंह बताते कि भारत माता और धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना कम नहीं है; भाग-16 में दिखाया रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के विरुद्ध शंखनाद को; भाग-17 व 18 में महात्मा गांधी का मिलता है चित्रण; भाग-19 में मिलते नेताजी सुभाष चन्द्र बोस व अन्य देश भक्त, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्र कराने का प्रयास करते हुए; भाग-20 में मिलता हिमालय, जो ले जाता भारत को उसकी तप भूमि में ऋषि मुनि की परम्परा में; भाग-21 में दिखता रेगिस्तान, याद दिलाता मीरा और प्रताप की; भाग-22 में हिन्द सागर की लहरें गोता लगाती, करती वंदन जब भारत कहलाता था सोने की चिड़िया। जी हां, यह सच है कि

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मेरा भारत महान, मेरा संविधान महान और बनाया इसको हमारे भारत की महान संस्कृति के लोगों ने और इसीलिए हमारे काबिल एवं ज्ञानी निर्माताओं ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों जैसे ब्रिटेन, अमरीका, यू.एस.एस.आर., आस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कनाडा आदि देशों के संविधानों से विभिन्न व्यवस्थाएं इसमें अंगीकार की हैं।

हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं जो मैं आज इस सदन पटल पर रखना चाहूंगी, संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान। आप और हम सब इस बात से गौरवान्वित होते हैं कि आज वह सारा एक ही संविधान पूरे देश में चलता है लेकिन इसी के साथ में जब हम लोगों ने यह देखा कि जो धारा 370 लगी थी और उसको हटाने का ऐतिहासिक कार्य अगर किसी ने किया तो वह देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने धारा 370 हटाकर एक संविधान, एक नियम, एक कानून, इसको पूरे देश के अंदर लागू किया।

हमारे संविधान में कठोरता और लचीलापन का भी समावेश है। लचीलापन इस प्रकार से कि इसके बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिन अनुच्छेदों को दो तिहाई बहुमत से हम लोग लोक सभा के अंदर इसे पास कर सकते हैं लेकिन यह कठोर इस प्रकार से है कि इसके बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो दो तिहाई बहुमत और भारत के आधे प्रदेशों की सरकारों की सहमति से ही पास किये जा सकते हैं। सरकारों की सहमति से ही कुछ संशोधन किये जाते हैं इसलिए इस संविधान को कठोर संविधान भी कहा गया।

इसमें धर्मनिरपेक्ष देश, हम सब धर्म की रक्षा करें, हम सब धर्म का आदर करें, सब धर्म का संरक्षण करें, सब धर्म का सम्मान करें, यह हमारे संविधान में कहते हैं और इसलिए हमें इस बात का गर्व होता है कि हमारे लिए जो हम कहते हैं कि सामाजिक समरसता, वह सामाजिक समरसता यही कहती है कि सबका सम्मान, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बड़ा कुल नहीं, कोई छोटा कुल नहीं लेकिन सब एक है, यह हमारा संविधान कहता है, जिसका हमें गर्व होना चाहिए।

भारत में 18 से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को, जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किये बिना मत देने का अधिकार प्राप्त है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी विशेषता हमारे इस संविधान की है। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का जो संविधान है, वह इस ओर से टोटल डैमोक्रेटिक कंट्री अगर कोई कहे तो यह भारत देश है जहां पर डैमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हमारे देश के संविधान के अंदर और जो विशेषता है, इसमें मैं अगर खास बात कहूं तो मौलिक अधिकार का भी जिक्र है और वह मौलिक कर्तव्य जिसकी बात आज सुबह भी यहां पर स्पीकर साहब कह रहे थे कि अपने कर्तव्यों के ऊपर कैसे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता साहब ने, हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्षजी ने, सभी ने यह कहा कि हमें अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों के ऊपर भी हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहिए जो मैं समझती हूं कि इस संविधान की खास बात है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन में संविधान में जब शामिल किया गया तो यह नागरिकों को याद दिलाता है कि अधिकारों का उपयोग करने के दौरान उन्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए।

किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिक ही करते हैं। नागरिक कैसा है, वह कैसा सोचता है, वह विकास के बारे में प्रयत्नशील है या नहीं है, उन सारी चीजों पर निर्भर करता है कि वह राष्ट्र का कैसा अच्छा निर्माण होगा। सही कहा है हम लोग कहते हैं कि संविधान तो बनाया लेकिन वह संविधान अच्छे लोगों के हाथों में जाएगा तब उस संविधान की अच्छे तरीके से पालना होगी। संविधान जब गलत हाथों में चला जाता है तब ही आपातकाल जैसी स्थितियां भी पैदा होती हैं और पूरे देश को एक तरह से जेल बना दी जाती है, बोलने की स्वतंत्रता खतम हो जाती है और इसलिए देश के अंदर जब हम सोचते हैं कि हम अपने भारतवर्ष को सर्व-शक्तिमान, सर्व-शक्ति भारत के नागरिकों के अंदर अगर निहित है तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्याय एवं आजादी को बनाये रखने की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों पर है। इसलिए हम सभी को यह चाहिए कि अपने कर्तव्यों के प्रति इस क़दर सजग रहें और हमारा देश पूरे विश्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामंजस्य का एक उत्कृष्ट राज्य और राष्ट्र बनकर उभरे। सरल भाषा में कहें तो कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और इसलिए जब इन्होंने कहा कि सब धर्म का हम लोगों ने सम्मान करने की बात करते हुए, हिन्दू क्या, यह क्या तो मेरा यह कहना है कि भारत एक भिन्न-भिन्न धर्म और भाषाओं का राष्ट्र है। अनेकता में एकता भारतीय सभ्यता का अनुपम सौंदर्य है और इसलिए भारत में विश्व के प्रमुख ऐसे सात धर्म के अनुयायी निवास करते हैं, चाहे वह हिन्दू हो, चाहे वह इस्लामी हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह जैन हो, चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह सिक्ख हो, चाहे वह फारसी हो, यह सब जब यहां

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पर, उनके अनुयायी, उस धर्म के अनुयायी यहां पर निवास करते हैं तो भाई-भाई के जैसे करते हैं। आपस में एक सामंजस्य के रूप में करते हैं लेकिन कुछ अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अगर इस प्रकार के सामंजस्य को तोड़ने का काम करते हैं तो वह संविधान को खंडित करने का काम करते हैं, वह संविधान को मानने का नहीं लेकिन संविधान को अपमान करने का काम करते हैं।

आज सुबह बड़ी जोर-जोर से यह कहा जा रहा था कि कौन थे वह लोग जिन्होंने यह किया, कौन थे वह लोग? मैं उन्हीं से, आज तो अभी यहां पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री बैठे नहीं हैं, लेकिन वह बड़े जोर-जोर से यह कह रहे थे कि कौन थे वह लोग? मैं आज उनसे यह पूछना चाहती हूं कि वह कौन लोग थे जिन्होंने धारा 370 जम्मू-कश्मीर में लगाई थी? वह कौन लोग थे जिन्होंने यह कहा कि दो विधान होने चाहिए, दो प्रधान होने चाहिए, दो निशान एक देश में होने चाहिए? वह कौन लोग थे जिन्होंने 25 अप्रैल, 1975 को आपातकाल लागू किया और हमारे लोकतंत्र को तार-तार किया? क्यों भूल जाते हैं? इस प्रकार से अंगुली उठाकर और यह कहना किसी को कि हम लोगों ने, अगर देश के अंदर सत्ता पाई है तो सत्ता पाते ही साथ-साथ देश के विकास की ओर आगे बढ़े हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीता है और इस प्रकार देश के अंदर कार्य करने का काम देश के प्रधान मंत्री ने किया, न कि सत्ता पाने के लिए 55 साल तक जिस प्रकार से झूठे वादे करके यह कहा कि हम लोग गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे। आज भी अगर गरीबी जीवन रेखा को देखा जाए, अगर बी.पी.एल. को देखा जाए तो below poverty line के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों नहीं हम देश के लिए सोचते हैं, क्यों नहीं हम अपने संविधान के अंदर जहां पर भाईचारा लिखा है, क्यों नहीं हम भाई-भाई जैसा व्यवहार करते हैं और देश के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने का सोचते हैं? देश के प्रधान मंत्रीजी ने यह ठीक कहा कि Dignity of India और Dignity of an Indian and Unity of India, सही है कि एक भारतीय जब पहले कहीं विदेश जाता था तो वह अपना पासपोर्ट लेकर लंबी कतार में खड़ा रहता था और उसे और पीछे-पीछे धकेल दिया जाता था। जब उसका पासपोर्ट देखा जाता था कि यह इंडियन है और सही कहा कि आज वही भारतीय जब विदेश यात्रा में जाता है और पासपोर्ट पर इंडियन लिखा है तो उसे आगे की कतार में लिया जाता है कि यह

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रगतिशील देश का व्यक्ति है, यह प्रगति करने वाला व्यक्ति है, यह अच्छे देश का व्यक्ति है इसलिए सबसे लाइन में आगे। वह सम्मान हमें मिला है तो वह Dignity of Indian और Unity of India की वजह से हुआ है और इसलिए मैं देश के प्रधान मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जो बात कही वह करके दिखाई। इस देश का मस्तक पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी ने उठाया तो वह हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी ने उठाया और इसलिए संविधान की पालना, संविधान की पालना अगर हम करें अक्षरशः, यह कह रहे थे कि अक्षरशः पालन करेंगे। हम करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। यह जो बात अभी सुबह सामने बैठे हुए कह रहे थे कि हम अक्षरशः पालन करेंगे। कैसे अक्षरशः पालन किया, यह हम लोगों ने देखा। अभी-अभी जब चुनाव हुए नगरपालिका के तो कैसे संविधान के तास्तार उखाड़े, कैसे सरकार का दुरुपयोग किया, यह सारी चीजें हम लोगों ने देखी और फिर यह कह रहे थे कि हम तो उसका अक्षरशः पालन करेंगे।

हम सब भारतीय होने के नाते, हमको मिलकर, एक होकर यह प्रयत्न करना चाहिए कि भारत एक सुदृढ़ एवं समृद्ध राष्ट्र बने। संविधान ने हम सबको यह जिम्मेदारी भी सौंपी है हम यह सुनिश्चित करें कि नारी की गरिमा के विरुद्ध सभी कुप्रथाएं समाप्त हों और यह हम सब लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है क्योंकि आज जब यह कहा कि संविधान में 74वां संशोधन और उसके लिए यह बड़ी बात कर रहे थे कि देश के अंदर यह संविधान में 74वां संशोधन आया और महिलाओं को भी आरक्षण और एस.सी. और एस.टी. को भी 33 परसेंट रिजर्वेशन मिला। उस 33 परसेंट रिजर्वेशन को और अच्छे तरीके से अगर दिया तो राजस्थान के हमारे पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने, जिन्होंने 74वां अमेंडमेंट जो हुआ, उसमें आरक्षण के अंदर महिला हमारी प्रधान बन सकती है, महिला सरपंच बन सकती है, महिला नगरपालिका की चेयरमैन और महापौर बन सकती है। यह अगर किसी ने आरक्षण दिया तो वह हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने दिया। इसलिए हम केवल बात करते हैं, लेकिन बात करने से नहीं, जो काम करके दिखाने वाले लोग हैं, वह काम करके दिखाया उन्होंने। इसलिए इस बात का हमें गर्व होता है।

हम सब इस बात को जानते हैं कि आज यह जो समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकता में वर्गीकृत है, इन्हें कोर्ट में चुनौती दी जा

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सकती है लेकिन वह न्यायपालिका भी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए निर्णय करती है। अभी कह रहे थे कि मजबूरन अम्बेडकर साहेब को याद करना पड़ रहा है। यह मजबूरन नहीं है। यह हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर साहेब के संविधान दिवस को आज हम सब मना रहे हैं, पूरे देश के अंदर मना रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग इस बात को देख रहे हैं। भारत एक ऐसा देश, जिन्होंने इतने सालों की आजादी के बाद, 2015 से संविधान दिवस मनाना शुरू किया तो वह देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के उस निर्णय के बाद में शुरू किया। यहां यह कहना चाहिए कि हम सभी लोग एक बात को जरूर विशेष तौर पर ध्यान रखें कि देश को सर्वाधिक और सर्वोपरि स्थान जो हमें मिला है, वह हमारे इस संविधान की वजह से मिला है। इस कारण से न तो कोई सरकार, न राष्ट्रपति, न प्रधान मंत्री, न मुख्य मंत्री, न सुप्रीम कोर्ट, यह सारे इसके दायरे में रहते हैं। कोई इस संविधान से ऊपर नहीं है। यही इसकी विशेषता है।

सभापति महोदय, मैं तो यही कहूंगी कि हां, हमारा भारत महान है। यह महान रहे, उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस संविधान के दायरे में रहते हुए अपने अधिकारों के साथ में अपने कर्तव्यों को निभाएं। हमारे कर्तव्य ऐसे हों जो कि हमारे देश के लिए हों। जो हम सभी को गौरवान्वित करें। मैं, मेरा परिवार ही सब कुछ नहीं, लेकिन मेरा देश सब कुछ है। एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र ऐसा बने जो अनेकताओं में एकता को लिए चल रहा है। इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे प्रांत, इतने सारे धर्मों को एक साथ लेकर के कैसे हम भाईचारे के साथ चल सकें, इस बात का संकल्प आज यहां विधान सभा में हमारे सारे लोग लें, न कि इसे एक डिबेट के रूप में लें कि हमने यह कहा और आपने यह कहा, उससे नहीं। लेकिन यह राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र बने, यह राष्ट्र प्रगति की ओर कैसे बढ़ेगा, जब हम सभी का सोच राष्ट्र के प्रति होगा, न कि हमारे स्वार्थों के अंदर ही हम लोग खो जाएं।

हम सभी देश के लिए क्या कर सकते हैं? हमारा क्या योगदान है? इसको सिर्फ कहने के लिए नहीं, लेकिन उसके लिए मन में एक संकल्प करते हुए, दृढ़ निश्चय हम अपने अंदर करें कि हम अपने देश के लिए क्या करते हैं। साढ़े 9 से लेकर 6 बजे तक की ड्यूटी निभाते हैं सरकारी दफ्तरों के अंदर? क्या हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करते जब हम नियत समय

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पर नहीं पहुंचते? यह सोचने का विषय है। प्रश्न आता है इस बात का कि हम लोग इस बात को सोचें कि एक तरफ हम देश की गाथा गाते हैं, एक तरफ हम भारत माता की जयकार करते हैं, एक तरफ हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम अपनी ड्यूटीज को कितनी अच्छी तरह से परफोर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अपने देश के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उसको कैसे अच्छी तरह से निभाएं।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस डिबेट पर समय दिया, अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको इस बात के साथ धन्यवाद देती हूं। हम सब मिलकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, ऐसा संकल्प हम सब लोग इस चर्चा के साथ लें। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं। जय भारत।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पर इस सदन में चर्चा करने का, संविधान से जुड़ी हुई डिबेट को पढ़ने का हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं को एक अवसर दिया।

सभापति महोदय, 25 नवम्बर, 1949 को डा. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यह संविधान तो बन रहा है, देश 26 जनवरी को गणराज्य बन जाएगा, लेकिन मुझे चिंता है कि क्या यह आजादी बरकरार रह पाएगी। क्या यह देश आजाद रह पाएगा। उन्होंने अपने भाषण में उदाहरण दिया मोहम्मद बिन कासिम का, जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो कासिम के एजेंटों ने किंग दाहिर के कमांडर्स को खरीद लिया और उन्होंने किंग दाहिर की तरफ से युद्ध करने से इंकार कर दिया। ऐसे ही मोहम्मद गौरी को जयचन्द ने आमंत्रित किया और जयचन्द के साथ-साथ सोलंकी राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का कोई साथ नहीं दिया और मुल्क पुन: उसी गुलामी के रास्ते पर चला गया।

सभापति महोदय, यह गणतांत्रिक व्यवस्था पहले भी हमारे देश में रही है। मोनार्की के टाइम भी सीमित पावर थे राजशाही के और एक ऐसी संघीय व्यवस्था थी जिसको निर्णय करने का अधिकार था। बौद्ध काल में भी न केवल राजकीय व्यवस्था में बल्कि धार्मिक संगठन में भी 'बुद्धम् शरणम् गच्छामि,

(श्री संयम लोढ़ा)

धम्मं शरणम् गच्छामि, संघम् शरणम् गच्छामि' संघ के अंदर भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी लेकिन विगत 2000 साल में अनेकानेक कारणों से हमारा मुल्क उस रूप में सामने नहीं आ सका।

सभापति महोदय, स्वाधीनता संग्राम के योद्धाओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी। उसके बाद एक बहुत वृहत् सोच के साथ इस संविधान के निर्माण की ओर वह आगे बढ़े। यह संविधान न केवल भारत देश के लोगों के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक दस्तावेज के रूप में सामने आया कि भारत आजादी के बाद किस रूप में आगे बढ़ेगा। उस समय क्या हालात थे? करोड़ों लोग चप्पल पहनकर अपने गांव में चल नहीं सकते थे। अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते थे। अपनी मर्जी की पढ़ाई नहीं कर सकते थे। जाति का अलग झगड़ा, धर्म का अलग झगड़ा, भाषाओं का अलग झगड़ा, उन परिस्थितियों में हमारे देश के महान नेताओं ने इस संविधान का निर्माण किया। मैं उनके योगदान को सलाम करता हूं। आज उस संविधान के लागू होने के बाद 70 साल में भी हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इस देश के महान नागरिकों का हृदय के अंत:स्थल से आभार प्रकट करता हूं। यह उनकी इंटेलीजेंसी है। देश के नागरिकों का कामन सेंस है जिसने इस प्रजातंत्र को जीवित रखा है।

सभापति महोदय, ब्रिटेन के बच्चे, ब्रिटेन के लोग चर्चिल को अपना हीरो मानते हैं, चूंकि उनको वही पढ़ाया गया और वही दिखाया गया लेकिन जैसे-जैसे दूसरे देशों या जहां-जहां ब्रिटेन का रूल रहा है, उनकी जानकारी उनको मिलती है तो वह चकित हो जाते हैं कि ऐसा भी हुआ। भारत के अंदर बंगाल का वह दुर्भिक्ष जिसमें चर्चिल ने राशन की सामग्री नहीं जाने दी और उसकी वजह से हजारों लोगों को दम तोड़ना पड़ा। आज जब वह जानकारी ब्रिटेन के छात्रों को मालूम पड़ती है तो वे चकित हो जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो-जो बातें रखी हैं, उन बातों को सुनने की सहिष्णुता होनी चाहिए। अगर आपमें सहिष्णुता नहीं है तो आप गवर्नेंस क्या करेंगे? आपके पास अवसर है कि आप उनकी बातों का जवाब दें।

सभापति महोदय, अभी एक पूर्व वक्ता ने बहुत सारे चित्रों का जिक्र किया। कि ये-ये चित्र भारत के संविधान में अंकित हैं। केलीग्राफी पैटर्न से

(श्री संयम लोढ़ा)

भारत का संविधान लिखा गया। वह प्रेम बिहारी ने लिखा। उनको 6 महीने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का चित्र वहां क्यों अंकित है? हमारी पिछली हजारों साल की सभ्यता में वह सर्वश्रेष्ठ शासक साबित हुए। उनसे बेहतर शासक भारतीय इतिहास में कोई नहीं है, जिसने एक साधारण धोबी को यह अवसर दिया कि वह उनकी कार्य प्रणाली पर, उनके आचरण पर सवाल कर सके और उसके ऊपर उन्होंने एक शासक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया। इस कारण से मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम संविधान पर अंकित हैं। आज भी हमारे सामने एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक भाई के रूप में, पिछली हमारी 10 हजार साल की सभ्यता में कोई राम से श्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने है? सभापति महोदय, आप कल्पना कीजिए कि उनकी पत्नी सीता जी को लेकर रावण चला गया। अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त करने के लिए उन्होंने 3 हजार किलोमीटर की पद यात्रा की और एक युद्ध छेड़ा। आप अंदाजा लगाइये कि वह अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते होंगे?

सभापति महोदय, संविधान पर चित्र अंकित है श्री कृष्ण का जिन्होंने कर्म का संदेश दिया। यह कहा कि तुम्हें नहीं सोचना है, केवल कर्म करना है, परिणाम तो मुझे देखना है। जिन्होंने राधा के साथ अपनी मित्रता को भारतीय जन मानस में प्रेम के रूप में प्रतिष्ठित किया कि राधा को हमने कृष्ण के साथ मंदिर में स्थापित किया।

किसी कवि ने कहा है,

'राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन,

तीन लोक तारन तरन, सो तोरे आधीन,

इसलिए उनका नाम उसमें था। फिर, बुद्ध। बुद्ध किस बात के प्रतीक हैं? समता के प्रतीक हैं। उनका पहला उदाहरण है कि जब एक चरवाहा अपने माथे पर भारा लेकर जा रहा था और बुद्ध ने कहा कि मैं अपने ध्यान के लिए उसका उपयोग करना चाहता हूं, उस पर बैठना चाहता हूं। उसने कहा कि नहीं, नहीं, आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, क्यों? तो उसने कहा मैं क्षुद्र हूं, मेरे इस भारे का उपयोग नहीं कर सकते तो बुद्ध ने कहा, नहीं, तू रख, इसी पर मैं अपना आसन बनाऊंगा और ध्यान करूंगा। इस तरीके से भारत के इतिहास में वे पहले समता सैनिक हुए हैं इसलिए उनका चित्र उसमें है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिस संविधान के पेज पर टीपू सुलतान का नाम क्यों अंकित है? इस कारण से अंकित है कि अंग्रेजों के खिलाफ वे देश के एक महान योद्धा थे, आज उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो कर्नाटका में टीपू सुलतान की जयंती मनाने का सरकार प्रयास करती है तो उस पर तोड़-फोड़ करते हैं और उस पर आन्दोलन करते हैं। ये संविधान का सम्मान करते हैं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गांधी, क्या आज मैं पूछ सकता हूं कि महात्मा गांधी के जिन विचारों पर चलने की हम सब लोग बात करते हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को यह क्यों लिखना पड़ता कि,

'तुम तो प्राण दे चुके बापू स्वयं उन्हें साधारण जान,
कृपया कभी न करना अब फिर अपने दिये हुए का ध्यान,
उन्हें न्यास-सा रखना आगे, अब उन पर अधिकार उन्हीं का,
उनमें हैं जिनके भगवान और भाग्य जिनके हैं'

यह राष्ट्र कवि ने एक पूरा खाका हमारा सामने खींच दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे इन मित्रों को बताना चाहूंगा जो एक वक्तव्य के ऊपर उछल-उछल करके विरोध कर रहे थे, आप सुनने का माद्दा रखिये। 26 नवम्बर को संविधान अंगीकार किया गया और 30 नवम्बर, 1949 को आर.एस.एस. के अख़बार आर्गेनाइजर इंग्लिश में क्या लिखा गया, उस सम्पादकीय में भारतीय संविधान को खारिज किया और मनु स्मृति को संविधान के रूप में अंगीकार करने की बात उठाई। माननीय सभापति महोदय, आप चाहें तो पूरा इंग्लिश कोट मैं आपके सामने पढ़ सकता हूं, "BUT IN OUR CONSTITUTION, THERE IS NO MENTION OF THE UNIQUE CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT IN ANCIENT BHARAT. MANU'S LAWS WERE WRITTEN LONG BEFORE LYCURGUS OF SPARTA OR SOLON OF PERSIA. TO THIS DAY HIS LAWS AS ENUNCIATED IN THE MANUSMRITI EXCITES THE ADMIRATION OF THE WORLD AND ELICIT SPONTANEOUS OBEDIENCE AND CONFORMITY. BUT TO OUR CONSTITUTIONAL PUNDITS THAT MEANS NOTHING" यह आरएसएस ने अपने अख़बार में लिखा। माननीय सभापति महोदय, माधव

(श्री संयम लोढ़ा)

सदाशिव गोलवलकर ने क्या लिखा है, वह भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, "OUR CONSTITUTION TOO IS JUST A CUMBERSOME AND HETEROGENEOUS PIECING TOGETHER OF VARIOUS ARTICLES FROM VARIOUS CONSTITUTIONS OF WESTERN COUNTRIES. IT HAS ABSOLUTELY NOTHING WHICH CAN BE CALLED OUR OWN. IS THERE A SINGLE WORD OF REFERENCE IN ITS GUIDING PRINCIPLES AS TO WHAT OUR NATIONAL MISSION IS AND WHAT OUR KEYNOTE IN LIFE IS?"

यह गोलवलकर ने लिखा है। अब आप बताइये, आप गोलवलकर को मानते हैं या अम्बेडकर को मानते हैं? ये आपके उनके शब्द हैं। हिन्दी में और सुना दूं? हमारा संविधान सिर्फ एक बाहरी गैर-पश्चिमी देशों के संविधानों से भिन्न-भिन्न टुकड़ों से बना हुआ संविधान है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम अपना कह सकें, क्या इसमें एक भी शब्द है ऐसा जो हमारे राष्ट्र मिशन के सत्व से था या हमारे मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों से जुड़ा हो। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि अगर यह शब्द गलत हों तो जब प्रतिपक्ष के नेता जवाब दें तो उसका उल्लेख करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 70 साल हो गये, संविधान बहुत अच्छा बना है, इससे बेहतर संविधान नहीं हो सकता क्योंकि हर देश की श्रेष्ठ चीज इसमें शामिल की गयी है लेकिन 70 साल बाद हम सब यह विचार करने के लिए खड़े हुए हैं कि हम आगे और बेहतर कैसे करें।

दोनों तरफ से आरक्षण के मुद्दे पर जिक्र हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछता हूं, आपको आरक्षण का लाभ मिला, आपकी पत्नी को लाभ मिला, आपके बच्चों को लाभ मिला और करोड़ों देशवासियों को लाभ मिला, लेकिन दलित आदिवासी समुदाय के वे करोड़ों परिवार, जिनको एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है 70 साल के अन्दर, उनको लाभ कैसे मिलेगा? क्या आज उस पर विचार करने का हमारा कर्तव्य नहीं है? आज 70 साल बाद भी वे उसी सड़ी-गली व्यवस्था में रह रहे हैं। क्या वहां से उनको बाहर निकालने का हमारा कर्तव्य नहीं है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लोग बैठे हुए

(श्री संयम लोढ़ा)

हैं, अपनी-अपनी पार्टी के अध्यक्षों से जाकर उनको बात करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि जो करोड़ों परिवार हैं देश के जिनको एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, आने वाले वक्त में उनको आरक्षण का लाभ कैसे मिले, यह हम सुनिश्चित करें।

माननीय सभापति महोदय, बराबरी, न्याय, समानता। हम चारों तरफ देखें क्या हाल है हमारी शिक्षा के, हमने कहां पहुंचा दिया? भारत की पार्लियामेंट के अन्दर हमारा मैम्बर आफ पार्लियामेंट 12 रुपये में सब्सिडी वाली थाली खाता है और हम एम्स में बच्चों की फीस बढ़ाना चाहते हैं, हम जे.एन.यू. के अन्दर बच्चों की फीस बढ़ाना चाहते हैं, यह बराबरी देना चाहते हैं? यह जो इंस्टीट्यूशन खुले हैं ट्यूशन के, फलां कहां से, फलां कहां से, बराबरी का अधिकार कहां है? क्या हमारी सरकार को आगे आकर वे गरीब परिवार जिनके बच्चों का मां-बाप खर्चा नहीं उठा सकते, इन्हीं इंस्टीट्यूशन के अन्दर अगर वे खर्चा नहीं उठा सकते तो क्या हमारी सरकारें आकर उठाएंगी? अगर हम उठाएंगे तो ही बराबरी का वातावरण होगा।

माननीय सभापति महोदय, हम कम्प्यूटर यूज करते हैं, हम ए.सी. में बैठते हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं, हम इन्टरनेट यूज करते हैं लेकिन टैक्नोलोजी और कामों के लिए भी है। गटर जिसकी हम सफाई करवाते हैं, क्यों हम टैक्नोलोजी का उस गटर लाइन की सफाई करने में उपयोग नहीं करते? क्यों हम टैक्नोलोजी के जरिए उसकी सफाई नहीं करवाते? देश में हम रोजाना पढ़ते हैं, साल में हजारों की तादाद में मौतें उस गटर की घुटन से हो जाती हैं, उस गटर की गैस हो जाती है, उस गटर में डूबकर हो जाती है, 70 साल का हमारा संविधान और हमारा प्रजातंत्र यह बराबरी भी खतम नहीं कर सकेगा तो, माननीय सभापति महोदय, आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेगी।

(13.57 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

एक्सीडेंट हो गया, घायल पड़ा है, पड़ौस के प्राइवेट हास्पिटल में ले जाना है, पैसे नहीं हैं, उसकी हैल्प कौन करेगा? माननीय सभापति महोदय, आप पता करिये सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकारें आगे आएं कि दुर्घटना के मौके पर जो

(श्री संयम लोढ़ा)

नीयर बाई प्राइवेट हास्पिटल हो उसमें पैसा हो कि नहीं हो, अगर उसमें उस व्यक्ति का इलाज होगा तो उसका खर्चा सरकार उठायेगी। ऐसे सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं, रास्ते में दम तोड़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, “WE THE PEOPLE OF INDIA” हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकार कर रहे हैं। मैं पूछ सकता हूं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्दर वैदिक धर्म पढ़ाने के लिए फिरोज खान नाम के व्यक्ति का प्रोफेसर के रूप में चयन हुआ। वे कौन लोग हैं। वे कौनसे प्रोफेसर हैं और कौनसे स्टूडेंट्स हैं जो एक शिक्षक के चयन का विरोध कर रहे हैं? कौनसे संविधान में लिखा हुआ है कि आप धर्म के आधार पर किसी का चयन करेंगे, धर्म के आधार पर आप किसी को पढ़ाने से रोकेंगे, धर्म के आधार पर आप किसी को पढ़ने से रोकेंगे? माननीय सभापति महोदय, क्या हमारे 70 साल के संविधान की यह उपलब्धि है, 70 साल के हमारे प्रजातंत्र की यह उपलब्धि है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बहुत जिक्र हुए 1975 के भी हैं, और भी इस तरह की घटना हुई, मैं मानता हूं वह एक गलती थी, वह नहीं होनी चाहिए और इस गलती को स्वीकार भी किया गया। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आपने क्या सीखा, आपने आने के बाद क्या किया? क्या किया मणिपुर में, क्या किया गोवा में, क्या किया कर्नाटका में, क्या किया मुम्बई में? क्या आपने सर्वोच्च न्यायालय ने जो समय-समय पर निर्णय दिये, जो अलग-अलग कमीशन बनाये गये, राजामन्नार कमेटी, प्रशासनिक सुधार आयोग 1969, सरकारिया आयोग, किसी की पालना की? यह निर्देश है कि आप किसी भी स्टेट का गवर्नर अपोइंट करें तो सम्बन्धित चीफ मिनिस्टर को कन्सल्ट किया जाए और इसको स्वीकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है, आयोग की रिपोर्ट में है, कमेटी की रिपोर्ट में है।

(14.00 बजे)

और यह भी है साथ में कि किसी पोलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हो। आप क्या कर रहे हैं? राजस्थान के अंदर तो पूर्व राज्यपाल ने आदर्श आचार संहिता का चुनाव के अंदर उल्लंघन किया था तब आपको ध्यान नहीं आया कि संवैधानिक कर्तव्य नाम की भी चीज है। डाक्टर अम्बेडकर ने क्या लिखा, Dr. B.R. Ambedkar described how a Governor should

(श्री संयम लोढ़ा)

use his discretion not as "representative of a party" but as "the representative of the people as a whole of the State". लेकिन क्या उसकी पालना हो रही है माननीय सभापति महोदय?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां नियम है कि संवैधानिक उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की चर्चा सदन में नहीं की जा सकती। माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय का नाम ले-लेकर इंगित कर रहे हैं, इनको रोकिए आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह पूर्व राज्यपाल हैं। यहां पर चर्चा किस पर हो रही है? संविधान पर हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उच्च पदों पर रहे हुए किसी भी व्यक्ति की चर्चा सदन में नहीं की जा सकती, यह अध्यक्षीय व्यवस्था है। हमारे संसदीय कार्य नियमों में लिखा हुआ है, इनको नहीं करनी चाहिए। इसके बाद भी आप अलाउ करें तो करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मई, 1979 को जब आपकी सरकारें थी देश में, तब हरगोविन्द पंत बनाम डाक्टर रघुकुल तिलक मामले में कहा था, Governor's office is not subordinate to the Government of India और आपने क्या किया महाराष्ट्र में? आधी रात को मुख्य मंत्री पैदा कर दिया? सुबह होते-होते वह विधवा में बदल गया। पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में आपने भारत का सिर शर्म से झुका दिया। जिस प्रजातंत्र का गौरव है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जिस व्यक्ति को आपने मुख्य मंत्री स्वीकार किया उन्होंने आपके नेता के बारे में क्या कहा, आपने देखा है? उनका बयान है, +++ 14 अप्रैल, 2019 को कहते हैं, +++ यह बयान है, 18 सितम्बर, 2019 को +++ कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आपने मुख्य मंत्री स्वीकार किया शिवसेना के, उद्धव ठाकरे को।

श्री सभापति: इसको एक्सपंज कर दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किस मुंह से बोल रहे हैं आप?

श्री सभापति: वे शब्द एक्सपंज कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हम जिस संविधान की चर्चा कर रहे हैं, उस संविधान में भगवान महावीर का भी एक

(श्री संयम लोढ़ा)

फोटो लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है, अहिंसा परमो धर्म, क्षमा वीरस्य भूषणम्, क्षमा कर दिया। (व्यवधान) राहुल गांधी का दिल बड़ा है, आप जैसा छोटा थोड़े ही है कि अहम, हम ही बनेंगे मुख्य मंत्री, चाहे हमें एनसीपी से जिसको नैचुरली करप्ट पार्टी कह रहे थे, जिस अजीत पवार को पानी पी-पीकर जेल भेजने की बात कह रहे थे उसकी बगल में जाकर रात को दो बजे बैड शेयर कर रहे हो? या पावर शेयर रहे हो? पूरे हिन्दुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदा किया, आपने नहीं, आपके प्रधान मंत्री ने शर्मिंदा किया, देश को बताइए किस वक्त कैबिनेट की मीटिंग हुई? किस वक्त निर्णय हुआ कि राष्ट्रपति शासन हटेगा? यह तो धन्यवाद देता हूं सर्वोच्च न्यायालय को कि जिसने एक आदेश पारित किया और इस देश को, वहां के प्रदेश को, प्रजातंत्र को बचाने का काम किया। आप अब भूलिए मत, सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने पिछले साल प्रेस कांफ्रेस करके कहा कि प्रजातंत्र खतरे के अंदर है। सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति सरकार के इशारे पर मुकदमों को लगा रहा है, मुकदमों की लिस्टिंग कर रहा है। ऐसी शर्मनाक घटना भारत के 70 साल के प्रजातंत्र के इतिहास में ही नहीं हुई, माननीय उप नेता महोदय।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रदेश में आप भैरोंसिंहजी की बहुत तारीफ करते हैं। इसी राजस्थान के गौरवशाली सदन में, इसी पवित्र सदन में, सबसे पहले पंचायती राज में सूचना का अधिकार इन्होंने देने का निर्णय किया। आपने क्या किया? भारत सरकार के आने के बाद सूचना के अधिकार कानून के अंदर आपने संशोधन किया, आपने सारे अधिकार ले लिए। आपने नियुक्ति के अधिकार ले लिए, आपने तनख्वाह के अधिकार ले लिए। इससे संविधान मजबूत होगा? इससे प्रजातंत्र मजबूत होगा? आप क्यों जानकारी छिपाना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, यह अवसर हमें उपलब्ध कराया है, इसलिए उपलब्ध कराया है कि हम लोगों को मजबूत करें। नागरिकों को मजबूत करें, प्रजातंत्र को मजबूत करें। प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट में आपकी सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया। आपने नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से वंचित कर दिया, आपने उस लड़ाई को कमजोर करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, चुनावी बाण्ड, एक तरीका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, बहस किस पर हो रही है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बहस हो रही है संविधान पर। (व्यवधान) बहस हो रही है संविधान पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर राजनीतिक विषयों पर बहस करानी है, तो फिर आज के दिन इस सदन की गरिमा को गिराने का काम करना है? यह चुनावी बाण्ड इसमें लिखा हुआ है? माननीय सभापति महोदय, आप इनको अलाउ करते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अध्यक्षीय व्यवस्था हुई थी, हमें संविधान के हमारे कर्तव्यों पर गरिमामय बात करनी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चुनाव आयोग ने जिस पर एतराज किया, चुनाव आयोग ने जिस पर एतराज किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कभी मुख्य मंत्रीजी का नाम लेते हैं तो कभी प्रधान मंत्रीजी का नाम लेते हैं। (व्यवधान) इस सदन में आप क्या और किस प्रकार का करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रधान मंत्री कोई भगवान नहीं है। (व्यवधान) प्रधान मंत्री कोई भगवान नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह क्या तरीका हुआ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रधान मंत्री को लोगों ने चुना है। दस बार कहेंगे, दस बार नाम लेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): फिर नहीं बोलने देंगे हम इनको, यह क्या तरीका है? (व्यवधान) यदि इसी तरह से बहस करनी है तो हम बाहर चले जाएंगे। (व्यवधान) यदि इसी प्रकार से बहस करानी है तो इस सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। कोई औचित्य नहीं है हमारा। (व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, यह कोई कबड्डी का मैदान है क्या? यह सदन है, ऐसे हम कैसे इनकी बात को बर्दाश्त करेंगे? क्या तरीका है यह? (व्यवधान) मीठा-मीठा गप्प-गप्प, खारा-खारा थू-थू। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक के बाद एक बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, +++ ...(व्यवधान) उसको आप मुख्य मंत्री बना रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, सभापति महोदय।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): यह कोई मर्जी थोड़ी है जो मन में आए बोलें। (व्यवधान)

श्री सभापति: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा कि टू द पाइंट आप कनक्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, इनके पेट में दर्द उठ रहा है। चुनाव आयोग ने लिखित में जिस चुनावी बाण्ड पर एतराज किया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह गलत बात है, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चुनाव आयोग कांस्टीट्यूशनल बाडी है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, हम ऐसे नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इस सदन की कार्यवाही को कलंकित करना है, सदन की गरिमा को तार-तार करना है तो इनको अलाउ कीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने, माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को इसके बारे में इंगित कर दिया है कि Kindly speak only on the target. (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने जो कुछ फर्माया, उस पर हमारी सहमति है कि संविधान पर ही चर्चा होनी चाहिए लेकिन यहां पर विपक्ष के लोग जो बोले वह संविधान पर तो कम बोले, प्रधान मंत्री की स्तुति पर ज्यादा बोले। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपकी मर्जी से प्रधान मंत्री नहीं हैं, देश की जनता ने प्रधान मंत्री चुना है उनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आज के दिन हम बहिर्गमन नहीं करना चाहते, हम बहिर्गमन नहीं करना चाहते, हम आज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के दिन को कलंकित नहीं करना चाहते, इसलिए मजबूर मत करो हमें। हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे अगर इस तरह से बकवास हुई तो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने उनको, माननीय सदस्य को अवगत करा दिया है कि टू द पाइट बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो माननीय सभापति महोदय, नो। हम वैल में भी नहीं जाना चाहते आज के दिन, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष को अगर इतनी तकलीफ है तो मैं चुनावी बाण्ड पर नहीं बोलता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के दोनों दलों से विनती करना चाहता हूं, आप राजनीतिक पार्टी को जो चंदा मिलता है उसको आरटीआई के दायरे में लाइए, आप देश की जनता को बताइए कि आपको किस पार्टी के लोगों ने चंदा दिया है। इसका मालूम पड़ना चाहिए, यह सारी प्रक्रिया जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वह इसलिए की गयी कि पैसा सिर्फ हमको मिले, दूसरी पार्टियों को कुछ नहीं मिले और जो दे उसका नाम हमको पता चल जाए तो उनको हम रगड़ सकें। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आज की इस पूरी चर्चा में कहीं किसान का नाम नहीं है, कहीं किसान का भाव नहीं है, ...(व्यवधान) आज तक सरकार को बनाया है किसान ने, ...(व्यवधान) पूरी फसल के कितने भाव देंगे, कोई नियम नहीं बना है। संविधान की बात होती है, किसान के भाव की बात नहीं होती है। संविधान में कहीं नहीं है कि हम किसान की इतनी फसल खरीदेंगे, ...(व्यवधान) यहां संविधान की बात होती है, किसान को कितने भाव मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कितने खरीदेंगे, 25 क्विंटल खरीदेंगे, किसान को बर्बाद करेंगे, सरकार की बात करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, Kindly, just I am ......please.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ...(व्यवधान) आप इनको बैठाओ तो सही। (व्यवधान) मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, You are speaking so well.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं जब बोलता हूं तो कभी ये खड़े हो जाते हैं तो कभी वे खड़े हो जाते हैं।

श्री सभापति: मैं माननीय सदस्य को इंगित कर रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश से कि 70 साल के बाद भी लोगों के दिमाग से हम जाति का घमंड खतम नहीं कर पाए। जाति का घमंड खतम नहीं कर पाए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 70 साल के बाद आज भी कोई कानून नहीं बना है। कोई भी सरकार हो, 70 साल के बाद भी किसान के लिए भाव का कानून नहीं बना है। ऐसे सदन के लिए हम संविधान की बात कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। किसान के लिए कोई फसल के भाव की बात नहीं है। फसल उजड़ रही है। मुआवजे की कोई बात नहीं हो रही है। किसान के सम्बन्ध में कानून की बात नहीं हो रही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हम अपने दिमाग से 70 साल के बाद भी जाति का घमण्ड नहीं छोड़ पाये हैं। जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर हम खुद को बड़ा समझते हैं। संविधान की सार्थकता तब होगी, जब जन्म के आधार पर इस देश में लोगों का शोषण बंद होगा। जब जन्म के आधार पर नीचे बैठाना बंद होगा, जन्म के आधार पर उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करना बंद होगा। यदि यह नहीं होता है तो चाहे जितनी भी सरकारें आएं, वे सब विफल हैं। इसलिए मैं विनती करूंगा आज यह सदन संकल्प करे कि हमें इस समाज को जातिविहीन समाज की तरफ आगे ले जाना है।

अंत में डा. अम्बेडकर ने जो एक बात कही है, उसे कोट करूंगा। यह उन्होंने 25 नवम्बर, 1949 को किया था। इससे यह मालूम पड़ेगा कि वे कितने बड़े दूर-दृष्टा थे, कितने बड़े युग-दृष्टा थे। "The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not "to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with power which enable him to subvert their institutions". There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered life-long services to the country. But there are limits to gratefulness. For in India, Bhakti or what

(श्री संयम लोढ़ा)

may be called the path of devotion or hero-worship, plays a part in its politics unequalled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul."

श्री सतीश पूनियां (आमेर): यह भी बताएं 'India is Indira. Indira is India' किसने कहा था?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 'But in politics Bhakti or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictator-ship" जय भीम, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, आज बड़ा गौरव का दिन है। 26 नवम्बर को हमारा संविधान दिवस आया और पूरे देश में पालिटिकल पार्टियों से ऊपर उठकर सब लोगों ने संकल्प लिया कि किसी भी पालिटिकल पार्टी की कहीं भी सरकार हो, विधान सभा का अधिवेशन बुलाकर हमारे जो कर्तव्य संविधान के प्रति हैं, देश के प्रति हैं, उन पर चर्चा करना और चर्चा के बाद नया संकल्प लेना और संकल्प इस बात का लेना कि आजादी के इतने वर्षों में संविधान लागू होने के बाद हमसे यदि कोई गलतियां हुई हैं तो उनमें हम सुधार करें और सुधार करके एक नया संकल्प पारित करें। संकल्प इस बात का हो कि न हिंदू है न मुसलमान है, न सिख है न ईसाई है, सबसे पहले 'मेरे हिन्दुस्तान' का नारा हम बुलंद करें। यह नारा कोई मेरा नहीं है। यह कोई आज का नारा नहीं है। यह उस वक्त का है, जब आजादी के सिपाही भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पण्डित नेहरू के नेतृत्व में, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में सब लोग मिलकर लड़े। तब जाति और धर्म का झगड़ा नहीं था। तब वोट का झगड़ा नहीं था। तब राजनीति का झगड़ा नहीं था। तब झण्डों का झगड़ा नहीं था। तब एक ही संकल्प था। मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरे देश को आजादी मिलनी चाहिए। ऐसे आजादी के दीवाने जो भारत मां के लिए लड़ रहे थे, उन्हें यह भी पता नहीं था कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। जिस दिन आजादी होगी, उस दिन मेरी भूमिका होगी या नहीं, लेकिन उसके मन में एक संकल्प था, जज्बा था कि जब मेरा देश आजाद हो

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

जाएगा और नयी पीढ़ी आएगी तो उसके मन में एक भावना यह होगी कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, वह एक आजाद मुल्क है, वह हमारा मुल्क है।

आज के दिन बात-बात पर खड़े होकर हम एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आज एक नया संकल्प पारित होना चाहिए। साफ लिखा हुआ है संविधान में। संविधान में जो कर्तव्य हैं ये सबके पास पहुंचे हैं। संविधान का पहला कर्तव्य है जिसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 51 (क) के 'क' में- 'संविधान का सब लोग पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें।' दूसरा कर्तव्य है- 'स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें'। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, उन्हें हम हमेशा अपने दिमाग में रखें, हृदय में रखें। उनके विचारों, उनकी सोच को हमेशा अपने हृदय में रखें। इससे बड़ी बात कर्तव्यों में क्या हो सकती है।

हमारा विचार, हमारा धर्म, हमारी सोच, हमारा संविधान साफ दर्शाता है, लेकिन यह संविधान बना कैसे? इतना अच्छा संविधान बनाने के विचार कैसे आये? यह सोच, यह परम्परा लोगों के दिमाग में तब आ गयी थी, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और आजादी की लड़ाई की पूरी सोच इसमें नजर आती है। उस वक्त यह सोच नहीं थी कि सत्ता किसे मिलेगी, प्रधान मंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा। पण्डित नेहरू के लिए जब चर्चा होती है तो मुझे बड़ा दु:ख होता है। वे जितने समय प्रधान मंत्री रहे, लगभग उतने ही समय जेल में रहे। पण्डित नेहरू सिर्फ इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री नहीं थे, वे इस देश की ऐसी महान विभूति थे, जिन्होंने स्वयं और जिनके परिवार ने अपना सब कुछ आजादी के आंदोलन में दान कर दिया। यह अलग बात है कि बाद में कांग्रेस पार्टी बनी और उसके बाद वे प्रधान मंत्री बने, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो महान विभूतियां, चाहे वे कांग्रेस में रहीं, चाहे किसी और पार्टी में रहीं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम उन्हें पार्टियों में बांटकर नहीं तोल सकते।

जब भी चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, अशफाक उल्ला खां की बात होती है, तब हिन्दू और मुसलमान की बात नहीं होती। मैं

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

आज आपसे गारंटी से कह सकता हूं कि जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसकी एक भावना थी। आज भी जब खून चढ़ता है तो ग्रुप के आधार पर चढ़ता है, हिन्दू और मुसलमान के आधार पर इस दुनिया का कोई भी संत, कोई भी बड़े से बड़ा फकीर यह तय नहीं कर सकता कि हिन्दू का खून हिन्दू को चढ़ा दें। कोई नहीं बोल सकता। आज इस वक्त जब यह देश बदल रहा है, ऐसे में हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि इस देश में हम सदन में खड़े होकर एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं।

एक दिन इसी सदन में बहस हो रही थी। मैं सच कह रहा हूं, उस दिन मैं दिल से खड़ा होकर बोला। मुझे बड़ा दु:ख हुआ। रास्ते में भीड़ यदि किसी एक बच्चे को मारती है, किसी आदमी को मारती है, किसी महिला को मारती है, जब भीड़ मार रही होती है तो उधर से गुजरकर जाने वाला यह नहीं जानता कि इसकी जाति और धर्म क्या है, लेकिन जो रोकता है, बचाता है, वह सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, भीड़ को किसी के ऊपर अपराध करने का अधिकार नहीं है। जब मॉब लिंचिंग जैसे कानून बनते हैं, तब भी हम उन्हें धर्म और जाति में बांटकर देखते हैं। इसी राजस्थान की विधान सभा में जब मॉब लिंचिंग का कानून पास हुआ, जिन लोगों ने टीवी पर जुल्म को देखा, उसमें हिन्दू भी भीड़ से पिटा है, मुसलमान भी पिटा है, सिख भी पिटा है और ईसाई भी पिटा है। बच्चा भी पिटा है महिला भी पिटी है। जिसने भी वह देखा है, उसने कहा कि आज राजस्थान विधान सभा में बहुत बड़ा धर्म का काम हुआ है। वह कानून यहां से पास हुआ। उस कानून पर भी जब बहस होने लगी और विपक्ष के सदस्यों ने खड़े होकर कहा तो मैंने कहा- हम हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में बने हैं। पहले यह दुनिया बनी, उसके बाद धर्म बने और उसके बाद जातियों में भी हम बंट गये, लेकिन इन सबके बावजूद हमारी इंसानियत नहीं बंटनी चाहिए। कम से कम यह फैसला तो हमें करना ही होगा कि हमारे संविधान की मूल धारा एक ही है। भेदभाव हम नहीं कर सकते।

जिस दिन यह तिरंगा बना, आप उनकी सोच देखिए कि कितनी जबरदस्त थी, इस देश की आन-बान-शान, स्वाभिमान, शौर्य और वीरता के प्रतीक केसरिया को सबसे ऊपर तिरंगे में लेकर आये, यह सोच थी उन

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

आजादी के दीवानों की। उसके बाद सफेद रंग लेकर आये शांति के प्रतीक के रूप में। भारत आन, बान और शान की लड़ाई लड़ेगा, दुनिया के सामने केसरिया सबसे ऊपर रखते हुए झुकेगा नहीं लेकिन जहां शांति, अमन-चैन की बात होगी तब भारत बीच में सफेद रंग के जरिये सबसे आगे सफेद को रखता है कि हम शांति और अमन को पसन्द करते हैं। उसके बाद हरा रंग लेकर आये हरियाली और विकास के प्रतीक के रूप में। इस देश में हरियाली होनी चाहिए, सब तरफ हरा-भरा होना चाहिए और उसके बाद बीच में चक्र दिया कि हमेशा सबकी सोच एक होनी चाहिए, हमें चलते रहना है, इस भारत को इस चक्र की तरह दौड़ाना है और दुनिया में सबसे आगे लाकर खड़ा करना है। उस वक्त हमारे आजादी के सिपाहियों ने मन में एक जज्बे के साथ हमारा तिरंगा तैयार किया और इस देश में, इस प्रदेश में, 125 करोड़ के इस मुल्क में आज भी हमारा संविधान हमें एक बात सिखाता है कि धर्म और जाति के नाम पर तो कोई बंटवारा ही नहीं है, कोई भेदभाव ही नहीं है। अब हम सबका कर्तव्य बनता है, संविधान की मूल भावना है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर आप धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते। आज के दिन सबको संकल्प लेना चाहिए कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि यदि हमारा कोई धर्म सबसे बड़ा है तो वह तिरंगा हमारा सबसे बड़ा धर्म है उसमें हमारा सबका केसरिया भी है, सफेद भी है और हरा भी है।

आज तो एक बात मुझे बता दीजिये कि हमारे संविधान के अनुसार हमारा मूल अधिकार अभिव्यक्ति का है और सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। आपको विचार पसन्द नहीं आते हैं तो आप पसन्द मत कीजिये लेकिन विचार रखने दीजिये और विचारों में भी इतिहास में कोई घटना घट गयी, जिस तारीख को घट गयी उस इतिहास की घटना को आप नहीं मिटा सकते। किसी तारीख को घट गयी और कोई बुक लिख दी गयी। हम खड़े होकर कह दें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान, ऐसी विभूति, ऐसा महान व्यक्तित्व जिन्होंने देश के संविधान निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई लेकिन दुनिया जानती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आगे बढ़कर प्यार, सम्मान और उनके ऊपर भरोसा उस वक्त महात्मा गांधी, पण्डित नेहरू ने जताया। वे जानते थे कि इस देश में समानता की, भाईचारे की मिसाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रखेंगे। महात्मा गांधी और पण्डित नेहरू की सोच के कारण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वही सोच

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

संविधान में रखी जो महात्मा गांधी, पण्डित नेहरू और देश की सोच थी। आज उस सोच पर इस सदन में खड़े होकर सामने वाले यदि बोल गये तो झूठी बात हम प्रस्तुत करें कि आपने ऐसा कह दिया था जिससे मेरी बात यह अंकित हो कि उन्होंने ऐसा कहा था और वह बात अखबारों में आये, इससे क्या तारीफ हो जाएगी? क्या हो जाएगा इससे? बार-बार हम यह कहें कि कल हंगामा होगा, गांव-गांव में हंगामा होगा और सीनियर सदस्य ही यह कहे। संविधान दिवस के दूसरे दिन आप एक सीनियर सदस्य की बात को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत कर कौनसा कर्तव्य संविधान के प्रति निभा रहे हैं? क्या कर्तव्य निभाना चाहते हैं? तोड़-मरोड़कर आप इस सदन का मिस-यूज़ कर रहे हैं, यह संविधान के प्रति आपका कर्तव्य नहीं है। जो भी इस दुनिया में आया है वह जाएगा लेकिन कोई एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन हमारे संविधान पर चर्चा हो रही हो उस दिन हम सच बोलें। दुनिया जानती है कि इस देश में महात्मा गांधी की हत्या हुई, खुलेआम हत्या हुई नाथूराम गोडसे ने हत्या की। खुद प्रधान मंत्री बोले कि यदि कोई महात्मा गांधी के हत्यारे की तारीफ करेगा तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा। उसके बाद भी हम पार्टियों में बंटकर राष्ट्रपिता के हत्यारे के लिए संकल्प पारित नहीं कर सकें। आज के दिन हमारा कर्तव्य होना चाहिए, सदन के नेता गहलोत साहब बैठे हैं, प्रतिपक्ष के उप नेता बैठे हैं, पाप धोना चाहते हो तो एक संकल्प पारित करो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिन लोगों ने हत्या की, ऐसी हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सोच उसी को कहते हैं। प्रधान मंत्री से बड़ा कौन है? इस वक्त चर्चा यह नहीं हो रही कि आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी बड़े हैं या कौन छोटा है, कौन बड़ा है। संविधान के दायरे में आदरणीय प्रधान मंत्री जी भी हैं, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी भी हैं। जब वे मुख्य मंत्री थे, आप मुख्य मंत्री थे, मैंने फोटो देखा जो बहुत चलता है फेसबुक पर जिसमें आप दोनों गले मिल रहे हैं। मुख्य मंत्री रहे हैं साथ। वे प्रधान मंत्री बन गये, आप एक बार फिर मुख्य मंत्री बन गये इसका मतलब यह थोड़े ही है आपस में इतनी रंजिश हो गयी कि हम सच को सच नहीं बोल पाएं।

इस देश के संविधान की बड़ी बात है कि समय-समय पर इस संविधान में परिवर्तन हुए हैं। बीच में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। आप सब देखते होंगे, आप बड़े स्कूलों में जाइये, राइट-टू-एजुकेशन, शिक्षा की अनिवार्यता का अधिकार, जो प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे,

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थीं, एक अधिकार आया, राइट-टू-एजुकेशन। जो भी बच्चा गरीब है वह किसी भी जाति, धर्म का हो, वह बड़ी से बड़ी स्कूल में एडमिशन के लिए फार्म भरेगा और 25 परसेंट एडमिशन उन बच्चों को मिलने लगा जो ठेले वाले का बच्चा है, रिक्शे वाले का बच्चा है, कच्ची बस्ती में रहता है, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है लेकिन उसको अधिकार मिला। यह बड़ी सोच थी। मान लो कुछ संविधान में जरूरत थी तो समय पर आये। राइट-टू-इन्फार्मेशन, सूचना का अधिकार, इतना बड़ा अधिकार। हर आदमी की सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। राइट-टू-फूड, रोटी का अधिकार, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, इतना बड़ा कानून। राजस्थान में एक कानून बना, मैंने अभी कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि यह कानून पार्टियों से ऊपर है, वह बना हुआ है, आपने लागू करने की पूरी कोशिश की और वह पूरा और लागू हो जाए जिसमें जो धारा है, लोक सेवा गारंटी कानून। ऐसा कानून, एमएलए, एमपी ने, मुख्य मंत्री ने, कोई भी काम यदि किसी अधिकारी के पास गया तो लोक सेवा गारंटी कानून के तहत उसको उतने दिनों में जवाब देना होगा। वह कानून उस समय आपने बनाया लेकिन बीजेपी की सरकार बनी हो तो उनके लिए भी फायदेमंद मतलब जनता के लिए, कांग्रेस की बनी हो तो भी फायदेमंद।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि राइट-टू-एजुकेशन 86वां संशोधन आया था वह 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आया था, आपके समय में नहीं।

श्री सभापति: माननीय गर्ग साहब, इंटरप्ट न करें कृपया। माननीय गर्ग साहब, काइंडली डोंट इंटरप्ट।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, जब मैं बोल रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं मेरी तरफ से मैं यह संकल्प लेकर खड़ा हुआ कि एक भी बात झूठ नहीं हो लेकिन आज हमारे यहां से भी संकल्प पारित हो। लोगों को लगना चाहिए कि आज बहस बीजेपी और कांग्रेस में नहीं हुई, आज हिन्दुस्तान के संविधान के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए राजस्थान की विधान सभा के उन सदस्यों ने पार्टीबाजी से ऊपर उठकर बहस की है जो राजस्थान और देश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन संविधान के अन्तर्गत सेवा करना चाहते हैं और संकल्प कुछ भी हो कि हम यदि घोषणा पत्र में कोई बात कहेंगे तो उसको लागू करेंगे। महात्मा गांधी के ऊपर संकल्प हो, आजादी के

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

आन्दोलन के प्रति संकल्प हो। मैं यह नहीं कह रहा हम यह संकल्प लें कि हम एक दूसरे को, हम बड़े हैं आप छोटे हैं। कोई भी कोंट्रावर्शियल बात होती है वह बात कोई भी कर सकता है। कोंट्रावर्शियल बात कोई भी कह सकता है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन कोई बात तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी राजनीतिक संकुचित विचारधारा सबके सामने नहीं आये। एक-दूसरे का सम्मान यहां पर सब करते हैं, यह राजस्थान की विधान सभा है। कोई भी मुझे फोन करेगा चाहे वह सदस्य बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, चाहे वह कांग्रेस-बीजेपी का नहीं हो और आम आदमी हो तो भी मैं उसका फोन उठाऊंगा। मैं ही नहीं, ऐसे अधिकतर लोग हैं जो उसकी बात सुनेंगे, करेंगे और बात पर डिस्कशन होगा। आज के दिन मेरा यह मानना है कि यह प्रतिस्पर्धा का टाइम नहीं है। सभापति महोदय, यहां से कई बार यह होड़ लग जाती है कि सदन से बाहर जब अखबारों में आवाज जाए तो यह लगना चाहिए कि हमने उनको दबा लिया और उनको यह लगना चाहिए कि हमने उनको दबा लिया। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि हानि-लाभ, यश-अपयश, जय-पराजय तो विधि हाथ है। डेस्टिनी जो चाहेगी, करेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता, कब किसके हाथ में क्या होगा, क्योंकि, कल का किसी को पता नहीं लेकिन आज बड़ा संकल्प होना चाहिए और वह संकल्प आजादी के आंदोलन में जिन सिपाहियों ने लड़ाई लड़ी और जो आजादी की सोच, जो आजादी का विचार था, वह इस संविधान में नजर आया। यही कारण था कि आजादी के आंदोलन के बाद, जब देश आजाद हुआ तो कहीं से भी बड़ी आवाज नहीं उठी, चुनौती देने की। क्यों नहीं उठी, जन समर्थन महात्मा गांधी, पं. नेहरू और आजादी के सिपाहियों के प्रति इतना जबर्दस्त था। हर राजा के पास फौज थी, सेना थी, लेकिन राजा लोग चुनौती नहीं दे पाए। वे समझ गये, देश बदल गया है। देश की जनता आजादी चाहती है, लोकतंत्र चाहती है और राजाओं ने आगे बढ़कर अपने आपको सरेंडर किया कि हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। जब इतना बड़ा आजादी का आंदोलन हो, हमारे यहां इतना जबर्दस्त, संविधान के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए।

इस देश में पहला बलिदान, आजादी के सबसे बड़े सिपाही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हुआ। उनको गोली लगी और गोली लगने के बाद उनके मुंह से एक शब्द निकला 'हे राम' और वे कितना बड़ा भजन गाते थे। वह भजन उस दिन सचिवालय में सारे लोग बैठे थे, मैंने पहली बार सुना, महात्मा

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

गांधीजी को जो भजन सबसे ज्यादा पसंद था और जो गा रहा था वह मुसलमान था। उसने यह बोला कि महात्मा गांधी के सबसे पसंद का भजन, 'चाहे हो गीता, वेद, कुरान, सबमें बसते राजा राम', राम का चरित्र ऐसा जो भजन महात्मा गांधी को पसंद था, उन्होंने कहा राम किसी को मारते नहीं, राम किसी से भेदभाव करते नहीं, इसलिए सब यदि भगवान राम के सिद्धान्त पर चलते हों, तो प्यार और प्रेम की भाषा सबको बोलनी पड़ेगी, आज संकल्प होना चाहिए। महात्मा गांधी का पहला बलिदान देश पर हुआ, उनकी हत्या हुई। उसके बाद दूसरा बलिदान हुआ, सबसे बड़े बलिदान में जिसको देखा गया, इस देश में पंजाब में आतंकवाद हो रहा था। पूरा देश चिंतित था, कांग्रेस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब चाहते थे पंजाब से आतंकवाद खतम हो, तब उस वक्त की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधीजी ने कहा था 'मैं रहूं या नहीं रहूं, चाहे मेरे खून का अंतिम कतरा बह जाए, लेकिन पंजाब से आतंकवाद खतम करके दम लूंगी' उसके तीसरे-चौथे दिन इंदिरा गांधीजी की हत्या हुई। उस हत्या से पूरा देश हिल गया और सबके सामने हुई, बड़ा बलिदान था। प्रधान मंत्री थीं, उसके बाद फिर उन्हीं के परिवार के पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। पूरी दुनिया ने देखा, आतंकवाद के कारण हुई, सरदार बेअंत सिंह की हत्या हुई।

आज इस सदन से प्रस्ताव पास होना चाहिए कि हम राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम सुरक्षा से समझौता नहीं करें। मैं नाम नहीं ले रहा, क्यों लें, सुरक्षा से क्यों समझौता हो। यदि राजेन्द्र राठौड़ साहब को सुरक्षा की जरूरत थी, अशोक गहलोतजी ने, सामने बैठे हैं मुख्य मंत्री जी, कह दें राठौड़ साहब, कभी सुरक्षा की बात आई तो आगे बढ़कर गहलोत साहब ने कहा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह सदन की परम्परा है। मेरा हर सदस्य सुरक्षित रहना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं। सदन में कितना भी झंझट हो जाए, राजनीति में हार-जीत हो जाए, जिस परिवार के एक नहीं, दो-दो बलिदान हो गये हों, जिनके कारण सुरक्षा एजेंसियां बनी हों, आज उनकी सुरक्षा से हम समझौता कर रहे हैं। क्या हम यह चाहते हैं कि अनहोनी हो? कोई गलत घटना हो, हम नहीं चाहते हैं। बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, सबकी सुरक्षा हो, सब सुरक्षित हों। लोगों में, अपराधियों में, आतंकवादियों में डर होना

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

चाहिए, हमारे संविधान का, हमारी सरकार का, हमारी एजेंसियों का लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए, संविधान में तो लिखा है खुलकर आप भेदभाव करके और इसमें यह साफ लिखा है हमारे कर्तव्यों में.. कामरेड, अभी आपका नम्बर आएगा। हमारे कर्तव्यों में लिखा हुआ है किसी भी सुरक्षा के लिए जो एजेंसियां बनी हैं, देश के लिए जो एजेंसियां बनी हैं, हम उनको राजनीतिक आधार पर यूज़ कर सकते हैं। आज इस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब हैं। सरकार कांग्रेस की भी आएगी, बीजेपी की भी आएगी, हम यदि इन एजेंसियों का एक-दूसरे के लिए उपयोग करेंगे, इससे विधायिका कमजोर होगी। लोक सभा कमजोर होगी, विधान सभाएं कमजोर होंगी, मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के पद पर, केन्द्रीय मंत्रियों और मंत्रियों के पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, वे डरने लगेंगे। जनता उनको समझती है कि ये देवदूत हैं, सबसे बड़े हैं, वे भी यह सोचने लगेंगे कि ये एजेंसियां हमसे भारी हैं। कल हम सत्ता में नहीं रहेंगे, तो ये एजेंसियां हमारे खिलाफ काम करेंगी और दोनों पार्टियों पर यह लागू होगा, इसलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनको हम बढ़ावा देकर, थोड़े दिन के लिए संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन देश के संविधान को और लोकतंत्र को इतना कमजोर कर देंगे कि जिस दिन विधायिका कमजोर हो जाएगी, उस दिन जो लोकतांत्रिक संविधान है, उस संविधान के लिए चुनौती होगी।

आज के दिन हमारा संकल्प होना चाहिए राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, धर्म और जाति से ऊपर उठकर। हम सब एक संकल्प लेते हैं, कहीं पर भी कोई भी बात होगी तो यह राजस्थान की विधान सभा इस संविधान के सम्मान में जो भी फैसला करना होगा, देश के हित में हमेशा संकल्प पारित करेगी। आज जब संविधान पर बहस हो रही है तो मुझे यह उम्मीद है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनकर, उसके बाद सदन के नेता ने मुझे मंत्री बनाया, मैं मंत्री बना और इसी सदन में प्रतिपक्ष के उप नेता हैं, मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोतजी, उप मुख्य मंत्री सचिन पायलटजी अभी हैं नहीं, प्रदेश अध्यक्ष, धारीवालजी, कल्ला साहब, रघुजी, कटारियाजी, तमाम लोग सब बैठे हैं। लाखनजी बसपा के हैं, हर उम्र के... अच्छा बसपा का कोई नहीं, सारी, कांग्रेस का है। राजेन्द्र सिंहजी गुढ़ा सारी, मैंने माफी मांग ली, भाई लाखन सिंहजी म्हाके सागे पढ्योडा, दोस्त है, आपने कोई दिक्कत कोनी, बस ठीक

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

है। आप म्हारे सागे, बी टाइम का है, यूनिवर्सिटी का, मैं इसलिए कह रहा हूं, सब पाटियों का नाम ले रहा हूं, अब ये छह के छह लोग हमारे साथी हैं। कांग्रेस के साथी हैं। म्हाने पतो है, म्हारे मुंह से निकली बात न मत पकड़ो। बात ही पकड़ ली, तो मैं आप सबसे जितने भी सदन के लोग हैं, क्योंकि कल मुख्य मंत्रीजी और प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे और उसके बाद आप और हमको यह लगता है कि कौन देख रहा है, कौन पढ़ रहा है, सब देख रहे हैं और सब पढ़ रहे हैं, कई बार हम ज्यादा कट्टर होकर बोलते हैं तो भूल मत जाना।

सभापतिजी, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता की उपस्थिति में एक बात कह रहा हूं मुझे बड़ा सुख मिला, बड़ा सुकून मिला, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भगवान राम का मंदिर बनेगा, पूरे देश ने जब यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर होगा। उसके कुछ दिन पहले, ये कोई नाम नहीं ले रहा, कुछ लोगों ने कहा हम भरोसा नहीं करेंगे। बाद में प्रधान मंत्री बोले, सब लोग बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर होगा। आप मुझे यह बता दो, यह फैसला लिखा किसने, पांच जजों की कमेटी और पांच जजों में से एक जज ने भी, मुख्य मंत्री महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय और सभापति महोदय, एक भी सदस्य ने यह नहीं लिखा, राम के खिलाफ शब्द नहीं लिखा। हमें भी धर्म से ऊपर उठना होगा, सोच को हमें सुधारना होगा। उसमें एक जज मुसलमान था, लेकिन उसने राम के खिलाफ एक भी शब्द नहीं लिखा। आप देखो, एक शब्द नहीं और वहां पर पांचों में अलग-अलग थे। हम किस बंटवारे में पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं, एक पत्थर नहीं हिला, कोई लड़ा नहीं, कोई भिड़ा नहीं, सबने कहा इस देश का संविधान सबसे बड़ा है और देश का संविधान जो सबसे बड़ा है उसी संविधान के अनुसार फैसला हो गया। ऐसे में हमें उस वक्त भी ध्यान रखना चाहिए था। चाहे मैं हूं चाहे ये हों कि हम ऐसा कोई आंदोलन नहीं करें जिसमें हजारों लोग मारे जाएं, लेकिन फैसला फिर हमें सुप्रीम कोर्ट का ही मानना हो तो ऐसे आंदोलन का क्या मतलब। राम शांति चाहते हैं। राम देश का भला चाहते हैं। यही तो कारण है कि संविधान जब लिखा गया तब महात्मा गांधी और पण्डित नेहरू प्रधान मंत्री थे और संविधान में राम और कृष्ण के फोटो और जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत वह पेंटिंग करने वाले थे तो सोच तो यही पता चलती है। इसलिए वोट के लिए कम से कम अब हमारा संविधान यह कहता है कि वोट

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

के रास्ते में धर्म और जाति संविधान के अनुसार हम नहीं ला सकते। वोट के लिए किसी की भावना हम नहीं भड़का सकते। वोट के लिए दंगा नहीं करवा सकते। वोट के लिए कुछ भी हो जाए दंगा न हो, जाति के, धर्म के आधार पर तो हर विधान सभा और लोक सभा सदस्य की ड्यूटी है वह जाकर कहे कि आप हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारा संविधान सबको बराबर का हक देता है तो मैं आज यह उम्मीद करता हूं कि कल जब यह बहस सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता खतम करेंगे तब हम एक संकल्प लेकर उठेंगे कि आजादी के आंदोलन का सम्मान, संविधान का सम्मान और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने के लिए हम सब वोट की राजनीति में धर्म और जाति का वैर भाव नहीं लाएंगे और मिलकर इस देश के संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुसार प्यार और प्रेम की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो संविधान पर चर्चा की, जो राम मंदिर पर की, जो पांच जजों की कमेटी थी उन्होंने क्या-क्या राय दी। उन्होंने यह नहीं कहा कि एक ही राय दी है। निश्चित रूप से पांचों ने अलग-अलग राय दी है। यह भी सदन में पेश किया जाए। कम से कम हमें पता तो चले कि उन पांच जजों ने क्या-क्या अपनी राय दी है।

श्री सभापति: माननीय श्री सुभाष गर्ग। मेरा निवेदन है सभी माननीय सदस्यों से चूंकि समय सीमा पांच बजे तक निर्धारित है, इसलिए कृपया समय का ध्यान रखते हुए, मुझे पता है हाउस में एक से एक अच्छे वक्ता हैं। आप बहुत सीनियर हैं तो समय का ध्यान रखें। माननीय श्री सुभाष गर्ग।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूंगा इस सदन को कि आज हम ऐसे ग्रन्थ पर चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं जिसकी परिकल्पना स्वतंत्रता और स्वाधीनता आंदोलन के समय महान स्वतंत्रता सेनानियों ने और महापुरुषों ने की और एक ऐसा संविधान दिया जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से गीता, कुरान, बाइबल से ऊपर मानता हूं। आजादी के आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह से कल्पना करके एक दस्तावेज, उनके सपनों का दस्तावेज, कैसा भारत हो, इसकी परिकल्पना शुरू कर दी गयी थी 1940 से मैं मानना चाहूंगा और मैं इसके लिए महात्मा गांधी जी, पण्डित नेहरू,

(डा. सुभाष गर्ग)

पटेल साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद जी, बहुत सारे ऐसे लोगों का स्मरण भी करना चाहूंगा जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभायी।

माननीय सभापति महोदय, इसके पीछे मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूंगा। जो लोग यह कहते हैं कि हम 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं इस संविधान की और सत्तर वर्षों में कई बार यह आरोप भी लगाये जाते हैं कि इस देश को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं हुआ। जब हम भारतीय संविधान की गरिमा की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी वजह से हमारे देश का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है उसमें योगदान इन सत्तर वर्षों में अगर किसी पार्टी का रहा है तो वह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का रहा है जिसने पचास साल शासन किया और पचास साल से पहले स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनकी सोच की तारीफ मैं इसलिए करना चाहूंगा अगर संविधान सभा का हम वर्णन देखें और उस संविधान सभा में प्रतिनिधित्व की बात करें तो मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि लगभग 296 जो लोग थे, बाकी नोमिनेटेड लोग थे उसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 लोग, यूनियन पार्टी के 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम का 1, यूनियनिस्ट शिड्यूल्ड कास्ट का 1, कृषक प्रजा पार्टी का 1, अछूत जाति संघ का 1, सिख कांग्रेस का 1, साम्यवादी 1 और स्वतंत्र निर्दलीय लोग 8 थे और इन 296 लोगों ने, यह सोच है उस पार्टी की जो बात करते हैं बिना धर्म, जाति, वर्ग और भेद के, बिना क्षेत्रवाद के एक ऐसा रिप्रजेन्टेशन तैयार किया गया कि यह देश बहुरंगी संस्कृति का देश है। यह देश गंगा-जमुनी संस्कृति का देश है जहां विभिन्न खान-पान, वेशभूषा, भाषाएं बोली जाती हैं। अपने तौर-तरीके, परम्पराएं, सामाजिक रीति-रिवाज अलग हैं। राजनीतिक पार्टियां अलग हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक असमानता की खाई थी। ऐसी स्थिति में एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने की तैयारी उन लोगों ने की जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अपनी भूमिका निभायी और उनमें बहुत सारे लोग हैं चाहे वे सुभाष चन्द्र बोस रहे हो, चाहे मौलाना आजाद रहे हो, चाहे वे हमारे जिन्होंने शहादत दी थी, चाहे शहीद भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शहादत दी। शहादत के फलस्वरूप स्वतंत्रता सेनानी जो रहे और जो महापुरुष आजादी के नायक रहे, उन्होंने यह भूमिका तैयार की।

(डा. सुभाष गर्ग)

माननीय सभापति महोदय, इस रूप में मैं एक चीज का जिक्र और करना चाहूंगा कि किस तरह से एक व्यापक सोच के आधार पर इसको शामिल किया गया और उसमें अल्पसंख्यक वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा, नेपाली 1, सिख 5, पारसी 3, ईसाई 7, एंग्लो-इंडियन 3, पिछड़ी जनजातियां 5, अनुसूचित जातियां 33 और मुस्लिम 31, ऐसा दस्तावेज तैयार करने के लिए एक ऐसी रूपरेखा तैयार की गयी और जिसके अध्यक्ष उस संविधान सभा के माननीय पूर्व राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी को बनाया गया। ड्राफ्ट कमेटी की जिम्मेदारी माननीय डा. भीमराव अम्बेडकर साहब को दी गयी। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन मैं दो चीजों का जिक्र करना चाहूंगा इस संबंध में, एक तो पण्डित नेहरू जी का नाम लेना चाहूंगा जो नेहरू रिपोर्ट है और एक डिस्कवरी आफ इंडिया का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा जो पण्डित नेहरू ने करीबन 18 हजार किलोमीटर की यात्रा करके भारत की खोज तैयार की। वह नेहरू रिपोर्ट और भारत की खोज को अगर आप पढ़ लें तो पूरा समाहित इस भारतीय संविधान में मिलेगा। उसमें नो डाउट जो भारतीय संविधान के विशेषज्ञ थे चाहे सच्चिदानन्द सिन्हा थे, चाहे अय्यर थे और बहुत सारे लोग थे उन्होंने अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन में एक ऐसे संविधान की रचना की गयी और अंगीकृत किया गया 26 नवम्बर को, जिसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है कि उस संविधान के मूल्यों की रक्षा करें। संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देशिका दी गयी है जिसमें बड़े गौरव के साथ हमें अभिमान भी होता है। पूरे विश्व में मैं समझता हूं कि ऐसे संविधान की परिकल्पना कोई कर सकता था तो वे ही लोग कर सकते थे जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में अपनी शहादत दी और स्वाधीनता आंदोलन में भूमिका निभायी, जिन्होंने सभी धर्मों के, सभी वर्गों के, जाति के लिए काम किया।

मैं बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, संविधान एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है। संविधान में ऐसे प्रावधान किये गये हैं जिसमें आर्थिक समानता की बात कही गयी है। स्वतंत्रता की बात की गयी है। राजनीतिक न्याय की बात की गयी है। सभी धर्मों, जाति और उनके पिछड़े हुए लोगों के हितों की बात की गयी है। साथ ही साथ चार जो स्तम्भ हैं न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और चौथा स्तम्भ जो मैं मानता हूं मीडिया, इन चारों

(डा. सुभाष गर्ग)

की भूमिका भी निश्चित की गयी है। अगर हम अवलोकन करें 70 वर्षों का और उस रूप में देखें कि हमने क्या खोया, क्या पाया तो निश्चित रूप से हम सबको सोचना चाहिए। मेरे से पूर्व हमारे माननीय प्रतिपक्ष के उपनेता ने और माननीय सदस्यों ने भी बहुत सारी बातें रखी हैं लेकिन इन चार की भूमिका पर हमें विचार करना पड़ेगा। क्या वर्तमान दौर में जो चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों में माननीय संयम लोढ़ा जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि राज्यपालों का पद भी कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन है। चुनाव आयोग की चर्चा होनी चाहिए कि चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। वह भी कांस्टीट्यूशनल पद है। सी.ए.जी. का क्या रोल है। यह भी एक कांस्टीट्यूशनल पद है। एजेंसियां जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं वे सारे संवैधानिक व्यवस्था में हैं उन सब पर चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह उनकी कार्य प्रणाली में बदलाव आया है गत कई वर्षों में।

माननीय सभापति महोदय, एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं इस माध्यम से कि जिस बहुरंगी संस्कृति की हम बात करते हैं उसका प्रावधान निश्चित रूप से संविधान में दिया है। चाहे मूल अधिकारों की बात करें, मूल कर्तव्यों की बात करें, नीति निर्देशक तत्व जो राज्यों को दिये गये हैं उनकी बात करें, लेकिन सबसे बड़े जो खतरे हैं मैं बताना चाहूंगा जो चुनौतियां हैं मैं इतिहास में ज्यादा जाना नहीं चाहता लेकिन जो चुनौतियां आने वाली हैं जिनकी परिकल्पना पण्डित नेहरू ने भी की थी। डा. बी.आर. अम्बेडकर ने भी कही थी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने वह बात कही है। संविधान की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संविधान को यूज करने वाले लोग कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, वह क्या कहते हैं, क्या करते हैं? अच्छे लोग हैं तो अच्छा यूज होगा, खराब लोग हैं तो खराब यूज होगा।

मैं उसी संदर्भ में बताना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आ रही है कि भारतीय संविधान अगर वर्तमान में देखा जाए तो सर्वाधिक मजबूत संविधान है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और निश्चित रूप से जब भी कोई ड्राफ्ट बने, चाहे किसी नीति का बने, कार्यक्रम का बने तो हम बहुत सारी स्टडीज करते हैं कि देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, राज्यों में क्या हो रहा है। देश की या प्रदेश की भी नीति बनाते हैं तो हम

(डा. सुभाष गर्ग)

पूरा अध्ययन करते हैं कहां अच्छाई की चीजें हैं, उनको लेने का काम करते हैं। उस रूप में एक दस्तावेज तैयार किया गया और उसके बाद अगर वर्तमान में हम देखें, दो चीजें की गयी थीं संविधान का आधार है डिग्निटी आफ इंडीविजुअल और यूनिटी ऑफ नेशन। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं जब इंडीविजुअल की डिग्निटी ही नहीं रहेगी तो जो हम राष्ट्र की अस्मिता की बात करते हैं, वह कैसे रह पायेगी। आज इंडीविजुअल डिग्निटी पर सबसे बड़ा खतरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से है। मीडिया की स्वतंत्रता के माध्यम से कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो एक मिनट में कह दिया जाता है कि यह राष्ट्र विरोधी है, यह सोचनीय बात है। चाहे हम पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, सबको अधिकार है, सभी सदस्यों को अधिकार है कि जब तक इंडीविजुअल डिग्निटी मेन्टेन नहीं होगी तो राष्ट्र की डिग्निटी कैसे मेन्टेन हो पायेगी, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं।

दूसरा, यूनिटी आफ नेशन, मैं नहीं समझता कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी माननीय सदस्य विधान सभा का हो, संसद का हो, कोई भी व्यक्ति जो यूनिटी आफ नेशन के खिलाफ हो। हर व्यक्ति जिसने इस देश में जन्म लिया है या जो नागरिक है, किसी भी धर्म या जाति का हो, वह यूनिटी आफ नेशन के खिलाफ कभी नहीं बोला। राष्ट्रवाद की परिभाषाएं अपने-अपने अनुसार अलग हो सकती हैं, उस पर मतभेद हो सकते हैं लेकिन जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो राष्ट्र की एकता की बात करता है, डिग्निटी आफ इंडीविजुअल की बात करता है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, संवैधानिक संस्थानों के संरक्षण की बात करता है, संवैधानिक मूल्यों को प्रतिपादित करने की बात करता है, उनके प्रति संकल्प लेता है कि हम इनका पालन करेंगे, मैं उसको मानता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं भूतकाल की बात नहीं करना चाहता क्या गलतियां हुईं, गलतियों से हमको सबक लेना चाहिये और दुबारा गलती दोहरानी नहीं चाहिये, यह हमारा संवैधानिक दायित्व बनता है। आप देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कितने लेखकों, साहित्यकारों पर हमले किये गये। कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी, एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस पर हमको सोचना चाहिये कि किस तरह से लेखकों की हत्याएं कर दी गयीं, साहित्यकारों की हत्याएं की गयीं।

(डा. सुभाष गर्ग)

दूसरा, मैं पंडित नेहरू जी को धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने एक परम्परा कायम की थी विपक्ष की आवाज को कभी दबने नहीं दिया। अगर कोई व्यक्ति जीतकर नहीं भी आता था तो उनकी कोशिश रहती थी कि राज्य सभा के माध्यम से उस व्यक्ति को नोमिनेट किया जाए। ऐसे उदाहरण हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन आज भारतीय संसद में विपक्ष की अभिव्यक्ति को दबाया जाता है, विपक्ष की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतम किया जाता है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिये कि हम किस तरह संविधान की रक्षा की बात करते हैं, किस तरह के संविधान को मानने की बात करते हैं। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

इसी तरह से चुनाव प्रणाली को लेकर बात की जाएगी। चुनाव आयोग निश्चित रूप से कांस्टीट्यूशन सब्जेक्ट है। चुनाव आयोग की भूमिका, आपको ध्यान है किस तरह से गत वर्षों में जब चुनाव की घोषणा हो रही थी, किस तरह से एक राजनीतिक दल के लोगों को चुनाव की तारीखें पहले ही मालूम पड़ गयीं, यह भी सोचने का विषय है कि अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कायम नहीं रहेगी तो इस देश का सबसे मजबूत लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा जिस लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की हम बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं महात्मा गांधी जी को याद जरूर करना चाहूंगा जिन्होंने कहा था कि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले और अंतिम व्यक्ति के साथ-साथ सभी व्यक्तियों को सम्मान मिले, यह हमारी विरासत रही है। कई लोग अभी दलितों को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की बात कर रहे थे। मैं यह पूछना चाहूंगा पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर को संसद में लेकर आयी थी, यह सब जानते हैं। बात करेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह कहा कि इनको वोट मत देना, उसी वर्ग ने 50 साल का शासन कांग्रेस को दिया। यह सोचने की बात है, विचारने की बात है कि उन्हीं लोगों ने इन 50 वर्षों में उन लोगों को शासन करने का मौका दिया तो आप खुद तय कर लें कि कौनसी पार्टी विचारों का सम्मान करती है।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा आपसी सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, धार्मिक सहिष्णुता, एक दूसरे का सम्मान, यह बातें भारतीय संविधान हमको सिखाता है लेकिन पिछले वर्षों की उन घटनाओं का जिक्र करें तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती संविधान की है कि किस तरह से हम प्रेम, सहयोग और आपसी भाईचारे के साथ इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं।

(डा. सुभाष गर्ग)
क्या हम इस देश को बांटकर, जाति, धर्मों, वर्गों के आधार पर आगे ले जा सकते हैं? मैं संवैधानिक संस्था आरबीआई का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने राजनीतिक बात की। मैं चारपांच बातें और कहना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा कांफ्लिक्ट हैं जिसमें चर्चा करने की जरूरत है, जिसमें राज्यपालों का पद, नौकरशाही भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा, कानून और व्यवस्था के मसले में केन्द्र का निर्देश, आर्थिक नियोजन, आर्थिक स्थिति और कहना चाहूंगा कि किस तरह से इकोनोमिक रिसेशन को हम खतम कर सकते हैं। आप सब जानते हैं अपने देश में संघीय प्रणाली है और एक मजबूत संघ की कल्पना की गयी है लेकिन साथ-साथ में राज्य भी उस संघ की शाखा हैं, एक पेड़ की शाखा हैं। जब तक राज्य मजबूत नहीं होंगे तब तक कोई देश मजबूत नहीं हो सकता। जब केन्द्र में आपकी सरकार नहीं थी यह कहते थे और माननीय प्रधान मंत्री जी जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, उस समय जीएसटी का उन्होंने विरोध किया।

सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की मैं बात करना चाहता हूं। जब से जीएसटी हुआ है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस पर भी सोचने की जरूरत है। किस तरह से योजना आयोग को खतम करके एक नीति आयोग लाकर, वह कोई प्रणाली नहीं है कि आर्थिक साधनों का बंटवारा योजना आयोग के माध्यम से केन्द्र और राज्यों के बीच जो गाडगिल फार्मूले के तहत होता था, आज मर्सी चलती है। केन्द्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन पर किस राज्य को कितना पैसा देना है, जीएसटी के अलावा, जीएसटी में 42 परसेंट है, जिसकी हम मांग करते हैं 52 परसेंट राज्यों को आना चाहिये क्योंकि जब तक राज्य मजबूत नहीं होंगे, राज्यों का हिस्सा जो केन्द्र की आय में कम होता चला जा रहा है, यह भी सोचने की बात है किस तरह से वित्तीय आयोग के माध्यम से इस केन्द्र और राज्य के स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को हम मजबूत करें। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा इस पर भी चिंतन और विचार करने की जरूरत है। 50 साल हम लोगों ने शासन किया, अब आप शासन कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि देश मजबूत हो, प्रदेश आगे बढ़े तो इस चीज पर भी विचार करना होगा।

इकोनोमिक रिसेशन की स्थिति पर एक शब्द माननीय प्रधान मंत्री जी का नहीं आता है। प्रधान मंत्री होने के नाते कांस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी उनकी है, प्रधान मंत्री का कांस्टीट्यूशनल पद है। राज्यपालों की भूमिका है। जो

(डा. सुभाष गर्ग)

इकोनोमिक रिसेशन हो रहा है, देश की हालत क्या हो रही है। मैं याद करना चाहूंगा नरसिम्हा राव साहब के युग को और जब पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, किस तरह से आर्थिक सुधार लागू करके इस देश की आर्थिक प्रगति की गति को आगे बढ़ाया। आज स्थिति है कि लाखों रोजगार खतम हो रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस संविधान का एक यह भी कर्तव्य था कि आने वाली जनरेशन को न केवल रोजगार उपलब्ध करा सके, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा वन, पर्यावरण, जल, इन सबको संरक्षित रखें। सस्टेनेबल डवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, हमारी ड्यूटी बनती है, आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि उनको विकास के वह सारे अवसर मिल सके जो उसके हकदार हैं। हकदार तभी होंगे जब रोजगार को लेकर, आर्थिक विकास की गति को लेकर, आर्थिक संसाधनों के बटवारे को लेकर, आरबीआई की भूमिका को लेकर, योजना आयोग की भूमिका को लेकर, वित्तीय संस्थानों की भूमिका को लेकर उन पर अटैक किये जा रहे हैं और राज्यपालों की भूमिका, माननीय सभापति महोदय, आप सबको मालूम है, उस पर तो मैं चर्चा ही नहीं करना चाहूंगा। किस तरह से खुला नाच राज्यपाल ने, पहले भी गलती हुई होगी, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं तो पहली बार विधान सभा के सदन में आया हूं लेकिन मैं वर्तमान में जीता हूं और भविष्य की चिंता करता हूं। वर्तमान में जीने की वजह से कहना चाह रहा हूं और भविष्य की पीढ़ी की चिंता कहना चाहता हूं कहीं न कहीं तो हमको एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। कहीं न कहीं तो आप लोगों को आगे आकर यह कहना पड़ेगा कि नहीं, हम संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हैं और हम सरकार नहीं बनाएंगे।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, काइंडली कनक्लूड।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं खतम ही करना चाह रहा हूं। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहना चाह रहा हूं और इसलिए कहना चाह रहा हूं केन्द्र में आपकी सरकार है, मुखिया की जिम्मेदारी बनती है इस देश में प्रेम, आपसी भाईचारा, सद्भाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहे। लोकतंत्र में मीडिया की एक भूमिका रहती है, मीडिया को स्वतंत्र अधिकार दिया जाए। साथ ही जो संवैधानिक संस्थान हैं, जिन पर हमले किये जा रहे हैं, जिनकी स्वायत्तता को खतम कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, एक और कि किस तरह से बैक डोर

(डा. सुभाष गर्ग)

एंट्री शुरू की गयी है। नौकरशाही में कभी भी नहीं हुआ किस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को घुसपैठ किया जा रहा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह कहां जा रहे हैं? (व्यवधान)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं कृपया माननीय सदस्य से कहें। यह संवैधानिक मामला है ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आप उप नेता महोदय को कहें कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, सुनने का माद्दा रखें, हमने भी सुना है जब इन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया, मैंने भी सुना है। कृपया आप उनसे कहें, ऐसे नहीं चलेगा।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: कृपया कनक्लूड करें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मैं कहना चाह रहा हूं कि कहां लिखा है?

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): ...(व्यवधान) गुजरात, आपने बहुत अच्छा काम किया न। नगरपालिका में भाजपा जीती। भाजपा के जीतने के बाद आपने ...(व्यवधान)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): केन्द्र सरकार में जोइंट सैक्रेटरी के पद पर, क्या कोई सिस्टम से आये हैं? क्या रिक्रूटमेंट के माध्यम से आये हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो खाली भारतीय सेवाओं की परीक्षा कराता है। आप उनको यूपीएससी फेस करवाते, केवल कार्यकर्ताओं को भरा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं डिसीप्लेंड आदमी हूं। इसलिए मैं इसे समाप्त कर रहा हूं, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हम सबको राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर इस देश के लिए सोचना पड़ेगा। इस प्रदेश के लिए सोचना पड़ेगा और सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है कि इस आर्थिक मंदी से कैसे छुटकारा पाएं। संविधान को हम तभी संरक्षित कर पाएंगे जब हमारा हर नागरिक, हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति सम्पन्न हो, खुशहाल हो, जो महात्मा गांधी, अम्बेडकर साहब और पंडित नेहरू ने सपना देखा था। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में मैं सबसे पहले देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 70 साल बाद पहली बार 2015 से इस संविधान दिवस की व्याख्या शुरू की। हम सबको यह बोध करवाया कि संविधान के प्रति हमारा कर्तव्य है और भारत देश एक संविधान से चलता है।

सभापति महोदय, आपने मुझे संविधान पर चर्चा में भागीदार बनाया, मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ तो हम 565 रियासतों में बंटे हुए थे। अनेक जाति, पंथ, मजहब, धर्म, भाषा, संस्कृति, जलवायु, रहन-सहन, खान-पान पर हम बंटे हुए थे। हम सब भिन्न-भिन्न थे और दुनिया यह मानने को तैयार नहीं थी कि यह भारत एकजुट हो पाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि जो हम देख रहे हैं, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण जिन्होंने किया, मैं आज इस अवसर पर सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा के साथ याद करना चाहूंगा जिनके कारण पूरा भारत एकीकृत बना और एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना। इनके साथ महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहर लाल नेहरू हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या भगत सिंह, ये बाकी सब लोगों ने बताये। इनके साथ-साथ वीर सावरकर जी और डा. हेडगेवार जी को भी नमन करना चाहूंगा जिनका देश की आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभापति महोदय, भारत को अखण्ड व जोड़कर रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीन चीजों की जरूरत होती है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक प्रधान, एक निशान और एक संविधान, इन तीनों के बिना किसी देश का अस्तित्व नहीं है। केवल जमीन का टुकड़ा और लोगों की भीड़ कोई देश नहीं हो सकता। जब तक ये तीनों चीज नहीं हो तब तक वह देश, देश नहीं कहलाता। उस संविधान का हमारे यहां पर एक पवित्र ग्रंथ बना, जिसमें समस्त कास्ट का दर्शन था। जो हमारी जन्म कुण्डली है। जिसे कहा गया कि यह भारत की आत्मा है, वह हमारे भारत का संविधान दिया, जिसे हमने संविधान का दर्जा दिया।

सभापति महोदय, लोकतंत्र में हमारी परम्परा सदियों पुरानी है। वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। लोकतंत्र की भावना, समिति और संघों की चर्चा कई वर्ष बाद हुई है। वैशाली के लिच्छवियों में यह परम्परा सबसे पहले देखी गयी थी। सभापति महोदय, इसी के साथ हमारे जेहन में जब संविधान की बात आती है तो सच्चिदानंद का नाम सबसे पहले आता है और बाद में

(श्री अशोक लाहोटी)

जब संविधान सभा बनी तो उसके स्थायी अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद जी बने, जो कि आगे चलकर हमारे राष्ट्रपति बने। उस समय निर्वाचित अध्यक्ष बनने के बाद हमारी यह रचना बनी। अभी अलग-अलग आंकड़े बताये गये कि इसमें कितने लोग थे? 293 थे, 389 लोग इसमें शामिल हुए 292 रियासतों से हुए 93 लोग देशी रियासतों से शामिल हुए। 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से हुए जिसमें दिल्ली, कुर्क, अजमेर, मारवाड़ और बलूचिस्तान, ये लोग शामिल हुए। आगे चलकर कालांतर में मुस्लिम लीग के लोग अलग हुए। पाकिस्तान समर्थक लोग अलग हुए। आगे इसका उल्लेख भी किया गया कि 282 लोगों ने इसको अंगीकार किया।

संविधान के निर्माण में 14 कमेटियां बनीं, जिसमें 4 कमेटियों के अध्यक्ष स्वयं पंडित जवाहर लाल नेहरू बने। 4 कमेटियों का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। एक कमेटी के अध्यक्ष बी.एन. राव बने, एक कमेटी के तेजबहादुर संप्रू बने, एक के जी.बी. कृपलानी बने। सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप कमेटी बनी, जिन्होंने पूरा संविधान लिखने व देखने का काम किया। भीमराव अम्बेडकर जी साहब के नेतृत्व में उस कमेटी का निर्माण हुआ। बाकी सब लोगों की भी चर्चा हुई मुंशी साहब अलादी, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपालस्वामी अयंगर, माधवराव, बीएल मित्तल, बीएन राव, कृष्णामाचारी। इन सब महान लोगों की चर्चा यहां पर हुई।

सभापति महोदय, इस संविधान का उद्देश्य हम भारत के लोगों का है। जो हमारे उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि आज समय मैं और तू का नहीं था, आज समय था हम का। हम जैसे जो नये सदस्य आये थे, वे शायद इस बात की उम्मीद कर रहे थे। आज जब विधान सभा में आते ही भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई तो हमारे नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष जी ने एक बात कही कि आज किसी प्रकार की कोई टीका-टिप्पणी नहीं करनी है। आज एक महान दिन पर चर्चा हो रही है। भारत के संविधान पर चर्चा हो रही है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि चर्चा की शुरुआत ही टीकाटिप्पणी के साथ की गयी। अच्छा होता कि यदि मंत्री जी कोई बात करते तो दायित्वों की भी बात करते। मंत्री महोदय शायद मुख्य मंत्री जी के साथ चले गये। यदि कोई दायित्वों की बात करते, आजादी के 70 साल बाद यदि दायित्वों की चर्चा करते तो इस बात का मंत्री जी अपने विभाग का यह संकल्प दोहराते कि 70 साल बाद भी राजस्थान में ऐसे हजारों/लाखों लोग रहे हैं, जिन्हें पीने को पानी नहीं मिल रहा है, चलने के लिए सड़क नहीं मिल रही है। रहने को छत नहीं मिल

(श्री अशोक लाहोटी)
रही है। सीवरेज और नालियों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लाइटों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वे अपने विभाग का यदि एक संकल्प पारित करते तो वास्तव में आज इस दिन को मनाने का उद्देश्य अंगीकार होता।

सभापति महोदय, इसके साथ ही अभी कल के न्यूज पेपर में आया कि राजस्थान भ्रष्टाचार में देश में शीर्ष स्थान पर आ गया है। मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि सत्ता पक्ष के लोग केवल इसी भाषा में बात करना चाहते हैं। वे संविधान पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भ्रष्टाचार में राजस्थान देश में नंबर वन। क्या यही हमारा गांधीवादी शासन है? क्या यही मुख्य मंत्री जी के सपनों का शासन है? मुख्य मंत्री जी अपने आपको गांधीवादी बताते हैं। वे चले भी गये, नहीं तो मैं उनसे निवेदन करता। उनके कर्मचारी भी सुबह तो थे, लेकिन शायद वे भी संविधान की बातें नहीं सुनना चाहते थे, वे भी यहां से चले गये, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात पर उनको भी शर्म आती है।

सभापति महोदय, इसके साथ मंत्री महोदय आज यह संकल्प करवाते, वे संसदीय मंत्री थे, हम भी तैयार होते कि 20 हजार पक्षी, अभी सब लोगों ने चर्चा की। पशु-पक्षियों के संरक्षण की चर्चा की, पर्यावरण की चर्चा की। 20 हजार पक्षी, शायद आजाद भारत के इतिहास में यह सर्वाधिक बड़ी त्रासदी है, जिसमें 20 हजार पक्षी सांभर की झील में मरे। मैं समझता हूं इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। एक तरफ हम 70वां संविधान दिवस मना रहे हैं और एक तरफ राजस्थान प्रांत में सांभर झील में 70 हजार पक्षी मारे गये। मैं समझता हूं आज इन सब चीजों पर कहीं न कहीं संकल्प लेने की आवश्यकता थी, लेकिन हम नहीं ले पाये।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी बताऊंगा कि हमको गर्व है यह दुनिया का सबसे बड़ा दस्तावेज जो लिखित रूप में दर्ज है और यही नहीं, इसको हाथ से, कैलिग्राफिस्ट, सुलेखकार थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने जब यह कहा मेरी केवल एक इच्छा है कि मुझे एक रुपये भी वेतन नहीं चाहिए, लेकिन हर उस पर मेरा एक शब्द जरूर दर्ज हो और पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने माना। यह एक पांडुलिपि बनी, एक हजार साल तक बची रहने वाली सूक्ष्म जीव रोधी, चरमपत्र शीट पर लिखी गयी। यह पांडुलिपि इसका दस्तावेज बना, जिसकी आगे चलकर देहरादून में एक हजार प्रतियां बनीं, जिनका यहां पर जिक्र भी हुआ।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, 7435 प्रस्ताव प्राप्त हुए, 2431 प्रस्तावों को स्वीकार किया गया, 284 लोगों ने इसको किया, 24 नवम्बर, 1949 कांस्टीट्यूशन हाल में दस्तखत किये। सबसे बड़ी बात जो इसमें थी कि उस समय भी इसमें महिला सशक्तिकरण का भाव दिखता है। इसकी 15 महिलाएं सदस्य थीं और वे भी इसकी साक्षी बनीं। उन्होंने उस समय में भी इसका उल्लेख किया कि 15 महिला सदस्य इसकी साक्षी बनीं। इतना ही नहीं, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों वाले विश्व के सबसे बड़े विशाल संविधान का निर्माण हुआ। सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 26 नवम्बर इतना महत्वपूर्ण कैसे हुआ। 26 नवम्बर को जब पूरा बन गया, संविधान को पारित कर दिया गया। हम चाहते तो 26 जनवरी तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। 26 नवम्बर को भी हम संविधान को लागू कर सकते थे। गणराज्य की स्थापना हो सकती थी, पर इसमें कहीं गणतंत्र दिवस को नीचा दिखाने की व्याख्या नहीं थी। 26 जनवरी को हमने इसको इसलिए लागू किया, यह तय किया गया कि जिस दिन भारत की आजादी की घोषणा की रूपरेखा रखी गयी, वह 26 नवम्बर, 1930 था, जिस दिन पूर्ण स्वराज की कल्पना करके आजादी के आंदोलन की नींव में यह पूर्ण स्वराज शब्द जुड़ा था वह 26 जनवरी को जुड़ा था। इसलिए 26 जनवरी की तारीख नियत की गयी कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे और यह 26 जनवरी की तारीख की ताकत 26 नवम्बर में ही निहित है।

सभापति महोदय, सम्प्रभु समाजवादी जो आज अध्यक्ष जी कह रहे थे पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य संविधान स्वयं को आत्मार्पित किया। इतना ही नहीं देश में कानून का राज स्थापित हुआ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित की गयी। हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं भी थीं। सबसे महत्वपूर्ण संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, भाग्य निर्माता के रूप में जनता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, कल्याण की मूल भावना थी।

सभापति महोदय, लोकतंत्र हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है। देश के 90 करोड़ मतदाताओं ने 18 अलग-अलग चरणों में सरकारें बनाई हैं। जब-जब सरकारें लोक कल्याण के कार्यों से विमुख हुईं तब जिस प्रकार जनता ने छप्पर फाड़कर दिया वैसे ही झाड़ू बुहार कर ले भी लिया। मैं सत्ता पक्ष के साथियों से कहता हूं कि जिस मद में उनके मंत्री और वे भाषण दे रहे हैं, इसको नहीं

(श्री अशोक लाहोटी)

भूलें कि सरकारें परिवर्तन पहले भी होती आई हैं। यह काल का नियम है। यह चक्र बनता और बिगड़ता रहेगा। इसके मद में ज्यादा चूर होने की जरूरत नहीं है।

लोकतंत्र में शासन व्यवस्था है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय को प्रमुखता दी गयी है। सबसे बड़ी बात अभी पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की की गयी। इस बात को किसी ने भी नहीं कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, जिन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा था सहमति और असहमति, यह दोनों सदन के आवश्यक अंग हैं। जितनी सहमति की आवश्यकता है, उतनी असहमति की भी आवश्यकता है। मीडिया और भौतिक संवाद के माध्यम से आलोचना और असहमति की अभिव्यक्ति हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। यह पंडित नेहरू जी ने ही कहा था। मैं एक वाकया इस संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि एक बार जब पंडित नेहरू जी सदन में विराजमान थे और राम मनोहर जी लोहिया वहां पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके इन सभी आंकड़ों को झुठलाता हूं। यह सभी आंकड़े किसी काम के नहीं हैं। मैं आपकी नीतियों का विरोध करता हूं। आपकी नीतियां देश के लिए कारगर नहीं हैं। यह देश के लिए कभी वरदान नहीं हो सकती। यह राम मनोहर जी लोहिया ने कहा। तब पंडित नेहरू जी ने खड़े होकर कहा कि हमारे सभी सदस्यों को ईश्वर ने कुछ न कुछ दिया है और उसका आदर-सत्कार करने का भाव हो, यही हमारी सहज प्रवृत्ति बननी चाहिए। पंडित नेहरू ने यह भी कहा कि मैं आपके आंकड़ों को नकार नहीं सकता। मैं आपके आंकड़ों को स्वीकार करता हूं। मैं इन पर पुनर्विचार करूंगा। यह भी पंडित नेहरू जी ने सदन में कहा।

सभापति महोदय, राजेन्द्र प्रसाद जी ने कहा था कि हम संचालन करते हैं तो विचारों के प्रति आदर और समझौता होना चाहिए। आज जिस प्रकार से आरोप-प्रत्यारोप हुए, एक हमारे निर्दलीय साथी जिनको शायद सत्ता में मंत्री बनने की जल्दबाजी है, उन्होंने आरोप-प्रत्यारोप किए। एक हमारे मंत्री महोदय, हो सकता है कि वे प्रमोशन के लिए आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हों। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस संविधान की आप चर्चा कर रहे हैं, उस संविधान में आप ही के संविधान निर्माताओं ने, जिनको आप यह मानते हो कि कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने इस बात को लिखा है कि संचालन करते हैं, उसमें लोगों के विचारों के प्रति आदर, समझौता और समझदारी का भाव होना

(श्री अशोक लाहोटी)

चाहिए। कुछ चीज़ें जो लिखी नहीं जा सकतीं वे परिपाटियों से परिलक्षित होती हैं, परिपाटियों से प्रतिपादित होती हैं। ऐसी परिपाटियों को विकसित करने का हमें काम करना चाहिए तब ही हम कामयाब होंगे।

सभापति महोदय, जाति, धर्म और भाषा की सारी बातें यहां पर की गयी। आज हम एक स्वतंत्र, सक्रिय न्यायपालिका, राजनीतिक दलों की सशक्त प्रणाली, जीवंत और सतर्क मीडिया सजीव सिविल सोसायटी हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का भी दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक समरसता के आधार पर ही सशक्त एवं स्थाई लोकतंत्र का निर्माण किया जा सकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं एक दो उदाहरण देकर बात पूरी करूंगा। जिन महापुरुषों के पदचिह्नों पर चलते हुए आज देश के प्रधान मंत्री जी ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' की शुरुआत की क्योंकि हमने यह माना है कि महिलाओं और पुरुषों की समानता का अधिकार इस संविधान में सबको मिला है। कई बार समय-समय पर जरूरत पड़ने पर हमारे संविधान में संशोधन किये गये। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन यहां पर बताए भी गये। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु की गयी। यहां पर सम्पत्ति का मूल अधिकार भी दिया गया। मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गयी। इन सब के साथ-साथ 101वें संशोधन में देश की आर्थिक उन्नति के लिए जीएसटी का संशोधन भी लाया गया और जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख को आजादी भी दी गयी।

इन सब बातों के साथ-साथ मैं दो बातों का यहां उल्लेख करना चाहूंगा। वह दो बातें हैं कि आज बहुत बड़ीबड़ी बातें आपने कीं। देश की बात हुई, प्रदेश की बात हुई, आजादी की बात हुई लेकिन मैं सत्ता-पक्ष के लोगों से पूछना चाहूंगा कि यह संविधान कहां चला गया, आपकी ये बातें कहां चली गयीं जब नगर निकाय के चुनावों में लोकतंत्र की आड़ में अधिकारों के दुरुपयोग के रूप में आपने राजस्थान में नंगा नाच किया और अपने लोकतंत्र की आड़ में निकायों में अपने प्रमुख बनाने के लिए आपके मंत्री बंदूक की नोक पर, पुलिस की बंदूक लेकर पार्षदों को धमकाते हुए पकड़े गये। स्पाई कैमरे लगाकर वोट डलवाने भेजे गये। क्या ये आपका लोकतंत्र था? क्या ये संविधान की शपथ आपने ली? क्या ये राजस्थान में संविधान की रक्षा करने की बात आपने की? माननीय मुख्य मंत्री जी चले गये। उन्होंने परसों एक ट्वीट किया।

(श्री अशोक लाहोरी)

उन्होंने एक दिन सदन में भी कहा और दिल्ली में भी कहा। उन्होंने एक बात कही, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात कही कि देश आजाद हुआ जब कुछ नहीं था, 50 साल तक इस लोकतंत्र की रक्षा की। उनका कहने का भाव था कि लोकतंत्र की रक्षा कांग्रेस पार्टी ने की। वह यही बार-बार कहना चाहते थे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदय से कि कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या सीपीआई हो, इस लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हम नहीं हैं, यह तो लोकतंत्र ही है जिसने हमारी रक्षा की है। 70 सालों से इस भारत को अतुल्य भारत किसी ने बनाया है, यदि हमको इनक्रेडिबल इंडिया किसी ने बनाया है तो इस संविधान ने बनाया है। हम संविधान की बात करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, timely conclude.

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं मुख्य मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि जब से राजस्थान में एक साल से सत्ता बनी है, आपकी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे राजस्थान में जगह-जगह लोकतांत्रिक मूल्यों को हनन करने का प्रयास किया। सरकारी अधिकारियों को डराने-धमकाने का प्रयास किया। ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर नगरपालिका, नगर निगम, जिला परिषदों में मीटिंगों की अध्यक्षता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उद्घाटन के कार्यक्रम किये। यदि आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह के शौक हैं तो उनके लिए पार्टी एक अलग फंड की व्यवस्था करे। यह मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। लोकतंत्र को बचाने का काम आप करें। लोकतंत्र को खतम करने का काम नहीं करें। आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सभापति महोदय, आज संविधान के बारे में चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व बहुत सारे नेताओं ने इसके बारे में विचार रखे। संविधान के बारे में, जब से संविधान सभा बनी तब से लेकर अब तक अगर पूरी बात कहना चाहें तो यह महीनों में ही पूरी नहीं हो सकती। चंद मिनटों में कोई बात पूरी होने वाली नहीं है। संविधान की वजह से आज मैं यहां बैठा हूं। अगर यह संविधान नहीं होता तो मैं खेती करता, भेड़-बकरियां चराता। संविधान की मेहरबानी की वजह से ही लोगों ने मुझे यहां भेजा अन्यथा यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इससे ज्यादा संविधान की

(श्री हेमाराम चौधरी)

और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। यह हमारे लिए गीता और बाइबिल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमको तो संविधान से फायदा मिला है। गीता और बाइबिल से क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता है, उसका फायदा तो मैंने उठाया नहीं परंतु संविधान का फायदा उठाया है। इसलिए मैं स्वयं को देखकर यह महसूस करता हूं कि यदि हिन्दुस्तान का संविधान नहीं होता तो हेमाराम यहां नहीं होता। भेड़-बकरियां चराता या खेती का काम करता क्योंकि हम कोई राजघराने के तो हैं नहीं। संविधान नहीं होता तो वसुन्धरा जी तो महारानी रहतीं लेकिन हम लोगों को अवसर नहीं मिलता। संविधान के बारे में विपक्ष वालों ने कहा, कांग्रेस वाले संविधान की हत्या कर रहे हैं। हमारे लोगों ने कहा विपक्ष वाले कर रहे हैं। संविधान की हत्या कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, वह तो करने वाले जाने। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ? यह सबको पता है। विपक्ष को भी पता है और हमको भी पता है। सबको पता है। गर्ग साहब को भी पता है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं जा करके, इस संविधान की हत्या करने का जो काम हुआ है, उसके बारे में मैं मेरे मन की बात, जो चिंता महसूस करता हूं उसको आज सदन में उठाना चाहूंगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 1975 की बात बता दो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हैं?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी) : 1975 की बात बता दो, आपातकाल की।

श्री सभापति: Please, don’t interrupt. आप सीनियर हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप विराजो। आप बहुत विद्वान हैं। मैं कोई विद्वान नहीं हूं। मैं तो एक साधारण आदमी हूं। अपने तरीके से अपनी बात यहां रखने की कोशिश करूंगा।

ये पंचायती राज संस्थाएं हैं। इन पंचायती राज संस्थाओं में, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को नेहरूजी ने नागौर से की थी। ये ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषदें, इसमें पहले एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिलाएं कितनी चुनकर आती थीं 1995 से पहले, आप बता दें। नहीं, तो 1995 के बाद में, जब से ये 73वां-74वां संविधान संशोधन हुआ, राजीवजी ने जो संविधान संशोधन किया, नरसिम्हा रावजी के टाइम में यह हुआ, राजीवजी

(श्री हेमाराम चौधरी)

का यह संकल्प था। राजीवजी ने लोक सभा में यह पेश किया और फिर वह पास नहीं हो सका। एक वोट से वह गिरा, वह किसकी वजह से गिरा, किन लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया, वह भी सब दुनिया को पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी राजीवजी का सपना था, इसलिए बाद में जब कांग्रेस की नरसिम्हा रावजी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने राजीवजी के सपने को साकार करने के लिए इस संविधान में संशोधन किया। उसकी वजह से आज कितने एस.सी., एस.टी. के प्रमुख बन रहे हैं, कितने सरपंच बन रहे हैं, कितनी महिलाएं प्रमुख, प्रधान चुन करके आ रही हैं। ये पहले आती थीं क्या? यह कोई कम है क्या? संविधान में संशोधन किया तो संविधान में ऐसा संशोधन करो, परिवर्तन करो जो आमजन के हित में हो, आम लोगों को उसका फायदा हो। आमजन के हित में नहीं हो, वह फैसला करते हो अगर संविधान में संशोधन कर सकते हो, फ्लेक्सीबल है हमारा संविधान, कठोर भी है, फ्लेक्सीबल है परन्तु ऐसा नहीं करो कि लोग उससे दुःखी हों, लोगों को परेशानी हो।

अभी पूर्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय दो कानून पास किये। एक तो संतान का कानून, तीसरी संतान पैदा करेगा, वह पंचायती राज और स्वायत्तशासी संस्थाओं में चुनाव नहीं लड़ सकेगा। दूसरा, जो पढ़ा-लिखा नहीं होगा, आठवीं-दसवीं, जो भी शैक्षणिक योग्यता उसकी नहीं होगी, वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ये दो कानून पास किये। हो सकता है, आप लोगों ने बहुत अच्छा समझ करके इसको किया होगा, देश हित में किया होगा, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किया होगा लेकिन उससे जनसंख्या पर कितना नियंत्रण हुआ, जनसंख्या में कितनी गिरावट आई, कितना अंकुश लगा। इस पर भी, जब से यह कानून बना है, तब से लेकर अब तक क्या कभी इस पर विश्लेषण हुआ? क्या इससे कोई फायदा हुआ? जिस उद्देश्य को लेकर आपने यह कानून पास किया, कोई उसका पता नहीं है। कहीं पर भी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है तो नहीं बढ़ रही है। यह व्यक्ति की सोच के ऊपर है। जो कोई दो बच्चों से, कोई एक बच्चे से भी संतोष कर लेता है। पर कोई बात

(श्री हेमाराम चौधरी)

नहीं, अच्छी बात है जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण की कोशिश हमने भी की, कांग्रेस ने भी की। पहले जब केन्द्र में हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय इन्दिराजी प्रधान मंत्री थीं, तो उसका नतीजा हमको भोगना पड़ा। अब आप लोगों ने यह किया, जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून विधान सभा में आपने पारित करवाया, बहुमत होता है, कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। आज हम भी कर सकते हैं, जो चाहे सो। आप होते हैं तो आप कर देते हो। जिसके जो जंची, जो मन में आया, जो आपने ठीक समझा, आपने कर दिया, हमने ठीक समझा, हमने कर दिया। मेरा अपना मत है, मेरा अपना विचार है कि यह कानून, जो पास हुआ शैक्षणिक योग्यता का और संतान वाला, ये दोनों जनता के खिलाफ कानून हैं। एक कानून तो हमारी सरकार बनने के बाद में मुख्य मंत्रीजी ने वापस ले लिया। इसके लिए मैं उप मुख्य मंत्रीजी को, हमारी सरकार को बधाई देता हूं। यह जो दूसरा कानून है, इसको आपने वापस नहीं लिया है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि यह पाप, जनता के साथ जो यह अन्याय हुआ है, आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, प्रिएम्बल में लिखा है कि राजनीतिक न्याय, क्या यही राजनीतिक न्याय है? एम.पी., एम.एल.ए. के लिए छूट है, कितने ही बच्चे पैदा करो, जितने चाहे उतने करो, जितनी ताकत हो करो, लेकिन बाकी लोगों के लिए छूट नहीं है। ऐसा मेरे तो गले नहीं उतरता है। बाकी सबके गले उतरे तो करो, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं कोई यह कानून बदल नहीं सकता। मैं तो अपनी भावना यहां व्यक्त कर सकता हूं। आपने कहा न कि सबको बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है तो मुझे भी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है। इसलिए मैंने कहा कि आज यह एक अच्छा मौका है। मैं तो इस चुनाव के बाद में एक साल हो गया, पहली बार ही आपके सामने अपनी अभिव्यक्ति की बात कह रहा हूं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आपकी तो लोकतांत्रिक हत्या की गयी है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप विराजो, आप क्या कह रहे हैं, सुनूंगा। इस प्रकार आज जनता की भावना क्या है। मुख्य मंत्रीजी पचपदरा

(श्री हेमाराम चौधरी)

पधारे थे, पिछली बार जब मुख्य मंत्री नहीं थे। आपकी सत्ता थी, उस समय की बात है। पचपदरा में पंचायती राज चुनाव से जस्ट पहले बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, वहां पर हजारों लोग आये थे। उन सबके सामने मैंने यह बात कही थी कि इन्होंने ये दो कानून पास किये हैं, एक संतान का और एक शैक्षणिक योग्यता का। इस भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ अन्याय किया है और हमारी सरकार बनी तो ये दोनों कानून वापस खतम कर देंगे। यह मुख्य मंत्रीजी के सामने मैंने बात कही थी। उस समय जो जनता थी, एक भी आदमी नहीं बचा, सबने आकाश ऊंचा ले लिया, तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गुंजा दिया तो जनता की भावना क्या है, मुख्य मंत्रीजी आपने देखी जनता की भावना, तो आप मेहरबानी करें, अब आप सत्ता में आ गये हो, अब आप जनता की भावना की कद्र करें। मैं तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूं। आप बाड़मेर पधारे, वहां सभा थी। उस सभा में भी आपके सामने मैं निवेदन कर चुका हूं। जब भी, जहां भी मेरे को मौका मिलता है, मैं वहां निवेदन कर सकता हूं।

पिछली बार भी जब आप मुख्य मंत्री थे, मैं मंत्री था। केबिनेट में यह आया था, शैक्षणिक योग्यता का बिल पास करने के लिए, उस समय मैंने विरोध किया था। मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी बात को माना, तवज्जोह दी। ये अगर तवज्जोह नहीं देते, नहीं मानते तो क्या मेरे बलबूते पर वह रुका था? मेरे में कोई ताकत नहीं थी, मुझे तो सिर्फ अपनी बात कहनी थी और मैंने कह दी। मुझे कहना चाहिए था, जो बात मैं कहना ठीक समझता हूं, कह देता हूं, उसका चाहे नुकसान हो या नफा हो, कई बार नुकसान भी होता है, कई बार नफा भी होता है। कई बार कुछ कह देते हैं उसको अन्यथा ले लेते हैं, उसका नुकसान होना ही है। इस प्रकार कहने का मतलब, मुख्य मंत्रीजी ने उस समय उसको रोक दिया, शैक्षणिक योग्यता का बिल उस समय तो रुक गया। फिर आपके हाथ में सत्ता आ गयी। आपने उसको पास कर दिया।

मुख्य मंत्रीजी, आप बाड़मेर पधारे थे, वहां मेडिकल कालेज का उद्घाटन था, उस समय भी मैंने आपसे निवेदन किया था। निवेदन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निवेदन ही कर सकता हूं। निवेदन को स्वीकार करें, न करें, यह आपका मामला है, आपकी सरकार का मामला है। मैं सरकार का हिस्सा तो हूं नहीं। आपके बहुत सारे मंत्री भी आपके साथ थे उसमें। मैं वह

(श्री हेमाराम चौधरी)

बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। अगर आपको ठीक लगे और सदन को ठीक लगे, सबको ठीक लगे, राजस्थान की जनता को ठीक लगे तो मेहरबानी करके जो तीसरी संतान वाला है, यह आप वापस ले लीजिये। यह लोगों के ऊपर दण्ड है। इस दण्ड को आप बंद करिये। कोई रुक नहीं रहा है। तीसरी संतान जिसके हो गयी वह भी चुनाव लड़ रहा है। आपके इस कानून से नहीं रुक रहा है। वह अपनी संतान को या तो दूसरे भाई की बताता है या जुड़वां बता रहा है या कोई और तरीका निकाल रहा है, पर वह चुनाव लड़ रहा है। कोई शिकायत करते हैं कि इसके तीसरी संतान हो गयी, फिर उसकी जांच होती है। जांच होती है तो जो प्रभावशाली आदमी होता है, वह तो जांच को दबा देता है। उसके कुछ नहीं होता है, पांच साल पूरे कर लेता है जबकि जिसके कोई सिफारिश नहीं होती है, दबाव नहीं होता है, वह जेल जाता है। ऐसे ही शैक्षणिक योग्यता के मामले को ले करके लोग नहीं रुके। ले आये सर्टिफिकेट कहीं-कहीं से, कोई दसवीं का ले आया, कोई आठवीं का ले आया। सरपंच बन गये, पांच साल कइयों ने पूरे कर लिए। एकाध मामले में कोर्ट से कोई रुक गया तो मुझे नहीं मालूम, बाकी तो आज पांच साल पूरे कर ही लिये तो इस तरह से ऐसे कानूनों से कोई फायदा नहीं है।

हम बात करते हैं न्याय पालिका की, हम बात करते हैं कार्यपालिका की, बात करते हैं विधायिका की। हम विधायिका के अंग हैं। विधायिका का काम कानून बनाना है।

श्री सभापति: माननीय हेमारामजी साहब, समय नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): कनक्लूड करें? करता हूं, एक मिनट। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कानून अपन बना रहे हैं। कानून और किसी के हाथ में नहीं है, कानून बनाने की ताकत सिर्फ संसद को और विधान सभा को है, दो के अलावा कानून बनाने की, नियम बनाने की ताकत किसी के पास नहीं है। यह ताकत अपने को जनता ने दी है। जनता ने यह ताकत इसलिए नहीं दी है कि हम अपने हित का कानून बनायें और जनता के हित को उसमें नहीं सोचें, जनता का हित भी उसमें शामिल होना चाहिए। यह एम.एल.ए., एम.पी. के लिए छूट है। आप बनाइए लोक सभा में कानून, पास करिए, संविधान में करिए कि एम.एल.एल., एम.पी. भी, तीसरी संतान होगी तो एम.एल.ए., एम.पी. भी खड़ा नहीं हो सकता। हम स्वागत करेंगे उसका। मैं स्वागत करता हूं। मैं इससे प्रभावित नहीं हूं। न कोई तीसरी

(श्री हेमाराम चौधरी)

संतान वाले से प्रभावित हूं और न उस शैक्षणिक योग्यता से, पर मैं आम लोगों की एक बात, आम लोगों की एक धारणा है, जब मुख्य मंत्रीजी बाड़मेर आए थे, उसके बाद उन्होंने सुना, वहां पर एक यह मुद्दा उठा था, उसके बाद में तो कितने ही हजारों लोगों के, कई हजारों लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि हेमारामजी, उस तीसरी संतान का क्या हो रहा है? तीसरी संतान का क्या हो रहा है? मैंने कहा कि तीसरी संतान का क्या हो रहा है, यह मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है। मैं तो कोई हूं नहीं करने वाला। मेरे हाथ में होता तो मैं उस दिन ही कर देता, जब आपने कहा था, उस दिन ही कर देता। अब यह तो मुख्य मंत्रीजी के हाथ में है, भाई, इसलिए आज मैंने यह बात मुख्य मंत्रीजी को कही। मैंने कहा कि अभी पंचायती राज के चुनाव शीघ्र ही होने वाले हैं, उससे पहले करो तब तो कोई मतलब है, बाद में तो कोई मतलब है नहीं इसलिए अब फिर क्योंकि विधान सभा भी शायद नहीं हो, विधान सभा में बिल पास कराना पड़े विलोपित करने के लिए तो वह ले आओ। अध्यादेश जारी करना पड़े तो अध्यादेश कर दो, जो भी जैसा करना हो, आप करो।

मेरा निवेदन है कि अगर मेरी बात ठीक लगे तो आप कर दो और मेरी बात अगर ठीक नहीं लगे तो मैंने तो अपनी बात कह दी, मैं अपने कर्तव्य से फ्री हुआ तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्योंकि यह समान अवसर की बात कहते हैं तो यह समान अवसर कहां हुआ? अपने को तो चुनाव लड़ने का अधिकार है और उनको अधिकार नहीं है तो यह समान अवसर नहीं हुआ। समान अवसर की बात कोई राजनीतिक, यहां बात तो सब करते हैं संविधान की, सिद्धांतों की, बात तो हर कोई आदमी ऐसा करता है जैसे कि मेरे सिवाय इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ, इतना अक्लवान, इतना समझदार, इतना सेवाभावी। मैं भी सोचता हूं कि मैं ही हूं सब कुछ, पर हम कई बार यह सोचते हैं कि सामने चुनाव लड़ने वाला तो महा-बेवकूफ है, समझदार मैं ही हूं। वह मेरे से ज्यादा समझदार है। जनता ने मेरे को चुन लिया, करे क्या? बात यह है। कोई जरूरी थोड़े ही है कि मैं ही समझदार हूं, इसलिए यह तो अपनी-अपनी सोच की बात है।

आज क्या है? महिलाओं के आरक्षण के लिए लोक सभा और विधान सभा में कितने वर्षों से यह मांग चल रही है, कितनी बार लोक सभा में पेश हो गयी, कितनी बार राज्य सभा में, पता ही नहीं कितनी जगह वह कानून पेश हो गया, पर हुआ क्या आज दिन तक वह पास? क्या? आप कहते हो कि

(श्री हेमाराम चौधरी)

यह कर दिया, वह कर दिया, मोदीजी ने यह कर दिया। किरणजी, महिलाओं के लिए तो यह करा लो, इतना तो करा लो आप ही। हम आपका स्वागत करेंगे तो कम से कम महिलाओं के लिए आप, यह पंचायती राज में महिलाओं को किसने अधिकार दिया? यह किसने दिया? अब नाम लेंगे तो आपको चिढ़ लग जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): पर किया तो, किसी ने तो किया न, अपने आप तो नहीं हुआ है तो यह अब आप कर दो। 370 हटा दिया, वह हटा दिया, यह बड़ी अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय हेमारामजी साहब, समय का ध्यान रखें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 370 हटी, इसकी इनको पीड़ा है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं-नहीं, आप वह करवा दो। आप महिलाओं के लिए लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण करवा दो, आप लोक सभा और विधान सभा में हम लोगों के लिए यह संतान वाला ही करवा दो और फिर आप करते जाओ सबके लिए, नहीं तो यह ठीक नहीं है। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि 25 वक्ता और हैं। मैं आपको पांच-पांच मिनट का समय दूंगा और उसमें वही अभिव्यक्ति व्यक्त करें जो बहुत नेसेसरी हो। अब मैं इंडिपेंडेंट माननीय सदस्य श्री बलजीत यादव से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात कहें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, हमें गर्व है, हमें अभिमान है हमारे देश के संविधान पर। हमें अभिमान है कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है।

माननीय सभापति महोदय, आजादी से पहले देश की जनता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी और देश की जनता पर रोज जुल्म होते थे। गरीब, मजदूर इनके सपनों का रोज खून होता था और ऐसी व्यवस्था थी कि कोई व्यक्ति उसका विरोध भी नहीं कर सकता था। भारत मां के स्वाभिमानी स्वतंत्रता प्रेमी वीर सपूतों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, अपनी जान की बाजी लगाई, अनेकों वीर सपूतों ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान गंवाई और हमें यह आजादी दी, देश को यह आजादी दी। देश के महान सपूतों ने

(श्री बलजीत यादव)

यह सपना देखते हुए कि देश की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है जो अत्याचार हुआ है, जो भेदभाव हुआ है, वह आगे नहीं हो। इसके लिए दुनिया के अनेक देशों में, अलग-अलग देश के संविधान में से जो भी बात उनको अच्छी लगी उसको हमारे संविधान में रखी और एक सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारे को बनाकर दिया। हमारे संविधान की खूबसूरती विविधता को अपने में समेटकर एकता के सूत्र में हमें वह बांधता है।

हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। हमें समानता का अधिकार देता है। हमें शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार देता है। मैं सभी माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था। मैं अपना सिर्फ इतना-सा सुझाव रखना चाहता हूं कि आप सब लोग देख भी रहे हैं और बहुत से लोगों ने अपनी बात रखी कि संविधान अच्छे हाथों में जाता है तो रिजल्ट अच्छे आते हैं और वही संविधान गलत हाथों में चला जाता है तो उसका जो लचीलापन हमारे संविधान में रखा संविधान निर्माताओं ने, उसका दुरुपयोग किया जाता है। उसके पीछे उनका यह भाव था कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को कहीं सज़ा नहीं मिल जाए इसलिए चाहे कोई दोषी भी छूट जाए तो उसमें एक लचीलापन रखा लेकिन उसका कुछ लोग दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह संविधान की ताकत है कि मुझ जैसे पूर्व सैनिक, साधारण किसान के बेटे को राजस्थान की विधान सभा का सदस्य बनाया और मुझ जैसे ही अनेक लोगों को कानून बनाने की शक्ति जनता ने दी। जहां पर आजादी से पहले तलवार की ढाल पर साम्राज्य का विस्तार होता था। जो शक्तिशाली होता था, वही राज करता था लेकिन यह मेरे संविधान की विशेषता, इसकी खूबसूरती और इसकी ताकत है कि यह कमजोर से कमजोर समाज के व्यक्ति को भी बड़ी से बड़ी ताकत हाथ में देता है। हमारा संविधान कर्म करने के ऊपर, हमारे कर्म करने पर जोर देता है और कर्म को ही प्रधान मानता है। माननीय सभापति महोदय, जो हमारे भारत के संविधान में समानता का अधिकार दिया गया, मैं अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि 70 साल हो गये, अभी भी समानता के अधिकार से बहुत से लोग वंचित हैं।

मैं राजस्थान के बारे में ही कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में दिया जीने का अधिकार। जीने का अधिकार मतलब, रोटी जिसको मिलेगी,

(श्री बलजीत यादव)

जिसको रोजगार मिलेगा तब वह जिंदा रहेगा। बिना रोटी के, बिना रोजगार के कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे संविधान में यह संशोधन हुआ, उसमें फूड बिल आया, हमारे संविधान के अंदर मनरेगा आया, जिसमें 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गयी लेकिन वह भी काफी नहीं है क्योंकि गांवों में जब काम नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि सबको मनरेगा में रोजगार मिल जाता है, वह नहीं मिल पाता है। अभी बहुत से स्टेट्स के अंदर, आप सबको इस बात का ध्यान होगा, यह कानून बना दिया गया कि 75 परसेंट वहां के जो उस स्टेट के बेरोजगार हैं उनको रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। हमारे यहां मध्य प्रदेश जो कि हमारी स्टेट से लगता हुआ है, उसमें कानून बना दिया गया कि 75 परसेंट मध्य प्रदेश के ही बेरोजगारों को रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। हमारे पड़ौस में ही हरियाणा प्रदेश है, वहां की सरकार ने अभी घोषणा की, उनके जन-प्रतिनिधियों ने कि अगले विधान सभा सत्र में यह बिल लेकर आएंगे, हम यह कानून बनाएंगे कि 75 परसेंट लोगों को रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में अभी हमारे यहां पर नीमराना के अंदर मल्टीनेशनल अनेक कम्पनियां हैं। राजस्थान में जगह-जगह बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं। जमीन हमारी ले ली, हमारा क्षेत्र डार्क जोन में आ गया, इतना पानी का दोहन कर लिया गया, हमारे हिस्से की बिजली ले ली गयी, किसान को ट्यूबवैल खोदने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि डार्क जोन है। मेरे वहां पर, माननीय सभापति महोदय, अनेकों बीयर फैक्ट्रियां चल रही हैं जो स्वीकृत हैं, उससे ज्यादा पानी का दोहन कर रही हैं। ऐसे में उस किसान के साथ कैसे समानता का व्यवहार हो रहा है कि एक तरफ तो उसको ट्यूबवैल की अनुमति नहीं है और दूसरी तरफ बीयर फैक्ट्री वाले को ट्यूबवैल खोदने की अनुमति मिल रही है। एक तरफ हमारी उपजाऊ जमीन को लिया गया, बड़े-बड़े कारखाने खड़े कर दिये। रात को जाओ तो माननीय सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि जैसे पेरिस जैसी जगह हो। लेकिन वहां का जवान डिप्रेशन में जाता जा रहा है। वहां के जवान के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो रहा है, सरकार जानकारी करवा सकती है कि वह किसी भी कम्पनी में जाता है तो उससे उसकी डिग्री नहीं पूछी जाती, उसका सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाता, उसका कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाता, उससे सिर्फ इतना सवाल होता है कि आप रहने वाले कहां के हो? अगर वह कहता है कि मैं अलवर जिले का रहने वाला हूं, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो उसको उस कम्पनी में रोजगार

(श्री बलजीत यादव)

नहीं दिया जा रहा है। बहुत-सी सरकारें आयीं, हर सरकार में बात होती है, चुनाव से पहले सभी लोग जनता से वादा करते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों के साथ न्याय होगा, किसानों के हित में काम किया जाएगा लेकिन सरकार बनने के बाद वह जवान अपने आपको ठगा-सा महसूस करता है।

मैं किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं करना चाहता लेकिन यह सच्चाई हर कोई जानता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब संविधान ने समानता का अधिकार दिया तो कोई मल्टी नेशनल कम्पनी, कोई जापानी कम्पनी को यह अधिकार कैसे मिल जाता है कि भेदभाव करे, यह कहे कि रहने वाला यहां का है तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा और दूसरी स्टेट का रहने वाला है तो रोजगार मिलेगा? दूसरे स्टेट में 75 परसेंट आरक्षण दे दिया गया, राजस्थान का जवान मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं पा सकता, अब हरियाणा में भी नहीं मिलेगी, दूसरे स्टेट के अन्दर भी नहीं मिलेगी, अनेकों स्टेट में बन गया और यहां पर लोकल के नाम पर राजस्थान के जवान को रोजगार दिया नहीं जाएगा। ऐसे में राजस्थान का जवान कहां जाए? राजस्थान के उस जवान ने मुझे भी यहां पर भेजा, मैं उनकी तरफ से भी यह बात रखना चाहता हूं कि मेरे देश का संविधान उनको यह अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है इसलिए सरकार या तो यह कानून बनाये कि 75 परसेंट राजस्थान के जवानों को भी यहां लगने वाले उद्योंगों में रोजगार में आरक्षण मिलेगा या फिर सेन्टर गवर्नमेंट से बात करे या दूसरे स्टेट्स की गवर्नमेंट से बात करे। या तो देश में यह कानून कहीं भी नहीं हो, कोई कहीं भी नौकरी कर सकता है और अगर दूसरे किसी स्टेट में हो तो हम निश्चित रूप से यह मांग करते हैं कि राजस्थान में यह कानून बने जिससे कि उसको रोजगार मिले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं।

दूसरी बात मैं किसान की रखना चाहता हूं। किसानों की ताकत से हम यहां पर पहुंचे हैं। सभापति महोदय, किसान के साथ अंग्रेज सरकार में भी इतना बड़ा अत्याचार होता रहा है कि वे कर नहीं दे सकते थे तो उनके ऊपर

(श्री बलजीत यादव)

तरह-तरह से अन्याय किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। उन किसानों ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर भाग लिया और जो आजादी के दीवाने थे, जो लड़ाके थे उनका सहयोग किया। आज वह किसान बेचारा अपने-आपको ठगा-सा महसूस कर रहा है।

पूंजीपतियों की बात हर कोई सरकार सुनती है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों के बड़े-बड़े ऋण माफ कर दिये जाते हैं, कोई दस-दस हजार करोड़ लेकर देश से भाग जाते हैं लेकिन देश का किसान बहुत ही पीड़ा में जी रहा है। उसकी फसल का भी न तो पूरा दाम मिलता है, न उसकी फसल को समय पर पूर्ण रूप से खरीदा जाता है, न किसान को बिजली ठीक से मिल पाती है। जैसे राजस्थान के किसान को पहले सब्सिडी बिल में कट करके दी जा रही थी, माननीय अशोक गहलोत जी ने यह कर दिया था कि बिल में ही कट कर जाएगी, अब पता नहीं यह अधिकारियों की क्या बाजीगरी है, फिर वापस कर दिया कि अब खाता खुलवायेगा, खाते में सब्सिडी जाएगी। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अगर सब्सिडी बिल में कट कर जाए तो इससे सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई गलत काम नहीं हो रहा है। परदादा के नाम से कनेक्शन है और उसके बीस-बीस वारिस हो गये हैं, उनका खाता किसके नाम से खुले, भाई-भाई में इस बात का झगड़ा हो रहा है। सरकार को पैसा देना है 833 रुपये, वह चाहे खाते में दे चाहे बिल में काट कर दे। अगर सरकार बिल में काट कर दे देगी तो किसान को बहुत बड़ी मुसीबत से राहत मिलेगी और किसान सरकार को, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए दुआ देगा। इसलिए मैं यह भी मांग करता हूं कि सरकार सब्सिडी को बिल में काट करके जल्द से जल्द दे।

बिजली विभाग के अधिकारियों का आलम सब लोग जानते हैं कि कोई आदमी नाम ट्रांसफर कराये तो किस ढंग से ट्रांसफर होता है। सब लोग जानते हैं कि अगर नाम चेंज करवाना है तो चक्कर खा-खा करके थक जाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई लोग आते हैं कि मैं साल भर से चक्कर खा रहा हूं लेकिन मेरा नाम ट्रांसफर नहीं हो रहा, मैं दो साल से चक्कर खा रहा हूं, कोई तीन साल से चक्कर खा रहा है। कोई भी सरकार आए, विपक्ष में हम रहेंगे दूसरे पर बुराई ठोक देंगे, दूसरा रहेगा उस पर ठोक देंगे। लेकिन, सभापति महोदय, यह सच्चाई है और यह धरातल की बात है कि बेचारे

(श्री बलजीत यादव)

किसान, गरीब, बेरोजगार जवान के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे तो जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो फांसी के फंदे पर झूल गये, उन लोगों ने यह सपना देखकर आजादी दिलायी थी कि मेरे देश के सभी वर्ग, सभी जाति, धर्म के वर्ग, सभी लोगों को तरक्की करने का अवसर मिलेगा, सभी लोगों को मान, सम्मान, स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिलेगा और सभी लोगों की मांगों को सरकारें गम्भीरता के साथ लेंगी...

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज कनक्लूड करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): तो मैं आशा रखता हूं कि संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने देश को आजाद किया उन वीर सपूतों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार राजस्थान के बेरोजगार के साथ न्याय करवाये, राजस्थान के किसान के साथ न्याय करवाये। उनकी फसल का उनको उचित मूल्य मिले और उनकी जो भी फसल है उसको समुचित रूप से समय पर खरीदा जाए। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, संविधान दिवस के मौके पर इस विशेष सत्र में हमारे अधिकार और कर्तव्यों पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

26 नवम्बर, 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी, 1950 को गणतंत्र दिवस पर हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी की महत्ता निश्चित तौर पर 26 नवम्बर, 1949 में निहित है। हम कल्पना कर सकते हैं कि देश को आजाद कराने में जिन शहीदों ने, जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपनी जान की परवाह न करते हुए भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी, उन्होंने सोचा होगा कि जिस संघर्ष के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, मात्र भूमि की बलि वेदी पर हम शहीद हो रहे हैं, हम हंसते-हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे हैं तो जब देश आजाद होगा उस देश को संचालनकर्ता किस तरह के संविधान से, किस तरह के कानून से इसे आगे बढ़ाएंगे।

मैं संविधान निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि संविधान

(श्री बिहारीलाल)

निर्माता चाहे डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी हो, चाहे डाक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब और उनकी पूरी ड्राफ्ट कमेटी, पूरी संविधान सभा जिन्होंने कितनी मेहनत और लगन से, अथक प्रयासों से और उनकी कितनी दूर-दृष्टि रही होगी जिसकी हम आज कल्पना करें तो बड़ा अचरज होता है। आज 70 वर्षों के बाद भी, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और हम इस संविधान की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं उसमें 12 धर्मों को मानने वाला देश, 122 भाषाओं को बोलने वाला देश, 1600 से ज्यादा बोलियां बोलने वाला देश, इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश, उस देश के लोगों की क्या आकांक्षाएं रही होंगी, उस देश के लोगों की क्या जन भावनाएं रही होंगी कि हमारे इस विविधता से भरे हुए देश को एक ऐसा डाकूमेंट मिलेगा जिससे हम पूरे समाज को, छत्तीस बिरादरी के परिवार को, सभी धर्मों को, पूरे देश को सहेज कर चल पाएंगे और इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे, ऐसी अनूठी सोच थी हमारे संविधान निर्माताओं की।

हम आज सदन में कोई छोटा-सा कानून भी बनाते हैं तो उसमें कोई मात्रा की शुद्धि करने के लिए, उसमें कोई छोटा-सा संशोधन करने के लिए फिर से अगले सत्र में लेकर आते हैं लेकिन इतना विशाल डाकूमेंट, इतना बड़ा संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, बनाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी मेहनत की होगी और पसीना बहाया होगा, यह हमारे लिए आज भी मार्गदर्शन करने का काम करता है।

मैं यहां बीकानेर से विधायक के तौर पर आता हूं और इसमें बीकानेर की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीकानेर से जसवंतसिंह जी जो तत्कालीन सार्दुलसिंह जी की कैबिनेट में प्रधान मंत्री हुआ करते थे, इस संविधान सभा के सदस्य के तौर पर इसका ड्राफ्ट बनाने में बीकानेर के जसवंतसिंह जी की, बीकानेर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनको भी आज इस मौके पर याद नहीं करें तो ऐसा उचित नहीं होगा।

लोक सभा में प्रधान मंत्री ने जो यह परम्परा शुरू की है उसके लिए भी हम प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। संविधान दिवस कभी वकीलों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता हो लेकिन संविधान दिवस को पूरी लोक सभा जो हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है, आज उसी के अनुरूप राजस्थान की विधान सभा में, माननीय अध्यक्ष जी का,

(श्री बिहारीलाल)

सभापति जी आपका, सदन के नेता का, प्रतिपक्ष का सबका हम धन्यवाद करते हैं कि नये चुनकर आये हुए विधायकों को इस पर बोलने का मौका दिया और संविधान पर, संविधान के अधिकारों कर्तव्यों पर बोलने का मौका दिया।

हम संविधान पर बोल रहे हैं तो यह चर्चा लोक सभा और विधान सभा तक ही नहीं रहे, हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि संविधान पर चर्चा यह जन सभा तक भी जाए, संविधान पर चर्चा बाल सभा तक भी जाए, संविधान पर पूरा देश चर्चा करे। इसमें हमारे पास अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। ऐसे अमूल्य अधिकार इस देश में इस संविधान में दिये गये हैं।

आज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात इस पर ध्यान देने की है कि हम कर्तव्यों के प्रति कितने सजग हैं। हम अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकारों के साथ ही कर्तव्य निहित हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं। अधिकारों की बात तो सभी करते हैं लेकिन हम हमारे दायित्व का निर्वहन कितना कर पाते हैं, बहुत बड़ी बात है। उस पर आज जो अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि हमें कर्तव्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आज पर्यावरण बचाने का हमारा कर्तव्य है। जीव-जंतुओं को बचाने का हमारा कर्तव्य है। भाईचारा बढ़ाने का हमारा कर्तव्य है। इन बातों को लेकर गुरू जम्भेश्वर भगवान ने सैकड़ों वर्ष पहले प्राणी मात्र को बचाने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए ऐसे अनूठे उदाहरण दिए। जोधपुर की धरती से सदन के नेता आते हैं। वहां खेजड़ली गांव में सैकड़ों वर्ष पहले मां अमृता के नेतृत्व में गुरू जम्भेश्वर भगवान से प्रेरणा लेकर 'सिर सांटे रुख रहे तो भी सस्तो जान', उसके लिए 363 लोग बलिदान हो गये। आज भी यह परम्परा लगातार चल रही है। आज भी वह निहालचंद हिरण के लिए शहीद हो जाता है। जीव के लिए शहीद हो जाता है। पेड़ से चिपक करके पेड़ को बचाने की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। माननीय सभापति जी, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि अभी हमारे एक साथी ने जिक्र किया, सांभर में हजारों पक्षी काल-कवलित हो गये। वहां भी सरकार का कोई कर्तव्य होना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति महोदय, 'मैं, मैं हूं, तुम, तुम हो तो

(श्री बिहारीलाल)

क्या बड़ी बात है? मैं और तुम मिल जाएं, हम बनें तो बड़ी बात है'। इस बात में मूल भावना संविधान की ही है। इस मूल भावना के साथ हमें संविधान को आगे लेकर चलना है। हम यह बातें, विचार जिस परिवार से सीखते हैं, वह विचार परिवार जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, जहां जाति, धर्म का भेद नहीं है। डा. अम्बेडकर ने जिस संविधान की प्रस्तावना की, जिस संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, उनका तो उद्देश्य था कि हिन्दुस्तान जाति विहीन हो। जातियों में न बंटे। बहुत बड़ी आर्थिक प्रगति की ओर हमारा देश बढ़े। यही भावना हमारे विचार परिवार की है। उस विचार परिवार पर प्रत्यारोप होते हैं।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि 'दूसरों पर तपसरा कीजिए तो आईना सामने रख लिया कीजिए'। इस बात की मूल भावना हम संविधान से लेकर चलते हैं। सब मिल-जुलकर एक समाज का निर्माण करें। इस संविधान को आम जनता तक लेकर जाएं। प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रति जागरूक हो, उसमें आस्था रखे और उस संविधान को समझे, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे।

सभापति महोदय, धरती पुत्र किसान का बेटा हूं और कर्तव्य पर बात हो रही है, किसान के प्रतिनिधि के तौर पर मैं इस विधान सभा में हूं तो एक कर्तव्य मेरा भी बनता है कि सरकार सामने बैठी है, मुख्य मंत्री जी सामने बैठे हैं। सुनो सरकार, मेरे बीकानेर के किसान पर पड़ी है भारी मार, ओलावृष्टि, बेमौसम की बरसात और टिड्डी के हमले से बड़ी मार पड़ी है। कुछ तो उपाय करो सरकार। किसान को भी अपने ध्यान में लाओ। किसान को भी अपने विचार में लाओ। संविधान की व्यवस्था में लाओ और किसान का भी भला करो। यह सरकार से आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री भजनलाल जाटव। समय का ध्यान रखें।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): सभापति महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आज 70 साल बाद संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज से 70 साल पहले जब भारत देश गुलाम था और ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, मैं नमन करना चाहूंगा ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, चाहे पूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों,

(श्री भजनलाल जाटव)

चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हों, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया और इस गुलाम भारत देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई।

सभापति महोदय, यदि आज हम लोग आजाद नहीं होते तो निश्चित तौर पर आज संविधान नहीं होता। अगर संविधान नहीं होता, जो बाबा साहेब ने एक व्यक्ति और एक वोट का अधिकार दिया, हम सब लोग चाहे विपक्ष के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, उसके आधार पर चाहे एक गरीब का वोट, चाहे एक अमीर का वोट, उसमें समानता का अधिकार देते हुए इस प्रदेश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, इस विधान सभा में हम सब लोग यहां पर पहुंचे हैं। इसमें गरीब भी चुनकर आते हैं। इसमें दलित भी चुनकर आते हैं। इसमें पिछड़े भी चुनकर आते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया।

आज भारत देश के अंदर चाहे कोई प्रधान मंत्री जाए, चाहे राष्ट्रपति जाए, अगर सबसे ज्यादा भारत देश की पहचान होती है तो विश्व में अम्बेडकर जी के नाम से कि भारत देश वही है क्या, जहां इतना बड़ा संविधान उन्होंने बनाया और गांधी जी के नाम से इस भारत देश की पहचान होती है। हमारे जो तमाम माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जो विचार रखे हैं, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि भारत एक लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्य की दासता में रहा। इस अवधि में भारत का नागरिक अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सका। उसका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी अवरुद्ध रहा। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान निर्माता एक ऐसे संविधान का निर्माण करते जो भारत के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता। संविधान निर्माताओं का यह स्वप्न साकार हुआ और संविधान निर्माताओं के मन में एक ऐसे भारत निर्माण की संकल्पना थी जो संविधान की उद्देशिका में परिलक्षित होती है।

इसमें जो हमारी उद्देशिका है, हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की

(श्री भजनलाल जाटव)

गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली, बन्धुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सभापति महोदय, उद्देशिका से संविधान निर्माताओं के स्वप्न के भारत निर्माण की संकल्पना स्पष्ट हो जाती है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माता लोगों को अच्छा जीवन सुलभ कराना चाहते थे।

सभापति महोदय, प्रस्तावना में शब्द 'हम भारत के लोग' प्रयुक्त किया जाता है। यह इस बात का संकेत है कि लोग सर्वोपरि हैं न कि जनप्रतिनिधि। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक परिचय है, एन.ए. पालखीवाला। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना और उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा और उसकी कुंजी बताया है। डा. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान निर्माता के रूप में डा. अम्बेडकर की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा था कि डा अम्बेडकर ने संविधान के निर्माण में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अत: यह सदैव हमारे संविधान शिल्पी के रूप में माने जाएंगे।

संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद ने इस संबंध में कहा था कि सभापति के आसन पर बैठकर मैं प्रति दिन कार्यवाही को ध्यानपूर्वक देखता रहा इसलिए प्रारूप समिति के सदस्य, विशेषकर उसके अध्यक्ष और कानूनविद् डा. अम्बेडकर ने कितनी निष्ठा और उत्साह से अपना कार्य पूरा किया, इसकी कल्पना लोगों की अपेक्षा मुझे अधिक है। डा. अम्बेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और उसके अध्यक्ष नियुक्त करने से बढ़कर दूसरा अच्छा काम नहीं कर सके। उन्होंने, अर्थात् डा. अम्बेडकर ने अपने चुनाव को न केवल न्यायोचित ठहराया बल्कि उस काम को मय क्रांतिकारी योगदान सम्पन्न किया।

संविधान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए डा. अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसको व्यवहार में लाने के लिए लोग अच्छे न हों तो संविधान निश्चित तौर पर बुरा ही साबित होता है। अच्छे लोगों के हाथों में बुरे संविधान के भी अच्छा साबित होने की संभावना रहती है। भारत के लोग इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे यह कौन जान सकता है?

(श्री भजनलाल जाटव)

सभापति महोदय, भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें विश्व के प्रमुख संविधानों की विशेषता समाहित है। यह संविधान निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के प्रयत्न, अध्ययन, विचार-विमर्श, चिंतन एवं परिश्रम का निचोड़ है। संविधान निर्माण का सम्पूर्ण श्रेय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जाता है जिन्होंने समस्त वर्गों के उत्थान के तथा देश के विकास के मद्देनजर एक अद्भुत और विशाल संविधान की रचना की। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अंतिम रूप दिया गया। इसी दिन पारित किया जाकर, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। इस कारण 26 नवम्बर विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे 26 जनवरी, 1950 को सम्पूर्ण भारत पर लागू किया गया। इसी दिवस को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।

सभापति महोदय, संविधान मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संघात्मक और दूसरा एकात्मक। संघात्मक संविधान में शक्तियां केन्द्र और राज्यों में विभाजित रहती हैं जबकि एकात्मक संविधान में सारी शक्तियां केन्द्र सरकार के निहित होती हैं। संघात्मक संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है तथा राज्य इकाइयों में संघों के अधीन सम्मिलित होती हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र और राज्यों का सौहार्द्र और समन्वय की आवश्यकता होती है।

(16.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, प्लीज कनक्लूड करें।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय सभापति महोदय, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, समन्वय के लिए एक आवश्यक शर्त है कि संविधान लिखित हो, भारत का संविधान लिखित संविधान है, यह संघात्मक है। अभी जो कई चीजें हो रही थीं, बातें हो रही थीं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो समन्वय होता है, केन्द्र सरकार राज्यों को जो राशि देती है, निश्चित तौर पर उसका समन्वय होना चाहिए। किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी राशि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को नहीं दे रही है और उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं इसी चीज को संविधान दर्शाता है। संघात्मक संविधान में केन्द्र और राज्य सरकार अपने

(श्री भजनलाल जाटव)

क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं जबकि एकात्मक संविधान में प्रांत केन्द्रीय सरकार के अधीन रहते हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की दृष्टि से तीन सूचियां बनाई गयी हैं, संघ सूची, जिसमें प्रारम्भ में 70 विषय रखे गये थे जो आज 100 हो गये हैं। राज्य सूची जिसमें प्रारम्भ में 66 विषय रखे गये थे जो आज 61 रह गये हैं। समवर्ती सूची जिसमें प्रारम्भ में 47 विषय रखे गये जो आज 52 रह गये हैं। हमारे देश ने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है जो अब्राहम लिंकन के आचार विचार अनुसार जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा बताया गया है। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि, सर्वोच्च होता है अर्थात् संविधान से ऊपर कोई विधि या सत्ता नहीं होती। शासन के सभी तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। इसका सृजन संविधान ही करता है। संविधान, जो इंग्लैंड की भांति न तो अत्यन्त लचीला है और न ही अमेरिका की भांति अत्यन्त कठोर है जो संशोधन की दृष्टि से मध्यम मार्ग अपनाया गया है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन किया जाता है। भारत के संविधान के लचीला होने का प्रमाण है कि अब तक इसमें 104 संशोधन हो सके हैं। हमारा संविधान विश्व का विशालतम लिखित संविधान है। मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां थीं। अब तक इसमें 104 संशोधन के पश्चात् संविधान में कुल 448 अनुच्छेद जो 25 भागों में विभाजित है तथा इसमें 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि नागरिकों को मूल अधिकार प्रदत्त है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता एवं पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में दिये गये हैं। 42वें संशोधन में एक नया भाग 4-क जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। अनुच्छेद 51-क के अनुसार अब भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोये रखे, इसका हम लोग पालन करें। हम सबका दायित्व बनता है कि इस संविधान की हम लोग रक्षा करें। आज पूरे देश के अंदर भय का और डर का जिस तरह से माहौल पैदा हो रहा है, कहीं न कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ न हो जाए। हमारे माननीय सदस्य भाई बलजीत यादव ने जिस तरफ इशारा किया है, हमारे माननीय मंत्री सुभाष

(श्री भजनलाल जाटव)

गर्गजी ने भी थोड़ा-बहुत इशारा किया है। जिस तरह से नौकरियों में बैकडोर एण्ट्री हो रही है उसमें कहीं न कहीं, दलित, शोषित, पिछड़ों की नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, दलित का बच्चा कहीं नौकरी नहीं पाएगा इसलिए मेरा माननीय सभापति महोदय, कहीं न कहीं हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि संविधान की रक्षा के लिए, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि गरीब को न्याय मिले, हमारे तमाम किसानों को न्याय मिले, तमाम संस्थाओं में जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है वह रुके।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब मैं सदन में मौजूद था और विधायक था, जब सदन चल रहा था तो जो आज माननीय विपक्ष के हमारे साथी हैं वे उस समय सत्ता पक्ष में हुआ करते थे। उनके एक विधायक ने कहा था कि बाबा साहब की जो आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, बाबा साहब ने संविधान ही नहीं बनाया था। बाबा साहब ने संविधान ही नहीं बनाया था तो निश्चित तौर पर मानसिकता जाहिर होती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि 70 साल पहले जब संविधान बना था, उस समय देश आजाद हुआ था और संविधान सभा में प्रारूप बनाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू, राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने जिस तरह दिया था, इस देश की एक विचारधारा जो आज पूरे देश पर कायम है, उस विचारधारा ने उनका विरोध किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं बना सकते।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय सभापति महोदय, एक ऐसी विचारधारा है जो शासन के ऊपर आसीन होगी तो निश्चित तौर पर देश के शासन में कमियां आएंगी और कहीं न कहीं संविधान के ढांचे को आंच पहुंचेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, एक छोटी-सी बात और कहना भूल गया। जैसे अभी हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री, आदरणीय गहलोत साहब ने

(श्री भजनलाल जाटव)

पाठ्यक्रम में संविधान को पढ़ाने का काम और उसे किताब के रूप में छापने का काम किया है तो राज्य सरकार ने इस तरीके से जो निर्देश दिये हैं इनसे निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर यह संदेश गया है कि हम संविधान के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।

श्री सभापति: माननीय श्री हरीशजी चौधरी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, जितना मैं देश के नागरिक के तौर पर समझा हूं, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो वह संविधान है। मेरे लिए अगर कोई परिभाषा देश के लिए है तो वह संविधान है। कई लोगों ने अपने-अपने हिसाब से देश को परिभाषित किया। जितना मैंने महसूस किया है, हम लोगों के लिए संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है। देश की सीमाएं बदलीं, देश में नागरिक बदले, इस सदन के अंदर इस बात का उल्लेख हुआ एक अनुभवी सदस्य के द्वारा कि जम्मू-कश्मीर के अंदर सीमाओं के ऊपर कुछ चीजें हुई हैं। मुझे गर्व है कि स्वतंत्रता के बाद में जब देश का भूगोल बदला तो उसमें सिक्किम और गोवा जैसे प्रदेशों का इस देश के अंदर शामिल होना हुआ, उसके लिए अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह संविधान है और संविधान के माध्यम से जो लोकतांत्रिक ढंग से सरकारें चुनी गयीं, उनका नेतृत्व करने वालों ने सिक्किम और गोवा जैसे प्रदेशों को हमारे देश के अंदर मिलाया। इस देश के अंदर कई नागरिक देश को छोड़कर गये, कई देश से भी लोग इस देश के नागरिक बने, पर देश में निरंतर आगे बढ़कर अगर किसी ने ऊर्जा दी, किसी ने दिशा दी तो वह हमारा संविधान है। इस संविधान के अंदर हमको बहुत अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का हम कितना उपयोग करते हैं, अधिकारों के साथ हम कितना खेल खेल रहे हैं आज यह हम सब लोगों को इनके बारे में सोचने की आवश्यकता है।

अभिव्यक्ति का अधिकार हमको संविधान से मिला है। हम उसको किस रूप में उपयोग में ले रहे हैं। जब कभी भी किसान को कुछ ताकत मिलती है, किसान के लिए कुछ कदम आगे बढ़ने की व्यवस्था में कुछ कोशिश होती है तभी इस देश के अंदर विवाद क्यों होता है? वे मजबूत लोग

(श्री हरीश चौधरी)

हैं, पूंजीपति लोग हैं, वे स्थापित लोग हैं, उस वर्ग को कुछ अतिरिक्त मिलता है। जब कभी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के तौर पर हमको जो अधिकार मिला हुआ है, वह आवाज हमारी क्यों दब जाती है? इस प्रदेश के अंदर कई फैसले हुए हैं। कई फैसले सही भी हुए हैं कई फैसलों में कमी भी रही होगी। हेमारामजी चौधरी साहब ने जो बताया, ऐसे कई फैसले और होने भी बाकी हैं। इस लोकतंत्र में यह व्यवस्था है कि किसानों को भी ताकत मिली। आज मैं यहां सदन के अंदर खड़ा हूं उसका एकमात्र अगर कोई कारण और वजह है तो वह इस देश का संविधान है। देश के संविधान ने ऐसे प्रावधान किए जिससे हम लोगों को, हम मजदूर हुआ करते थे, टीनेंसी एक्ट, भूमि अधिकार का बिल जो लेकर आए थे, उस समय की तत्कालीन सरकार ने हमारे लाखों मजदूरों को किसान बना दिया। उस वक्त भी उसका विरोध करने वालों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से बहुत विरोध किया, वे स्थापित लोग थे, वे ताकतवर लोग थे, लोक सभा के अंदर भी विरोध किया, विधान सभा के अंदर भी विरोध किया, पर हम लोगों के उस समय फैसले करने वाले लोग, विधान सभा और लोक सभा में जो सम्मानित सदस्य थे उन्होंने कभी भी टोका नहीं, कभी भी रोका नहीं। हमारे संविधान के अंदर हमारे को विचारधारा रखने की स्वतंत्रता है, हर किसी के विचार सुनना हम लोगों का कर्तव्य है। अगर हम सहमत नहीं हैं तो हम उस चीज के लिए खड़े होकर किसी और के विचार के लिए बाधक बनकर संविधान की मूल भावना को मान रहे हैं या नहीं, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में आप सोचिए। यह विचारधारा बदलती रहेगी। कई लोग आज हमारे सामने एक विचारधारा को एक राजनीतिक पार्टी में अपनी जगह रखने के लिए बड़ी मजबूती से पैरोकारी कर रहे हैं। एक वक्त था उन लोगों का, जब उस विचारधारा से बिल्कुल विपरीत वे मजबूती से उस विचारधारा का विरोध करते थे। इस संविधान में हमारे पास प्रावधान है कि कोई भी अपनी विचारधारा रख सकता है और बदल भी सकता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जब संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, व्यवस्था दी है तो सबके पास यह स्वतंत्रता है। हम लोग जब कोट करते हैं तो कोट करने से ज्यादा मिसकोट करते हैं। अगर पूरी तरह से हम किसी की विचारधारा को समझेंगे नहीं, सिर्फ किसी और पर कीचड़ उछालने के लिए... बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश को बहुत कुछ दिया, हम लोगों

(श्री हरीश चौधरी)

को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। बाबा साहेब के नाम पर हम लोग कुछ ऐसे कोट करें, मेरा नम्र निवेदन है माननीय सदस्यों से कि हम लोग कम से कम आज जब संविधान को याद करने के उपलक्ष्य में बातें कर रहे हैं तो ऐसा न करें।

मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने किस विचारधारा के बारे में क्या कहा, क्योंकि आज यह अवसर नहीं है। किसी और दिन अगर उनकी किसी विचारधारा के बारे में बहस होती तो मैं कोट और अनकोट दोनों कर लेता, पर आज का दिन उसके लिए सही नहीं है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं है, यह सक्रिय संस्थाओं का एक सजीव संग्रह है। आज संस्थाओं के साथ क्या हो रहा है? हमें लगता है कि ये सब चीजें स्थायी हैं। यह गलतफहमी कई बार कई लोगों को हुई है, उनमें चाहे हम लोग भी क्यों न हों। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर किसी के पास स्थायी ताकत है तो वह जनता के पास है।

आज हमारी संस्थाओं के साथ क्या हो रहा है? आज हम गंभीरता से इसके बारे में सोचें। सीएजी जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसे क्या मैंडेट था? यही कि वह सिर्फ अकाउंट्स पर विश्लेषण करके देश के सामने रखेगी। ऐसी संवैधानिक संस्थाएं किसी और मकसद से देश के सामने किसी चीज का आकलन करके रखें। वह अलग बात है कि न्यायपालिका ने एलोकेशन और आक्शन का जो फासला था, जिसको वे संवैधानिक संस्था में बैठकर किसी और भ्रम और भ्रांति के कारण करप्शन कह रहे थे, वह न्यायपालिका ने अपने आप ही आक्शन और एलोकेशन के बीच के अंदर चीजें की थीं।

आज इलेक्शन कमीशन हमारे लिए स्वतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वह इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन से किसी भी दबाव में अगर कोई गलत फैसले कराने की परम्परा शुरू होगी तो उस आग की लपेट में कौन-कौन आएंगे। आज सदन के माध्यम से मेरा नम्र निवेदन है हम लोगों को इन संस्थाओं के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि भविष्य में ये संस्थाएं मजबूत कैसे हो सकती हैं। आज लेटरल एंट्री के बारे में बात हो रही है। आज लेटरल एंट्री से देश की व्यवस्था के अंदर क्या

(श्री हरीश चौधरी)

चीज होगी? हर कोई यह चाहता है कि मुझे जो कोई भी स्थान मिला हुआ है उससे अतिरिक्त स्थान मिले।

एक वर्ग यह चाहता है देश के अंदर कि मुझे एब्सोल्यूट स्पेस मिले। जो मैं सोच रहा हूं, उसे करने के लिए पूरा का पूरा अधिकार मुझे मिले। उसके कारण आज जो तीसरा पिलर हम लोग कहते हैं, उसके अंदर ये दखलंदाजी कर रहे हैं लेटरल एंट्री से। व्यवस्था के अंदर वह ईंट एक हटती है, यह हम लोग देख रहे हैं। वह एक ईंट नहीं हट रही है। उसके पीछे मकसद क्या है? उसके पीछे मकसद और बहुत बड़े हैं। मेरा आज इस पावन अवसर पर निवेदन है कि ऐसे कृत्य जो गैर संवैधानिक हैं, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। इन्हें रोकने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए।

सभापति महोदय, जेहन में कई बातें आ रही हैं। समय कम है। मैं कोशिश करता हूं कि जो व्यवस्था है, उसकी सीमा में रहूं। इस सदन में एक बात कही गयी जम्मू-कश्मीर के बारे में। वहां संवैधानिक अधिकार के तहत जमीन हर भारतीय ले सकता है। ऐसी व्यवस्था हुई है, इसके लिए धन्यवाद। हिन्दुस्तान के किसान उस दिन का भी इंतजार कर रहे हैं, हजारों सिख परिवार इंतजार कर रहे हैं। जो दो नाम यहां लिये गये, महिमामण्डन करने के संदर्भ में जो दो नाम लिये गये, जो केन्द्र में पदों पर हैं। मेरा उन लोगों से भी नम्र निवेदन है कि हमारे पड़ौस में गुजरात है, हजारों किसान और देश के दूसरे किसान भी उस प्रदेश में जमीन लेने के अधिकार के लिए इंतजार कर रहे हैं।

पहले तो हजारों किसानों को, जो सिख परिवार के किसान हैं, उन्हें वह अधिकार दिला दें। फिर देश के बाकी किसानों को भी वह अधिकार दिला दें। महिमामण्डन अगर किसी का करना है तो हम संविधान का करें, स्वतंत्रता सेनानियों का करें। उनके बारे में भ्रांतियां पैदा करके अपने आपको राष्ट्रवादी हम लोग अगर घोषित करना चाहते हैं तो अफसोस से कहना चाहता हूं कि यह मुमकिन नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी ने भी इस संविधान को मैला करने की कोशिश की तो देश की जनता उसे मिटा देगी। इसलिए, पवित्र मन से, पवित्र सोच से, पवित्र कर्म से, दिखावे के लिए नहीं, हम इस संविधान को अपनाकर अनुसरण करें, यही आज हमें प्रण लेना चाहिए। सिर्फ संविधान के संदर्भ में कोई आयोजन कर लेना बहुत आसान है।

(श्री हरीश चौधरी)

मैं पिछले दिनों पाली गया। एक साधु ने मुझे सलाह दी कि गायों का पूजन बहुत आसान है। गायों के पूजन से गाय बच नहीं सकती है। आप समाज के हमदर्द कुछ सोच में परिवर्तन करें। गायों का पालन करने की अगर सोच रखेंगे, तब गायें बचेंगी। उसी तर्ज पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। सिर्फ हाथी के ऊपर हम संविधान को लेकर घूमें, सिर्फ किसी और मकसद से हम लोग घूमें, संविधान के लिए कुछ भी आयोजन करें, जब तक अपने दिलों में, अपने ज़ेहन में संविधान को हम नहीं रखेंगे, तब तक हम संविधान के प्रति सच्ची आस्था नहीं रख सकेंगे। धन्यवाद, जय हिन्द, राम-राम सा।

श्री सभापति: माननीय श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, राष्ट्रीय संविधान दिवस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसका आभार व्यक्त करते हुए मैं जिस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं उसके लिए यह क्षण बड़ा गौरवमयी है, क्योंकि लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में जो पहला चुनाव राजस्थान में हुआ 1952 में, उसमें जो पहले विधायक चुनकर आये जसवंत सिंह जी तंवर साहब, वे उस संविधान निर्माण समिति के सदस्य थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में कैलिग्राफ्ड है। न तो उसे कहीं टाइप किया गया था, न कहीं प्रिंटेड था।

संविधान की खासियत यह है कि Constitution of India is a document that give wings to aspirations of 130 crore people. यह एक ऐसा डाकूमेंट है, जो देश के 130 करोड़ लोगों को हौसलों की उड़ान देता है। वह हौसलों की उड़ान, जिसके बारे में प्रिएम्बल में लिखा हुआ है कि WE, THE PEOPLE OF INDIA शुरुआत ही WE, THE PEOPLE OF INDIA से होती है कि the citizens are the authority, we as a collectively whole decide that how we want nation. Its 'WE', its not 'YOU', 'ME' and 'I'; its 'WE'. इसी We की बदौलत आज हम देखते हैं कि हमारा भारत विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आगे आया है।

'JUSTICE, LIBERTY, EQUALITY and FRATERNITY' जो संविधान में शब्द दिये गये हैं, वे सबकान्शियसली हम सबको एक-दूसरे का सम्मान करना, जात-पांत, धर्म से ऊपर होकर भाषा, लिंग भेद और संस्कृति से अलग हटकर रहना सिखाते हैं। इसी की बदौलत हम देखते हैं, जो संविधान

(श्री सुमित गोदारा)

ने हमें शक्ति दी, उसके कारण साधारण परिवार में जन्म लेकर अटल बिहारी वाजपेयी देश के तीन बार प्रधान मंत्री बने। गुजरात के साधारण परिवार में जन्म लेकर हमने देखा कि नरेन्द्र मोदी जी भारत के दो बार प्रधान मंत्री बने। रामेश्वरम में मछुआरों की गलियों में जन्म लेकर मछुआरे का काम करते हुए देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बने।

हमने देखा कि पी.वी. नरसिंहराव आन्ध्र प्रदेश में जन्म लेकर देश के प्रधान मंत्री बने। राजस्थान में साधारण किसान परिवार में जन्मे, कोई जागीरदार परिवार में नहीं जन्मे, राजस्थान के तीन बार मुख्य मंत्री रहे और भारत के उप राष्ट्रपति बने श्री भैरोंसिंह जी शेखावत साहब और हमारे सदन में हमने देखा कि साधारण परिवार में जन्म लेकर अशोक जी गहलोत राजस्थान के तीन बार मुख्य मंत्री बने तो यह संविधान की ताकत है, यह लोकतंत्र की ताकत है जो संविधान ने हमें दी और उसकी बदौलत हम देख रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ा है। ऐसा संविधान उस समय बनाया गया जब हमारे देश में राजतंत्र, मोनार्की था क्योंकि Nation as a concept is a late 19th century concept.

उससे पहले ज्यादातर राज्य ही थे और उस राजतंत्र, मोनार्की से लोकतंत्र, डैमोक्रेसी की ओर हमारा देश अग्रसर हुआ, मजबूत हुआ वह यह मजबूत संविधान हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया उसकी बदौलत हुआ।

(16.21 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

इस संविधान की अनेक खासियत हैं पर एक सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगी वह यह है कि भारत का संविधान सर्वशक्तिशाली है और संसद में भी इस संविधान को ओवरराइड करने की शक्ति नहीं है। इसमें आर्टिकल 368 आफ कांस्टीट्यूशन है जो संविधान के अमेंडमेंट के पावर देता है except the basic structure of the Constitution में कभी बदलाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा सर्वशक्तिशाली हमारा संविधान है।

उसमें जो फण्डामेंटल राइट्स और ड्यूटीज दी गयी हैं, फण्डामेंटल राइट्स जिसमें राइट टू इक्विलिटी का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें भारत के समस्त नागरिक कानून के सामने समान हैं। उस कानून के सामने समान है जिस कानून ने देश के पूर्व प्रधान मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों को भी

(श्री सुमित गोदारा)

जेल में भेजा और देश के संविधान के प्रति यह विश्वास जगाया कि भारत में सभी व्यक्ति कानून में समान है, ऐसा विश्वास हमें संविधान ने दिया। Right to equality, Right to opportunity, यहां पर जात-पांत, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता। अनटचेबिलिटी, जिसको छुआछूत कहते हैं उसको अम्बेडकर साहब ने खतम करने का, इक्वल अपार्च्युनिटी का जो प्रयास किया जिसमें एस.सी. वर्ग को जो आरक्षण उस समय दिया गया उसकी बदौलत आज हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। हम सब चाहते हैं कि हमारा भारत महान बने, पर यदि अम्बेडकर साहब ने उस समय आरक्षण नहीं दिया होता तो देश का एक वर्ग आज भी पिछड़ा हुआ होता और कुछ वर्ग ही आगे जाता तो भारत कभी महान नहीं बनता। उस संविधान में जो आरक्षण दिया गया उसी की बदौलत आज सारे वर्ग, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में उस समय दिया गया।

Right to freedom, जिसमें हमें अपनी बात रखने का है कि देश में किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। इसका जीता-जागता उदाहरण है कि आप कहीं भी बाहर चर्चा करोगे, आम आदमी को यदि आप किसी बात के लिए टोकोगे, साधारण व्यक्ति कोई भी बात करे तो वह कहेगा कि यह मेरा संवैधानिक अधिकार है, इससे आप मुझे रोक नहीं सकते। यह ऐसी जागरूकता आई वह हमारे संविधान की वजह से आई।

यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसमें अपने को वोट देने का अधिकार दिया गया, इसमें भारत अनोखा देश है जहां पर सभी को दिया गया। आप देखो कि वार्ड पंच हम चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, पंचायत समिति सदस्य चुनते हैं, जिला परिषद् सदस्य चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, ऐसा अधिकार विश्व में कहीं नहीं देखा जाएगा। अमेरिका जिसकी डैमोक्रेसी हम भारत के समान मानते हैं उसमें भी सबको यूनिवर्सल राइट 1965 में दिये गये थे और भारत में 1947 में जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। सब समान, यह भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी शान है जो हर व्यक्ति, आम आदमी, गांव में बैठा व्यक्ति भी यह कहता है कि राजा और रंक, चाहे कोई भी हो, एमएलए, एमपी, साधारण व्यक्ति हो, हम सब बराबर हैं क्योंकि लोकतंत्र ने हम सबको समान अधिकार दिये हैं जो भारत के संविधान ने हमें यह अधिकार दिये हैं।

(श्री सुमित गोदारा)

मुझे अपने आपको गौरवान्वित महसूस होता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र का नागरिक होने के नाते इसी संविधान की बदौलत थार रेगिस्थान क्षेत्र में हम जहां जन्मे, जहां जात-पांत के नाम पर, ऊंच-नीच के नाम पर लोग बंटे हुए हैं और विकास के नाम पर शून्य है वहां ऐसा क्षेत्र मजबूत लोकतंत्र ने दिया वह क्षेत्र आज विकास में आगे बढ़ रहा है। वह संविधान के कारण आगे बढ़ रहा है। जहां पिछड़ों को आरक्षण मिला, जहां गरीब को समान सुविधाएं मिलीं, ऐसा हमारे संविधान ने हमें दिया है।

मैं इस समय एक विशेष बात का उल्लेख और करना चाहूंगा कि हमारे देश को 2022 में आजादी के 75 साल हो रहे हैं उसमें सिवाय इमरजेंसी, जिसे कहें कि एक ब्लेक स्पाट था, देश के लोकतंत्र में काला अध्याय था जिसने हमारे भारत को शर्मसार किया, बाकी हमारे देश की आजादी को जो 75 साल होंगे उसमें देश का लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ है। हम तुलना करते हैं कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तब उस समय उन्होंने उपाधि दी थी भारत एक फेल्ड स्टेट होगा। यह देश जो इतनी जातियां, इतने धर्मों, इतने कल्चर में बंटा हुआ है यह देश कभी एक नहीं हो सकता और आज हमारे भारतीयों ने वी द पीपल, जो प्रेम का दिखाया है कि हमारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है। 1940 और 1960 के बीच में विश्व में जितने देश आजाद हुए उनमें भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आज तक मिलिट्री कूप नहीं हुआ, सैनिक शासन नहीं हुआ, वह हमारे इस संविधान ने किया और आप सबने जिन्होंने लोकतंत्र को आगे बढ़ाया उसी की बदौलत यह हुआ। उस समय का हम देखते हैं कि हमारे आस-पास के देशों में चाहे वेस्टर्न एशिया देखो, पश्चिम एशिया, वहां लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। साउथ-ईस्ट एशिया देखो वहां बुरा हाल है। अफ्रीका देखो, साउथ अमेरिका देखो, सैण्ट्रल अमेरिका देखो, सब फेल्ड स्टेट हैं और पूरे विश्व में जो एक देश है जिसका तिरंगा लहरा रहा है और पूरा विश्व देख रहा है, वह है हमारा मजबूत लोकतंत्र भारत जो पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसे देश का नागरिक होते हुए गौरवान्वित महसूस करते हुए जो हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारत के इतिहास में हम सर्वश्रेष्ठ काल में जी रहे हैं जहां इतनी सुविधाएं हैं चाहे सरकार कोई भी हो। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां देखता हूं कि पहले वहां कोई भी विकास नहीं था

(श्री सुमित गोदारा)

और आज सड़कें, पानी, स्कूलें पहुंची हैं। यही हमारे लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया। इसी भारत का जो सपना हम संजोए हुए थे कि भारत आगे बढ़े और संविधान दिवस पर हम सब यह प्रण लेकर जाएं कि जिस तरह फण्डामेंटल राइट हैं, फण्डामेंटल ड्यूटी भी हमारी हो। चाहे हम विधायक हों, आम नागरिक हों, हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें। हमारा भारत महान बने चाहे कोई भी व्यक्ति जिसकी जो ड्यूटी है जैसे 6 घंटे किसी कर्मचारी की ड्यूटी है कि उसे 6 घंटे काम करना है और यदि वह पूरे मन से ड्यूटी करेगा तो हमारा देश अपने आप विकास करेगा, जो फण्डामेंटल ड्यूटी है।

मैं आप सबको हम सबकी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए कि इतना शानदार कार्यक्रम किया गया और हमें लोकतंत्र के एक हिस्से के रूप में संविधान दिवस पर बोलने का अवसर दिया, आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री साहब का भी कि हम जो प्रथम बार आये हैं उन्होंने देखा कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी सुबह से लगातार यहां रहे। आभार देना चाहूंगा कटारिया साहब, राठौड़ साहब, सतीश जी को जिन्होंने यहां बैठकर जो पहली बार आये हैं उनका हौसला बढ़ाया। राष्ट्रीय संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला जी। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बिलकुल सही बोलूंगी। आप का लालच खतम क्यों नहीं हो रहा। आज संविधान पर चर्चा है और फिर भी आप लालच की बात कर रहे हैं। हम संविधान के अनुरूप हैं, हम लालची नहीं हैं। मंत्री से भी ज्यादा काम हो रहे हैं हमारे, हमारे काम होने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आजाद भारत के संविधान पर चर्चा हो रही है। संविधान का मतलब है स से समर्पित, सम्पूर्ण, वि से विवेकशील, ध से धार्मिकता और न से नतमस्तक देश के लिए। संविधान कह रहा है कि-

"ऐ मेरे भारत देश के वासियों,
कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे,
मैं तुम्हारी हर उलझनों के मुकम्मल का समाधान हूं,
मैं भारत का संविधान हूं, भारत के लोकतंत्र की पहचान हूं।
रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान का भान हूं,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की मैं आन हूं,
मैं भारत का संविधान हूं, भारत के लोकतंत्र की पहचान हूं।
हर राज्य की बोली, भाषा, संस्कृति, पहनावे का मान हूं,
पशु, पक्षी, धरोहर, इतिहास, ग्रंथ, वेदों का अनुमान हूं,
स्त्री, पुरुष, इन्सां, देवी, देवों का सम्मान हूं,
भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न की शान हूं,
मैं भारत के लोकतंत्र की पहचान हूं, मैं भारत का संविधान हूं।'

संविधान के अगर मायने समझें तो शायद मेरा भारत देश और भारत देश के नागरिक नदी के गंगाजल की तरह पवित्र हों। संविधान दिवस 26 नवम्बर, 1949 हमारे इतिहास का हिस्सा बन गया लेकिन मुझे लगता है कि 26 नवम्बर, 2019 भी संविधान की रक्षा का, लोकतंत्र को कायम रखने का एक प्रसिद्ध उदाहरण बन गया है। इसके लिए कोर्ट धन्यवाद का पात्र है। भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी के हाथ में एक किताब है और वह किताब इसलिए है क्योंकि किताब को भी गुरू बताया गया है। उसके जरिये पढ़कर एक ज्ञानवान इन्सान के विचार उसमें उल्लिखित होते हैं।

उसमें अनुभव होता है, भारत के संविधान का पहला शब्द, उद्देशिका, प्रिएम्बल, ये प्रारम्भिक शब्द हैं, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। किसी जाति, धर्म, रंग, भाषा, समुदाय, लिंग, आयु, शब्द इसमें एकता का दृश्य दिखाई देता है। सभापति महोदय, संविधान समाज की आत्मा भी है और समाज का आईना भी है। संविधान, जिसमें सार्थकता दिखती है, नजर आती है। समाज की संरचना, राजनीतिक शासन के रंग रूप की जानकारी उसमें दिखाई देती है, वह चित्रित होती है संविधान के अंदर।

सभापति महोदय, विश्व के दृष्टा भारत के पहले प्रधान मंत्री सम्माननीय जवाहर लाल नेहरूजी ने उद्देश्य प्राप्त किया था, संविधान के प्रस्ताव के रूप में उन्होंने रखा था कि मेरे भारत देश की संरचना कैसी हो, एक भी अंग को ऐसा नहीं छोड़ा, जिसके लिए उन्होंने अपने प्रधान मंत्री रहते हुए काम नहीं किया हो। बारम्बार जिक्र किया जा रहा था अभी एक धारा हटाने का, लेकिन अगर यह राज्य हमारे देश का अभिन्न अंग ही नहीं होता, तो किसमें से हटाते? उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए, देशी रियासतों का एकीकरण करने के लिए पटेल साहब ने, तो किन-किन परिस्थितियों का

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सामना करना पड़ा होगा। ज्ञान की जानकारी चाहते हैं तो इतिहास पढ़ लीजिए, आजकल नेट पर उपलब्ध है, पूरा समय यहां पर नहीं है।

मैं संविधान के लिए बता रही हूं आपको, क्यों दे देते, वह हमारा अधिकार है। हमारे देश का अंग है, अंग था और उसको बचाने के लिए क्या-क्या शर्तें मंजूर नहीं की होंगी, उसको बचाना ही उस वक्त का उद्देश्य था। अगर दादा ही नहीं होता तो पोता, आखिर कुआं पूजन का जश्न कैसे मना लेते आप।

सभापति महोदय, जितनी नीतियां बनीं, चाहे अणु-परमाणु हो, वैज्ञानिक तौर पर हो, देश के हित में जितनी भी नीतियां बनीं, वे इतिहास के पन्नों में अमिट हैं। उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। स्वतंत्र राज्य की मांग के रूप में संविधान सभा का जब गठन हुआ, पहली मीटिंग हुई, जिसमें अम्बेडकरजी ने भाषण दिया था कि राजनीतिक लोकतंत्र के स्वरूप को निश्चित करना, यह प्रतिपादित करना कि हमारा देश आर्थिक आदर्श लोकतंत्र बने, न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, लेकिन ये सब चीजें कब चलेंगी, जबकि चलाने वाला, संविधान की नीतियों पर चलने वाला, किस नीति का व्यक्ति है, यह उस पर डिपेंड करता है।

संविधान संशोधन के कारण ही महिलाओं को हिस्सेदारी मिली, युवाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, इंदिराजी ने संशोधन करके धर्म-निरपेक्ष और समाजवाद का उदाहरण प्रस्तुत किया। अभी इसी तरह से बोल दिया जाता है कि यह तो फलां ने किया, यह नहीं, यह तो उसने किया। मुझे लगता है कि ढूंढ रहे हैं, उस बात को भी झुठलाने के लिए, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो किस तरह से पड़ौसी देशों की सेना को घुटनों के बल हथियार टिकाने का मौका दिया, वे थीं हमारी इंदिरा गांधीजी। तो उसको भी शायद झुठलाने के लिए कोई मौका ढूंढ रहे हैं। वह भी उन्होंने नहीं, किसी और ने किया होगा। लेकिन, इतिहास के पन्ने पर यह निर्धारित है, नक्शा बदला वर्ल्ड का, यह नक्शों में अंकित है।

प्रवीण और प्रखर वक्ता, प्रबुद्ध बुद्धिमान वकील डा. भीमराव अम्बेडकरजी पहली सभा में अध्यक्ष बने। उन्होंने लिखने में जो मशक्कत की, जितना समय लगाया और उसको लागू किया, उस दिन से देश की राजनीति की धारा चल पड़ी थी। मुझे लगता है, जो इतिहास में अंकित है, अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा जनता का, जनता के लिए और

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जनता द्वारा सरकार बने, यह लोकतंत्र के सशक्तीकरण की एक सबसे मजबूत परिभाषा है। संविधान, राज्यों और नागरिकों के बीच में जो एक रिश्ता है, वह कमजोर होता दिखाई दे रहा है क्योंकि, संविधान की शपथ लेने वाले, संविधान की रीति और नीतियों को भूलते जा रहे हैं। जिनके आधार पर भारत देश में किसी भी राज्य में असामाजिकता को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि संविधान के अंदर यह लिखा हुआ है, अम्बेडकरजी ने काम किया, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, दलित, नारी के उत्थान के लिए। विश्व इतिहास में जो नाम किया, उनके अंदर कर्मयोगी हो, नि:स्वार्थ, निर्भीक, सत्य के भाव, मानव आदि सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता स्त्रियों, विकलांग हो, दृष्टिहीन हो, सभी को स्वावलम्बी बनने के लिए उसमें अंकित किया गया है। मौलिक अधिकार हों, नीति निर्देशक तत्व हों, जिन चीजों को तोड़-मरोड़कर आज संविधान की किस तरह से क्या हालत देख रहे होंगे ऊपर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, वे भी शर्माते होंगे कि ये क्या हाल हो रहा है।

जितनी नीतियां बनीं वे सारी हमारी सरकार ने, देश के पूर्व प्रधान मंत्रियों ने मिलकर बनायीं, एक किसी व्यक्ति ने नहीं। पिछले दिनों मैंने संसद की कार्यवाही भी कई बार सुनी है, एक पार्टी के नेता ने संविधान बदलने, सर्कूलर बदलने जैसे शब्द कहे थे और फिर वहीं पर विरोध हुआ तो बदलने की बात आई। संविधान को कई दिनों तक स्वीकार नहीं किया, किसने नहीं किया, सब भलीभांति परिचित हैं। इतिहास को अगर उठाकर देखें, चाहे राणा प्रताप के सेनापति हकीम खां हों, सब एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से, इंसानियत जिंदा थी, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित थे। बाबा साहब ने जब संविधान बनने के बाद में, संविधान सभा की बहस में एक प्रस्ताव रखा गया कि मूल अधिकारों में नागरिकों द्वारा हथियार रखने का भी इसमें प्रस्ताव लिया जाए...

श्री सभापति: कृपया, समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): लेकिन, धन्य हो सरदार पटेलजी ने उसे खारिज करवाया, नहीं तो आज क्या हालत होती इस देश की? यदि उस नेता का नाम लूंगी तो हड़कंप मच जाएगा, लेकिन उससे मानव की गरिमा स्थापित हुई। फिर शांती धारीवालजी वाली बात हो जाएगी, इसलिए नहीं। हमारे राजस्थान में जो नीति हमारी सरकार ने बनाई आरक्षण की, जैसे बात हो रही थी अगर सुदृढ़ीकरण नहीं होता, मुख्य मंत्री महोदय नहीं करते तो व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पाता 10 परसेंट का। पिछली सरकार में तो क्या

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

-क्या हुआ मैं ज्यादा नहीं कहूंगी लेकिन संविधान और संवैधानिक नीतियों पर चलकर जो नयी-नयी नीतियां बनाईं डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इस इंडिया को सभापति महोदय, क्रिटिकल इंडिया बना दिया। अगर बनानी ही थी तो संविधान में संशोधन करके युवाओं के लिए रोजगार की नीति बनाते।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): दो मिनट। किसानों की नीति बनाते। गऊ माता की नीति बनाते कि किसी भी किस्म की भूमि हो उस पर गायों का अधिकार बने। ऐसी नीति बनाते। ऐसी बनाने की आवश्यकता है। आज जहां पर नारे लगाये जाते हैं संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यह सोचने वाला विषय है।

सभापति महोदय, आपका धन्यवाद है जहां पर इस देश की क्या हालत की जा रही है। जहां पर इन्सान बेचा जाए, ऐसा मेरा भारत नहीं था। जहां ईमान खरीदा जाए, ऐसा मेरा भारत नहीं था। जहां संविधान के लोकतंत्र से छेड़छाड़ की जाए, ऐसा भारत नहीं था। जहां राज और कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गुजर जाए, ऐसा मेरा भारत संविधान नहीं था।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री रामलाल जी। सुश्री दिव्या मदेरणा। कृपया समय का ध्यान रखें। पांच मिनट पहले से ही तय है।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, बीकानेर जिले के हालात बहुत खराब हैं। सारे किसानों की फसलें नष्ट हो गयी हैं। अगर मेरी बात नहीं सुनी गयी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आज तो आपकी ही बात सुनी जा रही है माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): मैं धरना दूंगा पूरी रात भर अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाती बीकानेर जिले की। किसान की फसल नष्ट हो रही हैं। मैं धरने पर बैठूंगा। मेरी यह मांग है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। दिव्या मदेरणा जी।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): It gives me an immense sense of pride.... यह मेरे समय में मत गिनिये इनको आप।

धरना

(माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय विधायक महोदय, लालचंद जी कटारिया जी से बात करो आप। पधारो। बुला रहे हैं। बात कर लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में भी ओलावृष्टि हुई है। किसानों की सारी फसल चौपट हो गयी।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): सभापति महोदय, सरकार सामने बैठी है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसका कुछ जवाब दें।

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा। आप विराजो।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: हम सर्वसम्मति से संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जान बूझकर व्यवधान डालना हो तो अलग बात है। संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजो। सुश्री दिव्या मदेरणा जी।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, it gives me sense of immense pride to participate in this debate today on completion of 70th glorious years of this Constitution Day. लोकतंत्र का उद्‌बोधन हूं, अधिकारों का संबोधन हूं। मैं संविधान हूं। मैं न्यायशक्ति का लोचन हूं। 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मसमर्पित किया गया 16 अनुच्छेदों के साथ में। जोधपुर के प्रसिद्ध विधिवेत्ता लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने प्रस्ताव दिया 1979 में कि 26 नवम्बर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और 2015 में बाबा साहब अम्बेडकर का 125वां जन्मदिवस मनाने के अवसर पर इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बड़ी कठिन विषम परिस्थितियों

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

में इस संविधान का निर्माण हुआ और आज सत्तर साल बाद भी यह किस तरीके से हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट और गारंटी करता है, 9 दिसम्बर, 1946 के अन्दर ही सबसे पहली बार जब इस संविधान सभा की बैठक होनी थी तभी अंग्रेजों ने कह दिया था कि यह नहीं होगी। यह नेहरू और पटेल की जिद थी कि 9 दिसम्बर, 1946 को ही सभा होगी। सभा हुई और बहुत सी अड़चनें आयीं कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। नये राज्यों के गठन का आधार क्या होगा, भौगोलिक होगा या भाषा के ऊपर होगा। बहुत सारी दिक्कतें थीं। आदिवासियों, जनजातियों की अपनी संस्कृति है, उसके बारे में उनके भविष्य के बारे में देशी रियासतों, अल्पसंख्यकों के बारे में राष्ट्र भाषा को लेकर था। संविधान समिति के एक सदस्य आर.वी. धुलेकर ने तो यह तक कह दिया था कि जो व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते उन्हें संविधान सभा के सदस्य होने का अधिकार नहीं है। उन परिस्थितियों में एक खूबसूरत दस्तावेज निकलकर आया It's not a static document; it's an organic document. यह सदन और सरकार चलाने का दस्तावेज नहीं है, लोकतंत्र को सिंचित करने में भी इसकी एक अहम भूमिका है। Constitution is not only a framework to conduct the Rule of Law; but it is a framework of way life.

संविधान के अन्दर कांग्रेस का जो योगदान है उसकी बात नहीं करेंगे तो यह चर्चा अधूरी रह जाएगी। 208 कांग्रेस के सदस्य थे और बहुत-सी बातें यहां कही गयीं कि कांग्रेस ने किसको टिकट दिया, किसको नहीं दिया और क्या उनके कथन कहे गये। वेवेल ऑस्टिन के दो कथनों को दो ट्रैजरी बैंचर्स के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वह एक सामाजिक दस्तावेज है। वेवेल ऑस्टिन की एक किताब है The Indian Constitution: Cornerstone of A Nation और उसमें वह कहते हैं संविधान सभा का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब भारत। भारत सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तीस ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस के नहीं होकर वहां आये थे। अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, हृदयनाथ कुजरू, एन. गोपालास्वामी अयंगर, डा. बी.आर. अम्बेडकर, के. संथानम, एम.आर. जयकर, डा. सच्चिदानन्द सिन्हा, डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हरेन्द्र कुमार मुखर्जी और आप हैं कि लोकतंत्र में अपनी आस्था की दुहाई देते हैं, 6 वर्षों से विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दे रहे हैं। Dr. B.R. Ambedkar; I would like to take this opportunity to

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

pay homage to this man; who has wisdom and sensitive heart in building this Constitution today.

आजकल कई नेता संविधान की चिन्ता जुबानी तौर पर तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके विचारों को अधिक से अधिक खोखला बनाने की कोशिश करते हैं। डा. अम्बेडकर के कंसेंसस के कन्सेप्ट को हाशिये पर धकेलने की बात करते हैं। Participatory form of democracy वे जो सपने संजोये गये थे, कहां है वे आज सब? वे सपने कहां गये हम देख सकते हैं। डा. अम्बेडकर का एक कथन था कि अगर इन्सान भक्ति करे तो रूह जन्नत में चली जाए लेकिन सियासत में भक्ति डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगी। यह परिप्रेक्ष्य हमें देखने को मिलता है - Political dictatorship is dangerous for democracy. अम्बेडकर कब कांग्रेस के टिकट पर आये, टिकट नहीं दिया, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, उसके इतिहास का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगी। बी.एन. राव जब इंग्लैंड गये तो आइवर जेनिंग्स जो कि कांस्टीट्यूशंस के ज्ञाता माने जाते थे, उनको उन्होंने कहा कि भारत संविधान का निर्माण कर रहा है, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए तो जेनिंग्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूरी दुनिया के संविधान के मास्टर तो आपके पास भारत में बैठे हैं। उन्होंने पूछा कौन, तो बोले कि डा. बी.आर. अम्बेडकर। उन्होंने वापस भारत आकर यह बात डा. राजेन्द्र प्रसाद को बताई और तुरन्त डा. राजेन्द्र प्रसाद जी ने उस वक्त के मुम्बई के प्रधान मंत्री बी.जी. खैर को लैटर लिखकर कहा कि मुम्बई से विधान सभा को रिक्त करवाया जाए। एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिलवाया, कांग्रेस के टिकट पर डा. अम्बेडकर विधान सभा से सदस्य बनकर आये और बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। संविधान के जनक और जननी दोनों के रूप में मैं उन्हें देखती हूं।

पंडित जवाहर लाल नेहरू के योगदान की भी आज लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान में एक अतुल्य भूमिका है। स्पेशली मैं 9 शिड्यूल की बात करना चाहूंगी। अध्यक्षता से लेकर जिन भी परिस्थितियों में आये नेहरू का विजन था- the vision of democracy; the vision of India was Nehru. 13 दिसम्बर, 1946 को उन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। आगे चलकर यही उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना के आधार बने। 22 जुलाई, 1947 को

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार किया गया और उनके भाषण का एक-एक शब्द यह बताता है कि राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भावना थी। 14 अगस्त, 1947 को आजादी से पूर्व की संध्या पर जो उनका भाषण था 'Tryst with Destiny' वह बताता है कि हमारे भारत में हमारी क्या भावना थी। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, डाक्टर अम्बेडकर, सबने साथ मिलकर समाधान किया। उस समय सबसे बड़ी समस्या थी सामाजिक और आर्थिक न्याय की। 98 परसेंट भूमि केवल 2 परसेंट लोगों के पास थी। भूमि सुधार की आवश्यकता थी लेकिन उसको न्यायालय में चेलेंज किया जा सकता था। उस वक्त के कुछ विपक्षी दल, विपक्षी सोच के लोगों ने कहा कि यह अंतरिम संसद है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, आप इंतजार कीजिए आम चुनाव का। दैट्स द टाइम पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा, भारत की जनता ने बहुत इंतजार कर लिया, अब इंतजार नहीं कर सकती। That was the first and only amendment made by the Interim Parliament and the 9th schedule और भूमि सुधार को भी उसमें लाया गया जिसको जुडीशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। I would also like to remember, इंदिरा गांधी जी, जिनकी डैमोक्रेसी में अपनी एक आस्था थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया। वह रुस्तम वर्सेज भारत संघ में चेलेंज हुआ और बाद में 25वें संशोधन के साथ उसको कांस्टीट्यूशन में प्राथमिकता मिली। उसी 25वें संशोधन के साथ उन्होंने कुछ नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी। उन्होंने राजा-महाराजाओ के प्रिवीपर्सेज बंद किये। उनकी आस्था थी कि राजा और रंक में कोई फर्क नहीं होना चाहिये, सबको समान दृष्टि से समानता का अवसर मिलना चाहिये। चर्चिल ने कहा था कि भारत का लोकतंत्र दो दशक में समाप्त हो जाएगा, भारत के टुकड़े हो जाएंगे लेकिन आज भी उन सबसे बना हुआ यह जीवंत डाकूमेंट आज हमारे साथ है और हमेशा भारत को आगे विकास की डोर पर ले जाएगा। 35वें संशोधन के साथ इंदिरा गांधी जी ने सिक्किम को भारत का राज्य बनाया। 36वें संशोधन के साथ सिक्किम को विशेष प्रावधान दिये और 42वें संशोधन के साथ में, प्रधान मंत्री जी का भाषण मैंने देखा था, उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सब जो आजकल मेन फोकस कर रहे हैं वह कर्तव्यों पर कर रहे हैं। 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 (ए) से लेकर

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आये गये थे। क्यों आज हम इस डगर पर आ गये हैं कि अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन की चर्चा आज एक मुख्य चीज बन गयी है। हम किस तरफ विचलित हो रहे हैं, क्या उसके कारण हैं और अनेकों ऐतिहासिक संशोधन जो उन्होंने किये जिसके साथ अनुच्छेद 39 (ए) जहां सरकार समाज के कमजोर वर्ग के लिए नि:शुल्क न्याय और विधि सहायता की व्यवस्था करेगी। 43 (ए) जहां राज्य उद्योगों में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। 48 (ए) जहां दायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। हर जाति, सम्प्रदाय, धर्म, वर्गों को मिलाकर विविधताओं में सबकी भावना, अपेक्षा और आकांक्षाओं को भारत का संविधान पूरा करता है। कांसेप्ट आफ यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी हमारे यहां किया गया। 1990 में अमरीका में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था जबकि अनुच्छेद 326 में महिलाओं को मत अधिकार हमने शुरू से दिया। प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने बाद में इस वोट के अधिकार को 21 से 18 वर्ष कर दिया और युवा शक्ति में अपने विश्वास को बताते हुए झलकाया। आज इस चर्चा को इस सदन से ग्राम पंचायत तक ले जाने की बात हो रही है, विशेषकर युवाओं तक पहुंचने की आवश्यकता है। जो फेक न्यूज, टेम्पर्ड न्यूज, सोशल मीडिया से एक तरह की विचारधारा को थोपकर उन्हें अपंग, उनकी मानसिकता को अपंग करने का काम चल रहा है। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम, स्पेशल ड्रिवन प्रोग्राम कैंपेन्स के थ्रू यूथ तक पहुंचाने की जरूरत है। आई एम मिलेनियर जी हां, वही मिलेनियर जिसे किसी ने कहा था, मुझे नहीं पता कि अर्थव्यवस्था में मंदी इसलिए आ गयी है कि मिलेनियर कार और ओला को इस्तेमाल करते हैं। आई एम द सेम मिलेनियर और आंकड़े बताते हैं कि वह मिलेनियर जो शिक्षित हैं, जिनके पास संसाधन हैं they have the lowest participation percent in the political democracy. क्यूं हमारा मोह भंग हो रहा है, इसमें सोचने की आवश्यकता है।

राजीव गांधी जी दल बदल कानून लेकर आये। मुझे लगता है आज के इस परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र में और जो हम देख रहे हैं, इस कानून को दुबारा संशोधित करने की आवश्यकता है। यहां तक उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने अपने किसी एक भाषण में कहा है कि anti-defection Law is not implemented in letter and spirit. वह भी व्यथित हैं इसको देखकर। एनआरसी

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

की बात हो रही है, हमने असम समझौते से असम की समस्या का समाधान किया था।

मैं एक और बात करना चाहूंगी, महिलाओं के 33 प्रतिशत की बात करना चाहूंगी और आप घंटी मत बजाइए, महिलाओं की सुरक्षा और गारंटी का सवाल है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर विचार

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): एक महिला बोल रही है आप झिझक क्यों रहे हैं, हां भरिए।

श्री सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): संविधान निर्माण में महिलाओं की एक बड़ी अहम भूमिका थी जिसको सही ढंग से रेखांकित नहीं किया गया। I will like to take this opportunity to remember those women, जिनका एक कांट्रीब्यूशन रहा है। विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रॉय, एनी मोसकोर्ने, पूर्णिमा बेनर्जी, मालती चौधरी, रीला रॉय, हंसा मेहता, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल।

श्री सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): न्यायपालिका की भी एक अहम भूमिका रही है। केशवानंद भारती में उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ने

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

दिया। विशाखा में there were guidelines given for women protection और सबरीमाला मंदिर में, मैं स्पेशली महिलाओं के लिए कहना चाहती हूं कि वह महिला जो सबरीमाला में गयी थी उस पर अभी दो दिन पहले मिर्ची छिड़क दी गयी थी। यह शासनकर्ता क्या कर रहे हैं।

एक और चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही अनुच्छेद 25 के द्वारा सबको अधिकार है कि हिन्दू मंदिरों में वह जा सके लेकिन एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की वह अनुच्छेद 17 के तहत थी कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): ...कारणों की वजह से मंदिर में प्रवेश को रोकना आर्टिकल 17 की तरह छुआछूत है, मुझे लगता है कि हमें आईना देखने की जरूरत है। आईपीसी 497 और आईपीसी 377 में जो संशोधन किये, वह भी अभिनंदनीय हैं। मॉब लिंचिंग पर जुडीशियरी ने कहा कि आप लॉ बनाइए। मुझे गर्व होता है कि राजस्थान वह पहला स्टेट है जिसने उस पर कानून बनाया।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): आधुनिक युग में हमारे पर यह एक धब्बा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें करने की जरूरत है कि किस तरीके से आजकल जो लोकतंत्र को, संविधान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगी, विपक्ष के उप नेता ने प्रधान मंत्री की स्पीच को कोट करते हुए कहा था कि उन्होंने एक कांसेप्ट दिया डिग्निटी फोर इंडिया और यह कहा कि देश भक्ति हमारे मन में है लेकिन आपके मन में नहीं, But what about the dignity of Maharashtra, what about the Governors; when they have made stringent process and when the Supreme Court say's, गवर्नर्स को भी देखा जाएगा कि किस तरीके से किया। आप इस तरह मत कहिए जिसने स्वतंत्रता के बलिदानों में अंगुली नहीं कटाई हो, वह कहे कि हमारे मन में बसते हैं और आपके मन में नहीं बसते। I have got few suggestions, I am going to make quick suggestions. आज बहुत सारे चैलेंजेज हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं इस कारण हम यह डिबेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जूडीशियल

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

सिस्टम की बात करूंगी 'Justice delayed is justice denied' और मैं भुगतभोगी हूं, मैं जानती हूं what is justice delayed and what is justice denied. प्रतिपल मैं हर सांस के साथ इस चीज को भुगतती हूं। आज कितना इनफ्लो है, आपके सीजेआई ने कहा है, बार-बार सब कह रहे हैं केसेज का कितना इनफ्लो है, टाइमली जस्टिस नहीं हो रहा है और किस तरीके से पद कम हैं, पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बैंचेज .....

श्री सभापति: कृपया अब समाप्त करें। मैं अगला नाम पुकार रहा हूं, श्री रामलाल जी शर्मा। कृपया अब आप विराज जाएं।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्योंकि मैं माननीय सदस्य चौमूं नहीं हूं, ठीक है Constitution recognized; the Parliament is a supreme expression for the people of India.

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): वह आप हो भी नहीं सकतीं।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैं बनना भी नहीं चाहती। 2018 के यूनियन बजट को आप बिना बहस के पारित कर देते हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मुझे लगता है कि इस संविधान की जो भावनाएं हैं, उनकी पालना इनको भी करनी चाहिये। आपने मेरा नाम पुकार लिया, यह मेरे अधिकारों का हनन कर रही हैं। माननीय सदस्य मेरे अधिकारों का हनन कर रही हैं।

(17.00 बजे)

श्री सभापति: प्लीज आप बैठ जाइये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): लास्ट लाइन। लोकतंत्र के सूरज को राजनैतिक अपराधों, घोटालों और भ्रष्टाचारों से बचाना है, किरण-किरण जोड़कर नया सूरज बनाना है। आइये सब मिलकर सार्थक रूप में एक नये संविधान के अंदर इस संविधान को नये तरीके से बिना भेदभाव आगे ले जाने का काम करें। धन्यवाद।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से ही एक सार्थक बहस और चर्चा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बुलाये गये इस विशेष सत्र में चल रही है। इस विशेष सत्र में आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, मैं उन चीजों पर नहीं जाऊंगा, जिनकी चर्चा मेरे से पूर्व माननीय सदस्य कर चुके हैं। चर्चा इस बात की भी मैं नहीं करूंगा कि

(श्री रामलाल शर्मा)

हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितने अनुच्छेद थे? मैं उन गहराइयों में नहीं जाना चाहता। मैं सीधे-सीधे उन बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो ठेका एक पार्टी ने ले लिया है कि देश को आजाद भी हमने ही कराया है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की रक्षा भी हमने की है और संविधान को बचाने का काम भी हमने ही किया है। सभापति महोदय, आजाद देश भारत के अंदर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उनकी सरकार चल रही थी तो केरल राज्य में 1957 में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी थी। सभापति महोदय, इतिहास इस बात का साक्षी है कि पहली गैर-कांग्रेसी सरकार जब बनी तो दो साल का कार्यकाल करने के बाद उस सरकार को जाना पड़ा।

सभापति महोदय, मैं उस चीज की चर्चा भी आपके सामने करना चाहूंगा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हां, वह एक काला धब्बा था, काला दिवस था, जो 26 जून, 1975 को आपातकाल लगा, उसको इन्होंने स्वीकार भी किया। सभापति महोदय, एक तरफ यह कहते हैं कि समानता का अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उस बिंदु की ओर ले जाना चाहूंगा, जब एक घटना उत्तर प्रदेश के अंदर घटित होती है तो उस घटना का उसी स्टेट से संबंध होता है, लेकिन इन्हीं की सरकार ने तत्कालीन समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चार सरकारें जो जनता ने चुनी थीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनी थीं, उन सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, तो क्या आपने उस समय लोकतंत्र को बचाने का काम किया या संविधान के अनुसार चलने का काम किया?

सभापति महोदय, भोपाल की त्रासदी के अंदर ऐसे लोगों की जानें गयीं, जिनका कोई दोष ही नहीं था। उस गैस त्रासदी के अंदर जो एंडरसन थे, उनको काली रात को विदेश भेजने की अनुमति किसने दी? किसने जाने दिया जो कि मुख्य आरोपी था। सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्य एक चर्चा 26/11 की कर रहे थे। 26/11 की चर्चा इस आधार पर कर रहे हैं, 26/11 को हमारे संविधान को स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया। वह बाबा साहेब अम्बेडकर की देन थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने मेहनत, परिश्रम करके हमको एक ऐसा दस्तावेज दिया, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करने का काम नहीं करे लेकिन

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय 26/11 की उस घटना के दोषी कौन लोग हैं, जिसमें मुंबई में निर्दोष लोगों की जानें गयी थीं। वह घटना भी 26/11 ही थी। उस घटना को पैदा किसने किया? पंजाब के अंदर आतंकवाद पैदा हुआ। सरकार तो उस समय भी थी। कठोरता से कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? जम्मूकश्मीर के अंदर भी आतंकवाद ने जन्म लिया। तत्कालीन समय में आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, वह भी वे संविधान के दायरे के अंदर कर सकते थे। कितने लोग अपने घर-बार छोड़कर शरणार्थी के रूप में जम्मू-कश्मीर और दिल्ली की सड़कों के ऊपर जीवन बिताने के लिए मजबूर हुए। आखिर कौनसे संविधान की धाराओं ने आपको रोकने का काम किया था या उनका मौलिक अधिकार नहीं था या अभिव्यक्ति की आजादी उन लोगों को नहीं थी? सभापति महोदय, मैं जिक्र उस चीज का भी करूंगा कि आखिरकार वे कौन लोग थे? कौनसी विचारधारा के लोग थे, जब याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को उनकी दहलीज के ऊपर जाकर न्याय मांगने की आवश्यकता कर रहे थे? सभापति महोदय, मैं उस चीज का भी जिक्र करूंगा कि एक नहीं, अनेकों घटनाएं आजाद भारत के अंदर ऐसी हुईं। आपातकाल के दौरान कई लोग जेल के अंदर गये, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए गये, संविधान की रक्षा करने के लिए गये। कई महीनों तक जेल में रहने के बाद उनकी जो स्थिति थी, बिल्कुल खतम हो चुके थे। परिवार के परिवार खतम हो चुके थे। जब एक सरकार संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत मीसा बंदियों को पेंशन देती है तो कौनसी सरकार के पेट में दर्द होता है कि मीसा बंदियों की पेंशन भी रोकने का काम करे।

एक तरफ आप समानता का अधिकार देने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ ऐसे लोग, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी, उनके लिए भी आप ऐसे बैरिकेड लगाकर उनकी पेंशन बंद करने का काम कर रहे हो। सभापति महोदय, मैं उस चीज का भी जिक्र करूंगा। सबने बात की कि कर्तव्यों की बात करो, मौलिक अधिकारों की बात मत करो। सभापति महोदय, सबको जीने का अधिकार है, लेकिन इंसान ने बुद्धिजीवी होने के नाते खुद ने अपने अनुकूल कानून बनाने का काम किया। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सांभर झील के अंदर 25 हजार पक्षी मर गये। क्या किसी थाने में कोई एफ.आई.आर. दर्ज हुई? कौनसे थाने में एफ.आई.आर.

(श्री रामलाल शर्मा)

दर्ज हुई? क्या किसी को दोषी माना? आखिरकार एक पक्षी दूसरे पक्षी को मार तो नहीं सकता, कोई न कोई गुनाहगार जरूर है। किस वजह से, करंट लगने से मरे, कोई बीमारी फैलने से मरे। अच्छा, हत्या की थी क्या? मेरे खयाल से पक्षी आत्महत्या तो नहीं कर सकते। सभापति महोदय, चिंता इस बात की है कि सिर्फ इंसान अपने जीने के लिए सारे कानूनों का उपयोग करे और इस पृथ्वी के ऊपर जो अन्य वन्यजीव हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय, आवश्यकता और चिंता इस बात की भी है। अभी एक दिन मैंने अख़बार में पढ़ा था कि एक गाय की टक्कर से पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया। सभापति महोदय, क्या हमारा नैतिक कर्तव्य इतना नहीं है कि हम उनकी माकूल व्यवस्था कर सकें। दुर्घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उनको रोकने का काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन सरकार उसके बारे में चिंता करती।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ इतनी बात आपके सामने रखूंगा कि अभी महाराष्ट्र सरकार की चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की। सभापति महोदय, हम इंसान हैं। एक-दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास इस आधार पर करते हैं कि जो कुछ कह रहा होगा, वह सच कह रहा होगा, इसलिए विश्वास करते हैं।

सभापति महोदय, महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी पार्टी के विधायक दल के नेता, हमारी पार्टी के नेता को आकर यह कहे कि साहब, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं और उन्होंने बाकायदा हस्ताक्षर करके एक परिपत्र दिया। सभापति महोदय, परिपत्र इस बात का दिया कि साहब हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, आप सरकार बनाएं तो विश्वास तो करना पड़ेगा न। अब कल डिप्टी सीएम साहब हमें आकर यह कहें कि हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं या संसदीय मंत्री जी यह कहें कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं तो विश्वास करना पड़ेगा। आ सकते हैं तो आएं, स्वागत है, क्या दिक्कत है। सभापति महोदय, इतिहास इस बात का साक्षी है कि +++ सभापति महोदय, इस देश के अंदर सबसे अधिक शासन या तो कांग्रेस ने किया है या कांग्रेस की समर्थित पार्टी ने किया है।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, ये इंदिरा गांधी जी का नाम लेकर दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इन्हें ग्रेसफुल तरीके से बोलना चाहिए और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस तरीके की बातों को सदन की कार्यवाही से निकालना चाहिए।

श्री सभापति: निकाल दीजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सचेतक महोदय, इस बात का इतिहास साक्षी है। आप कोई भी किताब उठाकर देख लें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): रामलाल जी, जहां तक आप विश्वास की बात कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी, कटारिया जी पर विश्वास करते। आप कौनसे विश्वास की बात कर रहे हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, अगर मैं असत्य वचन कर रहा हूं, आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लो ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसका जवाब दो। सारे संविधान को किसने तार-तार किया?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पद और गोपनीयता की शपथ, आपने और हमने देखा है, लेकिन इन्होंने गोपनीयता में पद की शपथ ले ली।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): +++

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): राज्यपाल साहब को पूरी रात सोने ही नहीं दिया, चिट्ठियां ही लिखवाते रहे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, प्रमाण है। सभापति महोदय, मुझे एक चीज बता दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): आपके अधिकारी पार्षदों के घर जाकर उनको धमकाते फिरते हैं। (व्यवधान) तब आप कहां गये थे। अलवर में जो आपने लूट की, उसे किसने नहीं देखा है। किस तरह आपने अलवर के अंदर लूटा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने सदस्य को नहीं बोलने दे रहे हैं। समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, हो सकता है कि समर्थन कोई भी किसी भी पार्टी को दे सकता है और सरकार बना सकते हैं, लेकिन यह कहां की नैतिकता है कि एक ही पार्टी के सारे सदस्यों को सम्मिलित कर

(श्री रामलाल शर्मा)

लिया जाए और पार्टी का अस्तित्व ही खतम कर दिया जाए। यह कहां की नैतिकता है? यह कहां का संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? यह कहां का औचित्य है, आप बताएं तो सही। सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन करके अपनी बात को पूरा करूंगा। सभापति महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है। मैं सीधी-सीधी बात करता हूं। सभापति महोदय, बांकी-टेढ़ी बात करता ही नहीं हूं।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज हमें कर्तव्यों की आवश्यकता है। आज परिवारों की क्या स्थिति हो गयी? हमारे परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी क्या स्थिति हो गयी? अपनी सामाजिक मर्यादा की वजह से वह कैसा जीवन जी रहे हैं, यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि जिस भावना से सत्र आहूत किया गया है उस भावना की पूर्ति तभी हो सकती है जब हम विधायक हमारे कर्तव्यों का भी पालन करें और अन्य सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। जिन माननीय उम्मीदवारों को जनता ने ही नकार दिया, ये सरकार के मद में, सत्ता के प्रभाव में हमारे अधिकारों का हनन करने में लग रहे हैं। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिनको जनता ने नकारा है, वे भी सत्ता के मद में फीते काटने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, नैतिकता की दुहाई, सरकार अपनी गिरेबान में झांककर देखे तब मुझे लगेगा कि सरकार ने निश्चित रूप से जिस भावना से सदन को बुलाने का काम किया है, उसकी पूर्ति हो पायेगी। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चंदेलिया। कृपया समय का ध्यान रखें। समय नहीं है।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और विश्व का सबसे शानदार संविधान। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकर की बहुत बड़ी देन इस देश को, इस देश के नागरिकों को। हमें इस बात पर गर्व है। 26 नवम्बर, 1949 बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन संविधान के प्रारूप को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। हम सबके लिए, हमारे सभी देशवासियों के लिए संविधान सभा और प्रारूप समिति दोनों ही समितियां हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, आदरणीय हैं।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

देश आजाद होने से पहले महात्मा गांधी जी ने इस बात की मांग शुरू कर दी थी कि हमें देश को आजाद कराते ही अपने संविधान की आवश्यकता पड़ेगी और वह संविधान ऐसा होगा जो देश की आवश्यकतानुसार होगा, देश के नागरिकों की आवश्यकतानुसार होगा। उसके लिए निश्चित रूप से आज भी हम महात्मा गांधी जी को, हमारे राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो प्रारूप समिति बनाई गयी वह संविधान सभा के द्वारा बनाई गयी थी जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे महान नेता थे जिनकी अनुशंसा पर डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और उस प्रारूप समिति में कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी, कन्हैयालाल माणिक्य लाल जी मुंशी, माधव राव जी, टी.टी. कृष्णामाचारी जी और मोहम्मद सादुल्लाह आदि को नोमिनेट किया गया था। प्रारूप जो प्रस्तुत किया गया, उसमें प्रथम हस्ताक्षर करने वाले हमारे पूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी और हमारे राजस्थान के बलवंत राय मेहता थे। टोटल उस समय जो हस्ताक्षर हुए, वह 284 थे।

मैं निवेदन करता हूं कि अधिकार और कर्तव्य के विवेचन पर आज हमारा जो स्पेशल सेशन रखा गया है, वह सारी की सारी बातें जस्टिस, लिबर्टी, इक्विलिटी, फेटरनिटी आदि जो हमारा प्रिएम्बल है, वहां से निकलती हैं। वहीं से अधिकार निकलते हैं, वहीं से कर्तव्य निकलते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं यह कहता हूं कि अधिकारों के साथ-साथ जो कर्तव्य जोड़े गये हैं, निर्धारित किये गये हैं, उन सबकी अनुपालना करना हम सबका कर्तव्य है। हम सबका धर्म है। निवेदन यह करूंगा कि आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 36 से 40 और 42, अगर इनको न केवल हम बल्कि देश के सभी नागरिक गंभीरता से देख लें, उनका अनुसरण करें तो निश्चित रूप से संविधान की भावना की अनुपालना होगी और संविधान के सिद्धान्तों की अनुपालना होगी। संविधान बन गया। हमारे विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की पार्टी है और हम लोग भी उसमें शामिल हैं, बन तो गया लेकिन जो निजीकरण देश में हो रहा है, एक तरफ तो संविधान के आरक्षण की गारंटी दी गयी है कि आरक्षण इस प्रकार से किया जाएगा। सरकारी सिस्टम में जो नौकरी लगेंगे, उसमें आरक्षण होगा लेकिन प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो कुछ हो रहा है, उसमें आरक्षण की अवहेलना नहीं की जा रही? क्या संविधान

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

के प्रावधानों का गला नहीं घोंटा जा रहा है? यह बहुत सोचनीय विषय है। इसके लिए दलित और वंचित लोग चिंतित हैं। इस बात के लिए हमें विचार करना चाहिए। संविदा पर जिनको काम पर लगाया जाता है, उन लोगों के माध्यम से भर्ती की जाती है और अल्टीमेटली उन लोगों को रेगुलर कर दिया जाता है। क्या यह आरक्षण के प्रावधानों की अवहेलना नहीं है? इसमें निश्चित रूप से आरक्षण के प्रावधानों की अवहेलना होती है। दलितों के साथ आज ग्रामीण क्षेत्रों में और कहीं-कहीं शहरी क्षेत्रों में भी भेदभाव किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, क्या यह संविधान की भावना के अनुरूप है? निश्चित रूप से उसके खिलाफ है। यह हमारे कंसर्न का विषय है। हमारी चिंता का विषय है।

धार्मिक सहिष्णुता और समरसता की बात करते हैं। जो वातावरण देश में फैलाया जा रहा है। जो सिस्टम एडोप्ट किया जा रहा है, जो चर्चाएं की जा रही हैं, जो भाषण दिये जा रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता को धता बताया जा रहा है। क्या यह संविधान की भावना के विपरीत नहीं है? अगर विपरीत है तो मेरे विचार से आत्मचिंतन करना होगा। धर्म के आधार पर, धार्मिक बातों के आधार पर जो असहिष्णुता पैदा की जा रही है, समरसता को खराब किया जा रहा है, यह बातें भी निश्चित रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय दिलाने के मामले में संविधान की भावना के अनुरूप राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इकोनोमिकल बैकवर्ड क्लासेज के जो लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, उनको आरक्षण दिया गया है। उसमें जो सम्पत्ति वाला प्रावधान हटाया गया है और केवल आय के आधार पर आरक्षण दिया गया है, यह संविधान की भावना के अनुरूप है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): अंत में, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो चर्चा हम कर रहे हैं, इस चर्चा के साथ-साथ इस सदन को एक संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी लोग जो संविधान के प्रावधान हैं, संविधान की जो भावना है, उसके अनुरूप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में और अपने राजनीतिक जीवन में अपने क्षेत्र में इस बात को फैलायेंगे। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खिलाड़ी जी बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सभापति महोदय, आज संविधान दिवस के इस अवसर पर सम्माननीय सदस्यों द्वारा सुबह से एक मार्मिक चर्चा हो रही है। पक्ष-विपक्ष दोनों अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। आज का दिन केवल इसी बात का है कि बाबा साहेब और उनकी टीम ने जो संविधान हमको दिया उस पर आज पूरे दिन, पूरा राजस्थान और पूरे सम्माननीय सदस्य डिस्कस कर रहे हैं। संविधान के कर्तव्य, इस शब्द को अगर गहराई से देखा जाए तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है कि प्रदेश की विधान सभा और देश की लोक सभा, इसका अगर ढंग से पालन करें तो मैं समझता हूं कि संविधान का इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। आज संविधान बनाने वाले लोग हम ही हैं। संविधान का पालन करने वाले लोग भी हम ही हैं। हमको राजस्थान के लोग भी देख रहे हैं, हिन्दुस्तान के लोग भी हमको देख रहे हैं और पूरा संसार देख रहा है कि राजस्थान का संविधान कैसा है और उस पर कैसी मार्मिक चर्चा चल रही है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम ही तोड़-मरोड़कर ऐसी पोजीशन में खड़े किए हुए हैं जिससे बाहर जो लोग हैं, वह लोग यह कहते हैं कि संविधान बनाने वाले ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान का जो मूल स्वरूप है, उसको हम आगे तक लेकर चले आएं तो देखेंगे कि कितना अत्याचार गरीबों पर हुआ है, हो रहा है, दलितों पर हो रहा है। गरीबों की जर-जोरू और जमीन पर किस तरह से कब्जे हो रहे हैं। यह सब चीजें हैं जो संविधान में हैं और इसके बावजूद भी हम ठीक ढंग से उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी आपने देखा कि चाहे हरियाणा का मैटर हो, चाहे महाराष्ट्र का मैटर हो, सदन में कुछ चर्चाएं भी हुई, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता लेकिन ये सब चीजें पूरा देश देख रहा है। यहां तक बातें होती हैं कि सीटों की कहीं एक-दो की कमी रही तो विधायक महोदय आप लोग सम्भल कर रहना, नहीं तो अपहरण करके, और पता नहीं कब किसको मार कर भगा दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आज तो कम से कम हमको मेहरबानी करके मर्यादा में रहना ही चाहिए, नहीं तो हम खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं। विधायक चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अगर आज के दिन संयम बरतेंगे तो मैं

(श्री सभापति)

समझता हूं कि हमारे जीवन में कोई न कोई अच्छी ही बात रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सभापति महोदय, हम विकासशील देश की ओर अग्रसर हैं लेकिन पूर्ण विकसित तभी हो पाएंगे, जब यह बाकी की जो तकलीफें हैं, भेदभाव हैं, गरीबी उन्मूलन है, दलितों पर अत्याचार हैं, ये सब चीजें जब तक ठीक नहीं हो जाएंगी। विकास की जो दर है और जो दोनों पहिये गाड़ी के हैं, जब तक बराबर ठीक नहीं हो जाएंगे, तब तक यह चीज ठीक नहीं हो पायेगी।

मैं इस मौके पर एक बात और कहूंगा कि हमको सोचना चाहिए और एक फैसला करना चाहिए। पार्टी कोई भी हो सकती है लेकिन चुनाव पूर्व कोई भी गठबंधन, दो गठबंधन होने चाहिए, चाहे वह कितनी भी पार्टियां हों। किन्हीं भी दो पार्टियों में अपना तय कर लें। चाहे 'ए' में रहे या 'बी' में रहे। वह गठबंधन रिजल्ट के बाद में बखूबी रहना चाहिए कि इस तरह से टूट-फूट होकर और जो देश के हालात खराब हो रहे हैं, उन हालातों से बचने के लिए और देश को मजबूती देने के लिए यह पहले कमिटमेंट होना चाहिए। जो भी रिजल्ट हो, उसी की सरकार बननी चाहिए, ताकि जो होने वाली बर्बादी है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, बैरवाजी समाप्त करें।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): जो देश का नुकसान है, उससे बचने के लिए हम पार्टियों को एक साथ बैठकर इस ओर अग्रसर होना चाहिए। सभापतिजी, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वरजी गर्ग।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

विभिन्न विषयों पर विचार

भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर विचार

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने गम्भीर विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने विशेष सत्र बुलाया। प्रारम्भ में उन्होंने जो भावना प्रकट की, जैसी चर्चा की उम्मीद उन्होंने की, वह उम्मीद पूरी हो सकती थी, यदि प्रारम्भ में ही माननीय यातायात मत्रीजी या माननीय राजस्व मंत्रीजी बोले होते तो शायद सार्थक चर्चा की तरफ हम बढ़ते पर अब माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी जैसे हैं, वैसे हैं, जैसी उनसे उम्मीद थी, वैसा उन्होंने किया।

शुरू में उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि सरकार चलाएंगे तो एक धर्म ग्रंथ के आधार पर चलाएंगे। तब मुझे एक बात याद आ रही थी कि 2002 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अनुसूचित जाति वर्ग की एक बड़ी रैली थी, लाखों लोगों की मौजूदगी में तत्कालीन प्रधान मंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीजी का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि अब हम मनु स्मृति के हिसाब से सरकार चलाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब देश मनु स्मृति के आधार पर नहीं, भीम स्मृति के आधार पर चलेगा। यह भीम स्मृति नाम देकर संविधान के प्रति जो सम्मान उन्होंने प्रकट किया और डाक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो सम्मान प्रकट किया, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। आपका काम है आरोप लगाना, आप लगायेंगे।

माननीय उप मुख्य मंत्रीजी अपने भाषण के दौरान कह रहे थे कि अभी-अभी हमको अम्बेडकर के प्रति प्रेम हुआ है। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1952 के आम चुनाव में और 1953 के उप चुनाव में जब रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाक्टर भीमराव अम्बेडकर लोक सभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब आप और आपकी पार्टी और आपकी सरकार पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में जी-जान से लगी हुई थी कि वे नहीं जीत पाएं। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच जैसी संस्थाओं की स्थापना की, दत्तोपंत ठेंगड़ीजी, जिनका अभी यह जन्म

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

शताब्दी वर्ष है, वह डाक्टर अम्बेडकर के चुनाव कार्यालय में बैठकर चुनाव संचालन कर रहे थे और संघ के स्वयंसेवक उनको जिताने में लगे हुए थे। हमारा रिश्ता अम्बेडकर से बहुत पुराना है। आपको नहीं पता, अपनी जानकारी ठीक कर लीजिये।

मैं जिक्र कर रहा था 2002 की रैली का, वह रैली इसलिए की गयी थी कि अटल बिहारीजी वाजपेयी की सरकार ने तीन संविधान संशोधन किये थे, 81वां, 82वां और 85वां। क्यों करना पड़ा था, नरसिम्हा रावजी के बाद में दो सरकारें ऐसी रहीं, गुजराल साहब की और देवेगौड़ाजी की, उन दो सरकारों के कार्यकाल में पांच आफिस मैमोरेंडम ऐसे निकले, जिनके कारण अनुसूचित जाति वर्ग के पदोन्नति में आरक्षण पर आघात हुआ। उन दोनों प्रधान मंत्रियों को प्रधान मंत्री बनने के लिए सपोर्ट देने वाले कौन थे, आप लोग। आपके समर्थन से दोनों प्रधान मंत्री बने थे। आपके समर्थन से वह सरकारें चल रही थीं। उस समय पांच ओ.एम. जारी हुए, जिसके कारण अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के पदोन्नति में आरक्षण पर आघात हुआ, रुकावट आई। सारे रिटायर्ड आई.ए.एस. आफिसर्स बैठे हैं, अभी-अभी बोल रहे थे। वह रुकावट दूर करने के लिए, सत्ता में आने के बाद तुरंत अटल बिहारीजी वाजपेयी की सरकार ने काम किया, 81वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन इसीलिए किये गये थे, मेरे हाथ में लिस्ट है। मैं पढ़कर बता सकता हूं, लेकिन आप मुझे इतना समय देंगे नहीं।

उस समय पंजाब हाई कोर्ट का इन्दिरा साहनी केस में एक फैसला आया। पंजाब हाई कोर्ट ने फैसला दिया पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। वह फैसला पूरे देश में कहीं लागू नहीं हुआ। उस समय माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत यहां मुख्य मंत्री थे। सौभाग्य से मैं भी विधायक था। उस समय यह चर्चा आई। उस फैसले की कापी लेकर लोग आये। भैरोंसिंहजी पर दबाव डाला, लागू करिये। भैरोंसिंहजी ने कहा, मैं यह फैसला राजस्थान में लागू नहीं करूंगा। 1998 में सरकार बदल गयी। 1999 में इन्दिरा साहनी केस का पंजाब हाई कोर्ट का फैसला राजस्थान में लागू हुआ। माननीय मुख्य मंत्रीजी यदि मेरी आवाज सुन रहे हों तो कल के अपने भाषण में जवाब दें, इनके हाथ से लागू हुआ और इनके कारण पूरे राजस्थान में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग पदावनत हुए। जो यू.डी.सी. बने हुए 10-10 साल से काम कर रहे थे, वे एल.डी.सी. बने, जो ओ.ए. बन गये थे, वे वापस यू.डी.सी. बने, जो ओ.एस.

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बन गये थे वे वापस ओ.ए. बने। यहां तक कि 10 आई.पी.एस. आफिसर, दो एस.टी. के थे और उसमें 8 एस.सी. के थे, दस आई.पी.एस. आफिसर, साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल से एस.पी. के रूप में काम कर रहे थे, उनको रिवर्ट करके एडिशनल एस.पी. बनाकर वापस कबूतरखानों में डाला गया। चुन्नीलालजी मेघवाल मेरे वहां पर जालौर में एस.पी. लगे हुए थे। उनको एडिशनल एस.पी. बना दिया सी.आई.डी., सी.बी. में, यहां पी.एच.क्यू. में लगाया गया। यह पाप आपके हाथ से हुआ है। आप लोग एससी. और एस.टी. के हितैषी होने का दावा करते हों, पर जहां-कहीं भी एस.सी., एस.टी. के नुकसान करने की बात आई है, उसमें आप कहीं पीछे नहीं रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे अटलजी के नेतृत्व में हो, चाहे माननीय नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में हो, तुरंत उन्होंने हमारे हित का काम किया है।

अभी एट्रोसिटी एक्ट का मामला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उस एक्ट को कमजोर किया जा रहा था। सरकार रिव्यू पिटीशन में गयी। उसमें भी हार गयी तो तुरंत अध्यादेश जारी करके उस एक्ट को पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर दे दिया। आप लोग नहीं कर पाये। हमने वह करके दिखाया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप लोग अनुसूचित जाति के हित का ढोल बजाना बंद करिये, यह ढकोसला करना बंद करिये। आपने कभी भी इस वर्ग को न्याय नहीं दिया। केवल अम्बेडकर का नाम उपयोग करके आपने शासन का सुख, सत्ता का सुख भोगा है पर उनको अपने कभी वास्तविक रूप में लाभ नहीं दिया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत का संविधान एक जीवित संविधान है। इसलिए उसमें समय-समय पर परिवर्तन भी होते रहे हैं। 104 बार परिवर्तन हो गये। 104 में से 75 परिवर्तन आपने किये हैं, आपकी सरकारों ने किये हैं लेकिन आरोप हम पर कि हम संविधान को बदलने जा रहे हैं, संविधान को बदल डालेंगे, हम संविधान को समाप्त कर देंगे। 104 बार परिवर्तन, संशोधन हुए हैं, उसमें से 75 आप लोगों के शासनकाल में हुए हैं, फिर भी आरोप आप हम पर लगाना चाहते हैं तो वह आपकी राजनीति है, उसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संविधान की मूल भावना, मूल मंत्र है, समता, समरसता, समानता। संविधान का मूल मंत्र केवल इन दो-तीन शब्दों में समाहित हो जाता है, समता, समानता और समरसता। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 70

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

साल में इस देश ने समता की तरफ बढ़ने में बहुत अच्छी पहल की है, समरसता की तरफ यह देश बढ़ रहा है। बहुत हद तक ऊंच-नीच, भेदभाव कम हुए हैं, समाप्त हुए हैं और अधिक उनको समाप्त करने की जरूरत है और अधिक प्रयास करने की जरूरत है और उसके लिए और अधिक हमको संकल्प लेने की जरूरत है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आखिरी बात निवेदन कर रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी यह कह रहे थे कि सारी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। महाराज, सारी संस्थाओं को हम, आपका आरोप थोड़ी देर के लिए मान भी लें तो हम तो कमजोर कर रहे हैं न, आपने तो 1975 से लेकर 1977 तक सारी संस्थाओं को समाप्त कर दिया था, आपने संविधान को निलम्बित कर दिया था। संविधान पूरे 31 महीने तक निलम्बित अवस्था में रहा और उसको बचाने के लिए, उसको वापस लागू करवाने के लिए जो लोग लड़ रहे थे, जो लोग आपके डंडे खा रहे थे, जिन लोगों को आपने जेलों में डाल रखा था, जिन पर आप लोगों ने अमानवीय अत्याचार किये, उनके लिए सरकार ने कुछ किया तो आपके पेट में मरोड़े उठ गये और उस पर भी आपने गाज गिरा दी। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): और इसलिए जब एक देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधान मंत्री के लिए कुछ बोलता है तो आपको तकलीफ हो गयी। लेकिन जब आपकी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआजी ने यह कहा था कि- "Indira is India and India is Indira" तब आप लोग चुप क्यों थे? तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया कि इंदिराजी इंडिया नहीं हो सकतीं, तब आप नहीं बोले।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इसलिए कम से कम आप तो हम पर आरोप मत लगाइये। इन मुद्दों पर आप बोलने लायक स्थिति में नहीं हैं और इसी बात के साथ, सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय गर्ग साहब, यह तो अटलजी ने भी कहा था। यह तो अटलजी ने भी संसद में कहा था कि- "India is Indira" ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा। आप पुराने आदमी हो, आप रिकार्ड देखकर बोलिए, कभी नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आप सुनिए। यह देवी है, इंदिरा देवी है, यह तो अटलजी ने भी कहा था। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य जोगेश्वरजी, समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या कहा था, यह मैं बताता हूं। 1971 के युद्ध के बाद वह अटल बिहारी वाजपेयीजी थे। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): प्लेन में क्या हुआ, वह बता दो आप तो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आप तो संस्था की बात कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 1971 के युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने यह कहा था कि इंदिराजी दुर्गा का अवतार है और जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तब आपकी सोनिया गांधी कह रही थीं कि संसद का सत्र बुलाओ, बहस करो, बताओ कैसे घुसपैठ हुई? पहले बाहर निकालने दो, यह फर्क है, यह सारी दुनिया जानती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री चेतन सिंह चौधरी। माननीय सदस्य, समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): संस्था यदि कोई नष्ट हो रही है तो सिर्फ एक संस्था नष्ट हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके नक्शे से गायब हो रही है, यह आपको चिंता है, यह आप चिंता करें। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे संविधान पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

प्रत्येक देश, संविधान, कुछ नियम, कुछ प्रक्रियाओं के तहत चलता है और इसी संदर्भ में जब भारत का संविधान बना, तीन साल के लगभग टाइम लगा, 11 सत्र हुए, 165 कार्य दिवस रहे और उसके बाद जब हमारा संविधान बनकर आया जो कि पूर्णतया भारतीयों के द्वारा बनाया गया, भारतीयों ने

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

स्वीकृत किया और इस भावना के तहत स्वीकृत किया कि भारत का संविधान भारत एवं भारत के नागरिकों का आने वाले भविष्य में मार्ग प्रशस्त करेगा।

मैं सुबह से बहुत सारी बातें सुन रहा हूं। पार्टियों पर एक दूसरे पर यह बोला जा रहा है कि यहां पर यह गड़बड़ हुई, वहां पर यह गड़बड़ हुई लेकिन मैं डा. अम्बेडकर का एक कथन आप लोगों के समक्ष पढ़ना चाहूंगा। डा. अम्बेडकर का यह कहना था विधायिका की यह जिम्मेदारी है कि न सिर्फ वह मौलिक अधिकार प्रदान करे लेकिन इससे महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे और इसी के तहत जब हम लोग यहां विधान सभा में बैठे हैं तो मेरा यह मानना है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि साधारण जो व्यक्ति है, उसके अधिकारों का कहीं न कहीं अगर हनन होता है तो उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी विधायिका पर बनती है।

भारतीय संविधान के खण्ड-3 में मौलिक अधिकारों की बात की गयी है जो कि हर भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वर्ण का हो, चाहे जन्म का हो, धर्म का हो, जाति का हो, पंथ का या लिंग का हो, उस सब भेदभाव के बिना अधिकार प्रदान करती है।

मैं आपके समक्ष बहुत सारी बातें नहीं करके सिर्फ एक चीज कहूंगा कि साधारण आदमी के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसको बचाने का काम करने की जिम्मेदारी हम सब पर है और यह बड़ी महती जिम्मेदारी है। संविधान के खण्ड-3 का आर्टिकल-21, हर नागरिक चाहे वह भारतीय हो, चाहे वह विदेशी हो, यहां तक कि चाहे वह अंतरिक्ष से भी आया हो तो भी उसको जीवन का अधिकार देती है, उसके जीवन की रक्षा का अधिकार देती है। उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है और यह अधिकार तमाम अधिकारों में सबसे मौलिक अधिकार है और जनाब, माननीय सभापति महोदय, आर्टिकल-21 की जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर विवेचना हुई तो आर्टिकल-21 का दायरा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि आर्टिकल-21 के अंदर जीवन का या प्राण का जो अधिकार है, उसके अंदर गरिमामय जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। यहां तक कि जीवन यापन का अधिकार भी शामिल है, साफ पानी का अधिकार शामिल है, शिक्षा का अधिकार शामिल है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है और इसी तथ्य को मेनका गांधी वर्सेज यूनियन आफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

ने और अच्छे से स्पष्ट कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अगर जीवन यापन का अधिकार आर्टिकल-21 से निकाल दिया जाए तो आर्टिकल-21 या जीवन का जो अधिकार मिला है, जो राइट मिला है, जो मौलिक अधिकार है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

मैंने इसी सदन के अंदर एक साधारण परिवार की पीड़ा उठाई थी जिसके अंदर गोटन थाने के थानाधिकारी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को, पूरे परिवार को तीन दिन तक अवैध हिरासत में रखता है। पुलिस जांच उन अधिकारियों के खिलाफ हो चुकी है लेकिन आज दिन तक मेरे पास सिर्फ दो कागज आये हैं और वह भी लीपापोती है। अगर यहां पर साधारण व्यक्ति के अधिकारों को हम रोक नहीं सकते तो यह बड़ी ही चिंता का विषय है। मैं आप लोगों से, जितने भी यहां पर बैठे हैं, यह किसी के साथ भी हो सकता है। यह बात अभी की नहीं है। जो मेरे साथी उधर से बोल रहे हैं, यह बात पुरानी है। हां, अभी की नहीं है तो यह चिंता की बात है। यह चिंता का विषय है। यह हर किसी के लिए जो इस विधान सभा के अंदर बैठा है, हर सदस्य के लिए चिंता का विषय है। आपके अधिकारों का हनन हो तो बड़ी भारी दिक्कत हो जाए, पर एक गरीब आदमी, साधारण परिवार को तीन-तीन दिन तक जेल में रख लिया जाए, बिना कस्टडी दिखाये तो इससे ज्यादा चिंताजनक विषय या स्थिति कोई नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, जब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने उनको अंदर रखा, अवैध कस्टडी में रखा, उनको तोहफे के रूप में विभाग ने पदोन्नति दी। आज उनको आगे पदोन्नति देकर दूसरे पद पर बैठा दिया गया। वहीं पर चंद पुलिस वाले कुछ ऐसे होते हैं जो कि आनन्दपाल सिंह हो और चाहे यह पपला गैंगस्टर हो, इनके खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ जांच बैठा दी जाती है और उन पुलिस वालों की पदोन्नति इसलिए रोक दी जाती है कि आपके खिलाफ जांच चल रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): नहीं सर, एक मिनट और लूंगा। तब तक यह चर्चा सार्थक नहीं होगी जब तक हम लोग यह तय नहीं कर लें कि साधारण व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन हो तो हमें उनको किसी न किसी ढंग से रोकना होगा अन्यथा यहां बैठकर चाहे तो हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर लें या चाहे संविधान पर चर्चा कर लें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): आर्टिकल-21 की जब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की तो जीवन यापन भी उसका एक बड़ा हिस्सा रहा। आप और हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सबके सब कृषि के जानकार हैं, कृषि को अच्छे से समझते हैं। मेरा यह मानना है कि आज जब हम प्याज लेने जाते हैं, यह एक जिंदा उदाहरण है तो 60 रुपये, 80 रुपये किलो प्याज मिलता और वही किसान जब बेचने जाता है तो चार रुपये, छह रुपये, आठ रुपये में बेचता है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है?

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): यह किसान का मौलिक अधिकार है कि उसका जो उत्पादन है, उसका उचित मूल्य दिया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावरजी। आप विराजें, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, आजाद देश का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यह संविधान है, जिसके आधार पर यह पूरा देश संचालित होता है, हम सब संचालित होते हैं। संविधान ने हम सब लोगों को समानता का अधिकार दिया है और उसके साथ-साथ हमारे कर्तव्य भी बताये हैं पर इतने सालों के बाद मुझे यह लग रहा है कि इस देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने अधिकारों का पता नहीं है और उनको जानकारी नहीं है तो हमने कर्तव्य का पालन करके उनको जानकारी भी नहीं दी है और उसके कारण से आज वह दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

हम यहां पर कह रहे हैं कि सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको साफ पानी का अधिकार है, सबको अच्छे भोजन का अधिकार है, तो मैं कुछ ऐसे समूहों का नाम बताना चाहता हूं कि जिनकी आज देखभाल करने वाला कोई

(श्री मदन दिलावर)

नहीं है। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके नाम पर योजना बना दी गयी है लेकिन वहीं की वहीं ही टिकी हुई है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि गाड़िया लोहार, बंजारा, गवारिया, कालबेलिया, सपेरा, साटिया, सांसी, पारदी, बावरी, मोगिया, देवासी, कंजर, केवट, नट, भांड, जागा, नाथ, योगी, हरबोला, यह इस भारत के नागरिक नहीं हैं क्या? इनमें से अधिकांश लोगों को मतदान करने का भी अधिकार नहीं है। मतदाता सूची में इनके नाम इसलिए नहीं लिखे जाते हैं कि यह घुमक्कड़ लोग हैं, यह आज यहां रहते हैं कल वहां रहते हैं। यह लोग क्यों घूम रहे हैं क्योंकि हम सब लोगों ने चिंता नहीं की है, हमने हमारे कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, हमने उनको अधिकार नहीं दिये हैं। जब हमारा संविधान इस बात को कहता है कि उनको सबको अधिकार है तो हम जो पढ़े-लिखे लोग थे, जो संविधान को देख करके या संविधान के अनुरूप काम कर रहे थे, जो सरकारों में आये थे, जिनका दायित्व बनता था उन्होंने उनका अधिकार क्यों नहीं दिया? उन्होंने इस देश में पैदा होकर क्या गलती की? उनको मतदाता नहीं बना करके, देश का नागरिक क्यों नहीं मान रहे हैं? आज भी कई पुलिस थानों में हर माह उनकी हाज़िरी लगाई जाती है, पूरी जाति को अपराधी समझा जाता है। मैं समझता हूं कि हम संविधान के आधार पर चलने की बात कहते हैं, उसके पालन की बात कहते हैं तो आखिर में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है?

हम धर्म निरपेक्षता की बात कह रहे हैं, समानता की बात कह रहे हैं तो कहां दिखाई दे रही है? मेरा दिल जब दु:खता है जब गधे पर, घोड़े पर और ऊंट पर एक लकड़ी का गट्ठर बांधकर, एक चारपाई रख करके एक मुर्गा, बकरी और उसका बच्चा हाथ से पकड़ी हुई उसकी लगाम या जो रस्सी कहते हैं लेकर चलता है। आज कहां रहेगा उसको पता नहीं है। उसको कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोयेगा कहां? वह खेत में पड़ा रहता है, किसी के छप्पर के नीचे पड़ा रहता है, बरसात में सोता रहता है, ओलों को सहन करता है, तूफान को सहन करता है। आखिर में उनके अधिकार कहां रहे और हमारे कर्तव्य कहां गये? हम सब लोगों को कर्तव्य पालन करना जरूरी था। यह केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। यहां ऐसी सैकड़ों जातियां हैं, घुमक्कड़ जातियां हैं जिनको हम लोग घुमक्कड़ एवं विमुक्त जातियां भी कहते हैं, इनके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। इनमें से अधिकांश जातियों का कोई अपराधीकरण नहीं रहा लेकिन अंग्रेजों के समय इन्होंने जो उनकी खिलाफत

(श्री मदन दिलावर)

की तो इनको अपराधी जातियों में डाल दिया गया, अपराधी बना दिया गया और उसी के आधार पर आज तक, जब कहीं भी चोरी हो जाती है, कहीं भी अपराध घट जाता है तो किसी कंजर को पकड़ लाओ, किसी मोग्या को पकड़ लाओ और उससे मार-मार करके कबूल करवा दो। यदि कोई भी केस नहीं खुलता है तो पुलिस वाले अपने मुकदमे का निस्तारण बताने के लिए इन लोगों को बलि का बकरा बनाकर कई दिनों तक और मैं कहूं कई वर्षों तक जेल में डाल करके उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ अनाचार करते हैं। मैं यह समझता हूं क्योंकि इनका कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी कोई आवाज नहीं है और हम सब लोग वोट के लोभी हैं जिसकी आवाज नहीं होती उनके पक्ष में बोलते नहीं हैं क्योंकि जो बड़े-बड़े लोग होते हैं उनके बारे में कोई भी कह देता है, बड़े लोगों के पास वोट होंगे, उनकी वाइस होगी, उनके पास पैसा होगा। इसलिए हम सब लोग भी चाहे वे प्रशासन में बैठे लोग हों, राजनीति में काम करने वाले लोग हों, उनके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं मेरा मानना ऐसा है कि इसके कारण से आज भी इस देश में कम से कम दस लाख लोग ऐसे हैं जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, वे गांव-गांव घूम रहे हैं, खुले में पड़े हुए हैं उनकी रोटी की व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं सरकार में बैठे हुए लोगों को भी, चाहे किसी की भी सरकार हो, उनको दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनको संविधान में अधिकार दिये हुए हैं उनको उनके अधिकार दिलाने चाहिए और उसके लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में क्या दिक्कत है? गाड़िया लुहारों का नाम 1994 के बाद जुड़ने लगा है। जब मैं समाज कल्याण मंत्री था मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने अधिकारियों से पूछा और कहा कि आप इनका नाम क्यों नहीं जोड़ते? उनका तर्क था कि यह घूमते हैं, एक जगह नहीं टिकते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, कैसे नाम जोड़ सकते हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद नाम जुड़ने लगे हैं और आज भी 50 प्रतिशत गाड़िया लुहारों के नाम नहीं हैं। गाड़िया लुहार तो फिर भी थोड़े-बहुत जानकार हो गये होंगे लेकिन यह कंजर, पारदी, कालबेलिया, सपेरा, सांसी ऐसे लोग आज भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम संविधान के बारे में चर्चा

(श्री मदन दिलावर)

कर रहे हैं तो जो संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, उनका उपयोग यहां के निवासियों को, हम सब लोगों को मिलना चाहिए।

संविधान ने सबकी रक्षा की है। उन्होंने निर्जीव की भी चिंता की है, उन्होंने पशु की भी चिंता की है, पक्षी की भी चिंता की है और मानव की भी चिंता की है तो फिर हम सब लोग पर्यावरण को बिगाड़ने में क्यों लगे हैं? हम पर्यावरण की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? आज प्लास्टिक मुंह बांये खड़ा है, लाखों लोगों की जान ले रहा है लेकिन हमने पोलीथिन पर पाबंदी लगा करके छोड़ दिया। हमने पाबंदी लगा दी है, पालना क्यों नहीं करवा रहे हैं? राजस्थान में हजारों लोग पोलीथिन के उपयोग के कारण कैंसर होने से मर रहे हैं, लाखों गौ माताएं उसको खा करके मर रही हैं और हजारों-हजारों, लाखों-लाखों लोग बीमार हो रहे हैं फिर हम सब लोगों ने क्यों नहीं चिंता की? कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, कानून की पालना करानी पड़ेगी। आज धड़ल्ले से पोलीथिन का उपयोग हो रहा है, उसके कारण से गंदगी फैल रही है, मक्खी-मच्छर हो रहे हैं, कीड़े-मकौड़े हो रहे हैं, नालियों में सांप आ रहे हैं, लोगों को खा रहे हैं, किसी की चिंता नहीं है। हम पर्यावरण की चिंता क्यों नहीं कर रहे?

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, हम लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं। नदियों में, झीलों में, तालाबों में हमारी पूजा की जो सामग्री बचती है, जो बेकार हो जाती है, गल जाती है जिसको नदी में जाकर फेंकते हैं, हम तालाब में जाकर फेंकते हैं, हम झील में जाकर फेंकते हैं, क्या उससे पानी खराब नहीं होगा, पानी गंदा नहीं होगा, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा? आखिर हम इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इस प्रकार का कानून बना करके उसकी पालना क्यों नहीं करा रहे हैं? कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन हमारे स्वार्थवश हम उसकी पालना नहीं करा पा रहे हैं।

यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, यहां हमारे महात्मा गांधी जी की चर्चा भी की गयी है और महात्मा गांधी जी ने अंतिम समय में कहा 'हे राम', यानी इसका अर्थ यह होता है कि इस देश में राम का अस्तित्व है, भगवान राम पैदा हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है लेकिन मुझे कष्ट हुआ जब कांग्रेस की सरकार ने जाकर उच्चतम न्यायालय में एक शपथ पत्र दिया, राम काल्पनिक हैं, इस देश में पैदा नहीं हुए हैं, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम हैं ही नहीं, +++...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें +++ कहां से आ गयी? आप यह बात कहां से बोल रहे हैं? आप संविधान पर चर्चा करिये। (व्यवधान) इस सदन में आप किसकी बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): राम का अस्तित्व था, इस देश में राम पैदा हुए थे ...(व्यवधान) भगवान राम का अपमान कांग्रेस के लोगों ने किया है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): किसने अपमान किया है? अपमान आप लोगों ने किया है, आपके नेताओं ने किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): गांधी जी ने 'हे राम' कहा (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): महात्मा गांधी का और राम का अपमान आपके नेताओं ने किया है। (व्यवधान) आप संविधान पर बोलिये।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह संविधान पर बोल रहे हैं क्या? यह इनके मानसिक दिवालियापन का द्योतक है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। अब कृपया समाप्त करें। ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): आप संविधान पर चर्चा करिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं भगवान राम पर बोल रहा हूं (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): किसने जनेऊ पहना, किसने क्या किया, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): भगवान राम का मंदिर वहीं बनेगा। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बंद क्यों की? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह कार्यवाही से निकालो। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): आपको जिस बात के लिए समय दिया गया है वह बोलिए आप। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को आपने पांच साल तक बंद रखा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: लोकपाल बिल किसने फाड़ा था, वह भी संसद ने पारित किया था न। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय सदस्य। (व्यवधान) एक्सपंज करें। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बहुत संक्षेप में कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: संक्षिप्त में नहीं, आप विराजें। अब आप विराजें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): धर्म निरपेक्षता की बात भी आयी है।

श्री सभापति: प्लीज आप विराजें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): धर्म निरपेक्षता की बात भी आई है। सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सबमें श्रद्धा रखनी चाहिए और इस देश में हमको अधिकार दिया है कि हम सबका सम्मान करें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। अब समाप्त करें। श्रीमती सफिया जुबेर। आप विराजें। प्लीज, प्लीज, आप विराजें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी और मुख्य मंत्री जी को मुबारकबाद दूंगी कि उन्होंने इतने अहम विषय पर चर्चा करने का यहां आज सबको मौका दिया है। मैं अल्पसंख्यक समाज से आती हूं और इस समाज को अगर संरक्षण मिला है तो इस संविधान के तहत मिला है कि जब संविधान बना था 26 नवम्बर, 1949 को तब सभी समाज के लोग इसके सदस्य थे। उन्होंने पूरे देश में रहने वाले लोगों की भावनाओं को इस संविधान में डाला था और 26 जनवरी, 1950 को इसको लागू किया गया था।

मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगी जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, जहां से वे निर्वाचित होकर आये थे वह जगह

(श्रीमती सफिया जुबेर)

बंटवारे के समय पाकिस्तान में चली गयी थी और बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा था और वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

(17.49 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तब पंडित नेहरू जी ने उनके लिए महाराष्ट्र में जगह खाली करायी थी एम.एल. जैकर की, उनसे इस्तीफा दिलाया था, जो चुने हुए थे और उनकी जगह बाबा साहब को चुनाव लड़ाकर संविधान सभा में भेजा था। इस बात से यह साबित होता है कि उस समय में जो कांग्रेस का नेतृत्व था वह सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने का काम करती थी और उनको सम्मान देने का काम करती थी। ऐसा नहीं कि जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं हमारे भाई बंधु, जो नफरत की राजनीति फैलाते हैं और भेदभाव के काम करते हैं लेकिन ये लोग किसी बात को कैश कराने में पीछे नहीं हटते हैं।

अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को बंद करने का काम भी इन्होंने ही किया था। हमारे देश का जो संविधान है, यह पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। बहुत मजबूत संविधान है। इसे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। सबसे बड़ी खूबी इसकी यह है कि इसे हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। अंग्रेजी में इसमें लगभग सवा लाख के करीब शब्द हैं और इन पेज को शांति निकेतन से आए कलाकारों ने बहुत खूबसूरती से सजाया था। इसकी जो ओरिजनल कापी है, उसको बहुत सलीके के साथ आज भी पार्लियामेंट में रखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, 1931 में कांग्रेस पार्टी का जब कराची में अधिवेशन था, उस वक्त कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पास किया था, जो बाद में संविधान में रखा गया। उस वक्त सरदार पटेल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। देश जब आजाद हुआ तो देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस दिशा में देश जाए। तब के नेतृत्व ने महात्मा गांधी जी की रहनुमाई में देश को दिशा देने एवं विकसित करने के लिए इस भारतीय संविधान की संरचना की। यही वह संविधान है जिसके रास्ते पर चलकर आज देश अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ खड़ा हुआ है। यही संविधान है जिसमें इस देश के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिला है। समान रूप से सभी अधिकार मिले हैं। चाहे वह किसी जाति का है। चाहे वह किसी धर्म का है,

(श्रीमती सफिया जुबेर)

सबको समानता का अधिकार दिया। लेकिन उस वक्त भी एक वोट एक व्यक्ति के अधिकार के खिलाफ जाकर आरएसएस ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। वह तब भी इसके विरोध में थे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर देश का गरीब आदमी, देश का किसान, देश की महिलाएं, अनुसूचित जाति के लोग वोट डालने लगेंगे तो आरएसएस विचारधारा की जो पार्टियां हैं वह मजबूत नहीं हो पाएंगी। यह सही भी बात है। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इतने सालों तक राज किया और विकसित देश बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अनेक धर्म हैं। अनेक जातियां हैं। हजारों जातियां हैं। सभी धर्मों के अपने-अपने धर्म ग्रंथ हैं। मैं यही कहूंगी कि धर्म ग्रंथ हैं, उनके अनुसार हम अपने धर्म की पालना करते हैं लेकिन एक धर्म जिसमें सभी को मैं कामन मानती हूं, वह है इंसानियत का धर्म। उसी इंसानियत के धर्म का धर्म ग्रंथ हमारे देश का संविधान है। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। मुझे लगता है इस बात से सभी सहमत होंगे कि यही संविधान है जिसका सहारा लेकर देश आज भी आजादी की सांस ले रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अंत में यही कहना चाहूंगी कि देश की आजादी की रहनुमाई जिन लोगों ने की, हम उन लोगों को याद करें। वह सारे लोग कांग्रेस के थे। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बिगाड़ने की बात करती है, क्योंकि उनको शायद इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। अगर इतिहास को देखें तो उनके लोगों ने इसमें कोई ज्यादा योगदान नहीं दिया था। यही कारण है कि संविधान को अनदेखा करते हुए कभी यह सुबह 4 बजे मुख्य मंत्री पद की शपथ दिला देते हैं। कभी रात के अंधेरे में 8 बजे यह नोट बंदी लागू करते हैं। यानी कि अंधेरे में सारे काम करते हैं। अंधेरे में काम कौन करता है, आप जानते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): मुझे लगता है कि एक प्रदेश में तो दिन के 12 बजे आप राज्याभिषेक करते हैं राजस्थान में मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी का और एक तरफ महाराष्ट्र में तोड़-जोड़कर सरकार बनाने का प्रयास सुबह 4 बजे करते हैं तो इसका जवाब मुझे लगता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी को देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां। माननीय सदस्य, सबको शादी, ब्याह में जाना है इसलिए समय का ध्यान रखें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि संविधान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला है। हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली, बन्धुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत करने का जो संकल्प लिया था, उसको हम दोहराते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सारे साथियों ने पिछले साढ़े 6 घंटे से जो चर्चा की है, उसमें एक चीज जो संविधान की महत्वपूर्ण आत्मा है, हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के लिए किसान और मजदूरों ने अपना खून बहाया था और बहुत लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली थी। आजादी के दीवानों ने, नेताओं ने जेलों में बैठकर यह संविधान लिखा था। इसमें जो बाईपास निकालने का पिछले 6 घंटों में प्रयास किया गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता पर कोई डिबेट, बहस, विचार न रखना, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दुख का विषय है।

आज अगर हम बात करना चाहेंगे कि 1957 की पहली कम्युनिस्ट सरकार को भंग करने का जो आरोप लगा रहे हैं, वह 100 फीसदी सही बात है। नेहरू जी की सरकार ने वह सरकार भंग की थी लेकिन भूमि सुधार लागू करना, प्रीविपर्स, पेंशन खतम करना, इंदिरा जी के जमाने में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना हिन्दुस्तान के समाजवादी मॉडल को, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता को, पंथ निरपेक्षता की बात को शामिल करना सबसे बड़ा उदाहरण था। देश में गरीबी थी, भुखमरी थी लेकिन 1991 से पहले देश के किसी भी किसान और मजदूर ने आत्महत्या नहीं की। देश के संविधान के साथ जनता खड़ी थी। देश की सरकार के साथ जनता खड़ी थी।

समाजवादी शब्द को तोड़ने और मरोड़ने का काम 1991 के बाद सम्प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी शब्द को डिस्क्रिप्ट करने का जो प्रयास किया गया, अमेरिका परस्त नीतियां हिन्दुस्तान में लागू हुईं। उन नीतियों के बाद

(श्री बलवान पूनियां)

जिस तेजी से किसान, मजदूर के बीच जो असमानता का शब्द आया है, जो फासले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, यह फासले हिन्दुस्तान के समाज के लिए खतरनाक हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि जो पंथ निरपेक्षता की बात को बाई पास करना चाहते हैं, आज हिन्दुस्तान के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा वही हैं। वह चाहे अम्बेडकर का बड़े-बड़े नाम ले लें, चाहे भारत रत्न से उनको अलंकृत कर दें लेकिन अगर समाजवाद खतरे में आएगा, पंथ निरपेक्षता खतरे में आएगी तो लोकतंत्र खतरे में आएगा। जनता में आखिरी आदमी को न्याय नहीं मिलेगा तो हम अम्बेडकर को और उसके संविधान को, संविधान बनाने वाले निर्माताओं को श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। हम देश की संसद और संविधान को बचा नहीं पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य गिरधारीजी बार-बार मांग कर रहे थे कि हमारी फसल नहीं बिक रही है। आज उसी का परिणाम है कि एक किसान जो 2 रुपये किलो प्याज बेचता है, वह आज 100 रुपये किलो खरीदकर ला रहा है। आज एक किसान 25 क्विंटल से फालतू अपना अन्न नहीं बेच पाता है। एक व्यापारी हजार क्विंटल खरीद लेगा और 2 हजार क्विंटल वापस बेच देगा। यह असमानता हिन्दुस्तान के संविधान को तेजी से चैक करने की जरूरत है। हमें चैक और बैलेंस की बात को समझना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज हम जिक्र करना चाहेंगे जेएनयू का, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जवाहर लाल नेहरू जी की याद में जेएनयू बनाया था। जहां गरीब के बच्चे ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और आईएएस, आईपीएस बना। समाज को आगे ले जाने का काम जेएनयू ने किया। आज किस तरह से जेएनयू को तोड़ा जा रहा है। आज यह कह रहे हैं कि शौचालय फ्री में देंगे, लेकिन शिक्षा फ्री में नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर जिस तेजी के साथ जहर उगलने का काम किया जा रहा है, यह हिन्दुस्तान के संविधान के लिए खतरा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उस रोहित वेमूला की मां की तरफ इंगित करना चाहूंगा, जो आज भी इस बात के लिए दर-दर भटक रही है कि मेरा बेटा आत्महत्या कैसे कर गया? उसका इंटेलिजेंट बच्चा इस व्यवस्था में कैसे मर गया? मैं याद कराना चाहूंगा कि 2016 में आशा साहनी अपने

(श्री बलवान पूनियां)

करोड़पति बेटे को फोन करती है, यह कहती है कि मैं अब चल नहीं पाऊंगी, मैं अब खाना नहीं बना सकती, 10 महीने और 24 दिन के बाद जब वह वापस बंबई के उस घर में आता है, जो कि 7 करोड़ की लागत का घर था, तो उसे मां का कंकाल मिलता है। यह समाज में समाजवादी परिकल्पना के साथ अन्याय है। यह अन्याय है इस बात के साथ कि हम संविधान की आत्मा को आज भी आत्मसात करने से दूर भाग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज डाइकिन का मजदूर कह रहा है, नीमराणा का मजदूर कह रहा है कि मुझे यूनियन फ्लैग लगाना है और जनवरी, 2019 में डाइकिन के मजदूर पीटे जाते हैं। आज भी मेरे दूसरे साथी माननीय सदस्य बलजीत ने यह बात कही है कि राजस्थान के नौजवान को वहां न्याय नहीं है। दूसरे सूबों के साथ बात की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे देश की कंपनी आकर हिन्दुस्तान में, हमारे स्टेट में आकर कैसे अपने नियम जनता पर थोप सकती है? यह हमारे लिए पुनरवलोकन का विषय है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 15 मिनट बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय 15 मिनट बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 15 मिनट बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर विचार

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सुधारों को स्वीकार करके संविधान की मूल आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज बहुत बड़ा दिन है हिन्दुस्तान की सरकारों के सामने कि अगर आप संविधान की मूल आत्मा को नहीं बचा पाएंगे, हम 200 के 200 लोग अगर इस बात पर चर्चा नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। आज अगर यह

(श्री बलवान पूनियां)

संविधान नहीं होता तो मेरे से पहले 10 साथियों ने यह बात कही है कि हम एमएलए नहीं होते। मैं भी एमएलए नहीं होता। हो सकता है कि यहां बैठे 200 लोगों में से 180 लोग यहां नहीं होते। हमारे वजूद को, हमारे अस्तित्व को आज हम हमारे हाथों से मिटते हुए नहीं देख सकते।

(18.00 बजे)

मैंने कई दफा यह बात रखी है कि अगर समाजवादी मॉडल को हम वापस लागू नहीं करेंगे तो हम जनता को तमाम सहूलियतें दे नहीं पाएंगे। जो सरकारें छबड़ा के उस संयंत्र को बचा सकती हैं, उनको बताना चाहिए हिन्दुस्तान की सरकार को जो बीपीसीएल को बेचना चाहती है, कितने रुपये में बेचना चाहती है? 65 हजार करोड़ रुपये में बेचना चाहती है, उस बीपीसीएल को जो 5 साल में 35 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा देती है तथा 15 हजार करोड़ रुपये टैक्स देती है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि समाजवादी मॉडल को खतरे में डालकर हिन्दुस्तान के संविधान को बचा नहीं पाएंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। बहुत लम्बे समय से चर्चा हो रही है संविधान के बारे में, संविधान दिवस के बारे में, सारे साथियों ने बड़े शानदार विचार रखे। लास्ट में कोई बोलने वाला बचा होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट मिशन 1946 में जब सुझाव दिया, संविधान बनाने के लिए कमेटी बनी, तो सुझाव रखे और जो डिस्कशन हुआ, आपने अपने भाषणों में, प्रिएम्बल वाली सारी बातें रख दी हैं। मुझे लगता है कि उसके बाहर कुछ भी है लेकिन वर्तमान में भारत में जो स्थिति है, आर्टिकल 14, 19, 21 और 40, जिसमें सारी बातें आम आदमी से लेकर और देश के प्रधान मंत्री तक के सारे राइट्स, सारी ड्यूटीज उनमें दी गयी हैं। देश का जुडिशियल सिस्टम, देश का इलेक्शन कमीशन और इसके अलावा जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के बारे में लोगों ने चर्चाएं यहां की हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मेरा सुझाव है सरकार को कि 2014 के बाद में जिस तरीके से देश की

(श्री जगदीश चन्द्र)

संवैधानिक संस्थाओं को खतम करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बड़ी संविधान के साथ बेअदबी नहीं हो सकती। प्लानिंग कमीशन को आपने खतम कर दिया, यूजीसी को खतम करने की तैयारी चल रही है, यूपीएससी को खतम करने की तैयारी चल रही है। सीधा-सीधा आपने जुडिशियरी में दखल करना शुरू कर दिया, देश के दुर्भाग्य की बात इससे ज्यादा हो नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य ने सुबह एक चर्चा की, वह चले गये, अब सदन में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 1975 में देश में इमरजेंसी लागू हुई, निश्चित तौर पर इमरजेंसी लागू की गयी, वह 1975 की परिस्थितियां कुछ और हो सकती थीं, लेकिन आज इस देश में अघोषित इमरजेंसी है। एक आर्थिक इमरजेंसी इस देश में लगा दी गयी है। फ्रीडम आफ स्पीच, आर्टिकल 21 का सीधा-सीधा वायलेशन हो रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने पर आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। यह बड़ी चिंता की बात है, बड़े सोच की बात है कि देश के अंदर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक सदस्य ने चर्चा की कि 26 नवम्बर, 1949 की जगह 26 जनवरी को ही क्यों संविधान को लागू किया गया? इसमें अमेंडमेंट शायद उन माननीय सदस्य को पूरा ध्यान नहीं है तो ठीक से पढ़ लेना, इसमें अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट के बाद में 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को पंडित नेहरू ने देश के पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसको आधारभूत मानते हुए उससे पहले जितने जितने अमेंडमेंट होने थे, सारे अमेंडमेंट किये गये थे उसके बाद में 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। सवाल इस बात का है कि संविधान के बारे में सब लोग जानते हैं। मेरी सरकार से आपके माध्यम से दरख्वास्त है कि किस तरह से हम संविधान की चर्चा करना चाह रहे हैं, आम आदमी को संविधान के बारे में जानकारी मिले, इन सब चीजों के लिए दसवीं क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं, आठवीं क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उनको इस पाठ्यक्रम से जोड़कर जानकारी देनी चाहिए। क्या हमारी ड्यूटीज हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारी सरकार के काम करने का तौर तरीका है, क्या संविधान का प्रिएम्बल है, ये सब बातें उसमें जोड़नी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा, दो सुझाव

(श्री जगदीश चन्द्र)

मैं आपको देना चाहूंगा कि 1951 में जो पहला संशोधन हुआ, जमींदारी एक्ट में संशोधन किया गया। उसके बाद 1955 में दूसरा संशोधन किया गया था। यह बहुत बड़ी बात थी, समाजवाद की तरफ बढ़ावा देने की बहुत बड़ी बात थी। पंडित नेहरू की और तत्कालीन नेताओं की कल्पना थी कि इस देश में समाजवाद को बढ़ावा दिया जाए लेकिन जिस तरीके से आजादी के 70 वर्ष के बाद में जिस समाजवाद को मजबूत करने का प्रयास किया गया उस समाजवाद को तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है, उस साजिश को बहुत सोची-समझी रणनीति के तहत रचा जा रहा है।

जिस तरीके से हमारे साथी ने चर्चा की कि हमारी देश की नवरत्न कम्पनी है जो प्रोफिट में है, जिसका कोई कम्पेरिजन नहीं है, कहीं नहीं है, उसके बावजूद भी उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़े धनपति, बहुत बड़े इस देश के उद्योगपति, वह इस सरकार के माध्यम से संविधान को खतम करने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान की मूल भावनाओं को खतम करने का प्रयास कर रहे हैं।

जिस तरीके से आपने केशवानन्द भारती प्रकरण की सुबह चर्चा की कि the basic structure of the Constitution; not to be change. यह बात बिलकुल ठीक है लेकिन इस देश में जिस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरीके से पर्दे के पीछे चर्चा हो रही है, वह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी चेंज करने की बात कर रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल को भी चेंज कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को भी चेंज करने की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आखिर में यही मौका मिला है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रफीक खान, तीन मिनट। रफीक खानजी, तीन मिनट।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संविधान पर चर्चा करने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। 26 नवम्बर, 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और बहुत से लोगों का इसमें योगदान रहा। एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद में हमें 15 अगस्त, 1947 को आजादी मिली। जैसे ही हमें आजादी मिली, 26 अगस्त, 1947 को संविधान का मसौदा तैयार किया गया और एक समिति की स्थापना की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान का मसौदा तैयार करने

(श्री रफीक खान)

के लिए और उसकी समिति की स्थापना के लिए तत्कालीन सरकार ने सिर्फ 11 दिन का समय व्यतीत किया, आज की सरकारों को अगर ऐसा मौका मिलता तो वह सोचती कि चलने दो इसको जितना चलता है। उस वक्त के प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरूजी ने तुरंत प्रभाव से इस पर संज्ञान लेते हुए एक मसौदा समिति की स्थापना की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी की अध्यक्षता में इसने संविधान का निर्माण शुरू किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी जगह बैठे नहीं हैं, आप खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपने स्थान पर जाकर बोलें। आप कुछ समझें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बोल रफीक खानजी रहे हैं, नाम अमीन खां जी का चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: ज्यादा जान पहचान होगी इसलिए नाम चल रहा होगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 नवम्बर 1949 को जब एक मसौदा तैयार हुआ और एक खूबसूरत संविधान बनकर तैयार हुआ, मैं इसको एक शेर नजर करना चाहता हूं।

''इस दिन को सम्भाल कर रखना मेरे दोस्तों,

यह देश आज महान बना है,

शहीदों के लहू की स्याही से यह संविधान बना है''

माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान बना, संविधान बनाने के लिए और जब 1885 में यहां अंग्रेजों का शासन था और हम एक गुलामी के दौर से गुजर रहे थे तो आजादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। एक बहुत लम्बी लड़ाई के बाद में हमें आजादी मिली और इस संविधान की स्थापना हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जिस तरीके से पूरे देश में जैसा महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कानून का उल्लंघन करते हुए रातोंरात सारे नियम ताक पर रखकर एक नई सरकार बनाने की कोशिश की और सत्ता हथियाने के लिए संविधान का गलत इस्तेमाल किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पूरा भारत देश मना रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी उनका गुणगान करना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो नाथूराम गोडसे की पूजा करने की बात करती है, नाथूराम गोडसे को शहीद का दर्जा देने की बात करती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): दूसरी तरफ महात्मा गांधी के जन्म दिवस को मनाने की बात करती है। दोहरे मानदंड के साथ में जो उनकी नीति है उसके लिए वे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरीके की डिक्टेटरशिप की नीति अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, जैसा 370 में इन्होंने किया, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 को न हटाने के पक्ष में हम कभी भी न थे। हम हमेशा यह चाहते थे कि 370 हटे लेकिन अनडैमोक्रेटिक तरीके से इन्होंने 370 को हटाया और वहां की सरकार को बर्खास्त किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड-अप करें, प्लीज।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं बाबा साहेब के लिए एक शेर और कहना चाहूंगा-

"पड़े जब भी कलम के निशान कागज पर,
सिमटकर आ गया सारा संविधान कागज पर,
मुझे मेरे लोग मरने के बाद समझेंगे,
जब मैं छोड़ जाऊंगा संविधान कागज पर।।"

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगांठ पर आज इस सदन में चर्चा हो रही है कि हमारे देश का संविधान कैसे लागू हुआ, किन-किन ने संघर्ष किया तो इस अवसर पर मैं भी डा. भीमराव अम्बेडकर जी, राजेन्द्र प्रसाद जी, नेहरू जी और डा. जयपालसिंह मुंडा को भी इस सदन के माध्यम से नमन करता हूं। अभी इस सदन में विस्तृत चर्चा हुई कि हमारे संविधान में ये प्रावधान हैं, हमारा संविधान इस दिशा में जा रहा है, हमारे संविधान में यह हुआ और कई तरह की छींटाकशी भी हुई, नोक-झोंक भी हुई।

मैं इस सदन को बताना चाह रहा हूं कि हमारे लोगों ने जब भारत देश को चलाने के लिए संविधान बनाया तो उन्होंने कई देशों से, कई देशों की जो अच्छाइयां थीं, उन सबको सम्मिलित करके इस देश को चलाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया। आज हमारी जो शासन व्यवस्था चल रही है, मैं बताना चाह रहा हूं आज की जो स्थिति है कि हम सब संविधान के अनुरूप चलने की बात करते हैं, संविधान के अनुसार देश की शासन प्रणाली चलाने की बात करते हैं, लेकिन आज का युवा वर्ग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर रैलियां करता है, आंदोलन करता है और इस देश में एक विडम्बना

(श्री राजकुमार रोत)

है कि कोई भी अपने अधिकारों के लिए संविधान के अनुरूप भी बात करता है, सरकार से सवाल-जवाब करता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है।

हम सब संविधान की बात तो कर लेते हैं, लेकिन हम खुद संविधान पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। इस देश में जो स्थितियां हैं, अभी चर्चा हुई थी कुछ समय पहले कि गुजरात में मोदी जी ने हाथी पर संविधान की किताब रखकर यात्रा निकाली तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि क्या इस किताब को पूजने से, यात्रा निकालने से कोई समाधान होगा? हाथी की बात करें तो हाथी के दो तरह के दांत होते हैं। खाने के अलग और दिखाने के अलग। क्या हमारा देश इस दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है? कहा कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है।

अभी बात होती है आरक्षण की। कभी लोग कहते हैं कि आरक्षण को इस देश में कोई खतम नहीं कर सकता है, फिर कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। दो तरह की बातें बोली जाती हैं। यह एक प्रतिनिधित्व है। आज मैं भी सदन में पहुंचा हूं। मैं न तो राजनीतिक परिवार से हूं न किसी अमीर परिवार से हूं। मैं भी एक गरीब परिवार से हूं। उस संविधान की बदौलत मैं यहां पहुंचा हूं। इस संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि हर गरीब तबके का, हर समाज का, हर जाति का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे। शासन में हो या प्रशासन में हो, उसकी बदौलत ही मैं आज यहां हूं।

श्री अध्यक्ष: आपके बाद दो वक्ता और बोलेंगे, एक भारतीय जनता पार्टी के और एक आरएलपी के।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष: बोलें जल्दी दो मिनट में। आपकी परमिशन से दो वक्ताओं के बोलने तक समय बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर विचार

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गयीं। आज जो संविधान की स्थिति है, उस पर।

(श्री राजकुमार रोत)

"मैं भारत का संविधान हूं,
लाल किले से बोल रहा हूं,
मेरा अंतरमन घायल है,
दु:ख की गांठें खोल रहा हूं,
जिंदा हूं या मर पड़ा हूं
अपनी नब्ज टटोल रहा हूं,
मैं भारत का संविधान हूं,
लाल किले से बोल रहा हूं।
मैं लहू में लथपथ होकर जनपथ, हर पथ दौड़ रहा हूं,
मैं भारत का संविधान हूं,
लाल किले से बोल रहा हूं।।"

यह वास्तविकता है। इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमें संविधान के अनुरूप चलना पड़ेगा। हम अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं तो यह तभी साबित होगा, हम विश्व में तभी प्रख्यात होंगे, जब हम संविधान के अनुरूप सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी समाजों को साथ में लेकर चलेंगे, तभी हमारा देश विश्व में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रात:काल आपने चर्चा प्रारम्भ करते समय चर्चा को जो ऊंचाई दी, उसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। संविधान के विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कहा था कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत जनता है और जनता ही लोकतंत्र में सर्वोच्च व सम्प्रभु है, क्योंकि संविधान लोक या नागरिकों ने स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक विषय को और स्पष्ट करना चाहूंगा। प्राय: प्रजातंत्र व लोकतंत्र को एक ही अर्थ में लिया जाता है, जबकि प्रजा वहां होती है जहां राजा हो। डैमोक्रेसी का अर्थ लोकतंत्र है। लोकतंत्र अर्थात् जिसके लोक अथवा जनता या नागरिक सम्प्रभु हों, राजा की प्रजा कभी सम्प्रभु नहीं

(श्री धर्मनारायण जोशी)

होती। संविधान की प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा गया है - समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए इस संविधान को लागू किया। माननीय भीमराव जी अम्बेडकर ने तीन स्थितियों में उनका वर्णन किया है। सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर और आर्थिक स्तर। राजनीतिक न्याय के लिए संसद व विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देकर इसकी महत्वपूर्ण पहल की है।

173, 174वें संशोधन द्वारा पंचायतों, नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, राजनीतिक न्याय की सुदृढ़ पहल थी। आज इन वर्गों के बंधु-बहन शीर्ष पदों तक पहुंचे हैं, यह हमारे संविधान की सबसे बड़ी सफलता है। दूसरा, सामाजिक न्याय। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, महर्षि दयानन्द सरस्वती व स्वामी श्रद्धानन्द जैसे महापुरुषों ने समाज से अस्पृश्यता जैसे कलंक को हटाने का संदेश दिया। वहीं संविधान की प्रस्तावना में भी सभी को बिना भेदभाव के प्रगति के समान अवसर की बात कही गयी है। काका कालेलकर आयोग और मण्डल आयोग की रिपोर्ट ने सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। इनसे सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ा है। इन आयोगों से समाज के कमेरू वर्ग, हाथ से काम करके कमाकर खाने वाले वर्ग को अपना जीवन ऊपर उठाने में मदद मिली है। तीसरा, अम्बेडकर जी ने आर्थिक न्याय दिया। देश की आजादी के 7 दशक बाद भी गरीब और अमीर के मध्य बढ़ती खाई चिंता का विषय है। अभी राजनीतिक व सामाजिक न्याय के क्षेत्र में हम जरूर आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी आर्थिक न्याय में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। भारत में 68.8 प्रतिशत किसान वर्ग है, जिनके पास कुल सम्पदा का केवल 8 प्रतिशत है। भारत के 10 प्रतिशत लोगों के पास भारत की 75 प्रतिशत सम्पदा है। आर्थिक विषमता समाज के जीवन में असंतोष का कारण बनती है।

मैं सवर्णों को केन्द्र और राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षण दिये जाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमारा संविधान विश्व का अनुपम व श्रेष्ठ संविधान है। इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में अधिकार व्यवस्था का बेहतर संतुलन है। भारत के लोकतंत्र में संविधान और जनता से अधिक कोई सर्वोच्च नहीं है। हमारे देश की सम्प्रभुता यहां के नागरिकों में निहित है और यही हमारे लोकतंत्र का सुदृढ़ आधार है। मैं संविधान के

(श्री धर्मनारायण जोशी)

सम्बन्ध में बाबा साहेब को पुन: स्मरण करता हूं। बाबा साहेब केवल सामाजिक व्यवस्था के इंजीनियर नहीं थे, वह आर्थिक व्यवस्था के भी इंजीनियर थे। 1937 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का कानून ब्रिटिश शासनकाल में बाबा साहब की पहल पर लाया गया। हिन्दू समाज को बांटने की अंग्रेजों की साजिश को, षडयंत्र को डाक्टर अम्बेडकर ने विफल कर दिया था। अंग्रेजों ने प्रान्तीय विधान मण्डलों में दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की थी। 24 दिसम्बर, 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर पूना गये और पूना पैक्ट महात्मा गांधी और उनके बीच की वार्ता का हम सब जानते हैं। वहां समझौता हुआ। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान हटाया गया। दलित वर्ग के लिए प्रान्तीय विधान मण्डलों में सीटें 71 से बढ़ाकर 147 और केन्द्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18 प्रतिशत आरक्षण किया गया। मैं पूना पैक्ट के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व बाबा साहब अम्बेडकर की कृतज्ञता का स्मरण करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो लोगों के मैं भाषण सुन रहा था, हमारे परिवहन मंत्री और हमारे सिरोही के एमएलए साहब का। दोनों ने जिस प्रकार से भगवान राम की महिमा गायी, मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे उन्होंने महिमा गायी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय और दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मेरा आपसे निवेदन है कि जो महिमा उन्होंने गायी वह महिमा केन्द्र को भी बताना चाहिए, सिब्बल साहब को भी बताना चाहिए कि कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसको बन्द करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): दो मिनट और माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हो गया। अन्तिम वक्ता हो गया, माननीय सदस्य, नहीं, अब हो गया प्लीज। माननीय सदस्य, अन्तिम वक्ता नारायण बैनिवाल।

श्री नारायण बैनिवाल (खींवसर): मैं, माननीय अध्यक्ष जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि संविधान के 70वें वर्ष में विशेष सत्र बुलाकर संविधान में उल्लेखित अधिकार एवं कर्तव्यों पर चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया।

(श्री नारायण बैनिवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज संविधान में अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर आयोजित विशेष सत्र में मैंने खींवसर विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। मैं खींवसर की 36 कौम की जनता-जनार्दन को दिल से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझमें विश्वास करके रालोपा के सुप्रीमो, सांसद श्री हनुमान बैनिवाल के विकास के सपनों को पूरा करने व मेरे पिताजी पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री रामदेव जी चौधरी के आदर्शों पर चलने के लिए मुझे जनसेवक के रूप में चुना। मैं प्रदेश के समस्त युवाओं, जिनके कन्धों पर देश का भविष्य टिका है, अन्नदाता किसान व मातृशक्ति को भी दिल से प्रणाम करता हूं जिनके प्रत्यक्ष या परोक्ष आशीर्वाद व समर्थन से प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े पुरोधाओं ने इस चर्चा में बढ़-चढ़कर भाग लिया। चूंकि यह मेरा पहला उद्बोधन है, बड़ा अच्छा लगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संविधान के बारे में लगभग सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बता दीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हमें प्रदान किये जिनका उल्लेख भी समस्त वक्ताओं ने बहुत ही विस्तृत तरीके से सबके सामने रखा। उसके अलावा अधिकारों का जो ज्ञान है वह 70 साल में मेरे हिसाब से देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने अधिकारों की जो बात है वह अच्छी तरह से समझ में आ गयी। अब सारी बातें हम सबको मिलकर निभानी हैं और हमारा यह परम दायित्व है कि कर्तव्यों के ऊपर हमें चलना चाहिए चाहे वह धर्म की बात हो, चाहे संविधान की बात हो। जिस तरह से 70 साल में आज ज्ञान की कोई कमी नहीं, आज डिजिटलीकरण का समय है, आज विकास में देश इतना आगे बढ़ गया कि एक क्लिक के ऊपर आप किसी भी मुद्दे पर हजारों सालों का ज्ञान एक सैकण्ड के अन्दर अर्जित कर सकते हो, पर उसमें मैं जाना नहीं चाहता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह जब सदन शुरू हुआ तब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मीडिया को लेकर भी बात कही, मीडिया की अनुकूलता का जिक्र किया लेकिन ईमानदारी से हम सबका परम कर्तव्य है कि हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि इस सबकी समस्त जिम्मेदारी हम जो सदन में लोग बैठे हैं, हमारी है। मीडिया के बहुत सारे लोग और जो पाठक है

(श्री नारायण बैनिवाल)

वह यह चाहता है कि मीडिया का अनुकूलन राजनीतिक पार्टियों के साथ नहीं हो और इसके लिए हम हमारी जिम्मेदारी से अपने आपको नहीं टाल सकते। मैं आपके माध्यम से सरकार और सत्ता में बैठे लोगों से भी निवेदन करूंगा कि मीडिया को साथ लेकर, क्योंकि अब पाठकों की जो राय है और जो आम व्यक्ति के विचार हैं उनके अन्दर मीडिया की भूमिका को हम हल्के में नहीं ले सकते। जो भी क्रांतियां हुईं, जो भी परिवर्तन हुए उनमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभा रहा है वह मीडिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति यह चाहता है कि देश में भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ौस के घर में हो। पड़ौसी के दादाजी का स्वर्गवास हो और मेरे दादाजी को मोक्ष मिल जाए। हमें इन सब चीजों पर सोचने की आवश्यकता है क्योंकि देश को आजाद हुए 70 साल हो गये और हमने इन सब बातों पर आज भी गौर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी चुनौती प्रकृति को बचाना है। द्रोपदी के चीर की तरह प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में प्रदूषण को लेकर किसानों को पराली जलाने का जिम्मेदार ठहराया गया। हमारी सबकी पूर्ण जिम्मेदारी है कि प्रदूषण के वास्तविक कारण कौनसे हैं, हमें उन सब मुद्दों का बहुत गहनता से अध्ययन करना है क्योंकि यदि प्रकृति नहीं बची तो हम बचकर भी क्या करेंगे? ये जो ज्वलंत चीजें हैं इन सब चीजों पर हमारा सबका कर्तव्य है।

कभी भामाशाह कार्ड का नाम बदलने के नाम पर तो कभी अटल सेवा केन्द्रों व अन्य योजनाओं का नाम परिवर्तन करने के कारण करोड़ों-अरबों का धन तो व्यय होता ही है, कागजों के लिए करोड़ों पेड़ों की कटाई के लिए हम सभी संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता और विपक्ष में बैठे मेरे तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि ऐसी योजनाओं का नाम बदलने के बजाय उनके जो विचार थे कि समाज के अन्तिम छोर पर बैठा आगे कैसे बढ़े, उनको उठाएं। योजनाओं में चाहे किसी का नाम हो पर हमारा प्रत्येक व्यक्ति आगे कैसे बढ़े यह सोचना है। समानता के अधिकार की जो बातें हैं, प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार कैसे मिले, इन सब चीजों पर सोचने का परम कर्तव्य हमारा बनता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि सच कोई बोलना नहीं चाहता है और न सच सुनने की किसी की आदत रही है।

(श्री नारायण बैनिवाल)

लोकतंत्र के तीनों स्तम्भों में 70 सालों से संतुलन गड़बड़ा रहा है। विधायिका की नैतिक रूप से गिरावट के कारण, न्यायपालिका और विशेषकर कार्यपालिका, दोनों की अति सक्रियता से निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का संविधान के प्रति समर्पण कम हुआ है, इस बात को हमें बिल्कुल पुरजोर तरीके से सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता आज 70 साल के बाद भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब विद्यार्थी था तब मुझे विधान सभा में मेरे पिताजी के साथ आने का मौका मिला। तब मैंने देखा था कि जब भी कोई ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा होती थी तब अधिकारी दीर्घा पूरी भरी हुई होती थी। आज मैं सुबह से देख रहा हूं और यह कहते हुए मेरा मन बड़ा विचलित है क्योंकि मैं प्रथम बार यहां चुनकर आया हूं कि आज इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे के ऊपर भी जब सदन के नेता, सदन के उप नेता और समस्त सदस्य बड़ी तल्लीनता से एक-एक शब्द सुन रहे हों और बोल रहे हैं तब भी जिनकी नैतिक जिम्मेदारी सबसे बड़ी है और जिनको संकल्प लेने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, कार्यपालिका के लोगों को, मैं सुबह से देख रहा हूं कि एक-दो व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी मैं इस सदन के माध्यम से पुरजोर मांग करता हूं ऐसी परिपाटी बने कि जब तक सदन चले तो सिस्टम को चलाने वाले लोग हमारे एक-एक शब्द के ऊपर ध्यान दें कि कहां कमी है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों को भी सुबह से सुनता आ रहा हूं कि जो देश में हुआ उसमें इन-इन लोगों की भूमिकाएं रहीं, यह जो देश आज विकसित हुआ उसमें इन-इन लोगों की भूमिका रही। मुझे बड़ा अच्छा लगता कि अटल बिहारी जी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी और अब्दुल कलाम आजाद जी जैसे लोगों का भी आप नाम लेते तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता।

मैं यहां यही निवेदन करूंगा कि सत्ता कोई स्थायी चीज नहीं है, कभी आप सत्ता में बैठोगे, कभी आप सत्ता से बैठ जाओगे लेकिन हम सबको मिलकर, हमारा परम कर्तव्य है कि समाज के अन्तिम छोर पर बैठे लोगों ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो गाड़ी और उसकी स्टीयरिंग हमारे हाथों में दी है तो हम लम्बी दूरी तक उन लोगों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से आगे ले जाएं, यह हमारा परम कर्तव्य है।

(श्री नारायण बैनिवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधान मंत्री महोदय को जिन्होंने लोगों की भावना के अनुरूप एक देश एक संविधान के पुनीत कार्य को अंजाम दिया। मैं सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से भी यह अपेक्षा रखूंगा कि ऐसा जो भी मामला है इसके अन्दर माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी, और राम मन्दिर के मुद्दे पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका ने जो फैसला दिया कि इतने ज्वलंतशील मुद्दे पर, इतने अति-संवेदनशील मुद्दे के ऊपर भी लोगों ने आस्था न्यायपालिका के प्रति रखी। उन लोगों का सम्मान भी आपको अपने शब्दों में करना चाहिए था, मैं आपसे ऐसी अपेक्षा रखूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अख़बार के मुख पृष्ठ को देखते ही दुर्घटनाओं की खबरें और लाल होती सड़कों पर, सूनी हुई माताओं की गोदें और मिटते सिंदूरों की खबर पढ़कर सुबह-सुबह ही मन विचलित हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि रोड सेफ्टी को लेकर एक रोडमैप का निर्माण अत्यन्त अपेक्षित है। जैसे आवारा पशुओं को लेकर भी आए दिन अखबारों के अन्दर सबसे बड़ी खबरें आती हैं तो आवारा पशुओं को लेकर हम यदि ठोस कार्य योजना बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर, माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन साल से छोटे जो बछड़े हैं, उनके परिवहन पर सरकार ने रोक लगा दी और उन नागौरी नस्ल के जो बछड़े होते थे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्षजी, पहली बार आया हूं और आपको जब बाहर से देखता हूं तो आपके अनुशासन को मैं दिल से सलाम करता हूं लेकिन कुछ बोलने का और क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मैं थोड़ा-सा आपसे निवेदन करूंगा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, और समय देंगे। आज संविधान पर चर्चा है, ठीक है। आप बोलें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नारायण बैनिवाल (खींवसर): मैं अभी आवारा पशुओं को, जैसे नागौरी नस्ल के बैलों की बात करते हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज संविधान पर चर्चा है...

श्री नारायण बैनिवाल (खींवसर): सर, मैं कर्तव्यों की बात कर रहा हूं। हमें यदि गौवंश को बचाना है और आवारा पशुओं से यदि हमें निजात चाहिए तो गौशालाओं के साथ-साथ तीन साल से कम बछड़ों के परिवहन पर जो सरकार ने रोक लगाई है। वहां माननीय न्यायालयों में भी जाकर, इस पर कोई ठोस कार्य योजना सरकार को बनानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक व्यक्ति की विचारधाराएं उसके पेट पर निर्भर करती हैं कि उसका पेट खाली है या भरा हुआ। भरे हुए पेट पर मस्तिष्क में अच्छे विचार पैदा होते हैं। आज 70 साल बाद भी लोग आवास, अन्त्योदय और खाद्य सुरक्षा को लेकर अपनी ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं, जो अत्यन्त चिंता का विषय है। आज विडम्बना इस बात की है कि देश के सभी सदनों में निर्वाचित सदस्यों के व्यक्तिगत विचार स्थाई नहीं रहे हैं। दल-बदल जैसे कानूनों में शिथिलता के कारण हर सदस्य के विचार, उस दल की विचारधारा के अनुकूल हो जाते हैं। आज सत्ता पक्ष के वक्ताओं से भी अपेक्षा थी कि ऐसे कई अति संवेदनशील मुद्दे थे, जिन पर आप लोग उनका साधुवाद करते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि प्रधान देश में किसान मुख्य केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। फसली बीमा, आगजनी की घटनाओं में दी जाने वाली सरकारी मदद का सही आकलन करके मुआवजा दिलाने, किसानों को अच्छे बीज, फसलों का उचित मूल्य और इन सब चीजों पर हमारा नैतिक कर्तव्य है कि इसके ऊपर ठोस कार्य योजना बननी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की विधान सभा में आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर भी चर्चा के दौरान...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य..

श्री नारायण बैनिवाल (खींवसर): मैं थोड़ा-सा, एक मिनट बताना चाहूंगा अभी..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रथम बार बोल रहे हैं। आपका स्वागत है, पर संविधान के संबंध में चर्चा है। कृपया वाइंड अप करें।

श्री नारायण बैनिवाल (खींवसर): अंत में, मैं लोकतंत्र के सभी स्तम्भों के सभी सदस्यों व आम नागरिकों से आहवान करता हूं कि सभी लोग

(श्री नारायण बैनिवाल)

मिलकर भारत के विकसित राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी भूमिका अदा करें और प्रत्येक व्यक्ति की एक ही भावना होनी चाहिए कि देश हमारे लिए प्रथम और सर्वोपरि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.33 बजे शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)